स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास, १९५०-१९७५

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की शिक्षा-संकाय में
पी-एच० डी० उपाधि के लिए प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

पर्यवेक्षक-

डा० आत्मानन्द मिश्र
एम० ए०, डी० लिट०
निवर्तमान, शिक्षा निदेशक (म०प्र०)
डीन तथा प्रोफेसर,
शिक्षाशास्त्र संकाय,
सागर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

शोधकर्त्ता-

गणेशमूर्ति मिश्र
एम० एड
प्रवक्ता, बी० एड० विभाग
दयानन्द वैदिक कालेज, उरई (
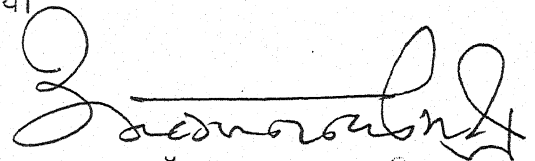
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास" शीर्षक यह शोध-प्रबन्ध श्री गणेश मूर्ति मिश्र व्याख्याता, दयानंदवैदिक महाविद्यालय, उरई, ने बड़े परिश्रम और अध्यवसाय से मेरे पर्यवेक्षण में पूर्णकिया है। इसकी विषय-सामग्री उनकी अपनी मौलिक है और वह सम्पूर्ण या आंशिक रूप में किसी अन्य परीक्षा के लिए प्रयोग नहीं की गयी है।

यह शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के नियमों के अंतर्गत तैयार कियागया है। मैं अनुसंशा करता हूँ कि यह इस योग्य है कि पी-एच0डी0 परीक्षा के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुतकिया जाय।

(डॉ0 आत्मानन्द मिश्र)

निवर्तमान डीन तथा प्रोफेसर,
शिक्षा संकाय,
सागर विश्वविद्यालय
अंशकालिक प्राध्यापक एम0फिल0
विभाग, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर

आभारिका

डी०ए०वी० कालेज देहरादून तथा डी०वी० कालेज उरई में शिक्षा शास्त्र के व्याख्याता के रूप में कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा में मेरी रुचि जाग्रत हुई। सन् 1975 में जब बुन्देलखण्ड सहित तीन अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्रदेश में अन्य राज्यों से सर्वाधिक 19 विश्वविद्यालय हो गए तो उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की प्रगति का अध्ययन करने की मुझमें प्रबल उत्कंठा हुई। संयोग से उस समय सागर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के डीन तथा प्रोफेसर तथा विख्यात शिक्षाविद् डॉ० आत्मानन्द मिश्र निवृत होकर कानपुर आ गये थे। उनसे अपनी अभिलाषा व्यक्त करने पर हमें पर्याप्त प्रोत्साहन मिला और मैंने स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास पर अनुसंधान करने का निश्चय किया।

दयालुता के स्वरूप श्रद्धेय डॉ० मिश्र देश के जाने-माने शिक्षा शास्त्री हैं और यह मेरा सौभाग्य था कि उनके पर्यवेक्षण में मैंने यह शोध सम्पन्न की। उनके प्रकांड पांडित्य से मुझे पग-पग पर यथेष्ट मार्ग दर्शन मिला है जिसके बिना यह शोध पूर्ण करना मेरे लिए असम्भव था। उनके व्यक्तिगत पुस्तकालय से मुझे अनेक ग्रन्थ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और शोध कार्य में समुचित प्रगति सम्भव बनी। मैं किन शब्दों में उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करूँ उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए मैं उनका आजन्म ऋणी रहूँगा।

उनके शिष्य डा० रामलखन व्याख्याता डी०वी० कालेज उरई तथा डा०टी०पी० मिश्र व्याख्याता बी०एस०एस०डी० कालेज कानपुर एवं भाई डा० गोविन्दानंद मिश्र का भी मैं बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुझे इस कार्य में सहायता दी है।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी सांख्यकी की खोज में मुझे दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद कानपुर और झाँसी जानापड़ा है। दिल्ली की सेंट्रल सेक्रीट्रियेट लाइब्रेरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, लखनऊ की सचिवालय तथा विधान सभा ग्रन्थालय, इलाहाबाद के उच्च शिक्षा निदेशालय और झाँसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के ग्रन्थालो तथा अन्य कार्मिकों ने सामग्री जुटाने में मेरी जो सहानुभूति पूर्ण सहायता की है, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ।

इस शोध प्रबन्ध में अनेक शिक्षाशास्त्रियों तथा ग्रन्थों के उद्धरण एवं सांख्यकी का प्रयोग किया गया है उन सबका मै ऋणी हूँ।

21/12/86

गणेश मूर्ति मिश्र

अनुक्रमणिका

अध्याय | पृ०सं०

अध्याय | पृ0 सं0

===

सारणी-सूची

=====

चार्ट-सूची

===

1

खण्ड १ : शोध-समस्या और उसकी पृष्ठभूमि

अध्याय-1

प्रस्तावना: शोध समस्या और प्रक्रिया

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। गणराज्य की सत्ता जन साधारण में निहित होती है। उसका शासन जन साधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं। वह मतदाताओं केप्रति उत्तरदायी होते है। यह सरकार जनता की जनता के लिए जनता द्वारा चलाई जाती है। " लोकतंत्र की अध्यस्थ भावना सामान्य व्यक्ति में श्रद्धा है। वह सामान्य व्यक्ति में अंतरनिहित शक्ति की असीम सम्भावनाओं में विश्वास करती है। उसकी मान्यता है कि यदि अवसर दिया जाय तो साधारण से साधारण नागरिक भी अपनी योग्यताओं और बुद्धि-वैभव का समुचित विकास कर सकता है, दूसरों के साथ तथा दूसरों की भलाई के लिए वह उतनी तत्परता से कार्य कर सकता है जितना अपने स्वयं की भलाई के लिए। उसको उच्च आदर्शों की ओर उत्प्रेरित किया जा सकता है और उनकी गरिमा के अनुरूप वह कार्य भी कर सकता है।"[1]

मत द्वारा शासन का निर्माण करने के कारण और उन्नति की असीम सम्भावनाएं रखने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि भारत के गणराज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इसके संविधान स्वयं में 14 वर्ष पर्यंत तक की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया है। किन्तु राष्ट्र की और अधिक उन्नति करने के लिए जिससे वह विश्व के समुन्नत राष्ट्रों के सम्मुख अपना सर ऊँचा कर सके यह आवश्यक है कि उच्चतर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

कोठारी आयोग का कथन है कि - " जैसे -जैसे समाज का औद्योगीकरण होता जाता है शिक्षा पर खर्च बढ़ने लगता है और उसका अधिकाधिक भाग उच्च

1- आत्मानंद मिश्र- शैक्षणिका, दिल्ली: ओरियंटल लांग मैन-1969- पृ0-23

शिक्षा और अनुसंधान पर होने लगता है।"[2] अतएव किसी भी उन्नतदेश में उच्च शिक्षा का बड़ा महत्व है।

इग्लैण्ड के शिक्षा विधेयक 1944 के निर्माता लार्ड बेटलर नेआजाद स्मारक भाषण में कहा था कि हमारी अति जीवता ﴾सरबाइवल﴿ उच्च-शिक्षा पर निर्भर करती है और वहाँ के प्रधान मंत्री डिजरैली ने यहाँ तक कह डाला था- "इस देश के लोगों की उच्च शिक्षा पर इस देश का भाग्य निर्भर करता है।" उच्च शिक्षा मानव की दृष्टि को व्यापक बनाती है और उसमें सामान्यीकरण एवं सूक्ष्म चिंतन की शक्ति बढ़ाती है। यह उसको किसी भी परिस्थिति का समुचित सामना करने की योग्यता देती है। विश्वविधालयों में पढ़ने वाले लोग ही समय आने पर नेतृत्व करते है और अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवर्तक बनते हैं। इस प्रकार उच्च-शिक्षा लोकतंत्र को उचित ढंग के नागरिक देकर सुदृढ ही नहीं बनाती हैं वरन् उसे नेतृत्व प्रदान करती है।

अमेरिका के प्रेसीडेंट ट्रूमैन ने कहा था-"हमारी राष्ट्रीय नीतियों को चलाने के लिए हमें व्यापक अनुभव परिपक्व दृष्टिकोण और संतुलित निर्णय करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है किन्तु आज ऐसे लोगों की संकटपूर्ण कमी है। इसको पूर्ण करने के लिए हमारे विश्वविधालयों को प्रयत्न करना होगा।"[3] वट्रैन्ड रसल का कहना है कि " जैसे- जैसे दुनियाँ अधिक जटिल होती चली जाती है और उद्योग अधिक वैज्ञानिक होते चले जाते है, वैसे-वैसे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई संख्या में विशेषज्ञों और प्रशासकों की आवश्यकता होती जाती है। इनकी प्रमुख पूर्ति करने वाले विश्व-विधालय ही है।"[4]

स्वातंत्रोत्तर भारत की परिवर्तित परिस्थितियों में उच्च शिक्षा पर नया उत्तरदायित्व आता जा रहा है। विश्वविधालय के कार्यों की चर्चा करते हुए कोठारी आयोग ने कहा है कि " आज की दुनियाँ में विश्वविधालय के निम्नांकित कार्य कहे जा सकते हैं-

- -

2-डी०एस० कोठारी-शिक्षा आयोग की रिपोर्ट-1964-66 ﴾नई दिल्ली-शिक्षा मंत्रालय-1966﴿अध्याय-19, पैरा-10

3-एस० राधाकृष्णन-विश्वविधालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट﴾नई दिल्ली शिक्षा-मंत्रालय 1962﴿पृ०-47

4-बट्रैण्ड रसेल-एजूकेशन एण्ड गुडलाइफ-न्यूयार्क एवानबुक-पृ०-184

1- नये ज्ञान की प्राप्ति और पोषण करना पूरे उत्साह के साथ और निर्भय होकर सत्य के अन्वेषण में जुट पड़ना और नई आवश्यकताओं और नई खोजों के संदर्भ में प्राचीन ज्ञान और विश्वासों की व्याख्या करना।

2- जीवन के हर क्षेत्र में सही किस्म का नेतृत्व प्रदान करना, प्रतिभावान युवक-युवतियों को पहिचानना और शारीरिक क्षमताओं एवं मानसिक शक्तियों के उन्नयन और स्वस्थ रुचियों, एवं मनोवृत्तियों तथा नैतिक और बौद्धिक मूल्यों के पोषण द्वारा उनकी संभावनाओं के विकास में सहायता करना।

3- समाज को ऐसे सक्षम नर-नारी देना जो विभिन्न उद्योगों और शिल्पविज्ञान में तथा अन्य विविध वृत्तियों में प्रशिक्षित हों और साथ ही सामाजिक सोउद्देश्यता की भावना से संस्कृत व्यक्ति भी हो।

4- शिक्षा के प्रसार द्वारा समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदों को घटाने का प्रयत्न करना।

5- व्यक्ति एवं समाज में शत् जीवन के विकास के लिए जिन मनोवृत्तियों और मूल्यों की आवश्यकता होती है, अध्यापकों एवं छात्रों में और उनके माध्यम से सम्पूर्ण समाज में उन्हीं मनोवृत्तियों तथा मूल्यों का समवर्धन-पोषण करना।

अतएव स्पष्ट है कि राष्ट्र जीवन, राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र शक्ति में उच्च-शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसका लक्ष्य सृष्टि के दैहिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी धरातलों पर स्वयं अपने बारे में मनुष्य के बोध को गहराई देना होता है, समूचे समाज में इस बोध का प्रसार करना और मानव जाति की सेवा के लिए उसका उपयोग करना।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सन् 1947 में दीक्षान्त भाषण देते हुए पं० जवाहर लाल नेहरु ने कहा था- " विश्वविद्यालय का अस्तित्व मानववाद के लिए, सहिष्णुता और विवेक के लिए, विचारगत साहस तथा सत्य की खोज के लिए होता है। इसका लक्ष्य यह होता है कि मानव जाति और भी उच्चतर

उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाए। राष्ट्र और जनता का श्रेयइसी में है कि विश्वविद्यालय अपने दायित्व का समुचित निर्वाह करते रहे। "इन शब्दों में उच्च शिक्षा के मूल्यों, उद्देश्यों और राष्ट्र जीवन में उसकी भूमिका का सार विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए उच्च शिक्षा के इस महत्व को जानकर ही शोधकर्ता ने उत्तर- प्रदेश में उच्च -शिक्षा के स्वतंत्रोत्तर विकास पर शोध करने का विचार किया और निम्नांकित शोध समस्या चुनी:-

शोध-समस्या

"स्वातंत्र्योत्तर उत्तर-प्रदेश में उच्चशिक्षा का विकास-1950-75

परिभाषीकरण-

1- स्वातंत्र्योत्तर से तात्पर्य है भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद की अवधि से।

2- उच्च-शिक्षा, उच्च-शिक्षा से प्रयोजन है ऐसी शिक्षा से जो माध्यमिक शिक्षा के स्तर के ऊपर कालेजों विश्वविद्यालयों तथा इसी प्रकार की ऊँची संस्थाओं में दी जाती है।उत्तर प्रदेश में उच्च-शिक्षा का तात्पर्य स्नातकपाठ्यक्रम (डिग्री कोर्स) से है। जिसे छात्र इण्टरमीडिएट की परीक्षाउत्तीर्ण करके पढ़ते हैं। यह उच्च-शिक्षा सामान्य(जनरल)वृत्तिक(प्रोफेसनल)या तकनीकी (टेकनिकल)हो सकती है।इस शोध का सम्बन्ध केवल सामान्य(जनरल)उच्च शिक्षा से है जो प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सममान्य संस्थाएं और अनुसंधान संस्थानों में दी जाती है।

3- विकास-विकास से तात्पर्य है कि शिक्षा का आरम्भ से बढ़ते हुए क्रमिक उन्नत की अवस्थाएं पार करना और अंत में अपनी उन्नति की स्थिति में आ जाना। यह क्रमिक विकास प्रत्येक पांच वर्षों में आंका जायेगा।

परिसीमन-

1- उत्तर-प्रदेश - यह अध्ययन भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर-प्रदेश तक ही सीमित है। जिसकाक्षेत्रफल 294413 वर्ग किलोमीटर और सन् 1981 में जनसंख्या-10,38,99,000 थी। इसकी उत्तरी सीमाओं पर हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ दक्षिण में म0प्र0 पूर्व में बिहार और पश्चिम में पंजाब तथा दिल्ली प्रदेश हैं।

2- अवधि- इस शोध में भारतवर्ष के लोकतांत्रिक गणराज्य घोषितहोने के वर्ष 1950 से लेकर 1975 तक के शिक्षा के विकास का अध्ययन किया जायेगा। यह एक चतुर्थांश शताब्दी का काल है।

शोध के उद्देश्य-

इस शोध के निम्नांकित उद्देश्य हैं-

1- उत्तर-प्रदेश की स्वातंत्र्योत्तर काल के प्रत्येक पांच वर्ष में उच्चशिक्षा की प्रगति का आकना।

2- उत्तर-प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य उच्च शिक्षा के विकास को आकना।

3- उत्तर-प्रदेश के सामान्य उच्च शिक्षा पर हुए व्यय का अध्ययन करना।

4- सामान्य उच्च शिक्षा की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5- उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा के विकास की प्रवृत्तियों को निरुपित करना।

शोध-विधि-

इस शोध में ऐतिहासिक-विधि का प्रयोग किया जायेगा। इस विधि में ऐतिहासिक महत्व के तथ्यों को ढूढ़ कर एकत्र किया जाता है और उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके उनकी व्याख्या और आलोचना के आधार पर कुछ मान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। "यह विविध अतीत के इतिहास का किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करती है और संग्रहीत सामग्री की व्याख्या एवं विवेचनाकरके सम्बद्ध तर्क

संगत निष्कर्षों तक पहुँचती है।"[5] इतिहास किसी भी ज्ञान के क्षेत्र के अतीत की घटनाओं का एकीकृत वर्णन है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक साधनों के आधार पर उसकी प्रमुख घटनाओं और उन्नतक्रम का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने के लिए अतीत के अनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है।

ऐतिहासिक -शोध की सामग्री प्राय: निम्नांकित दो प्रमुख स्रोतों से संकलित की जाती है-

(क) प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्सेज- इसमें ऐसे मूल दस्तावेज या अवशेष आते हैं जो उसकी समय के होते है जिस पर खोज की जा रही हैं। मौखिक अथवा लिखित प्रमाण पत्रों के रूप में या किसी घटना विशेष में भाग लेने वाले या उसके देखने वालों के द्वारा लिखे गए आलेख आदि इस स्त्रोत में आते हैं। ये ऐतिहासिक शोध के आधार भूत प्रदत्तों के साधन होते है तथा उसके लिए ठोस एवं सबल सामग्री प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुतशोध में इस कोटि के स्त्रोतों के रूप में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों, "एजूकेशन इन इण्डिया", "एजूकेशन इन द स्टेट्स" और "एजूकेशन इन द यनीर्बर्सीटीज" तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित "प्रोग्रेस आफ एजूकेशन", "शिक्षा की प्रगति" तथा पंचवर्षीय योजना जैसी मुद्रित सामग्री आती है। इसमें विभिन्नशैक्षिक -कमेटियों, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन भी सम्मिलित है। प्रदेश के उच्चशिक्षा निदेशालय के दस्तावेज भी इसी कोटि में आते हैं।

(ख) गौण-स्त्रोत(सेकेण्डरी सोर्सेज) ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचित सूचनाएं होती है जो न उस काल में रहे न प्रत्यक्षदर्शी हैं किन्तु जिन्होने कहीं से सुन पढ़कर घटनाओं का वर्णन किया है। जिन लोगों ने न तो मौलिक घटना को देखा है और न उसमें सक्रिय रूप से भाग ही लिया है उनकी सूचनाएं और सामग्री का व ज्ञानिक शोध सम्बंधित कार्यों के लिए उपयोग प्राय: सीमित हीहोता है। इनकी सूचनाएं मौलिक

5- आत्मानंद मिश्र- शिक्षा कोष - कानपुर-ग्रन्थम-1977 पृ0-277-17

घटना से कई गुना दूर हो सकती है। गौण स्त्रोतों में अधिकार शिक्षा इतिहास के ग्रंथ कोश, तथा विश्वकोश आदि आते है। नूरुला और नायक का "भारत में शिक्षा का इतिहास" जैसी पुस्तकें इसमें आती हैं।

आलोचना-

शोध के लिए इस प्रकार इन स्त्रोतों से प्राप्त सामग्री की ऐतिहासिक-आलोचना की जाती है जिसमें स्त्रोत की मौलिकता, विश्वसनीयता और सत्यता की जाँच होती है। ये आलोचना निम्नांकित दो प्रकार की होती है-

(क) बाह्य (एक्सटर्नल) आलोचना- इसमें स्त्रोत का परीक्षण किया जाता है और यह जानने का प्रयत्न होता है कि स्त्रोत वास्तव में वही है जो उसका उद्देश्य प्रतीत होता है अथवा वह जाल साजी से निर्मित कोई सामग्री है। उसके लिए हम पुस्तक या प्रलेखों के लेखक और उसके लिखने के काल की सत्यता स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर, लिखावट, मुद्रण, टंकण, अक्षर विन्यास, भाषा-प्रयोग आदि अनेक बातों की गहराई से जांच करते है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सामग्री उसी समय की है जब घटना घटी थी। इसमें स्याही, कागज, पत्थर, धातु आदि जिस पर प्रलेख लिखा गया हो उसका भी परीक्षण किया जाता है। इससे सामग्री की सत्यता तथा यथार्थता प्रमाणित कर ली जाती है।

(ख) आतंरिक (इन्टर्नल) आलोचना- इसके अंतर्गत स्त्रोतों में दी हुई विषय-वस्तु और सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि उसकी सूचनाएं मौलिक और यथार्थहै कि नहीं। हो सकता है कि लेखक ने बहुत दिनों बाद देखी घटना का वर्णन किया हो और उसमें उसकी स्मरण शक्ति ने धोखा दिया हो अथवा वह भय-दबाव या अहंकार के कारण तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा हो अथवा उसका उद्देश्य सत्य-वर्णन को खंडित करना हो। ये भी हो सकता है कि लेखक अच्छे साहित्य के लिखने की धुन में भावना, कल्पना तथा अतिशयोक्ति में बह गया हो। ऐसी सामग्री के प्रयोग करने के पूर्व उसका सर्तकता के साथ अध्ययन करना

होता है। जैसावर्णन है उसके बहुत पीछे जाकर के कोई अर्थ निकालना अथवा वर्णन के गूढ़ार्थ को न समझ कर केवल सत ही शब्दार्थ तक ही सीमित रह जाना भी उचित नहीं होता। आंतरिक आलोचना में इन्हीं सब दोषों का परिहार किया जाता है।

जिन स्त्रोतों का इस अध्ययन में प्रयोग किया गया है। वे सभी राज्य या केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन है और उनकी मोहर के अंतर्गत मुद्रित किए गए हैं। "भारत में शिक्षा", " राज्यों में शिक्षा" " विश्वविद्यालय में शिक्षा" जैसी वार्षिक रिपोर्टें भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय और शासकीय मुद्रणालय से प्रकाशित होती है इन रिपोर्टों के प्रकाशन में बड़ी समय की पश्चता ‡टाइम लैग‡ होता है क्योंकि आंकड़ों के सम्बन्ध में राज्यों से बड़ी जांच-पड़ताल करके इन्हें छापा जाता है।आंकड़ों के सुसंगठन, समायोजन और तर्क संगत होने पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही "शिक्षा प्रगति" उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित की जाती है। उसके आंकड़े प्रत्येक जिला शिक्षाधिकारी से प्राप्त किए जाते है और पूर्णतया समायोजित करके दर्शाये जाते हैं। अतएव यह प्रमाणित माने जाते है। शोध कर्ता ने अपने आंकड़ों का संकलन प्राय: इन्हीं ग्रंथों से किया है।

कभी-कभी आकड़ों के कुल योग या उनके प्रतिशत निकालने में भूल हो जाती है तो उसका परिहार दूसरी रिपोर्टों के देखने से किया जा सकता है।कभी कोई अंक छपने से रह जाता है। ऐसी सब परिस्थितियों में शोध कर्ता ने उच्च-शिक्षा निदेशक कार्यालय इलाहाबाद से भी आकड़ों को प्राप्त करने काप्रयास किया है जिससे सम्भावित त्रुटि का परिहार हो सके।अतएव जिन ग्रन्थों, प्रतिवेदनों से इस शोध में सामग्री ली गयी है वे सर्वथा प्रमाणित और मौलिक हैं।

अध्ययन की सीमाएं-

यद्यपि प्रदत्तों और आंकड़ों को सर्तकता पूर्वक साधिकार प्रकाशनों से प्राप्त किया गया है, फिर भी इसमें कुछ कमियाँ हो सकती है। प्रारम्भिक वर्षों में कुछ

इंटरमीडिएट की कक्षाएं स्नातक कालेजों के साथ जुड़ी हुई थी जिससे इंटरमीडिएट और स्नातक कालेजों की संख्या, नामांकन और व्यय सम्मिलित रूप में प्राप्त होते हैं। अब इंटरमीडिएट कक्षाएं स्नातक कालेजों से बिल्कुल अलग करदी गयी है। अतएव पहले वर्षों के आंकड़े सम्मिलित रूप में ही मिलते हैं।

दूसरी कठिनाई परिपोर्टों का प्रकाशन बहुत बाद में होने और स्वरूप बदलने की है। सन् 1965-66 के बाद एजूकेशन इन स्टेट्स का प्रकाशन बंद कर दिया गया। और सन् 1969 में एजूकेशन इन यूनिवर्सिटीज का भी प्रकाशन बन्द हो गया। एजूकेशन इन इंण्डिया के स्वरूप में सन् 1965-66 और 1970-71 से बड़ा परिवर्तन कर दिया गया। सन् 1961-62 के बाद अंग्रेजी में छपने वाली उत्तर प्रदेश की "प्रोग्रेस इन एजूकेशन" हिन्दी में "शिक्षा की प्रगति" के नाम से प्रकाशित होने लगी हैं। इसके स्वरूप और कलेवर में भी परिवर्तन हो गया है। इन कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसे तथ्यों और आकड़ों को ही मान्य किया गया है जिनका प्रमाणीकरण राजकीय और केन्द्रीय दोनो ही रिपोर्टों के द्वारा हो जाता है।

शोध-प्रबन्ध की योजना-

इस शोध-प्रबन्ध में कुल 11 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना के रूप में शोध समस्या का महत्व उसकी परिभाषा और परिसीमन, अध्ययन के उद्देश्य, ऐतिहासिक शोध-विधि की विशेषता और उसकी सामग्री के स्त्रोत तथा उनकी आलोचना दी गयी है। इसमें शोध की कठिनाइयों और शोध प्रबन्ध की योजना भी संक्षिप में बताई गयी है।

दूसरे अध्याय में सम्बद्ध साहित्य का विवेचन किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न विश्वविधालयों में की गई पी-एच0डी0 की उपाधि के लिए उच्च शिक्षा की शोध का विवरण दिया गया हैं और उनका विवेचन करके वर्तमान शोध से तुलना की गयी है।

तृतीय अध्याय में उत्तर-प्रदेश की पृष्ठभूमि शैक्षिक दृष्टि से स्पष्ट की गयी है। और स्वतंत्रता के प्राप्ति के पहले उत्तर-प्रदेश की उच्च-शिक्षा की स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया है।

चतुर्थ अध्याय में उत्तर-प्रदेश की उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति और विकास का उल्लेख किया गया है। नीति दर्शाने में समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन, पंचवर्षीय योजनायों और सरकारी प्रस्तावों तथा आदेशों को आधार माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई उच्च शिक्षा की प्रगति का विशद वर्णन दिया गया है।

पंचम अध्याय में उच्च-शिक्षा के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसमें प्रदेश के शिक्षा सचिवालय और उच्च शिक्षा निदेशालय सहित विश्वविद्यालयअनुदान आयोग तथा विभिन्न प्रकार के प्रबन्धकों का भी उल्लेख है।

षठम् अध्याय विश्वविद्यालयों के विकास और सप्तम् अध्याय में महाविद्यालयों की प्रगति का लेखा-जोखा दिया गया है।

अष्टम् अध्याय में उच्च-शिक्षा के व्यय और अनुदान प्रणाली का विश्लेषण दिया गया। नवम् अध्याय में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उच्च-शिक्षा के विकास की विवेचना की गयी है। दसवें अध्याय में उच्च-शिक्षा की प्रगति की तुलना अखिलभारत और कुछ पड़ोस के राज्यों से की गयी है और उसमें उत्तर-प्रदेश की उच्च शिक्षा की स्थिति आँकी गई।

एकादश अध्याय में इसअध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को दिया और उनके आधार पर प्रदेश की उच्च-शिक्षा की प्रगति एवं उन्नति के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस शोध से संबंधित अग्रिम शोध के लिए कुछ संकेत किए गए हैं।

अंत में परिशिष्ट में संदर्भ ग्रन्थ सूची दी गई है और कुछ आवश्यक दस्तावेज की प्रतिलिपि भी उद्धत की गई है।

===

अध्याय-2

शोध से सम्बद्ध- साहित्य

मनुष्य की एक विशेषता यह है कि वह अपने अनुभवों को संचित करता है और आवश्यकतानुसार उनसे लाभ उठाता है। जान डब्लू0 बेस्टने कहा है-" अन्य जीवधारियों से भिन्न जो प्रत्येक नयी पीढ़ी के साथ पुन: -पुन: नए सिरे से कार्य आरम्भ करते है मनुष्य अतीत के संचित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है।"[1] इस प्रकार मनुष्य का ज्ञान प्रगतिशील होता है और अन्य जीव जन्तुओं के समान उसमेंप्राय: पुनरावृत्ति नहीं होती है। मनुष्य का यह संचित ज्ञान उसे पुस्तकों-पत्रिकाओं और अभिलेखों के रूप में उपलब्ध होता है। शोध विषय से सम्बन्धित ऐसा साहित्य जिसमें विषय के किसीपक्ष अथवा सम्पूर्ण विषय पर विचार व्यक्त किये गए हो सम्बद्ध साहित्य कहलाता है। शैक्षिक शोध कर्ता को इस साहित्य की जानकारी प्राप्त कर लेना बड़ा उपयोगी होता है। उसे यह जान लेना आवश्यक होता है कि उसके शोध के क्षेत्र में कौन-कौन से स्त्रोत और संदर्भ सामग्री उपलब्ध हैं। और उसमें से कितने का उपयोग उसे करना है।

गुड बार और स्केट्स ने सम्बद्ध साहित्य के पढ़ने होने वाले लाभों की चर्चा की है। उनके अनुसार यह बताता है कि उपलब्ध साक्ष्य से समस्या का समाधान हो सकेगा अथवा नहीं। यदिविषय पर पर्याप्त अनुसंधान कर ली गयी है तो उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरे इससे समस्या सम्बन्धी उपयोगी विचार, सिद्धान्त, व्याख्या तथा उपकल्पनाएं प्राप्त हो जाती है। तीसरे परिणामों की व्याख्या करने की दृष्टि से उपयोगी तथा तुलनात्मक प्रदत्त प्राप्त हो जाते है और अंत में सम्बद्ध साहित्य शोध कर्ता की सामान्य विद्वता व ज्ञान को बढ़ाता है।

- -

1- जान डब्लू0 बेस्ट-रिसर्च इन एजूकेशन(इंगिलउड क्लिफस:प्रेन्टिस-हाल, 1959)पृ0-3।

इन्ही दृष्टियों में प्रस्तुत समस्या पर उपलब्ध शोध कार्य का सर्वेक्षण नीचे किया जाता हैं।

आर उपाध्याय [1] ने पूर्वी उत्तर-प्रदेश के महाविधालयों में छात्र-अशान्ति पर शोध की। उन्होने इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविधालयों से सम्बद्ध सात पूर्वी जिलों के महाविधालयों के 400 छात्रों 100 शिक्षकों और अभिभावकों तथा 50 प्रशासनिक अधिकारियों को एक प्रश्नावली दी। छात्र अशान्ति के कारणों के संबंध में उनके निष्कर्ष निम्नांकित थे-

1- गुरु-शिष्य के बीच अपर्याप्त सम्पर्क

2- शिक्षण की दोषपूर्ण पद्धतियाँ

3- शिक्षा प्रणाली का भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप न होना

4- अधिकारी गणों द्वारा छात्रों की समस्याओं की अवहेलना।

5- डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी छात्रों का भविष्य अंधकार मय होना।

6- शिक्षक और अभिभावकों के बीच अपर्याप्त सम्पर्क

7- गम्भीर अध्ययनशील छात्रों की जगह अनुशासनहीन छात्रों को मान्यता और सम्मान देना।

8- छात्र यूनियन के चुनावों में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता

9- छात्र संघों का दुष्पयोग और

10- शिक्षकों के अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए छात्रों से गुप्त सम्बन्ध रखना।

प्रश्नावली के उत्तरदाताओं के इसी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ उपाय भी सुझाये जो अग्रांकित थे- 1- छात्रों और शिक्षकों को उत्प्रेरित किया जाय कि वे अपनी कार्यवाहियों को कालेज के कार्यक्रम से ही संबंधित रखें। 2- वित्त समिति बनाई जाय जो छात्र संघ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। 3- शिक्षकों को छात्रों के अनैतिक ढंग से सहायता करने से रोका जाय। 4-शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति उनकी

1- 1-आर0 उपाध्याय: स्टूडेण्ट अनरेस्ट-ए स्टडी आफ दी डिग्री कालेज आफ इस्टर्न उत्तर-प्रदेश॥पी-एच0डी0 थीसिस बनारस हिन्दू यूनिर्वसिटी-1975॥

अर्हताओं और कार्य कुशलता के आधार पर की जाय। 5-छात्रों में स्वालम्बन का कौशल उत्पन्न किया जाय। 6-शिक्षक तथा अभिभावकों के सम्मेलन कराये जायें। 7- छात्रों के प्रगति अभिलेख उनके अभिभावकों को नियमित रूप से भेजे जायें। 8- अनुशासनहीन छात्रों को कालेज की विभिन्न समितियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जाय। 9-शिक्षकों को छात्रों के घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। 10-छात्र, शिक्षक, प्राचार्य और प्रबन्ध-समिति के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाय जो छात्रों की समस्याओं का निराकरण करें। 11-कालेज में पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाय। 12-छात्रों के वास्ते प्रबन्ध उन्नत किया जाय। 13-मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। 14-शिक्षा-पद्धतियाँ ऐसी हो जो विचार-विमर्श (डिस्कशन) पर बल दें। और गृह कार्य दिया जाय और 15- पाठ्यक्रम पढ़ाने में राष्ट्रीयता और समाज सेवा की भावनाओं को बढ़ाया जाय।

एस० के० जैन[2] ने उत्तर प्रदेश के महाविधालयों के छात्रों में अध्ययन की आदतों के पैटर्न पर शोध करके एक मापन सूची (इन्वेन्टरी) निर्मित की।

इन आदतों को आठ क्षेत्रों में 190 कथनों में बाँटा गया। ये क्षेत्र अग्रांकित थे। बोधगम्यता, आयोजन, नोट्स लिखना, एकाग्रता कार्य-आदते, अध्ययन रुचि कंठस्थीकरण तथा परामर्शन। इन पर तीन विशेषज्ञों के मत प्राप्त किए गए और उसके आधार पर 143 कथनों को रखा गया। पहला परीक्षण 62 छात्रों के न्यायदर्शी पर किया गया तदन्तर आइटम विश्लेषण किया गया और दूसरे प्रारूप में 1003 कथन रखे गए जिनका परीक्षण कालेज के 100 छात्रों पर किया गया फिर आइटम-विश्लेषण करके आखिरी प्रारूप में 90 कथनों को लिया गया। सूची

- -

2-एस०के० जैन-स्टडी है विस्ट एण्ड एकेडेमिक एटनमेन्ट इन उत्तर प्रदेश कालेजेज (पी-एच०डी० थीसिस-आगरा-विश्वविद्यालय, 1967)

की विश्वसनीयता अर्धम विच्छेद-विधि (स्प्लिट-हाफ-मेथेड) से निकाली गयी। सूची के शिक्षकों के क्रमांकन और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वैध किया गया। अंतिम न्यादर्श में उत्तर प्रदेश के आठ विश्वविद्यालय से चुने गए 960 का न्यादर्श लिया गया।

अध्ययन से निष्कर्ष इस प्रकार थे :-

1- अधिकांश आइटम विभिन्न स्तरों की उपलब्धियों का अन्तर बताने में पर्याप्त सक्षम थे।

2- आदतों की सूची के प्राप्तांकों का उपलब्धियों से धनात्मक-सार्थक सहसंबंध था।

3- सहसंबंध का गुणांक परामर्शन में .29 और कार्य आदतों में .59 के बीच था।

बी०एन० सिन्हा[3] यह अनुसंधान बिहार के विश्वविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं और विचार करने के ढंगों के अध्ययन से सम्बन्धित था। और भी यह परीक्षण हुआ उनकी समस्याएं और विचार करने के ढंग कुछ विशिष्ट तथ्यों से कैसे संबंधित थे। प्रत्येक कला और विज्ञान से 100 शिक्षकों को नमूने के लिये सभी बिहार के पाँचों विश्वविद्यालयों से चुना गया। साक्षात्कार सूची के आधार पर शोधकर्ता द्वारा स्वयं अधिकांश शिक्षकों का साक्षात्कार किया गया जिसको अनुसंधान के क्षेत्र सीमा के आधार पर तैयार किया गया था।

इस शोध से यह प्रकट होता है कि थोड़े से मगर आधे से कम (48.5) प्रतिशत अध्यापकों ने यह व्यवसाय स्वयं चुना। उनमें से अधिकतर आधे अपनी अनिच्छा से आयें। 200 में से 127 अध्यापक अपनी आशा के विरूद्ध के कारण मुक्त हो गए। (अ) आराम और प्रतिष्ठा का अभाव क्योंकि शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की कमी होना (127 में से 67) और (ब) पक्षपात और जातिवाद के कारण योग्यता की मान्यता

3-बी०एन० सिन्हा-ऐ सर्वे आफ दी प्राबलमस एण्ड एटीटयूडस आफ यूनीवर्सिटी टीचर्स इन बिहार-पी-एच०डी० थीसिस राँची यूनीवर्सिटी 1969.

का अभाव §127 में से 54§ शोध में अध्यापकों के बीच असंतोष के स्त्रोतों कोइंगित किया§अ§ अधिकारियों पर रुचि और साहस की कमी §34 प्रतिशत§ §ब§ विश्व-विधालयों में पक्षपात§सत्ताइस प्रतिशत और §स§ विश्वविधालय -शिक्षकों के प्रति समाज द्वारा सम्मान की कमी §छाछठ प्रतिशत§ ।चौहत्तर प्रतिशत अध्यापकों ने कोई शोध कार्य नहीं किया। सैंतालिस प्रतिशत ने "समय की कमी" को शोध कार्य में बाधक बताया। छात्रों की बहुत बड़ी कक्षाओं के कारण अध्यापकों के बहुत कम सम्पर्क थें और स्थाई कक्षाओं का अभाव था। इसे छात्र अनुशासनहीनता का बहुत बड़ा कारण माना गया।

स्नातक के नीचे शिक्षा के माध्यम के लिए हिन्दी के पक्ष में §88 प्रतिशत§ शिक्षक थे। और परास्नातक पर अंग्रेजी §75प्रतिशत§ शिक्षक थे। यधपि केवल 9 प्रतिशत अध्यापक इस -पद्धति पर अध्यापन चाहते थे। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि अधिकांश §55प्रतिशत§ छात्र इसको चाहते थे। केवल तीन प्रतिशत छात्र ही व्याख्यान पद्धति के द्वारा पढ़ना चाहते थे। केवल 58 प्रतिशत अध्यापकों की इच्छा अपने ही व्यवसाय में बने रहने की थी।फिर भी उनके पास इसके अलावा दूसरा कार्य था।

विश्वविधालयों के शिक्षकों की औसतन आय 413 रु0 प्रतिमाह थी।तेइस प्रतिशत आर्थिक दशा को खराब मानते थें। शोध के समय पैंतालिस प्रतिशत अध्यापक 500 रु0 से लेकर 8000 रुपये तक कर्ज में दबे थे। तेरह प्रतिशत अध्यापकों की पत्नियाँ स्नातक थी। बावन प्रतिशत की पत्नियों जिनका शैक्षिक स्तर हाई स्कूल से कम था। तीस प्रतिशत अध्यापकों की पत्नियाँ अपने बच्चों की शिक्षा पर कोई रुचि नहीं लेती थी। तेतिंस प्रतिशत परिचित दोस्त की लड़की या अपरिचित लड़की जो अभिभावकों के द्वारा चुनी गयी थी शादी की खुशी कीसम्भावनाओं के बारे में अनिश्चित थी छियालिस प्रतिशत का विश्वासथा कि इसमें थोड़ा सा ही अंतर था चाहे दोस्ती में विवाह हो या सौदे के द्वारा हो। अधिकांश औरतों के उद्धार में विश्वास रखते थे। अधिकांश के धर्म के प्रतिकूल विचार थे। उनके विचारों पर दृष्टिपात करने पर

पता लगता था, अध्यापकों में समाज के प्रति दुराव की भावना थी। उनमें से सत्तर प्रतिशत यह विश्वास करते थे कि समकालीन भारतीय समाज ईमानदारी और कठिन परिश्रम का कोई मूल्य नहीं चुकाती हैं। पचहत्तर प्रतिशत का विचार था कि एक व्यक्ति जिस पर पूरा विश्वास रखा जा सके यह ढूढ़ पाना कठिन था।

यह शोध आवासीय और गैर आवासीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के बीच उनकी दशाएं समस्याएं एवं विचार करने के ढंगों के प्रति कोई अर्थ पूर्ण अंतर नहीं निकाल पाया। इस शोध ने कला और विज्ञान संकालों के अध्यापकों के बीच भी कोई अंतर नहीं निकला। पुराने शिक्षकों की अपेक्षा नए शिक्षकों में अधिक आधुनिक विचारों को पाया गया। पहले कम धार्मिक बहुत बड़ी संख्या में अधिकतर प्रेम-विवाह और औरतों के उद्धार के पक्षधर थे। पुराने शिक्षकों को आर्थिक तनाव अधिक महसूस हुआ लेकिन कम शैक्षिक उपाधि की कठिनाइयाँ अपेक्षाकृत नव जवान शिक्षकों के अनुभवकी। मूल शहरी शिक्षकों में अधिक आधुनिक विचार करने के ढंग पाए गए। अपेक्षाकृत ग्रामीण निवासियों में। कम धार्मिक, कम पारिवारिक होने से वे शादियाँ रचाने के पक्ष में नहीं थे और औरतों के प्रति अधिक उदार थे अपेक्षाकृत मूल ग्रामीण शिक्षकों के।

टी०पी० मिश्रा-1982[4]-स्वतंत्रता के बाद उत्तर-प्रदेश में उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था उनका उद्देश्य उच्च शिक्षा के विभिन्न व्यय के विभिन्न स्त्रोतों और मदों का विश्लेषण करना था तथा व्यय के बढ़ने और छात्रों तथा शिक्षकों पर होने वाली एकक लागत का अध्ययन करना था उन्होने इस उत्तर-प्रदेश के इस व्यय की तुलना अखिल भारत के मानकों से की है और उसकी प्रवृत्तियों को आकने का प्रयास किया है। प्रदत्तों का चयन सरकारी शैक्षिक रिपोर्टों, निदेशालय के अभिलेखों तथा पुस्तकों से किया गया है।

उनके निष्कर्ष अग्राकिंत है। स्वतंत्रोत्तर उच्च शिक्षा पर दो प्रकार के व्यय होने लगें एक तो प्रचलित विद्यालयों का प्रतिबद्ध व्यय। नए विद्यालयों को खोलने के

4- टी०पी० मिश्रा- 1982-फाइनेंसिंग आफ हायर एजुकेशन इन उत्तर-प्रदेश आफ्टर इनडिपेंडेंस, पी-एच०डी०थीसिस कानपुर यूनीवर्सिटी, 1982, अप्रकाशित

लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विकासात्मक व्यय। सन् 1950 में उच्च-शिक्षा पर 2.57 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। जो 1975 में बारह गुना बढ़कर 31.57 करोड़ हो गया। इस व्यय का तीन चौथाई भाग सरकार बहन करती थी। इस व्यय का सबसे बड़ा भाग 56.5 प्रतिशत। विश्वविधालयों पर खर्च होता था और 40.7प्रतिशत कालेजों पर। अनुसंधान संस्थाओं पर केवल 2प्रतिशत तथा विश्वविधालय सदस्य संस्थाओं पर 1प्रतिशत उत्तर-प्रदेश तीसरे नम्बर का राज्य जो उच्च-शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय करता था और उसका व्यय भारतीय मानक से अधिक था। केन्द्रीय विश्वविधालय को विश्वविधालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविधालय से कहीं अधिक धन देता था। कालेजों में जहाँ विश्व-विधालय के कई गुने लड़के शिक्षा प्राप्त करते थे बहुत कम अनुदान प्राप्त होता था। विश्वविधालय के भविष्य में खर्च बढ़ाने के लिए फीस की दर बढ़ाने और दान धर्मादा से अधिक धन प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है।

विभिन्न विश्वविधालयों की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में इंडियन कौंसिल आफ सोसल साइंसेज ने कुछ शोध करवायी है। इनमें विश्वविधालय की आय और व्यय का विश्लेषण करके यह जानने का प्रयास किया गया है कि उनकी वित्त व्यवस्था संतुलित है अथवा वह घाटे पर चल रही है। ये निम्नांकित शोध है-

1- आई0डी0 झा-पटना विश्वविधालय -1974

2- ई0टी0-मथवा- केरल विश्वविधालय-1974

3-के0एम0-मुखर्जी- कलकत्ता विश्वविधालय -1974

4- डी0एम0-नन्जुलडापा-कर्नाटक विश्वविधालय-1975

5- एम0एस0 निगम-राजस्थान विश्वविधालय-1974

6- पी0आर0 पंचायामुखी- बम्बई विश्वविधालय-1974

उपर्युक्त शोधों का प्रस्तुत समस्या से कोई सीधा संबंध नहीं हैं अतएव प्रत्येक संक्षिप्त विवरण नहीं दिया जायगा।

विवेचन और तुलना-

उत्तर-प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक स्तर पर निम्नलिखित अनुसंधान हो चुके हैं-

1- डी०डी० तिवारी- उत्तर-प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

2- माधुरी मिश्रा- उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

3- ललित बिहारी बाजपेई-स्वतंत्रोत्तर उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिा का विकास कानपुर विश्वविधालय-1982

उत्तर-प्रदेश की प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास पर शोध की जा चुकी है किन्तु उसके उच्च शिक्षा के स्वतंत्रयोत्तर काल के बाद विकास पर अभी तक कोई अनुसंधान नहीं हुई है।

जो शोध-उच्च-शिक्षा पर देश में हुई है उनमें कोई भी प्रस्तुत समस्या पर नहीं हुई है। टी०पी० मिश्रा ने अवश्य उत्तर-प्रदेश की उच्च शिक्षा पर अनुसंधान की है किन्तु उनका क्षेत्र उसकी वित्त व्यवस्था तक ही सीमित है। राजेश्वर उपाध्याय ने महाविधालयों में छात्र अशांति पर की है तो एस०के० जैन ने यू०पी० के महाविधालयों में छात्रों के अध्ययन आदतों और शैक्षिक उपलब्धियों पर शोध की है। बी० एन० सिन्हा की शोध बिहार के शिक्षकों से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत विषय पर अभी तक कोई अनुसंधान नहीं की गयी हैं।

===

अध्याय-3

उत्तर प्रदेश की पृष्ठ-भूमि

उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति और इतिहास के उदभव तथा विकास का केन्द्र रहा है। राम और कृष्ण की यही लीला भूमि थी। आदिकाल में आर्य यही आकर बसे थे। हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों और साहित्य का निर्माण यही हुआ था। तीर्थ राज प्रयाग, मोक्षदायिनी काशी इसी प्रदेश में स्थिति हैं। विधा के क्षेत्र में काशी प्राचीन काल से ही विख्यात रही है और सुदूर प्रान्तों से लोग यहाँ आते रहे हैं।

इस प्रदेश में आबादी प्राचीन काल से ही जन संकुल रहीहै।प्रत्येक सम्राज्य का जिसने भारत भूमि पर शासन किया है उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रहा हैं। प्राय: सभी विदेशी आक्रमणकारी इसी की ओर उन्मुख रहे हैं। मुस्लिम आक्रमकों ने दिल्ली या आगरा को ही अपने मध्ययुग में राजधानी बनाया था, क्योंकि यहीं से दक्षिण और पूर्व के मार्ग पर नियंत्रण रखा जा सकता था। 18वीं शताब्दी में जब आगरा में मराठों का राज्य हुआ तो अवध-मुगल सिवहसालार की अध्यक्षता में अलग हो गया। जब अंग्रेजों ने उनके हाथ से आगरा सहित गंगा के द्वाब को छीन लिया तो इस प्रदेश में एक नये शासन का प्रारम्भ हुआ जिसमें 1856 में अवध भी सम्मिलित कर दिया गया। डलहौजी की हड़प नीति के कारण ही सन् 1857 में क्रांति हुई जिसके केन्द्र मेरठ, कानपुर, लखनऊ और झाँसी थे। तत्पश्चात् यहाँ सम्राजों का शासन स्थापित हुआ जो लम्बी अवधि तक चलता रहा। आरम्भ में यह प्रदेश पश्चिमोत्तर प्रान्त कहलाता था, फिर आगरा और अवध का संयुक्त प्रान्त बना जो कालान्तर में केवल संयुक्त प्रान्त कहलाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया।

उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 294713 वर्ग कि0 मी0 है। जो भारत के राज्यों में तीसरे क्रम में आता है और सन् 1971 की जन गणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 8,83,41,144 है जिसका भारत के राज्यों में प्रथम स्थान हैं। इसके तीन प्रमुख प्राकृतिक भाग है। पहला उत्तर का हिमालयी प्रदेश जो उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। यह दुर्गम पहाड़ियों का प्रदेश है जिसमें आवागमन दुर्लभ है और आबादियाँ बिरली है। इस कारण से इस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। इसके नीचे तराई की संकरी पट्टी है जिसके जल की निकासी बहुत कुव्यवस्थित है। यह भाग लम्बे घाटों और जंगलों से ढका रहता है। ये क्षेत्र अस्वास्थ्यकारक तथा मच्छरों तथा कीटाणों से भरा है जिससे यहाँ आबादी कम है। यहाँ अधिक शिक्षालय खोलना धन साध्य है और अस्वस्थता के कारण छात्रों की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है।

दूसरा भाग दक्षिण का पठारी प्रदेश है जिसमें बुन्देलखण्ड का क्षेत्र आता है। यह ऊँची नीची पहाड़ियों और अत्यंत छोटी घाटियों से बना है। गरीबी, अज्ञानता और यातायात के साधन की कमी के कारण यहाँ के लोग शिक्षा में पिछड़े हुए है। उपद्रव कारियों की आशंका से बालकों को दूर के स्कूलों में भेजना कठिन होता है।

तीसरा भाग गंगा का मैदान है जिसमें उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग आता है। यह गंगा-यमुना और उसकी सहायक नदियों से बना है। इसमें प्रधानता कृषि कार्य होता है।

उत्तर प्रदेश की जलवायु साधारणत: उष्ण और शुष्क है किन्तु उत्तर में पर्वतीय प्रदेश उपेक्षाकृत ठंडा है। यहाँ का औसत तापक्रम 55^0 फ0 रहता है तथा वर्षा 60 इंच से अधिक होती है। गर्मी में मैदानी भाग मई, जून के महीनों में तेज लू चलती है। इससे शिक्षा संस्थाओं को बंद कर देना पड़ता है। दिसम्बर, जनवरी में पर्वतीय प्रदेश में बर्फ पड़ती हैं जिससे अनाध्याय कर दिया जाता है। वर्षा में नदी-नाले ऐसे उफनाने लगते है कि उनको पार करके आने वाले छात्र

विधालय तक नहीं पहुँच पाते है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है उत्तर-प्रदेश की जनसंख्या 8.83 करोड़ है और उसका घनत्व 300 प्रति वर्ग किलो मीटर है। यह भारत की 9 प्रतिशत भूमि पर विस्तीर्ण है जिसमें देश की 16 प्रतिशत आबादी रहती है। इस आबादी में आदिम जातियों की संख्या नगण्य है, किन्तु अनुसूचित जातियों के लोग 20 प्रतिशत है। मैदानी इलाकों के घनत्व के कारण शिक्षालयों का अधिकाधिक लोग लाभ उठा लेते है। किन्तु अनुसूचित जातियों के आधिक्य के कारण शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त कठिनाई उत्पन्न होती है। राज्य की 86 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कानपुर की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है। 42 नगरों की आधा लाख है। और 158 नगरों की 10 हजार से ऊपर है। इन नगरों में शिक्षा की व्यवस्था करना सुगम है किन्तु 1.13 लाख गाँव में से 65 प्रतिशत गाँव की आबादी 500 से कम है और इन गाँवों में शिक्षा का प्रबन्ध करना दुसाध्य हो जाता है। छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल पहुँचने में मीलों चलना पड़ता है।

उत्तर-प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी है और हिन्दी साहित्य के भण्डार को भरने में यहाँ के अनेक विद्वानों और प्रतिभाओं का योगदान रहा है। यहाँ 11 विश्वविधालय है और कालेज है। हिन्दी की जननी संस्कृति की उच्च-शिक्षा के लिए अनेक पाठशालायें तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविधालय भी स्थापित किया गया है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक इमारतें तथा स्थान है। आगरा का ताजमहल विश्वविख्यात हो चुका है और राष्ट्रीय कार्बेट पार्क जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थों, वस्त्र, चमड़ा तथा अन्य उधोगों के लिए प्रदेश के कई स्थान प्रसिद्ध है।

खनिज सम्पदा , व्यापार, उधोग आदि में प्रगति करने पर भी यहाँ की अधिकांश जनता बड़ी गरीब है। रुढवादिता और अंधविश्वास के कारण शिक्षा में प्रगति नहीं कर पाई है जिससे इसका साक्षरता प्रतिशत सन् 1971 के 21.64 था।

चौथी योजना के अंत में यद्यपि 6-11 वर्ष के 100 प्रतिशत बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हो गयी थी किन्तु प्रवेश पाने वाले लड़कियों का 81 प्रतिशत ही था, और 11-14 आयु वर्ग के केवल 52 प्रतिशत बालकों और 14 प्रतिशतलड़कियों के पढ़ाने की ही व्यवस्था हो पाई थी। जन शिक्षा में और प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में उच्च-शिक्षा का विकास-

भारत वर्ष में उच्च-शिक्षा की परम्परा बहुत पुरानी है। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय ईसा के डेढ़ सौ वर्ष §150§ पूर्व तक्षशिला में था जो ईसा के बाद 500 वर्ष तक चलता रहा। प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा सन् 425 में अपनी ख्याति के शिखर पर था। उच्च-शिक्षा के ऐसे विश्वविद्यालय बल्लभी विक्रमशिला ,कांचीपुरम, ओंदनपुरी, जद्दगला आदि स्थानों में बड़े-बड़े बिहारों के रूप में थे। परिषदें और अग्रहार उच्च-शिक्षा के केन्द्र थे। आश्रम और गुरुकुलों में भी उच्च-शिक्षा की व्यवस्था थी। काशी, सारनाथ, प्रयाग, कौशल, कन्नौज तथा वृन्दावन आदि स्थानों में उच्च-शिक्षा की अनेक संस्थाएं विद्यमान थी। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में श्रेष्ठ उच्च-शिक्षा की व्यवस्था पर्याप्त थी।

मध्य-युग में मदरसा और दरगाहों और व्यक्तिगत शिक्षकों के घरों पर उच्च-शिक्षा दी जाती थी। जौनपुर का विश्वविद्यालय ,फिरोजशाही मदरसा, बीदर में गवां का कालेज और देवबंद का मदरसा आदि उच्च-शिक्षा के केन्द्र थे। इन सबसे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश लोगों के आने के पूर्व भारत में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी।

ब्रिटिश काल में-

जब ईसट इंण्डिया कम्पनी का राज्य स्थापित हो गया तो उसने पहला विद्यालय उच्च-शिक्षा का ही खोला। सन् 1880 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता

मदरसा खोलना और बहुत वर्षों तक उसका खर्च अपनी जेब से देता रहा। इसका उद्देश्य मुसलमानों को संतुष्ट करने और उन्हें अच्छे सरकारीपद दिलाने का था। हिन्दुओं के लिए भी ऐसा ही एक संस्कृत महाविद्यालय जनाथन डंकन ने सन् 1791 में बनारस में खोला।

सन् 1813 के चार्टर एक्ट ने जब शिक्षा पर एकलाख रूपये व्यय करने की स्वीकृत दी तो दस वर्ष तक कोई विकास नहीं हो सका। फिर कुछ शिक्षा विवाद खड़े हो गए तो इनका अंत 1835 में मैकाले के मिनिट्स से हुआ जिसने पाश्चात्य ज्ञान को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाने का निर्णय लिया उसके बाद माध्यमिक स्कूल और उच्च-शिक्षा की प्रगति तेजी से होने लगी। सन् 1823 में आगरा कालेज की स्थापना हुई और 1837 में बरेली कालेज की । आगरा कालेज जो पहले प्राच्य शिक्षा की संस्था थी अब एग्लो-वर्नाकुलर की संस्था बना दिया गया। सन् 1940-41 तक दिल्ली और मेरठ में भी ऐसे ही उच्च-शिक्षा की संस्थाएं खोल दी गयी थी।

अभी तक यह सब संस्थाएं बंगाल, सरकार के आधीन थी, किन्तु 1843 में यह सब संस्थाएं नवनिर्मित पश्चिमोत्तर प्रांत की सरकार को सौंप दी गयी और उनके खर्च के लिए दो लाख रूपया दे दिया गया। पश्चिमोत्तर प्रांत में न बहुत अदालतें थी और न अधिक अंग्रेजी व्यापारी ही रहते थे। इसलिए बंगाल की तुलना में इस प्रांत में अंग्रेजी विद्यालयों की मांग ज्यादा न बढ़ सकी। सन् 1854 के वुड के प्रेषण के आधार पर तीन विश्वविद्यालय खोले गए, तो इस प्रांत की सभी उचच-शिक्षा-संस्थाएं कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दी गयीं। इससे उच्च-शिक्षा को कुछ प्रोत्साहन मिला। प्रांत में चार प्राइवेट कालेज और खुल गए इनमें से तीन आगरा में सेंटजान कालेज, सेंट पीटर्स कालेज और विक्टोरिया कालेज थे और एक बनारस में जय नारायण कालेज था जो राजा जय नारायण घोषाटा ने लम्बी बीमारी से मुक्त होने पर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए खोल दिया था।

सन् 1857 के विप्लव हो जाने के कारण यह सब प्रगति रुक गयी। उसके एक वर्ष बाद इंग्लैण्ड की सम्राज्ञी विक्टोरिया रानी ने भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया। कुछ समय विप्लव से उद्विग्न लोगों को शांत करने और उनमें ब्रिटिश राज्य की नेक नियति का विश्वास जगाने में लग गया। पूर्ण शांति स्थापित होने पर ही शिक्षा की प्रगति हो सकी।

सन् 1864 में अवध के तालुकेदारों से राजस्व का आधा प्रतिशत एकत्र लखनऊ में केनिंग कालेज खोला गया। सन् 1875 में सर सैयुयद अहमद खाँ के प्रयत्नों से अलीगढ़ में मोहेमडन एग्लो ओरियन्टल कालेज की स्थाना हुई जिसमें 171 छात्र थे। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उच्च-शिक्षा की संस्थाओं का प्रबन्ध करने के लिए निजी अधिकरण (प्राइवेट ऐजेंसी) आगे आये। हावेल ने अपनी सन् 1870-71 की रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिमोत्तर प्रांत में चार सरकारी और 4 प्राइवेट कालेज थे जिसमें क्रमशः 269 और 986 छात्र पढ़ते थे। प्राइवेट कालेजों में स्कूल के लड़के भी शामिल थे और इन कालेजों पर 1,51,366 रुपये खर्च होता था। सरकारी कालेज में प्रतिछात्र की पढ़ाई पर 126 रुपये और प्राइवेट कालेज में केवल 65 रुपये व्यय होता था। प्राइवेट कालेजों में खर्च कम होने का कारण स्कूल के छात्रों का सम्मिलित होना है।

सन् 1881 में हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा-आयोग की स्थाना हुई। इसने सिफारिश की कि कालेजों का अनुदान, उनके शिक्षकों की संख्या और पोषण व्यय उनकी कार्य कुशलता और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर दी जाय तथा सहायता प्राप्त कालेजों को भवन, साज-सज्जा और पुस्तकालय के लिए विशेष अनुदान दिया जाय। उसने यह भी अनुशंसा की कि कलकत्ता विश्वविद्यालय बहुतदूर है अतएव एक विश्वविद्यालय उत्तरी भारत में स्थापित किया जाय। अतएव

ए०पी० हार्वट- एजूकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया-1870-71, सलेकशन फ्राम एजूकेशनल रिकार्ड वालूम प्रथम (न्यू देहली, नेशनल टाइमुस आफ इंडिया 1960 पी०, 453)

1887 में एक एक्ट द्वारा इलाहाबाद विश्वविधालय की स्थापना की गयी। इस विश्वविधालय से प्रांत की उच्च-शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन मिला और सन् 1901-02 में कालेजों की संख्याबढ़कर 27 हो गयी जिनमें 1,490 छात्र पढ़ते थे और कुल खर्च 4,29,000 रुपया हुआ था।

बीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने पर प्रांत का दो बार पुर्नगठन किया गया। 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध रखा गया। और सन् 1912 में उसका नाम केवल यूनाइटेड प्राविसेज या संयुक्त प्रांत कर दिया गया।

भारत सरकार ने 1904 में भारतीय शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें प्राइवेट कालेजों पर नियंत्रण कठोर कर दिया गया और सन् 1904 में विश्वविधालय विधेयक द्वारा उनके अध्ययन-अध्यापन पर सख्त नजर रखने की व्यवस्था की गयी। शिक्षा नीति का दूसरा प्रस्ताव सन् 1913 में आया जिसमें विश्वविधालय शिक्षा को असंतोषजन ठहराया। और हर प्रांत में एक विश्वविधालय खोलने की नीति निर्धारित की। इसलिए अलीगढ़ और बनारस में आवासीय विश्व-विधालय खोलने की घोषणा की गई। तदनन्तर पहला विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने से प्रगति मंद पड़ गयी।

सन् 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविधालय की स्थापना हुई। इसकी विशेषता यह थी कि इसके निर्माण के लिए महामना मदन मोहन मालवीय ने राजा-महाराजाओं से कई लाख रुपया चंदा इकट्ठा किया था और इसका चांसलर गर्वनर न होकर कोर्ट द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता था। सन् 1920 में अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविधालय की स्थापना हुई और उसके बाद एक वर्ष में लखनऊ विश्वविधालय की। सन् 1917-18 में संयुक्त प्रांत में 4 विश्वविधाय थे और 18 महाविधालय जिनमें 4,815 छात्र पढ़ते थे। उस वर्ष उच्च-शिक्षा पर कुल व्यय 11,61947 रुपया हुआ था।

माँटैगू चेम्स फोर्ड सुधार 1919 के अनुसार शिक्षा हस्तातंरित विषयों में आ गई और भारतीय मंत्री के अधिकार में हो गई जो निर्वाचित विधान सभा के प्रति उत्तरदायी था। मंत्री ने आई0ई0एस0 सेवा में भर्ती बन्द कर दी जिससे प्राय सब अंग्रेज-शिक्षा प्रशासक 1937 में सेवा निवृत्त हो गए। उधर सन् 1921 में महात्मा गांधी के आंदोलन के कारण बहुत से छात्रों और शिक्षकों ने महाविधालय छोड़ दिये जिससे शिक्षा में नामांकन घट गया। सन् 1921 में इलाहाबाद विश्व-विधालय को सम्बद्धता से अध्यापन का स्वरूप दे दिया गया और उसका अधिकार क्षेत्र सीनेट हाउस के इर्द-गिर्द सीमित कर दिया गया। सन् 1927 में लोगों के बड़ा प्रयत्न करने पर आगरा विश्वविधालय स्थापित किया गया जिससे सब महाविधालय सम्बद्ध कर दिए गए। सन् 1929 में हर्टाग कमेटी ने उत्तर-प्रदेश में 5 विश्वविधालयों का उल्लेख किया है जिनमें से इलाहाबाद विश्वविधालय में 2,865 छात्रबनारस हिन्दू विश्वविधालय में 1,936 छात्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविधालय, 1,828 और लखनऊ में 1,388 छात्र थे। आगरा विश्वविधालय केवल 21 महाविधालयों को सम्बद्धता दिए हुए था जिनमें 5,286 छात्र पढ़ते थे इनमें 3,460 इंटरमीडिएट कक्षाओं के थे। इन पाच में चार विश्वविधालय अध्यापन-आवासी कोटि के थे और एक आगरा का मात्र सम्बद्धता देने वाला था। सन् 1927 में संयुक्त प्रांत विश्वविधालय और कालेजों पर 46,67,540 लाख रुपया व्यय करता था जो कुल शिक्षा व्यय का 16.6 प्रतिशत था। राज्य का प्रति व्यक्ति राजस्व 2.50 रुपया था जिसमें .43 रुपया शिक्षा पर व्यय किया जाता था। इस प्रकार कुल राजस्व का 17.2 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता था। कमेटी ने टीका की कि उच्च-शिक्षा देश के लिए उपयुक्त नेतृत्व देने में असफल रही है और इसका सतर बहुत नीचा है।

सन् 1935 में गवर्मेण्ट आफ इंडिया एक्ट ने द्विविध शासन का अंत कर दिया और शिक्षा का अधिकार और वित्त दोनों ही भारतीय मंत्री को सौंप दिया। सात अन्य प्रांतों की भाँति उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस मंत्रीमंडल बना। इसने प्रौढ़ शिक्षा और

प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। सन् 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और शासन गर्वनर के हाथ में चला गया। युद्ध में अनेक नौकरियों के मिलने के कारण काफी स्त्रियाँ उच्च-शिक्षा की ओर अग्रसर हुईं। सन् 1944 में सार्जेण्ट ने अपनी युद्धोत्तर शिक्षा विकास की योजना प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य भारत में 40 वर्षों में इंग्लैण्ड की वर्तमान शिक्षा के बराबर स्तर लाना था। किन्तु इसका कोई क्रियान्वयन न हो पाया क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो गई। सन् 1946-47 में संयुक्त प्रांत में 5 विश्वविद्यालय 16 कला और विज्ञान के महाविद्यालय थे जिनमें 11,937 छात्र पढ़ते थे। उच्च-शिक्षा पर कुल प्रत्यक्ष व्यय 76,55,891 रुपये था। इस प्रकार उच्च-शिक्षा में प्रति छात्र व्यय 641 रुपया था।

नीचे की सारणी में 1861-62 से 1946-47 तक की उच्च-शिक्षा की प्रगति दर्शायी गयी है जिसमें प्रत्येक 20 वर्ष बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या उन दोनों का नामांकन और व्यय और उच्च-शिक्षा पर प्रति छात्र औसत व्यय दिया हुआ है-

सारणी क्रमांक-3.1

संयुक्त प्रांत में उच्च-शिक्षा की प्रगति 1861-1947

शीर्षक	1861-62	1886-87	1901-1902	1917-18	1946-47
1-विश्वविद्यालय	-	-	1	4	5
2-महाविद्यालय (कला और विज्ञान)	3	12	26	18	16
3-नामांकन	908	478	1490	4,815	11,937
4-व्ययरुपयों में	127,075	1,98,594	4,29,000	11,61947	76,55,891
5-प्रतिछात्र व्यय	139	174	278	348	641

ऊपर की सारणी में स्पष्ट होता है कि 19 वीं शताब्दी की अंत तक उत्तर-प्रदेश में केवल एक ही विश्वविद्यालय था किन्तु 20वीं शताब्दी में प्रथमदों दशकों में उनकी संख्या बढ़कर चार हो गयी और ब्रिटिश -शासन के अंत होते-होते यह संख्या 5 हो गयी। सन् 1941 में संयुक्त प्रांत की जनसंख्या 15,50,20, 617 थी। इसके अनुसार 11 करोड़ व्यक्तियों के लिए एक विश्वविद्यालय था। आरम्भ में कला और विज्ञान के 3 महाविद्यालय थे। 1946-47 में बढ़कर 16 हो गए। महाविद्यालय 5 गुने से अधिक बढ़ गए थे। 34 लाख जनसंख्या के लिए केवल एक महाविद्यालय था। इसअवधि में उच्च-शिक्षा का नामांकन बढ़कर 13 गुना हो गया था। सन् 1946-47 में जनसंख्या के 4,600 व्यक्तियों में 7 व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। इस काल में उच्च-शिक्षा पर व्यय बढ़कर 60 गुना हो गया। जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पर 14 रूपये व्यय उच्च-शिक्षा पर हो रहा था। उच्च-शिक्षा पर प्रतिछात्र औसत व्यय साढ़े चार गुने से अधिक बढ़ गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि संयुक्त प्रांत में ब्रिटिश काल में प्रगति तो अवश्य हुई थी किन्तु वह बहुत आकर्षक नहीं थी। कुल प्रत्यक्ष व्यय और प्रति छात्र व्यय में अवश्य काफी वृद्धि हुई थी किन्तु उच्च-शिक्षा की सुविधाएं प्रांत की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं कही जा सकती थी।

===

खण्ड २ : स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास

अध्याय-4

स्वातंत्र्योत्तर उच्च शिक्षा की नीति एवं प्रगति

शिक्षा की नीति निर्धारित होती है शासकीय आदेशों और प्रस्तावों से, शिक्षा समितियों और आयोगों की अनुसंशाओं से जिन्हे सरकार मान्यकर ले और स्वातंत्र्योत्तर भारत में चलाई गयी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा विकास हेतु दर्शायी गयी दिशाओं से। इन सबमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों ही के निर्देश हो सकते हैं किन्तु अपने प्रदेश के लिए शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है। उच्च-शिक्षा में संविधान द्वारा केन्द्र को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। जिससे वह राज्यों में अपनी नीति मान्य कराने के लिए विश्व-विधालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्य करता है। इस अध्याय में उपर्युक्त विभिन्न आलेखों के द्वारा निर्धारित शिक्षा-नीति का हम विवेचन करेगें और यह दर्शाने का प्रयत्न करेगे कि उत्तर-प्रदेश में किस सीमा तक उनका अनुसरण किया गया है। ऐसा करने के पूर्व उचित होगा कि हम पहले भारतीय संविधान में शिक्षा के उत्तरदायित्व के विभाजन की चर्चा कर लें।

संविधान में शिक्षा

भारत के संविधान में शिक्षा का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। उसकी प्रस्तावना से शिक्षा के व्यापक उद्देश्य एवं नीति का निर्देशन होता है। "हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वेच्छा प्रतिष्ठा और अवसर कीक्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बन्धुता बढ़ाने के लिए एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"[1]

1- भारत सरकार- भारत का संविधान (नई दिल्ली -भारत -शासन-1950) प्रस्तावना

शिक्षा के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य की महत्ता और व्यक्ति की गरिमा का निहितार्थ प्रथम अध्याय में बताया जा चुका हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसरों कीसमानता प्रदान करना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।

संविधान में शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रायः राज्यों पर ही रखा गया है। किन्तु सूची सात की अनुसूची एक की प्रविष्टि 63 में कहा गया है कि "संविधान आरम्भ होने पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय नाम से ज्ञान संस्थाएं तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित संस्थायें केन्द्र के अधिकार में होगी।" बाद में शांति निकेतन की विश्वभारती और दिल्ली के जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय ऐसी संस्थाए घोषित कर दी गयी थी। प्रविष्ट 66 में कहा गया है कि " उच्च शिक्षा या अनुसंधान की संस्थाओं तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में एक सूत्रता लाना तथा मानकों का निर्धारण करना भी केन्द्र का कार्य होगा। इस कार्य को केन्द्र विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से करता है।समवर्ती सूची में प्रावधान है कि शिक्षा की राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण केन्द्र और राज्य मिल जुलकर करेंगे।

राज्य और केन्द्र के बीच शिक्षा के इस विभाजन के अतिरिक्त संविधान में शिक्षा का और भी प्रावधान किया गया है। वैसे अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष पर्यन्त की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गयी है। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 25, 26 तथा 28 में किया गया है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि " ऐसे शिक्षालयों में जिनका पूरा खर्च राज्य निधि से चलता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। खण्ड की कोई बात ऐसे शिक्षालयों के बारे में लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रबन्धित हैं, किन्तु जो किसी ऐसे धर्मस्य या न्यास के अधीन स्थापित हुए है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। गर्वनमेण्ट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नही दी जा सकती। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध या अपने संरक्षक यदि शिक्षा पाने वाला नाबालिग हो, की इच्छा के विरुद्ध ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा या उससे संलग्न किसी स्थान पर होने वाली, किसी धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य हनहीं कियाजा सकता है।"[2]

- -

2- भारतीय संविर्धान -अनुच्छेद-28

संविधान में अल्प संख्यकों के शिक्षा हितों को संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि "केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 30 में शैक्षिक संस्था खोलने का अधिकार दिया गया है। यथा- 1- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्प संख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। 2- शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इनके बीच इस कारण भेदभाव न करेगा। कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक वर्ग के अधीन है।

अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य लोगों के निर्बल वर्ग विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा। तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के विदोहन से उनकी रक्षा करेगा।

एंग्लों इण्डियन समुदाय के विधालयों को संविधान में आरम्भ से 10वर्ष तक वही शिक्षण अनुदान देने का प्रावधान किया गया है जो उन्हें 1947-48 में मिलता था, बशर्ते कि वह 40 प्रतिशत अन्य समुदायों के बच्चों को अपने शिक्षालय में स्थान दे। भाषायी अल्प संख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद 350 में दिया गया है- यथा। "प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि भाषायी अल्पसंख्यक संघों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृ-भाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ऐसे निर्देश दे सकते हैं जिन्हें वे इसके लिए आवश्यक या उचित समझें।" राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में आदेश किया है कि जहाँ 40 अल्प संख्यक भाषीय बच्चे हो, राज्य उनकी शिक्षा का प्रबंध करें।

अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए कहा गया है कि " संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा के प्रचार का संवर्धन करे और उसकी ऐसे विकसित करे कि वह भारत की सम्मिश्रित संस्कृत के प्रत्येक तत्व के अभिव्यक्ति के माध्यम

का कार्य कर सके।

इस प्रकार संविधान में विस्तृत रूप में व्यापक शिक्षा नीति निर्धारित कर दी है। जिसका प्रत्येक राज्य को पालन करना होगा। शिक्षा की यह नीतियाँ उत्तर-प्रदेश में कार्यान्वित हो रही है।

कुंजरु समिति-1948-सन् 1948 में उत्तर-प्रदेश शासन में डॉ0 एच0एन0 कुंजरु की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसको उच्च-शिक्षा के उन्नयन के लिए सिफारिशें करने के लिए कहा गया। समिति ने विश्वविद्यालय और कालेजों में शिक्षकों के वेतन बढ़ाने, प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय उन्नत करने तथा छात्रावास बनवाने की अनुशंसा की इसने स्त्रियों के लिए अधिक शिक्षा की व्यवस्था करने और अनुसंधान सुविधायें बढ़ाने के लिए 1 लाख प्रत्येक विश्वविद्यालय और 50 हजार अन्य संस्थाओं को देने के लिए कहा। तदनुसार शिक्षकों के वेतन को पुनरीक्षित करने के लिए सरकार ने विशेष अनुदान दिया। और संस्थाओं में बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए 10 से बढ़ाकर 12 महीने की फीस लेना प्रारम्भ किया। 5 लाख रुपया अनुसंधान के उन्नयन और 2 लाख रुपया छात्रावास बनाने के लिए 1948-49 में दिया गया इसी प्रकार प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उन्नति करने के लिए शासन ने धनराशि दी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग-1949

सन् 1949 में डा0 एस0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केन्द्र द्वारा नियुक्त विश्व-विद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसकी प्रमुख सिफारिशें अग्रांकित थी- त्रिवर्षीय डिग्री या स्नातक पाठ्यक्रम, सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम और भारतीय भाषाओं द्वारा अध्यापन। इनसे यह सिफारिश की कि डिग्रियों का नौकरियों से सम्बन्ध तोड़ दिया जाय और सरकारी प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षा लेकर भर्ती की जाय। विश्व-तविद्यालय के कला और विज्ञान संकायों में अधिकतम् नामांकन 3,000 रखा जाय और सम्बद्ध विद्यालयों में 1,500 । इसने सिफारिश की केन्द्रीय सरकार उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अनुदान दे और उसके लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति करें।

उसने राज्यों को उच्च शिक्षा की वित्तीय सहायता का भार समुचित ढंग से उठाने को कहा और ये चाहा कि इस शिक्षा को मिलने वाले दानपर आयकर की छूट दी जाय।

अनेक राज्यों ने उच्च शिक्षा में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया। किन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया और दो वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम ही चलाती रही। यद्यपि इस प्रदेश की संस्थाओं में नामांकन की सीमा लगाने का प्रयत्न किया गया किन्तु खुले द्वार प्रवेश की नीति के कारण यह संभव नहीं हो सका। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाने का उपक्रम भी सफल नहीं हुआ। केन्द्र सरकार ने अवश्य ही विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कर दी।

मूथम-समिति-1951

उत्तर-प्रदेश शासन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मूथम की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य करने के ढंग के परीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इसने महत्वपूर्ण अनुसंशा की यूनीवर्सिटी कोर्ट द्वारा पारित बजट के अनुसार 1- किसी वर्ष में व्यय की अनुमानित राशि आय से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि किसी व्यक्ति के निर्देश पर अधिक व्यय होता है तो उस कमी की पूर्ति उसे स्वयं करना होगी। 2- किसी वर्ष में संकटपूर्ण स्थितियों में कोई कुलपति 15,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकता । 3- राज्य शासन विश्वविद्यालयों को 5 वर्ष के लिए ब्लाक ग्रान्ट देगा। 4- विश्वविद्यालय का आय-व्यय लेखा लोकल फंड एकाउन्ट आफिसर से न जचवा कर किसीप्रसिद्ध प्रवीण आडीटर से जचवाया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी अधिकांश सिफारिशें मानी किन्तु ब्लाक ग्रान्ट की बात नहीं मानी। सरकार के मत से विश्वविद्यालय एक विकास शील संस्था है और पाँच वर्ष की लम्बी अवधि के लिए उसका अनुदान निश्चित कर देना उचित नहीं है। किसी प्रसिद्ध प्रवीण आडीटर को वित्त लेखा दिखाने की बात भी नहीं मान्य की गयी क्योंकि इससे विश्वविद्यालय पर काफी खर्च आ जाता था।

त्रिववर्षीय स्नातक- पाठयक्रम-प्राक्कलन समिति-1956[1]

सन् 1956 में श्री सी०डी० देशमुख कीअध्यक्षता में नियुक्त हुई। इसने सभी राज्यों मेंत्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दूसरी योजना में लागू करने का सुझाव दिया।और उसके लिए केन्द्र और राज्यों के मिलकर 25 करोड़ रूपये प्रावधान करने को कहा। उसने कालेजों के अधिकतम् नामांकन को 1,000 में सीमित कर दिया। समिति ने यह स्वीकार किया कि उत्तर-प्रदेश में इस परिवर्तन के करने में अनेक कठिनाइयाँ अवश्य है किन्तु केन्द्र की सहायता से उनका निराकरण किया जाय।माध्यमिक स्तर को बदलने की कठिनाइयों को देखते हुए उत्तर-प्रदेश शासन ने समिति की सिफारिशे को स्वीकार नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट-1960

आयोग ने अनुसंशा की कि विश्वविद्यालयों में रिफरेन्स कमेटी के स्थान पर फाइनेंस कमेटी का नाम रखा जाय जिसकी बनारस विश्वविद्यालय एक्ट में विधिवत् नियुक्ति करने का प्रावधान है और इस समिति द्वारा आय और व्यय की निर्धारित राशियों से अधिक खर्च करने का किसी को अधिकार न दिया जाय।इसने मूथम कमेटी की अनुसंशाओं को सरकार द्वारा क्रियान्वित करने पर संतोष व्यक्त किया। और कहा कि लोकल आडिट में अनुभवी और कुशल व्यक्तियों को रखना चाहिए तथा बाहरी आडीटर से जँचवाने पर उसका खर्च सरकार को देना चाहिए।

उच्च शिक्षा का संसद-सदस्यों की समिति-1963[2]

सन् 1863 में श्री पी०एन० सप्रू की अध्यक्षता में संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त हुई जिसका कार्य संविधान में केन्द्रीय सरकार के उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व का परीक्षण करना था। इस समिति ने अनुशंसा की कि उच्च-शिक्षा राज्य सूची से

1-सी० डी० देशमुख-रिपोर्ट आफ दी थ्री-इयर डिग्री कोर्स-एस्टीमेट कमेटी (न्यू देहली-मिनिस्टरी आफ एजूकेशन-1957)

2- पी०एन० सप्रू-रिपोर्ट आफ दी कमेटी आफ मेम्बर्स आफ पर्लियामेंट आन हायर-एजूकेशन (न्यू देहली) मिनिस्टरी आफ एजूकेशन, 1964

हटाकर समवर्ती सूची में रख दी जाय और विश्व-विद्यालय के पोषण के लिए राज्यों को बाध्य किया जाय। उसने प्राय: संध्या में चलने वाले महाविद्यालय खोलेने और पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने को कहा। इसने अनुदान के नियमों को अधिक उदार बनाने और छात्र-वृत्तियों को बढ़ाने की अनुसंशा की। उसने ऐसा नियम बनाने को कहा जिससे बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृत के कोई नया विश्व-विद्यालय न खोला जा सके। भारत सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का प्रयत्न किया किन्तु उसमें सफलता न मिली सकी। उत्तर-प्रदेश सरकार ने बिना विश्व-विद्यालय अनुदान, आयोग की अनुमति के प्रदेश में कई नए विश्वविद्यालय खोल दिए।

महाविद्यालयों की समिति-1964

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डा० डी०एस० महाजनी की अध्यक्षता में महाविद्यालयी शिक्षा के उन्नयन के सुझाव देने के लिए सन् 1964 में नियुक्त की। इसमें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश पाने के पूर्व दो सार्वजनिक परीक्षाएं लेने की अनुसंशा की, एक हाईस्कूल स्तर के बाद दूसरी इंटरमीडिएट स्तर के बाद। इसमें तीन दो वर्ष के साधारण पाठ्यक्रम के अतिरिक्त एक तीन वर्ष का आनर्स कोर्स खोलने का सुझाव दिया। बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के नए महाविद्यालय खोलने पर रोक लगाने और एक महा-विद्यालयों अनुदान समिति स्थापित करने की सिफारिश की। उत्तर-प्रदेश में पहले से ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होती थी और 1948 में एक अनुदान समिति नियुक्त कर दी गयी। अतएव इस समिति की अनुसंशाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

कोठारी-शिक्षा- आयोग-1964-66

कोठारी शिक्षा आयोगने अनुसंशा की कि छ: बड़े विश्व विद्यालयों का विकास किया जाय जहाँ प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान कार्य सम्भव हो सके और जिनके स्तरों की तुलना दुनिया के किसी भी भाग में स्थिति अपनी तरह की अच्छी-अच्छी संस्थाएं से की जा सके। कुछ बड़े विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित किए

जाय जो अंतर विद्यालय अनुसंधान को बढ़वा दे, इनकी संख्या धीरे-धीरे करके 50 कर दी जाय अन्यविश्वविद्यालयों को पूरी-पूरी सहायता दी जाय जिससे वे कुछ चुने हुए विभागों को उत्कृष्टता तक ले जा सके। लगभग 50 श्रेष्ठ कालेजों को स्वयत्ता का दर्जा दिया जाय जिससे कि वे अपने मर्जी से भर्ती के नियम बना सके, अपना पाठ्यक्रम बना सके तथा परीक्षाओं की व्यवस्था स्वयं करें। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अध्यापन और मूल्यांकन को उन्नत किया जाय और प्रयोग शालाओं और पुस्तकालयों को सुसम्पन्न बनाया जाय। उच्च-शिक्षा में प्रादेशिक-भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया जाय किन्तु स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी अंग्रेजी की अच्छी योग्यता रखें, जिससे वे पुस्तकालय का समुचित उपयोग कर सकें। अंशकालिक शिक्षा जैसे पत्राचार पाठ्यक्रम और सांध्य कालेज का विपुल विस्तार किया जाय। कालेजों में न्यूनतम नामांकन 500 होनाचाहिए और अधिकतम 1,000 । महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए और सभी सेवाओं में उनका मुक्त प्रवेश होना चाहिए। उच्च-शिक्षा के पाठ्यक्रमों में लचीलापन और नवीनता का समोवेश तत्काल किया जाय। विश्वविद्यालयों को आन्तरिक स्वायत्ता दी जाय, उनकी पर्याप्त वित्त व्यवस्था की जाय और कुलपति के पद पर प्रख्यात शिक्षाविद् 65 वर्ष की आयु तक के रखे जाय। कालेजों को सम्बद्धता में सर्तकता बरती जाय, और उनका बराबर निरीक्षण किया जाय। विश्व विद्यालय अनुदान-आयोग में अधिकतम 15 सदस्य रहे। किन्तु उनमें से एकतिहाई से अधिक सरकारी अधिकारी न हो। अनुदान देने में वह पूरक अनुदान न देकर शत प्रतिशत अनुदान दे क्योंकि राज्य सरकारों से धन की पूर्ति होना कठिन हो जाता है।

आयोग ने विश्वविद्यालयों को तीन से पाँच वर्षों तक ब्लाक ग्रान्ट देने की अनुशंसा की जिसमें इस वर्ष की व्यय की बढ़ोत्तरी भी सम्मिलित हो। और एक ऐसी सहायृय (कुशन ग्राण्ट) भी हो जिसका उपयोग विश्वविद्यालय अपने विवेकपूर्ण आजादी के साथ कर सकें। कालेजों के लिए अनुदान देने में अग्रांकित राशिया सम्मिलित करने को कहा- शिक्षकेत्तर व्यय जिसमें से कम किया जाय, 1-प्रबंधकको का अंशदान और 2-निर्धारित दरों पर एकत्रित शुल्क ।

आयोग की अनुशंसाओं की कुछ दिनों बड़ी धूमधाम रही और उसके लिए एक समिति भी बनी तथा शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। किन्तु धीरे-धीरे करके वह ठंडे बस्ते में डाल दी गयी। विश्वविधालयअनुदान आयोग ने अपने कर्म क्षेत्र में आने वाली उसकी अनुशंसाओं को किसी सीमा तक क्रियान्वित किया जैसे शिक्षकों के वेतन का पुसरीक्षण, उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि आदि।

उत्तर-प्रदेश शासन ने आयोग की अनुशंसाओं को क्रियान्वित नहीं किया उसने द्विवर्षीय सनातक पाठ्यक्रम ही प्रचलित रखा, किन्तु स्नातक स्तर पर शिक्षा माध्यम हिन्दी कर दिया गया। स्नातकोत्तर में एम0एस0सी0 कक्षा और वाणिज्य में भी हिन्दी में उत्तर लिखने की छूट दे दी गयी। विश्वविधालय और उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने वालों की भीड़ और राजनैतिक दबाव के कारण नामांकन की अधिकतम् सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी। धनाभाव के कारण शिक्षकों के वेतन और अनुदान के नियमों का पुनिरीक्षण कठिन हो गया। वेतन मानों में कई वर्षों के बाद सन् 1973 में वृद्धि की गई। आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश के सभी विश्वविधालयों को इंटर यूनीवर्सिटी बोर्ड का सदस्य बना दिया गया।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति-1968

शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं को लेकर भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया जो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के नाम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया गया। इसमें कहा गया था। कि शिक्षकों के राष्ट्रीय विकास में योगदान को देखते हुए उन्हें पूरे समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान दियाजाना चाहिए और उनके वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा की शर्तें पर्याप्त और संतोषप्रद होनी चाहिए। स्वतंत्र अध्ययन तथा अनुसंधान सम्बन्धी प्रबन्ध प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भाषण करने और लिखने की अध्यापकों की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। भारतीय भाषाओं का प्रयोग विश्वविधालयों में भी करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए।अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने

वाले कालेजों तथा उच्चतर-शिक्षा की अन्य संस्थाओं को स्थापित करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के अध्यापन की सुविधाएं अधिक विस्तृत पैमाने पर दी जानी चाहिए, और शेष प्रथम तथा द्वितीय डिग्री अवस्थाओं पर उन पाठ्यक्रमों में जहाँ कि इस भाषा का ज्ञान उपयोगी है। संस्कृत के अध्यापन की संभावनाओं की खोज की जानी चाहिए। अंग्रेजी के अध्ययन को भी विशेष रूप से पुष्ट करना चाहिए। विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जाय। प्रत्येक राज्य में एक स्वत: पूर्ण कृषि विश्वविद्यालय खोला जाय। एक कालेज या विश्वविद्यालय में कितने पूर्णकालिक छात्र भर्ती किए जाय इसकी संख्या प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, तथा अन्य सुविधाओं और कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पर्याप्त सावधानी कीआवश्यकता हैं उनकी स्थापना तभी की जाय जब पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध हों तथा उपयुक्त मानकों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गयी हो। इस स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानकों में भी सुधार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के केन्द्रों की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए और कुछ थोड़े से ऐसे केन्द्र संकुल स्थापित किए जाने चाहिए जिनका उद्देश्य अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्चतम मानक स्थापित करना हो। विश्वविद्यालय में अनुसंधान को सामान्यतया अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अनुसंधान की संस्थाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही कार्य करे अथवा उनके साथ निकट सम्बन्ध रखें। अल्पकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर बड़े पैमाने पर विकसित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सेवा जिसमें सामुदायिक सेवातथा राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के साथ तथा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम भी शामिल हैं, शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए जिससे छात्रों में स्वावलम्बन, चरित्र निर्माण तथा सामाजिक उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना का विस्तार होना चाहिए धीरे-धीरे शिक्षा निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जितनी जल्दी हो सके कि वह राष्ट्रीय आय के छ: प्रतिशत खर्च के स्तर पर पहुँच सके।

कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा राज्य का दायित्व है तथा केन्द्रीय या समवर्ती सूची का विषय नहीं अतएव शिक्षा सम्बन्धी कोई कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं और फिर यदिबना ही लिया था। तो उसे राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन ‡रेक्टीफिकेशन‡ करना आवश्यक था। किन्तु ऐसा कुछ नहीं कराया गया। जिससे इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। और ये राज्यों की इच्छा पर इसे मान्यता दे अथवा नहीं परन्तु अन्य लोग कहते है कि यह एक प्रस्ताव ही था कोई विधेयक नहीं। अतएव ऐसी आपत्ति में कोई सार नहीं। आयोग को केन्द्र में नियुक्त किया गया था। अतएव संसद प्रस्ताव परित करने में सक्षम थीं। अतएव इस प्रस्ताव का वही हस्र हुआ जो आयोग की रिपोर्ट का हुआ।

पंचवर्षीययोजनाएं- 1950 से 1975 तक

पंचवर्षीय योजनाएं 1950-54 में आरम्भ हुई और इस अध्ययन की अवधि में 4 योजनाएं पूरी होकर पांचवी का शुभारम्भ हुआ। इन योजनाओं में शिक्षा को राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विकास का एक केन्द्र बिन्दु माना गया और यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए तथा स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता के मूल्यों पर आधारित सामाज व्यवस्था लोने के लिए शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक हैं। अतएव शिक्षा को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के समवेत ‡ओवर आल‡ आयोजन में सम्मिलित किया गया।

भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि विश्वविधालयों की वित्तीय व्यवस्था बड़ी शोचनीय है और उसे सुधारने के लिए बड़ी मितव्यवता की आवश्यकता है। अध्यापन की उच्च मांग को प्राप्त करने के लिए विश्वविधालयों के कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जाय उनमें प्रवेश की सीमा ऊँची उठाई जाय और उनके अध्यापन तथा प्रशासन को उन्नत बनाया जाय। केन्द्र कम से कम एक ग्रामीण विश्वविधालय खोले, और विश्वविधालय अनुदान आयोग नियुक्त करें। उनमें प्रवेश पाने के इच्छुक लोगों

कीभीड़ कम करने के लिए प्रवेश परीक्षा द्वारा चयन किया जाय और उन्हें स्वाध्यायी ¤प्राइवेट¤ छात्र के रूप में परीक्षाओं में बैठने की सुविधा दी जाय। उसकी उपाधियों को नौकरियों से असम्बद्ध कर दिया जाय। उत्तर-प्रदेश शासन में सन् 1948 में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति नियुक्त कर दी गयी थीं। और उसकी अनुशंसाओं के आधार पर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दी जाने लगी। उनमें प्रवेश की आयु बढ़ाने पर भी विचार किया जाने लगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के पुर्नगठन पर बल दिया और तकनीकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाए और छात्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। इसमें शिक्षा वित्त की विश्वविद्यालय को और सार्थक बनाया जाय जिससे वह आर्थिक और सामाजिक योजनाओं में अधिक उपयुक्त बन सकें।

तीसरी योजना में त्रिवार्षिक उपाधि पाठ्यक्रम को और अधिक विश्वविद्यालयों में खोलने की अनुसंशा की। सेमीनार ,टीटोरियल तथापत्राचार पाठ्यक्रम को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करने को कहा। उसने स्नातकोत्तर-शिक्षण,अनुसंधान तथा विज्ञान अध्यापन को उन्नत बनाने पर बल दिया। उसने स्त्रियों के लिए गृह विज्ञान,संगीत, चित्रकला और नर्सिंग जैसे विषयों को खोलने की अनुशंसा की। उसने यह भी सुझाव दिया कि अधिकांश छात्रों को व्यावसायिक व तकनीकी विषयों की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाय। उत्तर-प्रदेश शासन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में इन सिफारिशों को स्थान दिया।

चौथी योजना में कला और वाणिज्य कक्षाओं में कमप्रवेश देने और विज्ञान,कृषि तकनीकी तथा वृत्तिक शिक्षा में अधिक छात्रों को प्रवेश दिलाने पर बल दिया। इसने अपनी अर्हता बढ़ाने वाले शिक्षककें को प्रोत्साहन देने, ग्रीष्म स्कूल चलाने और पाठ्यक्र पुस्तकों को उन्नत बनाने की नीति निर्धारित की। उत्तर-प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से इन परियोजनाओं का पालन किया गया।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर अधिक बल दिया गयाऔर विश्वविद्यालयों में उच्च-शिक्षा में आने वाली प्रवेश की भीड़ का नियंत्रण करने के लिए यह सुझाया कि 50 प्रतिशत छात्रों को उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाय। 20 प्रतिशत् प्रवेशार्थियों को सांध्य कक्षाओं और पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाय तथा 10 प्रतिशत को स्वाध्यायी छात्र बनाया जाय। स्नातकोत्तर कक्षाओं में विशेषकर सख्ती के साथ चुनाव करके प्रवेश दिया जाय। यह पाँचवी योजना 1975 में आरंभ हुई थी और कुछ दिनों बाद उसे रोलिंग प्लान में परिवर्तित करने की चर्चा चल पड़ी। इसलिए उत्तर-प्रदेश में इन अनुशंसाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। केवल स्वाध्यायी छात्रों को परीक्षा दिलाने कीसुविधाएं बढ़ाई जाने लगी। पंचवर्षीय योजनाओं की इन अनुशंसाओं के आधार ही प्राय: उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय बनाई गयी और क्रियान्वित की गयी। इसका विस्तृत विवेचन नवें अध्याय में किया गया है अतएव उसकी यहाँ चर्चा करना पुनरावृत्ति मात्र ही होगी।

उच्च-शिक्षा की प्रगति -1950-75

अब हम इन नीतियों के आधार पर 1950-75 तक के 25 वर्षों में हुई उच्च शिक्षा में हुई व्यापक प्रगति का आकलन करेंगे। हम इस कार्य को 10-10 वर्ष की दो और पाँच वर्ष के एक कालखण्ड में विभाजित करेंगे। स्वतंत्रता के पूर्वउत्तर-प्रदेश में उच्च शिक्षा की संस्थाएं बड़ी सीमित थी। स्वतंत्रताप्राप्त होने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों के चले जाने और नये-नये विभाग खुलने के कारण नौकरी के अवसरों में वृद्धि हुई। निर्बल वर्ग के लोगों को अवसरों की समानता देने के सिद्धान्त तथा सामाजिक अनुकरण की प्रवृत्ति ने अधिकाधिक छात्रों को उच्च-शिक्षा की ओर आकर्षित किया। अतएव उसकी संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए छात्रों की भारी भीड़ लगने लगी। अतएव यह आवश्यक हो गया कि प्रदेश में उच्च-शिक्षा की सुविधाएं शीघ्र ही बढ़ाई जाय। इसलिए अनेक महाविधालय खोले गए और कुछ क्षेत्रों के लिए विश्वविधालय स्थापित करने की माँग की जाने लगी। इसके साथ ही विधमान

संस्थाओं की हालत सुधारनेऔर उनकी प्रवेश संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जाने लगा किन्तु नये स्वतंत्र राष्ट्र की कठिनाइयाँ, व्यवस्थापिकों की समस्याओं और प्राकृतिक प्रकोपों के कारण नेताओं का ध्यान बट गया। और धनाभाव के कारण शिक्षा की आरम्भ में कोई विशेष उन्नति न हो सकी। इसको केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने अंग्राकित शब्दों में व्यक्त किया -"सन् 1947 में व्यवस्थापितों की समस्या में हमारी प्राय: सब शक्ति और राष्ट्र के अधिकांश वित्तीय साधन लग गए। अतएव निकट भविष्य में शिक्षा विस्तार के लिए पर्याप्त धन मिलेने की कोई आशा न रही। हमें बड़ी उम्मीद थी कि 1950-51 तक परिस्थितियाँ काफी सुधर जायेगी किन्तु हमारे दुर्भाग्य से यह प्रत्याशा भी झूठी निकल गयी। अब हमें इतने बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है कि शिक्षा के बजट से 10 से 20 प्रतिशत की कटौती की नौबत आ गई।"

फिर भी उत्तर-प्रदेश सरकार ने शिक्षा में सुधार करने के कदम उठाए और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुकूल विश्वविधालयों को बनाने के लिए उनकी नियमावली में परिवर्तन किया गया। बनारस और अलीगढ़ विश्वविधालयों में भी राधा कृष्णन आयोग के अनुसार परिवर्तन किया गया। आगरा विश्वविधालय के विधेयक में संशोधन करके सम्बद्ध कालेजों के शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाय। और इंटरमीडिएट कालेजों को इंटर की कक्षाएं बन्द कर स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने अथवा केवल इंटरमीडिएट कालेज बने रहने का विकल्प दिया गया।

विश्वविधालयों में कुछ नए विषय खोलने की माँग बहुत दिनों से चली आ रही थी। सरकार ने अब आगरा और बनारस संस्कृत विश्वविधालय को क्रमश: सांख्यकी और शिक्षाशास्त्र में स्नातक कक्षाएं खोलने की अनुमति दे दी।आगरा को प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत और लखनऊ को भूगर्भ-विज्ञान की कक्षायें खोलने दिया गया। लखनऊ विश्वविधालय ने सांख्यकी और शिक्षा में स्नातकोत्तर पढ़ाई भी आरम्भ कर दी।

शासन के आदेशानुसार इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों और सभी महाविद्यालयों में कुल नामांकन के 10 प्रतिशत छात्रों की पूरी फीस और 15 प्रतिशत छात्रों की आधी फीस माफ की जाने लगी। और इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के छात्रों से कोई शिक्षण-शुल्क नहीं लिया जाता था। गरीब किन्तु प्रतिभावान छात्रों के लिए 60 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाने लगी और उन्हें पुस्तकें आदि खरीदने के लिए 100 रुपये प्रतिवर्ष स्वीकृत किया गया। 1954-55 में छात्रवृत्ति तथा छात्रों की अन्य वित्तीय रियायतों पर 28.26 लाख रुपया वितरित हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर बड़ा ऋण हो गया था जिसे निपटाने के लिए शासन ने 6लाख रुपया बिना ब्याज के दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय को छात्रावास बनवाने के लिए 85 हजार रुपये दान किये गये और 1 लाख रुपये की अनावर्ती अनुदान लखनऊ विश्वविद्यालय को और 3,99,800 रुपये का अनुदान महाविद्यालयों को सन् 1953-54 में दिया गया। प्रसिद्ध व्यक्तियों को अध्यापन करने के लिए आमंत्रित करने हेतु तथा सेवानिवृतत विख्यात प्रोफेसरों के रखने के लिए भी अनुदान दिया गया। प्रदेश की वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के निर्देश पर सरकार ने शोध के लिए 7,56,630 रुपये पाँच वर्षों में दिए।

पूर्वोत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय खोलने की माँग सन् 1949 से चली आ रही थी। अतएव 1956 में राज्य की विधान सभा में गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधेयक पारित किया गया और विश्वविद्यालय सन् 1957-58 सत्र से आरम्भ हो गया। बनारस का संस्कृत महाविद्यालय देशभर की सभी संस्कृत पाठशालाओं को सम्बद्धन दिए हुआ था उसको भी इसी वर्ष विधेयक द्वारा विश्वविद्यालय का स्तर दे दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय को 9 लाख और संस्कृत विश्वविद्यालय को 11.54 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया। अन्य विश्वविद्यालयों के नियमों में संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश -यूनीवर्सिटी एक्ट 1959 पारित किया गया। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति में जाँच करने के लिए एक आयोग सन् 1960 में नियुक्त किया गया। सन् 1956-60 में राज्य सकरार ने आगरा विश्वविद्यालय के 21 सम्बद्ध कालोजों को 10 हजार

से 35 हजार रूपये तक का अनुदान दिया और विश्वविधालय शिक्षा-आयोग ने 29 कालेजों को 35.53 लाख रूपये अनुदान स्वीकृत किया।

लखनऊ विश्वविधालय ने एक सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाया इसमें उपस्थिति अनिवार्य थी किन्तु परीक्षा नहीं ली जा सकी। आगरा विश्वविधालय ने भारतीय भाषाओं में तेलगू और कन्नड़ को भी शामिल किया और इलाहाबाद विश्वविधालय ने तामिल, गुजराती मराठी बंगाली और उर्दू में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया। बनारस विश्वविधालय ने एक स्वालम्बन परियोजना चलाई जिसके अंतर्गत जो छात्र डेढ़ घंटे तक कार्य करते थे उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती थी। अलीगढ़ विश्वविधालय में 16.50 लाख रूपये की लागत से पुस्तकालय भवन निर्माण किया गया, और 1.18 लाख रूपये में सर सैय्यद हाउस खरीदा गया। सन् 1957 में विश्वविधालय के व्याख्याताओं के दो वेतन मानों को मिलाकर एक कर दिया गया और कालेजों के प्राचार्यों एवं वरिष्ठ एवं कनिष्ट व्याख्याताओं के वेतन मानों को 2 वर्ष बाद पुर्निरिक्षित कर दिया गया। राज्य सरकार ने भवन निर्माण तथा उपकरणों के क्रम के लिए 10 लाखरूपया, छात्रावास बनाने के लिए 30 लाख रूपया और पुस्तकें खरीदने के लिए 3 लाख रूपया विभिन्न कालेजों में वितरित किया। छात्रवृत्तियों तथा अन्य वित्तीय रियायतों पर 179.19 लाख रूपया और अनुसंधान के लिए 7.59 लाख रूपया राज्य सरकार द्वारा दियागया।

सन् 1950-51 से 1960-61 तक-

सन् 1950-51 से लेकर सन् 1960-61 के दशक में उच्च शिक्षा की काफी संख्यात्मक वृद्धि हुई थी। 1950-51 में उत्तर प्रदेश में 5 विश्वविधालय और 40 कालेज थें जो 1960-61 में बढ़कर क्रमश: 9 और 128 हो गए जिनमें से 20 कालेज स्त्रियों केगथे। पहले वर्ष उच्च्-शिक्षा में नामांकन 55,140 था जिसमें 4,947 स्त्रियाँ थी। एक दशक के बाद यह बढ़कर 11,2,545 हो गया जिनमें 5,410 स्त्रियाँ थीं। पहले वर्ष में विश्वविधालय

और कालेजों में कुल शिक्षक 3,160 थें जिनमें 184 महिलाएं थीं। दस वर्ष बाद शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5,740 हो गयी जिनमें महिलाओं की संख्या 490 थी। इस दशक में विश्वविद्यालय 1.4 गुना बढ़े और कालेज 3.2 गुना बढ़े और छात्र 2 गुने बढ़े और छात्रा 1.1 गुना बढ़ी और शिक्षक 1.8 गुना बढ़े और महिला-शिक्षक 2.7 गुना बढ़ गयी। पहले वर्ष में शिक्षक छात्र अनुपात 1:17 था जो अंतिम वर्ष में बढ़कर 1:20 हो गया।

सन् 1960-61 से 1970-71 तक-

इस दशक के आरम्भ में विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूनीवर्सिटी एक्ट 1961 बनाया। अभी तक विश्वविद्यालय की महासभा (कोर्ट) द्वारा कुलपति का चयन किया जाता था। किन्तु अब चांसलर द्वारा उसके नियुक्ति करने की व्यवस्था की गयी। अब तीन व्यक्तियों की एक समिति द्वारा जिसमें एक प्रतिनिधि विश्वविद्यालय कार्य कारणी दूसरा प्रदेश के उच्च न्यायाधीश और तीसरा कुलाधिपति का होगा। इस समिति को उपयुक्तनामों की सूची कुलाधिपति को प्रस्तुत करना होगी जिसमें से वे किसी एक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किया जायेगा। इस संशोधन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित राजनीति को कम करना था। विश्वविद्यालय अनुदान समिति को जिसका कार्य काल 1957 में समाप्त हो गया था पुर्नगठित किया गया और उसे राज्य सरकार को नए विश्वविद्यालय खोलने तथा शिक्षा से सम्बंधित शैक्षिक वैधानिक और प्राशासकीय मामलों में सलाह देने का कार्य सौंपा गया।

बनारस विश्वविद्यालय में कला-विज्ञान और वाणिज्य में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने व्यहृत भौतिकी (एप्लाइड-फिजिक्स) और गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1961 में उर्दू विभाग खोला गया। आगरा विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं और हिन्दी ध्वनि-शास्त्र की पढ़ाई-प्रारम्भ की गई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने भाषाओं में प्रवीणता का पाठ्य क्रम चलाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पुरातत्व अरबी-फारसी, उर्दू, तामिल और बंगाली भाषाओं की

प्रमा ण-पत्र परीक्षा प्रारम्भ की गई। इस प्रकार अनेक विश्वविद्यालयों मेंनये-नये विषय पढ़ाना प्रारम्भ हो गए।

डिग्री कालेजों और आगरा तथा गोरखपुर के सम्बद्धन विश्वविद्यालयों में अनुदान के नियमों को अधिक उदार बनाया गया। सरकार ने निर्देश दिया कि नये कालेजों को सम्बद्धता अनुशंसित करने वाली समिति पर एक उसका भी प्रतिनिधि रखा जाय।सरकार ने 78 कालेजों को अपनी अनुदान सूची में ले लिया।नैनीताल के राजकीय कालेज को 25 हजार और 5 हजार रूपये भौतिक और रसायन के आरम्भ करने के लिए 1964-65 में दिया गया। इसी प्रकार अन्य डिग्री कालेजों को नये विषय खोलने और नए पद निर्मित करने के लिए शासन ने 30.6 लाख रूपया वितरित किया।विज्ञान की पढ़ाई का विस्तार और उन्नत करने के लिए 1964-65 में 29 लाख रूपये दिये गयें।भवन तथा प्रयोगशाला के निर्माण करने उपकरण और पुस्तके खरीदेने के लिए 21 लाख और 15 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। स्नातकोत्तर छात्रों को 25 से लेकर 110 रूपया प्रतिमाह और स्नातक छात्रों को 12 से लेकर 85 रूपया तक की पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए 106.17 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 4 वर्गों में 1962 में कर दिया।ये वर्ग थे प्रोफेसर जिसे 1000-50-1500 का वेतन मान दिया गया।रीडर जिसे 700-40-1100 ,लेक्चेरर जिसे 400-30-640-40-800 का और डिमास्ट्रेटर जिसे 300-25-350 का वेतन मान दिये गये।

1966-67 के सम से कानपुर और मेरठ में नये विश्वविद्याल खोले गये।मेरठ विश्वविद्यालय में बाद में अध्यापन की सेमेस्टर प्रणाली अपनाई गयी और एम0फिल0 तथा पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया। 1966-67 में चमोली के गोपेश्वर स्थान पर और तीन वर्ष बाद टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में स्नातक कालेज खोले गए। सन् 1967 में डाक्टर की उपाधि प्राप्त शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि या देने का नियम बनाया गया। 40 और प्राइवेट कालेजों की अनुदान सूची पर ले लिया गया और

अच्छे परीक्षा परिणाम दिखाने वाले कालेजों को प्रवीणता अनुदान देने की प्रथा आरम्भ की गयी। सन् 1970 में उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में छात्र संघ की सदस्यता ऐच्छिक कर दी गयी।

सन् 1970-71 में उत्तर प्रदेश में 11 विश्वविद्यालय 2 विश्वविद्यालय सममान्य (डीम्ड टू बी यूनीवर्सिटीस) संस्थाएं और 247 सामान्य शिक्षा के कालेज थे। इन में कुल 2,21,144 छात्र पढ़ते थे जिनमें 39,229 से अधिक छात्राएं थी। इनमें 12,486 शिक्षक थे जिनमें 1,836 से अधिक महिलाएं थी। उच्च शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात 1:18 था। सन् 1960-61 की तुलना में विश्वविद्यालयों की संख्या 1.2 इतनी गुनी हो गयी थी और कालेजों 1.8 गुनी । उच्च-शिक्षा में नामांकन 2 गुना हो गया था और शिक्षकों की संख्या 2.2 गुना बढ़ गयी। छात्राएं 7.3 गुनी हो गयी थी और महिला शिक्षक 3.8 गुना बढ़ गयी।

सन् 1970-71 से 1975-76 तक -

इन पांच वर्षों की अवधि में 6 नये विश्वविद्यालय और खोले गए। इनमें सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय के अतिरिक्त प्रदेश में 3 कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, कानपुर और पंतनगर में थे तथा एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय रुड़की में। कानपुर में राष्ट्रीय महत्व का इंण्डियन इन्स्ट्रीटूयट आफ टेकनालोजी स्थापित किया गया। सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों में कुमायूँ और गढ़वाल के विश्वविद्यालय सन् 1973 में प्रारम्भ किए गए। उसके एक वर्ष बाद काशी विद्यापीठ को बढ़ाकर पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और सन् 1975 में अवध और बुन्देलखण्ड तथा रूहेल खण्ड के विश्वविद्यालय स्थापित किए गये। इस अवधि में 14 सरकारी डिग्री कालेज खोले गए जिनमें से सात गढ़वाल में दो कुमाँयू में और शेष मैदानी भागों में थे। इस प्रकार इस वर्ष सरकार 24 डिग्री कालेज चला रही थी। पहाड़ी प्रदेशों में उच्च-शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने पर इस अवधि में बड़ा बल दिया गया।

सरकार ने वह अध्यादेश वापस ले लिया जिसके द्वारा छात्र संघों की सदस्यता वैकल्पित कर दी गयी थीं। उत्तर-प्रदेश में सन् 1973 में एक विधेयक पारित करके कला और वाणिज्य की परीक्षाओं में स्वाध्यायी छात्रों के बैठने की अनुमति दी। सन् 1974 में विश्वविद्यालय के पदों पर भर्ती के नियम भी विधेयक द्वारा परिवर्तित किए गयें।

नवम्बर 1972 में सरकार ने इलाहाबाद में उच्च शिक्षा का एक अलग निदेशालय स्थापित किया और 1 जनवरी 1973 से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के वेतन मान देने की घोषणा की गरीब छात्रों को पुस्तकें प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद ,लखनऊ, गोरखपुर विश्वविद्यालयों में अलग से पुस्तकालय बनाए गए और कालेजों आदि में "बुक बैंक" खोली गयी। विद्यार्थियों के नौकरी सम्बन्धी सूचनाएं देने के लिए विश्वविद्यालयों सूचना केन्द्र भी स्थापित किए गए। इन पांच वर्षों में उच्च-शिक्षा की संस्थाओं छात्रों और शिक्षकों की सुविधायों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

अब हम ब्रिटिश काल में और स्वातंत्र्योत्तर काल में हुई उच्च -शिक्षा की प्रगति पर दृष्टिपात कर सकते है निम्नांकित सारणी में ब्रिटिश काल के अंतिम वर्ष 1946-47 तथा 1975-76 में संस्थाओं नामांकन और शिक्षकों की संख्या तथा व्यय का वितरण निम्नांकित सारणी में देगें -

सारणी-4.1

उत्तर प्रदेश में उच्च-शिक्षा की प्रगति -1946-47 से 1975-76

संस्था	1946-47	1975-76
विश्वविद्यालय-		
संख्या	5	19
नामांकन	15,528	98,055
शिक्षक	932	4,987
व्यय	58, 96,677	16,74,82,945
विश्वविद्यालय सममान्य संस्थाएं		
संख्या	-	1
नामांकन	-	431
शिक्षक	-	43
व्यय	-	6,29,210
अनुसंधान संस्थाएं		
संख्या	-	2
नामांकन	-	924
शिक्षक	-	184
व्यय	-	59,69,013
कालेज		
संख्या	16	346
नामांकन	12,901	2,64,272
शिक्षक	1,390	11,256
व्यय	17,59,214	14,16,17,794

स्रोत- एजूकेशन इन इंडिया-1937-47 डेसीनियल रिव्यू तथा एजूकेशन इन इंडिया 1975-76 नई दिल्ली -शिक्षा मंत्रालय तथा एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, 1946-47, नई दिल्ली : ब्यूरो आफ एजूकेशन इंडिया ।

चार्ट-१ (क)
उच्च शिक्षा की संस्थाओं की संख्या
1947-76
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
16
19
346
विश्व विद्यालय
कालेज
विश्व विद्यालय
कालेज
1946-47
1975-76
(ख)
उच्च शिक्षा में नामांकन
1947-76
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
15,526
12,901
98,655
2,64,272
विश्व विद्यालय
कालेज
विश्व विद्यालय
कालेज

ऊपर की सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1946-47 तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के पच्चीस वर्षों में सन् 1975-76 में उच्च-शिक्षा की क्या प्रगति हुई। ब्रिटिशकाल में उच्च-शिक्षा की दो संस्थाएं थी एक विश्वविद्यालय और दूसरे कालेज। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो और आरम्भ हुई, एक विश्वविद्यालय सममान्य और दूसरी अनुसंधान से संबंधित। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी भी स्थापना हुई। अब सामान्य उच्च-शिक्षा की चार प्रकार की संस्थायें हो गयी थीं।

जहाँ पूर्व में उत्तर-प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय थे वहाँ वे चौगुने बढ़ गए थे और उनमें छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या क्रमशः 6.3 और 5.4 गुनी बढ़ गई थी। विश्व-विद्यालय के व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी ब्रिटिश काल के अंतिमवर्ष में इन पर 59 लाख रुपये ही व्यय होते थे जो सन् 1975-76 में बढ़कर 17 करोड़ के करीब हो गए। यह वृद्धि 28.4 गुना थी। इस का बड़ा अंश मंहगाई खा गई।

सन् 1946-47 में उत्तर प्रदेश में सामान्य शिक्षा के केवल 16 कालेज ही थे जो सन् 1975-76 में बढ़कर 22 गुने हो गए और उनमें छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या क्रमशः 21 और 8 गुना बढ़ गई। पहले व्यय साढ़े 17 लाख ही होता था जो बढ़कर 14 करोड़ हो गया जो 80 गुना बढ़ गया था। मंहगाई बढ़ने के कारण ही व्यय अत्यधिक बढ़ गया था।

सन् 1951 में अखिल भारत की जनसंख्या में 17-23 वर्ष की आयु के 11.39 प्रतिशत व्यक्ति थे और सन् 1971 में 10.96 प्रतिशत्। यदि हम इस अनुपात के आधार पर सन्-1947 और 1975 में उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग के व्यक्तियों की गणना करें तो उनकी संख्या क्रमशः 68.11 लाख और 103.93 लाख होगी। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों मेंप्रविष्ट छात्रों की संख्या इन वर्षों में क्रमशः 28,427 और 3,62,327 थी। गणना करने से ज्ञात होता है कि सन् 1946-47 में जहाँ 17-23 आयुवर्ग के 0.42 प्रतिशत छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध थी, वहाँ सन् 1975-76 यह प्रतिशत 3.48 हो गया था।

चार्ट-2 (क)
उच्च शिक्षा में शिक्षकों की संख्या
1947-76
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
932
1390
4987
11256
विश्व विद्यालय
कालेज
1946-47
विश्व विद्यालय
कालेज
1975-76
(ख)
उच्च शिक्षा पर व्यय
1947-76
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
58,96,677
17,59,214
16,74,82,945
14,16,17,794
विश्व विद्यालय
कालेज
1946-47
विश्वविद्यालय
कालेज
1975-76

स्पष्ट है कि आयु वर्ग के दस गुने छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल गया था। इससे भारी शिक्षा प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

अतएव स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्ण और चतुर्थांश शताब्दी के बाद की स्थिति में बड़ा अंतर आ गया है। उच्च शिक्षा ने बड़ी उन्नति की है। स्वातंत्र्योत्तर काल में इसकी वृद्धि किस गति से हुई इसका विवरण हम अन्य अध्यायों में करेंगे -

===

अध्याय-5

उच्च शिक्षा का प्रशासन

कहा जाता है कि किसी भी देश की जनसंख्या के लगभग आधे लोग शिक्षा से किसी न किसी रूप में संबंधित है। और शिक्षकीय वयवर्ग के प्राय: सभी बच्चे कहीं न कहीं शिक्षा पाते हैं। यह भी कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के बाद यदि किसी बात पर सबसे अधिक रुपया व्यय होता है तो वह शिक्षा पर। अतएव जिस कार्य से इतने अधिक लोग सम्बन्धित हो और जिस पर इतना अधिक व्यय किया जाता हो तो उसकी व्यवस्था अति उत्तम होना चाहिए जिससे लोगों का समय और शक्ति तथा धन अपव्यय न हो सके। यह तभी सम्भव है जब शिक्षा का प्रशासन सुसंगठित ढंग से सभी कार्यों एवं सुविधाओं का समन्वय करे।

लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन-तंत्र चलाती हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के विचारों,कार्यविधियों, नीतियों आदि में अंतर भी रहता है तथा समयानुसार इनमें परिवर्तन भी होते रहते है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रशासन दृढ़ आधारों पर विकसित किया जाय जिससे शासन में राजनीतिक दलों के परिवर्तन से शिक्षा-व्यवस्था में कोई अव्यवस्था न उत्पान्न हो सके। अपरिवर्तन के समय में कुछ दृढ़ व्यवस्थिति उत्प्रेरक तत्वों का आधार तथा सहारा अति आवश्यक रहा है।

शिक्षा में मानवीय तथा भौतिक दोनों प्रकार के साधन बड़ी अधिक मात्रा में आवश्यक होते है। इन साधनों को व्यवस्थित ढंग से कार्यशील करके बालक और बालिकाओं तथा वयस्कों का समुचित ढंग से विकास करना होता है। अतएव इन साधनों को केवल जुटाना ही आवश्यक नहीं होता किन्तु उन्हें समायोजित एवं समन्वित करना भी जरूरी होता है । इस समन्वय को करने के लिए तथा मानवीय

साधनों में उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने के लिए शिक्षा-प्रशासन की आवश्यकता होती है जिससे उपलब्धि उत्तम हो सके। शिक्षा संस्थाओं को उच्च-आदर्श तक पहुँचाने के लिए उसके संगठन और संचालन में अधिकाधिक कुशलता जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके, आवश्यक होता है। सभी कर्मचारियों शिक्षार्थियों तथा समुदाय के लोगों को इस कार्य के लिए समुचित रूप से जुटाना पड़ता है। इसके लिए भी शिक्षा प्रशासन अपरिहार्य होता है। इन सब कारणों से शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता होती हैं।

शिक्षा प्रशासन को सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि माना गया है जिसके माध्यम से शैक्षणिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावाकरी ढंग से प्राप्त किये जाते हैं।[1] शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ-साथ मानवीय सम्बन्धों की व्यवस्था से सम्बन्धित है अर्थात व्यक्तियों के मिल-जुलकर और अच्छे ढंग से कार्य करने स। इसका प्रयोजन शिक्षा के लिए संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सभी साधनों, सामग्रीयों तथा व्यक्तियों का सुगठन कर शिक्षा प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करना है। यह शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त करने की एक गतिविधि है। यह लोक प्रशासन के वृहत् क्षेत्र का ही एक अंग है। इसके अंतर्गत शिक्षा का आयोजन, संगठन, संचालन , समन्वयन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन की क्रियाएं होती है।[2]

ऐतिहासिक -परिप्रेक्ष्य

आधुनिक युग में उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रशासन सर्व प्रथम बंगाल की प्रेसीडेंसी में सन् 1823 में बनी जनरल कमेटी आफ पब्लिक इंस्ट्रक्सन द्वारा आरम्भ हुआ। सन् 1843 में प्रान्तीय स्तर पर ऐसी ही एक कमेटी नियुक्त हुई थी। शिक्षा विभाग की नींव प्रांत के लेफ्टीनेंट गर्वनर जेम्स टलेसन ने डाली जब उन्होंने हलकाबन्दी स्कूलों के निरीक्षण के लिए विजीटर और प्रांत के लिए एक विडीटर जनरल की नियुक्ति की।

1- हाक्स, विस तथा रफनर-"स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपिल एण्ड प्रोसीजर" (न्यूयार्क, प्रिंट्रिस-हाल, 1949) पृ0-2

2-डॉ0 आत्मानंद मिश्र-शिक्षा कोष (कानपुर ग्रंथम -1977) पृ0- 177

सन् 1854 में वुड प्रेषण ने यह निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रांत में एक लोक-शिक्षण विभाग स्थापित किया जाय। अतएव सन् 1855 में विजीटर जनरल का नाम बदल कर संचालक-लोक-शिक्षण रख दिया गया। और प्रांत को चार वृत्तों ॥सर्किल॥ में विभाजित कर दिया गया। तभी से इस प्रांत में एक शिक्षा-विभाग बराबर चलता आ रहा है।

इस शताब्दी के आरम्भ में लार्ड कर्जन ने शिक्षालयों पर अच्छा नियंत्रण रखने के लिए इस विभाग का संगठन किया। इसमें कुछ भारतीय शिक्षा सेवा ॥आई0ई0एस0॥ के अफसर भी होते थे, किन्तु सन् 1923 में ली आयोग ने उनकी भर्ती-समाप्त कर दी। दैध शासन में जब भारतीय मंत्रियों और अंग्रेज अफसरों के बीच खींचतान होने लगी तो सेवा निवृत्त होने वाले आई0ई0एस0 अफसरों की जगह नए अफसरों की भर्ती बन्द कर दी गयी। इससे यह सेवा सन् 1938 तक समाप्त हो गयी। इसकी जगह पर प्रान्तीय सेवा आरम्भ की गयी जिसमें दो वर्ग थे प्रथम तथा द्वितीय किन्तु दूसरे वर्ग के अंतर्गत उच्च एवं निम्न वर्ग की भी व्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्त तक शिक्षा प्रशासन इसी तरहचलता रहा।

स्वातंत्र्योत्तर काल में -

सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा-प्रशासन का पुर्नगठन और विस्तार किया गया और संचालक लोक-शिक्षण का नाम बदल कर शिक्षा निदेशक कर दियागया। शिक्षा विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद में था किन्तु शासन परामर्श की सुविधा के लिए लखनऊ में भी इसका एक कैम्प आफिस खोल दिया गया। समस्त राज्य को पांच क्षेत्रों में विभाजित करके, ॥जो बाद में आठ कर दिये गए और अब दस हैं॥ प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय उपसंचालक ॥रिजिनल डिप्टी डाइरेक्टर॥ नियुक्त किया गया। प्रत्येक जिले को एक जिला-शाला शिक्षा निरीक्षक के अधिकार में रखा गया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका शिक्षा की क्षेत्रीय निरीक्षिका ॥रीजिनल इंस्पेट्रस आफ गर्ल्स एजूकेशन॥ भी नियुक्त की गयी।

सन् 1960में एक यूनीवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाई गयी। इसी वर्ष एकयूनीवर्सिटी कमीशन नियुक्त हुआ जिसने विश्वविद्यालय की व्यवस्था आदि पर अनुशंसा की तथा विश्वविद्यालय को अनुदान देने की मात्रा निर्धारित की। सन् 1972 में इलाहाबाद में उच्च-शिक्षा के लिए एक उच्च-शिक्षा निदेशालय स्थापित हुआ जिसका सर्वोच्च अधिकारी उच्चशिक्षा निदेशक अलग से नियुक्त हुआ। यह विभागउच्च शिक्षा की नीति और कार्यक्रम को देखता है। नैनीताल, ज्ञानपुर (बनारस) और श्रीनगर (गढ़वाल) में शासकीय महाविद्यालय खोले गए और रामपुर का रजा कालेज शासन नियंत्रण में ले लिया गया। परीक्षाओं में छात्रों द्वारा अधिक नकल किये जाने के कारण उसे रोकने के लिए सन् 1965 में उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया जिसमें परीक्षा संचालन में अनुचित साधनों के प्रयोग तथा लड़ाई-झगड़ा करने के लिए ताजे-रात हिन्द के अंतर्गत जाप्ता कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया।

उच्च-शिक्षा के विस्तार और क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को खोलने की मांग बढ़ने के कारण राज्य में अन्य विश्वविद्यालय खोले गए। आगरा विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र बहुत बढ़ गया था जिससे वो पर्याप्त नियंत्रण रखने में असफल हो रहा था। अतएव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा पर और विश्वविद्यालय खोले गए। राज्य के पूर्वी भागमें एक विश्वविद्यालय खोलने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। अतएव सन् 1957 में गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और एक वर्ष बाद वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय को उन्नत करके विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। राधा कृष्णन कमीशन ने कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने की अनुसंशा की थी अतएव सन् 1966 में यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किये गए। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विश्वविद्यालय न था। अतएव सन् 1973 में कुमायूँ और गढ़वाल में एक-एक विश्वविद्यालय खोले गए। राज्य के तीन क्षेत्रों अवध, बुन्देलखण्ड और रुहेलखण्ड में भी सन् 1975 में विश्वविद्यालयों कीस्थापना फैजाबाद, झाँसी और बरेली में करके सभी प्रमुख क्षेत्रों में एक -एक विश्वविद्यालय स्थापित हो गया। गुरुकुल कांगड़ी और काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय-सम मा

संस्थाएं घोषित कर दिया गया जिनमें से काशी विद्यापीठ को 1974 मेंपूर्ण विश्व-विद्यालय का दर्जा दे दिया गया।

संविधान में शिक्षा के उत्तरदायित्व का विभाजन -

सन् 1950 में घोषित भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में केन्द्र और राज्य के बीच शिक्षा के उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसकी संघीय सूची । की प्रविष्टि 63 में कहा गया है कि "संविधान आरम्भ होने पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था केन्द्र के अधिकार में होगी। इस प्रकार उत्तर-प्रदेश में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा नियंत्रित है।"

प्रविष्टि 66 में कहा गया है कि "उच्च -शिक्षा या अनुसंधान की संस्थाओं तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं में एक सूत्रता लाना तथा मानकों का निर्धारण करना केन्द्र का कार्य होगा।" इन प्रावधानों को छोड़कर शेष शिक्षा राज्यों के अधिकार में है। इस प्रकार दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के शेष सब विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय राज्य शासन के नियंत्रण में है।

समवर्ती सूची 3 की प्रविष्टि 20 में कहा गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को शिक्षा की राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में मिलकर काम करना होगा क्योंकि शैक्षिक-आयोजन, आर्थिक और सामाजिक आयोजन का समकालिक अंग है। स्पष्ट है कि बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों तथा उच्च-शिक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारर्ण तथा उनमें एक -सूत्रता लाना केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व और शेष सब उच्च-शिक्षा राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। शिक्षा आयोजन का कार्य दोनों सरकारें मिल कर करती हैं।

केन्द्र सरकार का शिक्षा प्रशासन

यधपि केन्द्र सरकार का एक शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय होता है, किन्तु वह राज्य की शिक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है केवल शैक्षिक-आयोजन में उसकी सहायता अवश्य करता है। संविधान में उच्च-शिक्षा का कुछ उत्तरदायित्व केन्द्र पर रखा गया है। उसको निभाने के लिए भारत-शासन ने सन् 1953 में एक स्वायत्त संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना दी थी जिसको तीन वर्ष बाद एक अधिनियम पारित करके वैधानिक रूप दे दिया गया था। यह आयोग संविधान की अनुसूची 7 में निर्धारित शिक्षा के उत्तरदायित्वों का निष्पादन करता है। इसका कार्य शिक्षा के उन्नयन तथा समायोजन और उसके शिक्षण-परीक्षण तथा शोध और अनुसंधान के मापदण्डों का निश्चयन एवं संरक्षण है। इसके लिए वह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायक अनुदान देती है।

आयोग के नौ सदस्य होते है जिनमें से एक अध्यक्ष होता है। 3 विश्वविद्यालय के कुलपति, 2 केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और शेष शिक्षाविद् होते है जिनको भारत सरकार मनोनीत करती है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है जिसको चलाने के लिए एक सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, दो संयुक्त सचिव, चार विकास अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होते हैं।

आयोग को अधिकार है कि वह किसी विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति की जाँच करे और केन्द्र द्वारा उसको प्राप्त धनराशि से उसको अनुदान दे। आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूरा खर्च उठाता है और अन्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 33.3 प्रतिशत से 100 प्रतिशत अनुदान देताहै। शेष राशि की व्यवस्था उसे स्वयं अथवा प्रादेशिक सरकार को करना पड़ती है। जिन मदों पर अनुदान दिया जाता है वे हैं- पोषण, पाठ्यक्रम में सुधार या विस्तार, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, शोध तथा उच्च शिक्षा की वृद्धि, भवन-निर्माण, वेतन वृद्धि और छात्रवृत्तियाँ आदि।

यद्यपि आयोग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है फिर भी उसकी कुछ आलोचना की जाती है। वह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पोषण और विकास दोनों के लिए अनुदान देता है। किन्तु राज्य के विश्वविद्यालयों को वह केवल विकास अनुदान ही देता है। यह अनुदान भी पूरे खर्चे का कुछ प्रतिशत ही मिलता है जिसका शेषभाग पूरा करना संस्था अथवा राज्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उसकी अपूर्ति में संस्थायें आयोग के अनुदान का लाभ नहीं उठा पाती है।आयोग प्राय: विश्वविद्यालयों को ही अधिक अनुदान देता है और महाविद्यालयों को बहुत कम। यह अनुचित जान पड़ता है क्योंकि उच्च-शिक्षा के 85 से 90 प्रतिशत छात्र महाविद्यालयों में ही शिक्षा पाते है।अतएव महाविद्यालयों को अनुदान बढ़ाना आवश्यक है। आयोग कुछ छोटी-छोटी अनावश्यक परियोजनाओं पर भी अनुदान दिया करता है,जैसे हा वी हाउस। हावी ग्रह फिल्म केन्द्र,कै फी टेरिया आदि। इन परियोजनाओं को राज्य या संस्था पर छोड़ देना चाहिए और आयोग को शिक्षा तथा शोध से सीधे सम्बन्धित कार्यों पर ही अनुदान देना चाहिए।

राज्य की शिक्षा योजना बनाने में केन्द्र सहयोग एवं सहायता देता है। केन्द्रीय सरकार राज्य को मार्गदर्शी रूप-रेखाएं भेजता है जिसके आधार पर राज्य अपनी शिक्षा योजना बनाता है। इन राज्य योजनाओं पर केन्द्रीय शिक्षा-सचिव के साथ विचार-विमर्श होता है। और उन्हें अंतिम रूप देकर योजना आयोग के पास भेज दिया जाता है। इन्हें चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार व्यय का कुछ भाग अनुदान के रूप में देता है और उनके क्रियान्वयन और मूल्यांकन में राज्यों को परामर्श दिया करता है।

राज्य सरकार का शिक्षा-प्रशासन

उत्तर प्रदेश शासन में एक शिक्षा का मंत्री होता है जिसकी सहायता के लिए एक या दो राज्य या उपमंत्री होते है। राज्य विधान सभा के सदस्यों की एक मंत्रणा समिति॥कन्सल्टेटिव कमेटी॥ जो वर्ष में एक दो बार मिलकर मंत्री के साथ शिक्षा

नीतियों के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया करती है। प्रदेश में एक विश्वविद्यालय सलाहकार मंडल भी है जो उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है। सन् 1969 में नैनीताल में हुई कुलपतियों की बैठक में यह निश्चय किया गया था कि उच्च शिक्षा के विकास को अधिक गति देने के लिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में परिवर्तित कर दिया जाय जिसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री हो। इसका उद्देश्य उच्च-शिक्षा के नियोजन पुनर्गठन विकास और मूल्यांकन आदि के लिए राज्य सरकार को परामर्श देना हो। वह उच्च शिक्षा के संवैधानिक प्रशासनिक और शैक्षिक मामलों में उचित सुझाव देकर उच्च-शिक्षा और अनुसंधान को उन्नतशील बनाए। सरकार भी किसी मामले को उसके विचारार्थ भेज सकती है। उसकी त्रैमासिक बैठकें हो। उसके सदस्य विश्व विद्यालय और महाविद्यालयों का निरीक्षण करें और दो सदस्यों को सहयोजित कर सके। सह आयोग आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कुलपतियों या प्राचार्यों को आमंत्रित कर परामर्श कर सके।

उत्तर प्रदेश में सन् 1969 में एक युवा आयोग बनाया गया था जिसका उद्देश्य युवा कार्यक्रमों को दिशा देने, संगठित करने तथा प्रजातांत्रिक बनाने का था। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष थे और शिक्षा मंत्री, सामुदायिक विकास मंत्री, नियोजन मंत्री, नागरिकसुरक्षा और खेलकूद के प्रभारी मंत्री इसके उपाध्यक्ष थे। इसके सदस्य कृषि, ग्रामीण विकास, गृह, शिक्षा और नियोजन विभागों के सचिव थे। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति खेलकूद परिषद् के अध्यक्ष एन0सी0सी0 के डाइरेक्टर व्याज स्काउट के चीफ कमीश्नर शिक्षा निदेशक, होमगार्ड के कमाडेन्ट तथा कुलपतियों द्वारा नामांकित एक-एक छात्र और पांच अन्य मनोनीत व्यक्ति भी इसके सदस्य थे। शिक्षा के संयुक्त सचिव इस आयोग के सचिव बनाए गए थे।

सचिवालय और निदेशालय

शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिवालय और निदेशालय द्वारा शासन की शिक्षा की नीति का क्रियान्वन कराता है अतएव राज्य में शिक्षा प्रशासन का उत्तरदायित्व सचिवालय एवं निदेशालय पर रहता है। इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जायगा।

शिक्षा सचिवालय -

शिक्षा सचिवालय राजधानी लखनऊ में स्थिति है इसके प्रमुख कार्य अग्रांकित है-शिक्षा में नीति निर्धारण करना, सब स्तरों की शिक्षा का एक सूचीकरण, कार्मिकों का प्रशासन बजट बनाना, आयोजन व्यय का नियंत्रण, सहायक अनुदान वितरण, प्राथमिक माध्यमिक और उच्चशिक्षा के शिक्षक-प्रशिक्षण का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, युवा कल्याण योजनाएं और छात्रवृत्तियों कीदेख भाल आदि। यह कार्य सचिवालय, निदेशालय, क्षेत्रीय तथा जिला स्तर परकिया जाता है। इसका कुछ उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य संस्थाओं परभी रहता है।

सचिवालय में निम्नांकित प्रमुख अधिकारी होते हैं-

उप सचिव के पास विभिन्न स्तरों की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य रहता है। चतुर्थ और षष्ठ सचिव के पास प्राय: उच्च शिक्षा का कार्य होता है और उससे सम्बन्धित सब मामलों को उन्हें सीधे सचिव के सम्मुख रखना होता है। लिंक अधिकारी उप सचिव के जरूरी और तात्कालिक कार्यों को देखते हैं और जब कभी वे दौरे या अवकाश में होते है तो उनके समूचे कार्य को करते हैं। इनसे आवश्यक सरकारी कार्य सरलता से समयावधि के भीतर करा लिया जाता है। उप सचिव प्राय: ऐसे मामले जो नीति से सम्बन्धित नहीं होते है, सीधे शिक्षा मंत्री को भेज सकते है।

सचिवालय में ।4 उपविभागहै जिनमें से कुछ महाविद्यालयों की स्थापना और मान्यता और अनुदान, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की शिक्षा और शोध, अशासकीय संस्थायें, शारीरिक शिक्षा और एन0सी0सी0, युवा कल्याण कार्यक्रम, शिक्षा-माध्यम, साइंस कांग्रेस आदि के कार्यों को देखते है। जिन उपविभागों का उच्च शिक्षा से अधिक सम्बन्ध है वे निम्नांकित हैं-

शिक्षा "ब"।-विभाग- निदेशालय की स्थापना तथा शासकीय महाविद्यालय।

शिक्षा "ब"2-विभाग-विकासात्मक योजनाएं और शिक्षा -विभाग के कर्मचारियों की स्थापना।

शिक्षा "स" ।- उच्च शिक्षा व विश्वविद्यालय एन0सी0सी0 विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिकों का पूल, प्रादेशिक शिक्षा दल, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थान ।

शिक्षा "स" - डिग्री कालेज

शिक्षा "इ" - शिक्षक शिक्षा, महाविद्यालय वृत्तिका, छात्रवृत्ति तथा अन्य ।

उच्च शिक्षा का निदेशालय -

अभी तक समूची शिक्षा का निदेशन एक ही निदेशक द्वारा किया जाता था किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। सन् ।972 में इलाहाबाद में अलग से उच्च शिक्षा के निदेशालय की स्थापना की गयी।उच्च शिक्षा निदेशक इसका प्रमुख अधिकारी

है। जो सामान्य-शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा परसरकारी और गैर-सरकारी महाविधालयों पर नियंत्रण करता है। इसकी सहायता के लिए एक संयुक्त निदेशक, एक सहायक निदेशक और दो सहायक उपनिदेशक होते है। उच्च-शिक्षा में क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। महाविधालयों के कर्मचारियों के वेतन वितरण का कार्य विधालय जिला अधिकारी ही देखते है। नीचे के रेखा चित्र में इन अफसरों की स्थिति दर्शायी गयी है।

शिक्षा निदेशक को अग्रांकित अधिकार प्राप्त होते है:- 1-वह निदेशालय के अफसरों तथा महाविधालय के प्राचार्य और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करना। 2- कालेजों के सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण। 3- प्राचार्य को छोड़कर कालेज के अन्य सभी कर्मचारियों की दक्षता रोक पारित करना। 4-सहायक प्रोफेसर, व्याख्याता और उप प्राचार्य की नियुक्ति, पदोन्नति और दण्ड देना। 5- निदेशालय के अफसरों और कालेजों के शिक्षकों की गोपनीय टिप्पणी लिखना। 6- निदेशालय के कर्मचारी और कालेजों के प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के यात्रा का कार्यक्रम और यात्रा व्यय स्वीकृत करना।

संयुक्त संचालक यही सब कार्य तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के संदर्भ में करता है और उसके अतिरिक्त लम्बे अवकाश में गये व्यक्तियों के स्थान पर

स्थानापन्न नियुक्ति तथा विभाग के बाहर किसीपद के लिए दिए आवेदन पत्र को अग्रसित करता है। उपनिदेशक, सहायक उपनिदेशक इन्हीं दो अधिकारियों के अंतर्गत कार्य करते है। एक उपनिदेशक अशासकीय कालेज का वित्त देखता है जिसकी सहायता के लिए एक सहायक उपनिदेशक होता है। सहायक निदेशक योजना, सेवा सम्बन्धी मामले पी०डब्लू०डी० और सांख्यकीय सम्बन्धी कार्यों करता हैं। दूसरा सहायक उपनिदेशक लखनऊ के कैम्प आफिस का कार्य देखता है और मुख्यालय में छात्रवृत्ति और निदेशालय की स्थापना कार्य भी सम्भालता है।

सरकारी कालेजों के प्राचार्य अपने विधालय के सभी कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते है तथा गोपनीय टीप लिखतेहै और योग्यता बढ़ाने के लिए अनुमति देते है। उनको सहायक अध्यापक व्याख्याता, शारीरिक शिक्षा निदेशक पुस्तकालयाध्यक्ष जैसे लोगों को चार माह का अवकाश देने और उनके स्थान पर नियुक्ति करने का अधिकार रहता है। वह आशुलिपिक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक कलाकार, फोटोग्राफर, विधुत निरीक्षक तथा सभी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति, पदोन्नति-अवकाश स्वीकृत औरदक्षता रोक और दण्ड देने का अधिकार रखता है।

1- अक्टूबर सन् 1964 से सरकार ने सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए त्रि-लाभ (ट्रिपिल बेनिफिटस्कीम) योजना चलायी है। इसमें भविष्य निधि बीमा और पेंशन की व्यवस्था है परन्तु यह शिक्षकों पर ही लागू होती है। निम्न वर्ग कर्मचारियों पर नहीं। सहसा मृत्यु हो जाने पर 6 माह की ग्रेच्युटी देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 22 लाख रूपये की ग्रेच्युटी निधि स्थापित की गयी है। हाल में ही सरकार ने नए पेंशन नियम बनाये है।

राज्य-योजना-आयोग-

उत्तर प्रदेश का अपना एक राज्य योजना आयोग है जिसके अंतर्गत एक आयोजन संस्थान है। यह राज्य के सभी क्षेत्रों की योजनाओं का निर्माण करता है। शिक्षा की

पंच वर्षीय योजनाओं को भी यही अंतिम रूप देता है। शैक्षिक आवश्यकताओं का ब्यौरा शिक्षा विभाग में प्राप्तहोता है किन्तु लक्ष्य और आंवटन का निर्णय यह आयोग करता है। इसमें आर्थिक विशेषज्ञों और सामान्य प्रशासकों का ही वर्चस्व रहता है। इसका विवरण पंचवर्षीय योजना एवं शिक्षा के अध्याय में दिया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन-

राज्य का प्रत्येक विश्वविद्यालय सरकार द्वारा अधिनियम पारित कर स्थापित किया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के आधार पर स्थापित हुए थे। शेष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिनियमों पर स्थापित हुए है। अलग-अलग वर्षों में स्थापित होने वाले इन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में भिन्न-भिन्न प्रावधान थे। उनमें एक रूपता लाने के लिए शासन ने सन् 1973 में एक अधिनियम पारित कर राज्य के सब विश्व-विद्यालयों में एक रूपता ला दी है।

यह विश्वविद्यालय स्वायत्तशासीसंस्थाएं है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के चीफ रेक्टर जिनके विजिटर भारत के राष्ट्रपति है। विश्व विद्यालयों का प्रमुख अधिकारी कुलपति होता है। जो अपना कार्य कार्यकारिणी तथा सभा या कोर्ट के परामर्श से करता है। कार्य-कारणी और कोर्ट का उत्तरदायित्व एस्टेट्यूट और नियम बनानाऔर विश्वविद्यालय से संगठन और प्रशासन के सभी मामलों को देखना होता है। इसकानिर्माण विश्वविद्यालय जीवन में रुचि रखने वाले सभी प्रकार के प्रतिनिधियों, चुने हुए विधान सभा के कुछ सदस्योंतथा कुलाधिपति द्वारा मनोनीत कुछ व्यक्ति के द्वारा होता है।

विद्वत् परिषद (एकेडेमिक कौंसिल) साधारणत: विद्या सम्बन्धी मामलों को देखती है। और विशेषतया पाठ्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा तथा विभिन्न संकायों के कार्यों का समायोजन करती है। संकायों (फैकल्टीज) अधिष्ठाताओं (डीनस) की

अध्यक्षता में होती है और उनके नीचे अध्ययन मंडल (बोर्ड आफ स्टेडीज) होते है जो प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग नियुक्त किये जाते है। वरीयता एवं सेवाके अनुसार शिक्षक इनके अध्यक्ष या संयोजक (कनवीनर) नियुक्त किये जाते है। विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध कालेजों का एक डीन नियुक्त किया जाता है जो उनके हितों और उन्नति को देखता है। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भी एक डीन की नियुक्ति की जाती है।

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सब मामलों का निर्णय इन विभिन्न समितियों के द्वारा किया जाता है। किन्तु कुछ माले कुलाधिपति के पास जाते है। ये एस्टेट्यूट और आर्डीनेंस में संशोधन करने तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दिए गए उनके अधिकारों के आधार पर प्रतिवेदन होते हैं जिस पर वह स्वीकृत या निर्णय देता है। कालेजों के सम्बन्ध, निरीक्षकों तथा चयन समिति के सदस्यों की नियुक्ति भी उसकी ही स्वीकृति पर होती है।

कुलपति कार्यकारणी का सभापति होता है और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करता है। उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह अधिनियम एस्टेट्यूटऔर आर्डीनेंस आदि के प्रावधानों का भली भाँति पालन कराये। उसकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होती है जिसमें विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, कुलाधिपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा उच्चन्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत तीसरा व्यक्ति होता है। यह कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा करते हैं जिनमें से एक की कुलपति पद पर नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाती है। कुलपति का कार्य काल 3 वर्ष का होता है।

एन०सी०सी० का प्रशासन-

शिक्षालयों में नेशनल कैडटकोर या राष्ट्रीय छात्र सेना की शिक्षा भी जुलाई सन् 1948 से दी जाने लगी है। इसका उद्देश्य चरित्र निर्माण, सेवा का आदर्श और नेतृत्व की शिक्षा है। यह युवाओं में देश की सुरक्षा के प्रति रुचि बढ़ाती है और राष्ट्रीय आपत्तिकाल में सेनाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त बल तैयार करती है। इसका सीनियर डिवीजन उच्च-शिक्षा में कार्य करता है। अतएव इसके प्रशासन की चर्चा

भी युक्त संगत होगी। इसका प्रमुख अधिकारी ब्रिगेडियर के पद का डाइरेक्टर होता है। जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये नई दिल्ली में एन0सी0सी0 के डाइरेक्टरजनरल के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। प्रदेश में एन0सी0सी वर्ग के मुख्यालय 15 स्थानों में है। यथा आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर ‡ए एण्ड बी‡ लखनऊ, मेरठ, नैनीताल, वाराणसी‡ए एण्ड बी‡ प्रत्येक मुख्यालय का प्रमुर्ख अधिकारी एक लेफ्टीनेंट कर्नल होताहै। प्रत्येक मुख्यालय के अंतर्गत 3 या 4 जिले होते है।लेफ्टीनेंट कर्नल के नीचे 10 यूनिट्स होती है। प्रत्येक यूनिट का अधिकारी एक मेजर होता है जो महाविधालय में शिक्षकों में से चुना जाता है। यूनिट तीन प्रकार की होती है। सीनियर डिवीजन-जिसमें 15 से 26 वर्ष के छात्र होते है।जूनियर डिवीजन-इसमें 13 से 17 वर्ष के छात्र होते है। तीसरा-गर्ल्स डिवीजन-जिसमें सीनियर और जूनियर विंग की छात्राएं होती है। विश्वविधालयों और महाविधालयों में सीनियर डिवीजन और उसके गर्ल्स डिवीजन की यूनिटे होती है। यह प्रशिक्षण तीन साल तक चलता है जिसमें 10 दिन के दो कैम्पों में जाना जरुरी होता है।

आलोचना-

स्वतंत्रता के बाद उच्च-शिक्षा की मांग बढ़ी है जिससे अनेक संस्थाएं अनियिमित रुप से खुली है। उत्तर-प्रदेश में लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग है। बन्देल खण्ड और पूर्वी जिले और पर्वतीय प्रदेश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े है यह प्रशासन को देखना चाहिए कि उच्च शिक्षा की सुविधाएं सभी क्षेत्रों में समान रुप से उपलब्ध कराइ जाय। यधपि पर्वतीयप्रदेशों में कुछ सरकारी कालेज खोले गए किन्तु अन्य क्षेत्रों में बड़ी असमानता व्याप्त है। उच्च-शिक्षा के विस्तार से संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है किन्तु गुणात्मकता में कमी आई है।प्रशासन को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।इसके लिए समुदाय और राज्य के साधनों को जुटाकर आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से सामाजिक ढाँचे में जो परिवर्तन

आ रहा है और आया है, इसके अनुरूप शिक्षा को बनाने का प्रयास करना प्रशासक का उत्तरदायित्व है।

उच्च शिक्षा के विस्तार के अनुरूप उसके प्रशासन का विस्तार नहीं हुआ है। सन् 1972 के पूर्व इसका कोई अलग निदेशालय ही नहीं था। जो निदेशालय बना है उसके ऊपर अतिरिक्त काम आ गए है जैसे निजी कालेजों में वेतन का वितरण, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृत देना, छात्रवृत्तियों का वितरण और विश्वविद्यालयों संख्याओं में वृद्धि। उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। जिससे मुख्यालय में बैठकर ये सब कार्या करा लेनाकठिन हो रहा है।अतएव आवश्यक है कि उच्च शिक्षा निदेशालय का और विस्तार किया जा य और उसके क्षेत्रीय अधिकरण भी स्थापित किए जाय।

निदेशालय की कागजी कार्यवाही इतनी अधिक बढ़ गयीहैकि संस्थाओं का पर्यवेक्षण प्राय: बन्द हो गया है। किसी कालेज की मान्यता देने तथा स्थायीकरण करने के समय ही विश्वविद्यालय द्वारा उसका निरीक्षण कराया जाता है। किन्तु इस निरीक्षण में अध्ययन के स्तर की जाँच नहीं की जाती है।परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा का स्तर गिरा है। उधर कालेज का प्रशासन भी शोचनीय हो रहा है। छात्रों की अनुशासनहीनता के अतिरिक्त शिक्षकों और कर्मचारियों के भी आंदोलन चलाकरते है।कार्यालयों में आर्थिक गड़बड़ी की शिकायतें हुआ करती है। अतएव संस्थाओं में अच्छा अनुशासन स्थापित करने और उनके कार्यालयों में विधिवत् आडिट कराने की समस्या प्रशासन के सम्मुख है।

उच्च शिक्षा के प्रशासकों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे उनकी कार्यकुशलता बहुत कम है। प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। विभाग में प्रशासकों का स्पष्ट वर्गीकरण न होने के कारण पदोन्नति में बड़ी विषमता हो जाती है जिससे स्त्रियों को विशेषकर असुविधा होती है। इससे अफसरों में कुंठा उत्पन्न होती है जिसका दुष्परिणाम इनकी कार्य कुशलता पर होता है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रशासन को सुस्पष्ट नियम बनाना चाहिए जिससे किसी को शिकायत का मौका न रहे।प्रशासन का आधुनिकीकरण करना भी आवश्यक है।प्रशासन

के पुराने तरीके प्रजातांत्रिक जन जीवन में खत्म होते नजर आते है। प्रशासन की एक बड़ी समस्या कर्मिकों के स्थानान्तरण की है। आजकल कोई भी व्यक्ति असुविधा जनक स्थानों पर रहना पसन्द नहीं करता और अपने निवास स्थान के निकट पहुचना चाहता है। इसके लिए वह प्राय: राजनैतिक दबाव भी डलवाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन का अधिकांश समय इसी हेरा फेरी लग जाता है और कालेजों में वांछित विशेषज्ञों के स्थान रिक्त पड़े रहते हैं। इसका दुष्प्रभाव अध्यापन पर पड़ता है।कालेजों के अध्यापकप्राय: विश्वविद्यालयों की राजनीति में पड़े रहते है और अध्यापन कार्य पिछड़ जाता है। इन समस्याओं का हल भी प्रशासन को करना आवश्यक है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रशासन का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाय, कर्मिकों को समुचित प्रशिक्षण तथा पदोन्नति में संतोष दिया जाय, राजनीतिक दबाव कम किया जाय, विभिन्न क्षेत्रों में उच्च-शिक्षा की असमानताओं को दूर किया जाय और महाविद्यालयों के प्रशासन में सुधा कर शिक्षा के स्तर को ऊँचा किया जाय।

===

अध्याय-6

विश्वविद्यालयों का विकास

भारत वर्ष के सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। यहाँ सामान्य उच्च शिक्षा के 15 विश्वविद्यालय और प्राविधिक शिक्षा के 4 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 3 कृषि प्रौद्योगिकी के विश्वविद्यालय है जो कानपुर फैजाबाद और पंतनगर में है। ये चन्द्रशेखर आजाद ,आचार्य नरेन्द्र देव, तथा गोविन्द बल्लभ पंत की यादगार में स्थापित किए गए है। चौथा विश्वविद्यालय रुड़की मेंअभियांत्रिकी का है। सामान्य विश्वविद्यालयों में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एक ही विषय संस्कृत का विश्व-विद्यालय है और उसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग विधेयक 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह कर सरकारी राज्य-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर विश्व-विद्यालय से अतिरक्त भी उच्च-शिक्षा की किसी अन्य संस्था को विश्वविद्यालय सममान्य घोषित कर सकती है। यद्यपि इस धारा का प्रभाव अनिश्चित काल के लिए होता है, किन्तु आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार किसी संस्था को ऐसा दिया सम्मान वापस ले सकती है, यदि वह अपने कार्यों से उचित मानकों को नहीं रखती। इन संस्थाओं को आयोग विकास अनुदान देता है किन्तु पोषण अनुदान केन्द्रीय शासन से मिल सकता है। उत्तर-प्रदेश में ऐसी दो संस्थाएं थी एक गुरुकुल कांगड़ी दूसरी काशी विद्यापीठ । किन्तु राज्य सरकार ने 1974 में एक विधेयक पारित कर काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय बना दिया। अतएव अब केवल गुरुकुल कांगड़ी ही ऐसी संस्था बनी है।

भारतीय संविधान की सांतवी अनुसूची की पहली संघ सूची की प्रविष्ट 62, 63 और 64 में संसद को अधिकार दिया।गया है कि वह किसी संस्था को

विधी द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दे। ऐसा करने से उसकी देखभाल और सहायता करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य हो जाता है। सन् 1959 स्थापित कानपुर का इंडियन -इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालोजी ऐसी संस्था घोषित किया गया। इसमें तकनीकी विषयों के अतिरिक्त रसायन, भौतिकी, मानविकी और सामान्य विज्ञान तथा गणित की उच्च-शिक्षा की भी व्यवस्था है। यह अपनी तरह की विशिष्ट संस्था है। अतएव इसको उच्च-सामान्य शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

निम्नांकित सारणी में उत्तर प्रदेश में सामान्य उच्च शिक्षा के विश्वविधालयों और उनके स्थापना वर्ष, मुख्यालय, प्रकार तथा संकायों का विवरण दिया गया है।

सारणी -6.1

उत्तर प्रदेश में विश्व विधालय

नाम	स्थापना का वर्ष शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम	मुख्यालय	प्रकार	संकाय
1-इलाहाबाद विश्वविधालय	1887 स्नातक स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी स्नातकोत्तर में एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 में केवल अंग्रेजी	इलाहाबाद	एकिक, अध्यापन आवासिक	कला, विज्ञान वाणिज्य, विधि चिकित्सा, अभियांत्रिकी ।
2-बनारस-हिन्दू-विश्वविधालय	1917 स्नातक स्तर तथा एम0ए0 में हिन्दी या अंग्रेजी ।एम0एस0सी याएम0काम0 में केवल अंग्रेजी	बनारस	अध्यापन-आवासिक	कला एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और प्रबन्धक-अध्यापन, विधि । तकनीकी, अभियांत्रिकी, शिक्षा-शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, प्राच्य-धर्मशास्त्र।

ाम	स्थापना का वर्ष शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम	मुख्यालय	प्रकार	संकाय
३-अलीगढ़-मुस्लिम-विश्वविद्यालय	1920 स्नातक एवं स्नातकोत्तर सभी में अंग्रेजी ।	अलीगढ़	एकिक, अध्यापन, आवासिक	कला एवं समाकजिक-विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी एवं शास्त्र
4-लखनऊ विश्वविद्यालय	1921 एम०एस०सी० में हिन्दी या अंग्रेजी तथा अन्य कक्षाओं में हिन्दी किन्तु परीक्षा-अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प।	लखनऊ	एकिक, अध्यापन आवासिक	कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि चिकित्सा, आयुर्वेद।
5-आगरा-विश्वविद्यालय	1927 सभी कक्षाओं में हिन्दी या अंग्रेजी	आगरा	सम्बद्धक एवं अध्यापन	कला, विज्ञान, वाणिज्य कृषि, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, विधि
6-गोरखपुर विश्वविद्यालय	1957 सभी कक्षाओं में हिन्दी किन्तु परीक्षा में अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प।	गोरखपुर	अध्यापन एवं सम्बद्धक	कला, विज्ञान, वाणिज्य विधि, कृषि, अभियांत्रिकी चिकित्सा।
7-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	1958 सभी कक्षाओं में संस्कृत या हिन्दी	वाराणसी	सम्बद्धक एवं अध्यापन	संस्कृत के विभिन्न विषय शिक्षा-शास्त्र ग्रन्थालय-विज्ञान।
8-कानपुर विश्वविद्यालय	1966 सभी कक्षाओं में हिन्दी याअंग्रेजी	कानपुर	सम्बद्धक	कला, विज्ञान, वाणिज्य कृषि, विधि, शिक्षाशास्त्र चिकित्सा-अभियांत्रिकी एवं तकनीकी, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा होम्योपैथिक चिकित्सा।

नाम	स्थापना का वर्ष शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम	मुख्यालय	प्रकार	संकाय
9-मेरठविश्वविद्यालय	1966सभी कक्षाओं में अंग्रेजी या हिन्दी	मेरठ	सम्बद्धक एवं अध्यापन	कला, विज्ञान, वाणिज्य विधि, शिक्षाशास्त्र कृषि, चिकित्सा।
10-कुमायूँविश्व-विद्यालय	1973	नैनीताल	अध्यापन एवं सम्बद्धक	कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा-शास्त्र ।
11-गढ़वालविश्व-विद्यालय	1973 एम0एस0सी0 को छोड़कर हिन्दी किन्तु अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प।	श्रीनगर	सम्बद्धक-कम अध्यापन	कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, विधि।
12-काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय	1974सभी कक्षाओं में हिन्दी	वाराणसी	अध्यापन एवं एकिक	-
13-अवधविश्व-विद्यालय	1975 सभी कक्षाओं में हिन्दी	फैजाबाद	सम्बद्धक	कला, विज्ञान, वाणिज्य विधि
14-बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	1975सभी कक्षाओं हिन्दी	झाँसी	सम्बद्धक	-
15-रुहेलखण्डविश्व-विद्यालय	1975 सभी कक्षाओं में हिन्दी या अंग्रेजी	बरेली	सम्बद्धक	-
16-गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (तुल्य मान्य)	1954सभी कक्षाओं में हिन्दी	गुरुकुलकांगड़ी	-	कला-विद्यालय वेद-कालेज विज्ञान-कालेज।

स्रोत : यूनीवर्सिटीज हैण्डबुक (नई दिल्ली : एशोशिएशन आफ इंडियन यूनीवर्सिटीज-1977)

उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद का है जिसकी स्थापना उन्नीसवीं शताब्दी में वुड-प्रेषण के तीन विश्वविद्यालयों के बाद हुई थी। फिर 1920

उत्तर प्रदेश में विश्व विद्यालय
और उनका अधिकार क्षेत्र
उत्तरकाशी
चमोली
पौड़ी
कुमायूं
नैनीताल
मेरठ
रामपुर
पीलीभीत
रुहेलखण्ड
बरेली
अलीगढ़
एटा
आगरा
फर्रुखाबाद
इटावा
हरदोई
सीतापुर
बहराइच
गोंडा
अवध
फैजाबाद
बस्ती
गोरखपुर
देवरिया
लखनऊ
उन्नाव
कानपुर
सुल्तानपुर
आजमगढ़
जौनपुर
गाजीपुर
बलिया
हमीरपुर
फतेहपुर
प्रतापगढ़
इलाहाबाद
वाराणसी
मिरजापुर
बांदा
उरई
ललितपुर

और 30 के बीच 4 और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 1957-67 के दशक में 4 और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किन्तु सन् 1972 और 75 के बीच 6 और विश्वविद्यालय खोले गए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अब सामान्य उच्च-शिक्षा के 15 विश्वविद्यालय हो गए है। उत्तर प्रदेश केप्राय: प्रत्येक क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो गया है। 1981 की जनसंखया के अनुसार प्रत्येक 68.75 लाख व्यक्तियों के लिए एक विश्वविद्यालय है।

उत्तर प्रदेश में तीन इलाहाबाद अलीगढ़ और लखनऊ के विश्वविद्यालय एकिक, अध्यापन तथा आवासिक §यूनीटरी, टीचिंग, रेजीडेन्सल§ हैं। काशी-विधा-पीठ एकिक अध्यापन का है किन्तु उसमें आवास की व्यवस्था नहीं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अध्ययन आवासकि है किन्तु एकिक नहीं है। 6 विश्वविद्यालय आगरा, गढ़वाल, गोरखपुर मेरठ सम्पूर्णानन्द और कुमायूँ अध्यापन एवं सम्बद्धक है। 4 विश्वविद्यालय अबध§बुन्देलखण्ड कानपुर और रूहेलखण्ड केवल सम्बद्धक विश्वविद्यालय है, इनमें अध्यापन कार्य नहीं होता हैं।

सबसे अधिक 11 संकाय बनारस विश्वविद्यालय में है उसके बाद 8 संकाय अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 7-7 संकाय आगरा और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में हैं, और 6-6 संकाय इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में है। अन्य विश्वविद्यालयों में सबसे कम 4-4 कुमायूँ, गढ़वाल और अवधे विश्वविद्याय में है। यद्यपि कानपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन नहीं होता किन्तु सम्बद्धक कालेजों में पढ़ाई के अनुसार 10 संकाय खोले गए हैं। बुन्देलखण्ड और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालयों में केवल सम्बद्धक होने के कारण कोई संकाय नहीं है। सम्बद्धक कालेजों केआधार पर संकाय अवश्य बने है। अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम स्नातक कक्षाओं में अलीगढ़ को छोड़कर हिन्दीहै, किन्तु कुछ में परीक्षा देने के लिए अंग्रेजी का विकल्प दियागया। स्नातकोत्तर कक्षाओं में अंग्रेजी और हिन्दी का विकल्प है किन्तु एम0एस0सी0 में अंग्रेजी में अध्यापन एवं परीक्षा होती है। एम0ए0 और एम0काम0 में हिन्दी द्वारा पढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं।

अब हम इन विश्वविद्यालयों का ऐतिहासिक वर्णन तथा वर्तमान विवरण नीचे देगें-

1- इलाहाबाद विश्वविद्यालय हंटर के भारतीय शिक्षा आयोग सन् 1882 की अनुशंसा के आधार पर इलाहाबाद में सन् 1887 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस समय यह पूरे पश्चिमोत्तर प्रांत सागर औरनर्मदा डिवीजन तथा अजमेर, मेड़वारा भागों के विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करता था। सन् 1914 तक इसका यही स्वरूप रहा जबकि इसने अध्यापन कार्य भी शुरु किया। सन् 1922 में एकविधेयक द्वारा इसे एकिक अध्यापन और आवासिक संस्था का रूप दे दिया गया। तब म्योर सेंट्रल कालेज इसका प्रमुख केन्द्र बन गया। समारोह भवन से 10 मील दूरी तक उसका अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। इसमें तीन प्रकार के कालेज सम्बद्ध थें पहले आवासिक कालेज दूसरे एसोसिएटेड कालेज तीसरे कांस्टीट्यूट कालेज सन् 1973 में इस विधेयक को निरस्त कर दिया गया और उसको भी सन् 1974 के यूनीवर्सिटी एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। इनसे विश्व-विद्यालय-का एकिक अध्यापिक स्वरूप दृढ़ हो गया। अब इसकाअधिकार क्षेत्र सीनेट हाल से 16 कि0मी0 के अर्धव्यास में है। और उसमें तीन यूनीर्वसिटी कालेज 10 एसोसियेटेड कालेज और 1 कांस्टीट्यूट कालेज है जिसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में है।

सन् 1975-76 में अध्यापन विभागों और कालेजों में कुल 23,973 छात्र पढ़ते थे। इसके पुस्तकालय में लगभग 3 लाख 10 हजार पुस्तकें है और 795 जनरर्लस प्रतिवर्ष आते है। इस वर्ष पुस्तकालय 3,79,252 रूपये की पुस्तके और पत्रिकाएं खरीदी गयी, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में भी विभागीय पुस्तकालय है। शीलाधर अनुसंधानालय में मत्तिका विज्ञान और जे0के0 व्यवहृत (एपप्लाइड) भौतिकी के संस्थान में तकनीकी शोध होती है। विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 30 रूपये प्रतिमाह की 14 योग्यता छात्र वृत्ति 200 रूपये की फेलोशिप 60 रूपये की 242 वर्सरी दी जाती है। नामांकन के 17 प्रतिशत छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर पर 15 रूपये और स्नातक स्तर पर 12 रूपये शुल्क सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय के 13 हास्टल हैं। इसमें एक सूचना और मार्ग दर्शन केन्द्र भी है। विश्वविद्यालय में ट्यूटोरियल और सेमीनार प्रणाली से पढ़ाने पर बल दिया जाता है। और कुछ वृत्तिका परीक्षाओं के लिए सेमिस्टर सिस्टम चलाया

जाता है। सन् 1975-76 में विश्वविद्यालय का कुल व्यय 1,50,93,400 रूपये था जिसका 81.6 प्रतिशत अनुदान सेप्राप्त हुआ और 12.2 प्रतिशत शुल्क से।

2- बनारस-हिन्दू विश्वविद्यालय-

सन् 1904 में पं0 मदन मोहन मालवीय और महाराजा बनारस को बीच नगर में एक विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा हुई। मालवीय जी ने इस कार्य के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उन्होने दरभंगा के महाराजा को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे शारदा विद्यापीठ न खोल कर उसका धन विश्वविद्यालय के लिए।दें। उन्होंने डा0 ऐनीबेसेंट को मनाकर उनके सेंट्रल हिन्दू कालेज को अपनी विश्वविद्यालय समिति की तत्वाधान में ले लिया। सन् 1915 में भारत के वाइसराय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी। और एकवर्ष बाद आधर-शिला भी रख दी। विश्वविद्यालय ने 1 अक्टूबर 1917 से अपना कार्य आरम्भ कर दिया।विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र परिसर में बने प्रमुख मंदिर से 15 मील के अर्धव्यास में है।विश्वविद्यालय को कालेज,स्कूल तथा अन्य संस्थान खोलने तथा प्रबन्ध करने का भी अधिकार है।

सन् 1975 में विश्वविद्यालय का एक कांस्टीटयूट कालेज और 4 सम्बद्ध कालेज थे और कुल नामांकन 13,378 था जिनमें से 2,384 स्त्रियाँ थी। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के तीन स्कूलभी है जो छात्रों को हायर सेकेंण्डरी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। इसवर्ष इसके पुस्तकालय में 532,355 पुस्तकें 72,938 जनरल थे।पुस्तकालय में 500 लड़को के बैठकर अध्ययन करने की व्यवस्था है। इस वर्ष 14,75,000 रूपये पुस्तकों और पत्रिकाओं के खरीदने के लिए खर्च किए गए। 30 रूपये से लेकर 1925 रूपये प्रतिवर्ष की 292 छात्रवृत्तियाँ धर्मस्त के द्वारा स्थापित की गयी है। 32 से लेकर 400 रूपये प्रतिवर्ष की 136 छात्रवृत्तियाँ प्राच्य शिक्षा और धर्म के संकाय के लिए थीं। 250 रूपये प्रतिमाह की 190 शोध छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी। योग्यता के आधार पर 500 से लेकर 1,00 रूपये प्रतिवर्ष 140 छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। विश्वविद्यालय टिटोरियल,

सेमीनार प्रणाली चलायी जाती है। वाणिज्य, विधि और कृषि संकाय में सेमीस्टर प्रणाली अपनाई गयी है। विश्वविद्यालय के 34 छात्रावास है जिनमें से 6 छात्राओं के लिए है। नामांकित छात्रों के लगभग आधे छात्रावास में रहते हैं। शेष अपने माता-पिता तथा पालक के साथ रहते हैं। प्राच्य विद्या और धर्म के महाविद्यालय में कोई शिक्षण और छात्रावास शुल्क नहीं लिया जाता। भारत कला भवन में बड़े कीमती चित्र मूर्तिया, वस्त्र, सिक्के आदि संग्रहित किए गए हैं। 1975-76 में विश्वविद्यालय का कुल व्यय 7.69 करोड़ रुपये था जिसका चार प्रतिशत छात्रों के शुल्क से प्राप्त हुआ।

3-अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय-

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में सर सैयुयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ आंदोलन (मूवमेंट) चलाया जिसके आधार पर सन् 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडेन एंग्लो ओरियंटल कालेज की स्थापना हुई थी। उस शताब्दी के अंत होते-होते उसे बढ़ाकर विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा होने लगी थी। किन्तु बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के बाद इस दिशा में जोर-शोर से काम व धन एकत्र होने लगा। सन् 1920 में एक विधेयक पारित कर अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र इसमें बनी मस्जिद से 25 किलोमीटर के अर्धव्यास में हैं। इसकापरिसर 1,200 एकड़ भूमि मेंफैला हुआ है। इसमें 8 संकाय है और 61 अध्ययन विभाग, 5 उच्च संस्थान तथा 4 हाईस्कूल है।

1975-76 में छात्रों का नामांकन 11,798 था। इस वर्षइसके पुस्तकालय में 8,95,999 पुस्तकें और 2,350 जनरल थे। इसमें माइक्रोफिल्म, माइक्रोकार्ड, लिंगवाफोन और फोटो-डुप्लीकेशन की भी व्यवस्था है। इसके इतिहास विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मध्य युगीन भारतीय इतिहास का उच्च केन्द्र खोला है। विश्वविद्यालय में 30 से 100रुपये की 222 योग्यता छात्रवृत्ति, 50 रुपये प्रतिमास की 23 अनुसंधान छात्रवृत्ति और 15 फैलोशिप और 20 से 100 रुपये तक 28 विशिष्ट विषयों की छात्रवृत्ति दी जातीहै। आवासी छात्रों को 50 रुपये प्रतिमास की 100 और अनावासी

को 30 रुपये की शुल्क-छात्रवृत्ति दिया जाता है। शिक्षार्थी सहायक कोष से लगभग 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जाती है। विश्वविद्यालय में प्राय: सभी कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली चलायी जाती है। छात्रों के रहने के लिए 8हाल है और छात्राओं के लिए 2 अलग से हाल है जिनमें लगभग 5,000 छात्र रहते है। 1975-76 में विश्वविद्यालय की कुल आय 5.62 करोड़ रुपये थी।

4-लखनऊ विश्वविद्यालय-

राजा साहब महमूदाबाद ने लखनऊ में एक विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव रखा जिसे प्रांत के गवर्नर सर हार्ट कोर्ट बटलर ने प्रोत्साहन दिया और सन् 1919 में इस सम्बन्ध में एक सम्मेलन बुलाया गया। उसी समय सैडलर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें एकिक, अध्यापन एवं आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की गयी थी। उससे सम्मेलन को बल मिला और बटलर ने सम्मेलन में प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए अगस्त 1920 में एक विधेयक पारित करा दिया। जुलाई 1921 से विश्वविद्यालय के अंतर्गत किंग जार्ज मेडिकल कालेज, केनिंग-कालेज और इसाबेला लेवर्ट कालेजों में विश्वविद्यालय आरम्भ कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र कनवोकेसन हाल से 16 कि0मी0 के अर्धव्यास में है।

सन् 1975-76 में विश्वविद्यालय और उसके कालेजों में नामांकन 37,727 था जिसमें 7,959 स्त्रियां थी। इस वर्ष विश्वविद्यालय में 3 लाख से ऊपर पुस्तकें 2,179 पाण्डुलिपियां और 1,000 जरनल्स उपलब्ध थे। वर्ष के बजट में 4,50,000 रुपये की पुस्तकें खरीदने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त एक "सहयोग उदार सेवा" भी है जिसमें 25,000 पाठ्य पुस्तकें है जो गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाती है। विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 100, से 200 रुपये प्रतिमाह की छात्र वृत्तियां अनुसंधान छात्रों को वितरित करता है। 15 से लेकर 30 रुपये की 57 अन्य छात्रवृत्तियां भी दी जाती है स्नातक छात्रों के लिए 118 और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 59 वरसरी 60 रुपये प्रतिमाह के दर से दी जाती है। 25 से 30 रुपये तक 129 छात्रों को परीक्षा शुल्क

देने के लिए दिया जाता है।तथा 80 छात्रों को पुस्तक अनुदान दिया जाता है। विश्व-विधालय में 15 हाल है। जिनमें से 2 छात्राओं के लिए है जिनमें 2,300 छात्र-छात्रायें निवास करते है। स्नातक स्तर पर टयूटोरियल पढ़ाई को स्थान दिया जाता है। 1975-76 में 1.69 करोड़ रूपये की आय हुई थी जिसमें अनुदान से 95.3 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई थी और शेष फीस से मिली थी।

5- आगरा विश्वविधालय-

जब 1927 में इलाहाबाद विश्वविधालय का संगठन एकिक अध्यापन सावासिक विश्वविधालय के रूप में कर दिया गया तो उसके सम्बद्ध कालेजों की समस्या उठ खड़ी हुई।अतएव सन् 1927 में आगरा विश्वविधालय खोला गया जो उसके तथा प्रांत के अन्य विधालयों को सम्बद्धता देने के लिए सक्षम किया गया। इसलिए आरम्भ में राजपूताना, विंध्य प्रदेश, तथा सीमावर्ती देशी राज्यों के भी कालेज उससे सम्बद्ध किये गये। आगे चलकर 1956 में इसमें स्नातकोत्तर और अनुसंधान की 3 संस्थाएं खोली गयी।पहिली के0एम0 मुंशी इस्टीट्यूट आफ हिन्दी स्टडीज एवं लिंग्यूस्टिक्स, दूसरा इंस्टीटयूट ऑफ सोसल साइंसेज और तीसरा इंस्टीटयूटस आफ हाउसहोल्ड आर्ट एण्ड होम साइंस खोला गया। 1973-74 में प्रदेश के विश्वविधालय अधिनियम में परिवर्तन किया गया। तदनुसार इस विश्वविधालय में भी परिवर्तन हुआ। अब इसका अधिकार क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, ऐटा, मैनपुरी और मथुरा जिलों तक ही सीमित है।

सन् 1975-76 में विश्वविधालय और उससे सम्बद्ध कालेजों में नामांकन 81,605 था। इस वर्ष विश्वविधालय उसकी संस्था और सम्बद्ध कालेजों के पुस्तकालयों में 1,12,060 पुस्तकें 21,000 जनरल थे। प्रत्येक वर्ष के बजट में लगभग साढ़े 4 हजार रूपये पुस्तकों के खरीद के लिए रखे जाते है। यह 150 रूपये प्रतिमाह की 5 शोध छात्रवृत्तियां 30 रूपये प्रतिमाह की 55 योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। यह 60 रूपये प्रतिमाह की 171 वर्सरी और 75 से 150 रूपये का पुस्तक खरीदने का अनुदान तथा 25 से 30 रूपये तक का शिक्षा शुल्क का अनुदान देता है। विश्वविधालय में 3 छात्रावास है जिनमें

से । स्त्रियों के लिए हैं। सन् 1975-76 में इसका कुल व्यय 76.88 लाख रुपया था जिसका अधिकांश भाग शुल्क से प्राप्त होता था।

6-गोरखपुर विश्वविद्यालय-

आगरा विश्वविद्यालय से काफी कालेज सम्बद्ध थे तथा पूर्वोत्तर जिलों से एक विश्वविद्यालय खोलने की माँग बहुत दिनों से चली आ रही है। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधेयक द्वारा सन् 1956 में गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किया जो सन् 1957 के सत्र से कार्य करने लगा। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र गोरखपुर देवरिया, बस्ती, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी तथा जौनपुर जिलों तक फैला हुआ है।

सन् 1975-76 में इससे 92 कालेज सम्बद्ध थे जिनका कुल नामांकन 75,063 था। इस वर्ष विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 1,52,263 पुस्तकें थी और 750 जर्नल्स थे। इसमें माइक्रो फिल्म की भी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय 150 रुपये प्रति माह की 7 शोध छात्रवृत्तियाँ, 60 रुपये प्रतिमाह की 108 बर्सरी तथा 100 रुपये के 60 छात्रों को पुस्तक क्रय करने के लिए अनुदान देता है। इसके 6 छात्रावास है जिनमें दो स्त्रियों के हैं। इनमें 700 लड़कों और 100 लड़कियों के रहने की सुविधा है। गरीब लड़कों की सहायतार्थ रोजगार केन्द्र उन्हें अंश कालिक कार्य दिलाने में सहायता करता है, जिससे कि ये अपने खर्च के लिए कुछ कमा सके। 1975-76 में इसकाकुल व्यय 164.82 लाख रुपये था। इसकी आय व्यय से अधिक थी।

7-सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय-

सन् 1791 में जुनाथन डंकन ने कलकत्ता मदरसा के समकक्ष एक हिन्दू संस्कृत विद्यालय बनारस में खोला था। कालान्तर में इसकी ख्याति बढ़ी और यह देश की संस्कृत पाठशालाओं कीपरीक्षाएं भी चलाने लगा। सन् 1956 में एक विधेयक द्वारा सरकार ने इसे विश्वविद्यालय में परिणित कर दिया जिसने सन् 1958 से अपना कार्य आरम्भ किया। इसमें संस्कृत के विभिन्न विषयों, आधुनिक भाषाओं बौद्ध और जैन

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग, सम्बद्ध और संघटक कालेजों की संख्या-1975-76

दर्शन तथा शिक्षा-शास्त्र का अध्यापन किया जाता है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में है। इस विश्वविद्यालय की विशेषता है कि यह इसका स्वरूप अखिल-भारतीय है और यह एक ही विषय संस्कृत की संस्था है।

इसका एक कास्टीट्यूशल कालेज सेंट्रल इस्टीट्यूट आफ हायर तिब्बटन स्टडीज है। और इसके देश में 1544 संस्कृत संस्थाएं सम्बद्ध है। 1975-76 में विश्व-विद्यालय और उसके कालेजों की नामांकन संख्या 30,075 थी। इसके पुस्तकालय में 1 लाख 50 हजार पाण्डुलिपियाँ और 1,12,221 पुस्तके हैं। इस वर्ष के बजट में 1,15,500 रूपये पुस्तकों और पत्रिकाओं के खरीदने के लिए रखे गए थे। विश्वविद्यालय 12 से 30 रूपये प्रतिमाह की दर से 201 छात्र वृत्तियाँ, 60 रूपया प्रतिमाह की 65 बर्सरी और 150 रूपये से 400 रूपये प्रतिमाह की 46 शोध छात्र वृत्तियाँ देता हैं। 75 रूपये से 150 रूपये तक 20 छात्रों को पुस्तके खरीदने की सहायता दी जाती है। इसमें प्रौढ़ों को संस्कृत की शिक्षा देने का भी कार्यक्रम चलता है। इसके 4 छात्रावासों में 400 छात्रों के रहने की सुविधा है जो नि:शुल्क उपलब्ध होती है। संस्कृत के पाठ्यक्रमों के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता, किन्तु शिक्षा शास्त्र और ग्रन्थालय विज्ञान के लिए 18 रूपये प्रतिमाह शुल्क देना पड़ता है। 1975-76 में कुल व्यय 4051 करोड़ रूपया था। जिसमें 46.36 लाख रूपया सरकार से अनुदान में मिला था और शेष परीक्षा शुल्क धर्मादा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त हुआ था।

8- कानपुर विश्वविद्यालय-

कानपुर में बहुत दिनों से माँग थी कि यहाँ एक विश्वविद्यालय खोला जाय जिसमें वाणिज्य शिक्षण की प्रधानता हो। अतएव शासन ने 1965 में कानपुर -मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम बनाकर दोनों विश्वविद्यालय सन् 1966 से आरम्भ करा दियें। सन् 1973-74 के विधेयकों के अनुसार इसके नियमों में भी परिवर्तन कर दिया

गया। इस विश्वविधालय का अधिकार क्षेत्र इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर , इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव , रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर और हरदोई जिलों में है। किन्तु इनके जो भाग इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, आदि विश्वविधालयों के क्षेत्र में आते है वे इसमें सम्मिलित नहीहैं।

कानपुर विश्वविधालय के दो कान्स्टीट्यूट कालेज है, 59 सम्बद्ध कालेज और 10 आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेज है। 1975-76 में इनकी नामांकन संख्या 30,136 थी इस वर्ष इसके ग्रंथालय में 12,400 पुस्तके तथा 100 पत्रिकायें थी और 50,000 हजार रूपये की नयी पुस्तकें खरीदने का प्रावधान किया गया था। विश्वविधालय प्रतिवर्ष 60 रूपये प्रतिमाह की बर्सरी देता है। और 75 से 150 रूपये तक 135 पुस्तक क्रय अनुदान देता है। 25-30 रूपये तक 40 छात्रों की परीक्षा शुल्क भी दिया जाता है। इनके अतिरिक्त विश्वविधालयय अनुदान आयोग कि कुछ शोध छात्र वृत्तियाँ भी उपलब्ध है। विश्वविधालय में कोई अध्यापन विभाग नहीं हैं किन्तु अंग्रेजी वाणिज्य और शिक्षा शास्त्र में एम0फिल0 कक्षाएं खोलने का प्रयास किया जा रहा है। 1975-76 में इसका कुल व्यय 67.26 लाख रूपया था। इसकी आय व्यय में कुछ अधिक थी।

9- मेरठ विश्वविधालय-

मेरठ क्षेत्र के लोग भी बहुत दिनों से पच्छिमी क्षेत्र में एक विश्वविधालय की माँग कर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद बहुत से नए कालेज के खुलने के कारण आगरा विश्वविधालय का दायित्व बहुत बढ़ गया था। अतएव सरककर ने कानपुर के साथ मेरठ विश्वविधालय का अधिनियम पारित किया और 1966 में ये भी आरम्भ हो गया। बाद में इस विधेयक को निरस्त करके 1973-74 में दूसरे विधेयक द्वारा संशोधन किया गया जिसके अनुसार ये विश्वविधालय चल रहा है। इस विश्वविधालय का अधिकार क्षेत्र मेरठ संम्भाग के बुलंदशहर, मेरठ, मुजफर नगर, सहारनपुर जिलों तक ही सीमित है।

इस विश्वविद्यालय का एक संस्थान है जो इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टेडी है जिसकी स्थापना 1969 में हुई और एक कान्स्टीट्यूट कालेज मेरठ मेडिकल कालेज है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय के साथ हुई इसके 54 सम्बद्ध कालेज है। 1975-76 में इन सबकी नामांकन संख्या 59,481 थी। विश्वविद्यालय के ग्रन्थालय में 30,151 पुस्तके और 5,943 जनरल्स है। इस वर्ष के बजट में 3.09 लाख रूपये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को खरीदने के लिए आवंटित किए गए थे इस पुस्तकालय के मेरठ और सहारनुपुर में दो केन्द्र है जिनका लाभ सम्बद्ध कालेज उठा सकते है। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने 60 रूपये प्रतिमाह की 67 वर्सरी 75 से 150 रूपये की 168 पुस्तक-अनुदान और 25 से 30 रूपये तक 74 छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा एम0फिल0 के छात्रों को 250 रू0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली से अध्यापन होता है और आंतरिक मूल्यांकन पर भी बल दिया जाता है। स्नातक स्तर के छात्रों को एक सामान्य शिक्षा का प्राठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालय में 114 छात्रों के लिए एक छात्रावास है और 20 छात्राओं के लिए एक दूसरा है। 1975-76 में विश्वविद्यालय का कुल खर्च 82.96 लाखरुपया था जिसमें से 21.3 प्रतिशत राज्य सरकार से अनुदान मिला था। और 18.3 प्रतिशत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त हुआ था।

10- कुमायूँ विश्वविद्यालय-

पंचवर्षीय निर्वाचन के दौरान जब प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पर्वतीय दौर पर गईं तो वहाँ के लोगों ने क्षेत्र में विश्वविधालय खोलने की जोर-शोर से माँग की। प्रधान मंत्री ने कुमायूँ और गढ़वाल में विश्वविधालय खुलवाने का आश्वासन दिया और यह भी कहा कि आवश्यकता होने परवे उनके लिए अपने पास से पैसा देगी। तद्नुसार सन् 1973 में एक विधेयक पारित करके विश्व विधालयों की स्थापना कर दी गयी। कुमायूँ विश्वविधालय क्षेत्र को दो कालेजों नैनीताल के डी0एस0 बी0 कालेज तथा अल्मोड़ा के राजकीय कालेज को लेकर । दिसम्बर 1973 में नैनीताल

मेंविश्वविद्यालय आरम्भ कर दिया गया। बाद में 1974 के विधेयक के अनुसार इसके नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। कुमाँयू विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र में नैनीताल,अल्मोड़ा,और पिथौरा गढ़ के जिले रखे गए।

इस विश्वविद्यालय में 2 कांस्टीट्यूट और 9 सम्बद्ध कालेज है। 1975-76 में इसमें नामांकन 12,543 था। विश्वविद्यालय अभी तक अपना ग्रंथालय स्थापित नहीं कर सका था किन्तु डी0एस0बी0 कालेज के ग्रंथालय में 61,500 पुस्तके थी। 1975-76 में इसका व्यय 19.06 लाख रुपया था इसमें 48 प्रतिशत शुल्क की आय सम्मिलित थी।

11-गढ़वाल विश्वविद्यालय-

कुमायूँ विश्वविद्यालय की परिस्थितियों में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसमें भी 1973 में 1 दिसम्बर से कार्य करना आरम्भ किया। इसका अधिकार क्षेत्र उत्तर काशी,चमोली,पौढ़ी,रेहटी और देहरादून जिलों में है। इसके तीन कांस्टीट्यूट कालेज है यथा-बिरला पोस्ट ग्रेजुएट कालेज श्री नगर,डा0 वी0जी0 रेड्डी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज पौढ़ी और स्वामी राम तीर्थ कालेज टेहरी तथा 13 सम्बद्ध कालेज है। इन सबमें नामांकन संख्या लगभग 12 हजार है। विश्वविद्यालय का अपना कोई ग्रंथालय नहीं है। उसके भवन निर्माण के लिए 18 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय 200 रुपये प्रतिमाह की 2 छात्रवृत्तियाँ और 50 रुपये प्रतिमाह की 5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ देता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को पुस्तकें खरीदने परीक्षा शुल्क देने तथा वर्सरी के रूप में अन्य सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय हिमालयन स्टडीस की एक संस्था स्थापित की है जो क्षेत्र से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करेगी। इसके 72 छात्रों के लिए दो छात्रावास है। स्नातक स्तर पर 15 रुपये और स्नातकोत्तर तथा वृत्तिक कक्षाओं में 20 रुपये प्रतिमाह शिक्षण शुल्क लिया जाता है। 1975-76 में विश्वविद्यालय का कुल व्यय 28.28 लाख रुपये था उसकी आय व्यय से कम थी।

12- काशी विद्या-पीठ विश्वविद्यालय

बाबू शिव प्रसाद गुप्त के दान से इस संस्था का जन्म हुआ था और 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने इसकीनींव रखी थी। उन दिनों देश भक्ति की संस्थाओं का यह एक प्रमुख उदाहरण था। 1960-61 में इसकी नियमावली में व्यापक परिवर्तन कर दिया गया ताकि यह सरकार की सहायता प्राप्त कर सके। सन् 1963 से लेकर 1974 तक यह विश्वविद्यालय सममान्य संस्था रही। किन्तु 1973 के अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण विश्वविद्यालय होने का स्तर प्राप्त हो गया। इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा और डाक्टर की उपाधि प्राप्त होती है।तथा समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य के विशेष अध्यापन की व्यवस्था है। उसीके तत्वाधान में यह एक सामुदायिक केन्द्र और मानसिक पिछड़े बच्चों का स्कूल चलाती है। 1975-76 में इसके छात्रों की संख्या कुल 2,582 थी। इसका ग्रन्थालय श्री भगवान दास स्वाध्याय पीठ कहलाता है। जिसका लाभ सामान्य जनता भी कुछ शर्तों पर उठा सकतीहै। इसमें 97,330 पुस्तके और 103 पत्रिकाओं का संग्रह है। वर्ष के बजट में ढेड़ लाख रुपये की नयी पुस्तकें खरीदने के लिए रखे गए थे। उत्तर प्रदेश के किसी भी शिक्षक और स्त्री को स्वध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। इसके 250 छात्रों के लिए 2 छात्रावास और 80 महिलाओं के लिए एक अलग छात्रावास है। छात्रों के स्वास्थ्य की देख भाल करने के लिए दो डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है। 1975-76 में इसका व्यय 27.08 लाख रुपये था जिसका 22.5 प्रतिशत शुल्क द्वारा प्राप्त हुआ था।

13-अवध विश्वविद्यालय-

अवध विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च 1975 में हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र फैजाबाद, बहराइच, गोंड़ा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, और बाराबंकी जिलों में है। विश्वविद्यालय से इन जिलों के 24 कालेज सम्बद्ध है। 1975-76 में छात्रों की संख्या 10,755 थी। जिसमें 898 स्त्रियां थी। विश्वविद्यालय ने एम०एस०सी०, एल०एल०बी०

कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली से पढ़ाना आरम्भ किया है। और नौकरी की ओर उन्मुख पाठ्यक्रमों को चलाया चाहती है। 1975-76 में विश्वविधालय की कुल आय 12.57 लाख रुपये थी और कुल व्यय 581 लाख रुपया था।

14-बुन्देल खण्ड विश्वविधालय-

उत्तर प्रदेश के सभी भू-भागों में उच्च शिक्षा का एक विश्वविधालय खुल गया था। अब केवल बुन्देलखण्ड और रुहेलखण्ड क्षेत्र के लिए कोई उनका विश्वविधालय नहीं था। अतएव सरकार ने 1975 में अधिनियम बनाकर इन दोनों भागों में भी विश्वविधालय स्थापित कर दिये। बुन्देलखण्ड विश्वविधालय का मुख्यालय झाँसी में हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में बाँदा, हमीरपुर, जालौन, झाँसी और ललितपुर के जिले आते है। उसमें क्षेत्र के 13 कालेज सम्बद्ध थे। जिनमें कुल 11,336 छात्र पढ़ते थे।

15- रुहेलखण्ड विश्वविधालय

इसकी स्थापना 1975 में विधेयक द्वारा हुई किन्तु 15 फरवरी 1975 से काम करने लगा। इस विश्वविधालय का अधिकार क्षेत्र बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, बदाँयू और पीलीभीत जिलों तक फैला है। इनके 31 कालेज इससे सम्बद्ध है इस विश्वविधालय का मुख्यालय बरेली में हैं। सन् 1975-76 में इन कालेजों में छात्र संख्या 29,225 थी विश्वविधालय के ग्रंथालय को बनाने के लिए 5 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था। सम्बद्ध कालेजों में छात्र-छात्राओं के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विश्वविधालय कुछ छात्रवृत्तियाँ और वित्तीय सहायता छात्रों को देता था। सन् 1975-76 में विश्वविधालय की कुल आय 27.39 लाख रुपये थी।

16-गुरुकुल काँगड़ी विश्वविधालय-

गुरुकुल-काँगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानन्द ने सन् 1900 में की थी। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, आर्य सिद्धान्त और धर्मों की विशिष्ट शिक्षा देना था।

सन् 1981 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय सममान्य संस्था घोषित कर दिया। यह एकआवासिक्रि संस्था है। जिसमें सन् 1975-76 में 322 छात्र थे। इसके ग्रन्थालय में 86,893 पुस्तके और 130 पत्रिकाएं है। इस वर्ष 29,250 रुपये की नयी पुस्तके खरीदने का प्रावधान किया गया है। इसमें छात्रों को 40 से 100 रूपये प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति वैदिक साहित्य,आर्य सिद्धान्त और तुलनात्मक धर्म पढ़ने के लिए दिया जाता है। 400 रुपये की कुछ शोध छात्र वृत्तियाँ भी है इनके अतिरिक्त बर्सरी और अन्य वित्तीय रियाएते भी उपलब्ध है। इसकी परीक्षाओं में स्वाध्यायी छात्रों को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है किन्तु स्त्रियों और सुरक्षा कर्मचारियों को एम0ए0 की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में बैठने दिया जाता है। इसके तीन छात्रावास है। इसमें 120 छात्रों के रहने की सुविधा है। इसके दो अस्पताल है जिसमें से एक छात्रों की देखभाल करता है और दूसारा चिकित्सा महाविधालय से सम्बद्ध है। इसमें एक कला का महाविधालय दूसरा वेद और तीसरा विज्ञान का महाविधालय है जिनमें विश्वविद्यालय की अन्य उपाधियों के अतिरिक्त विधाधिकारी, विधा विनोद,और अलंकार की शिक्षा दी जाती है। 1975-76 में इस विश्वविद्यालय का कुल खर्च 12.08 लाख रुपया थी जबकि इसकी आमदनी 98.21 लाख़ रुपये थीं।

विश्वविद्यालयों की प्रगति-

अब हम इन विश्वविद्यालयों की स्वातंत्र्योत्तर काल 1950-85 तक हुई प्रगति का विवेचन करेगें। इसके लिए हम पहले विश्वविद्यालयों की सामान्य प्रगति पर दृष्टि डालेगें और फिर उनमें नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि का प्रत्येकपांच वर्षों में विस्तृत विवरण देंगे-

सामान्य -प्रेगति (1950-55)-

सन् 1950-51 में प्रदेश 5 विश्वविद्यालय थे। इनमें रुड़की विश्वविद्यालय को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वह सामान्य शिक्षा कान होकर केवल इंजीनिरिंग

का था। नयी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के हेतु अलीगढ़ और बनारस विश्वविधालयों के नियमों को बदलने के लिए विधेयक पारित किए गए। आगरा विश्वविधालय का क्षेत्राधिकार राजस्थान के कालेजों के निकल जाने के कारण कम हो गया था। अतएव उसके संशोधन के लिए सन् 1953 में एक विधेयक पारित किया गया था।

बहुत दिनों से कुछ नए विषयों को पढ़ाने की माँग हो रही थी। अतएव स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इसे स्वीकार किया गया और आगरा तथा बनारस विश्वविधालय में उपाधि स्तर पर सांख्यकी और शिक्षा-शास्त्र पढ़ाना प्रारम्भ किया गया तथा लखनऊ विश्वविधालय में ये पढ़ाना स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी आरम्भ कर दिया गया। आगरा में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति तथा लखनऊ ने भूगर्भ शास्त्र के विषय में अध्यापन प्रारम्भ किया।

केन्द्रीय सरकार ने अलीगढ़ विश्वविधालय के 12.50 लाख रुपये और बनारस विश्वविधालय को 23.51 लाख रुपये का अनुदान पोषण और विकास के लिए दिया। राज्य सरकार ने 1950-51 में इलाहाबाद विश्वविधालय को बिना ब्याज के 6 लाख रुपये ऋण दिया जिससे वह अपने घाटे को पूरा कर सके। इसकी तथा लखनऊ विश्वविधालय को 1.5 लाख रुपये का आवर्ती 1 लाख का अनावर्ती अनुदान दिया गया। उत्तर प्रदेश की विज्ञान अनुसंधान समिति की अनुशंसा पर विश्वविधालयों की अनुसंधान स्तर को ऊँचा करने के लिए 7.56 लाख रुपये दिए गए।

1951 में इलाहाबाद विश्वविधालय विश्वविधालय की वित्तीय व्यवस्था जाँच करने के लिए न्यायाधीश मूथम की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी। इसने सिफारिश की कि - 1-विश्वविधालय का खर्च आय की सीमा में रखा जाय और यदि कोई द्वारा स्वीकृत बजट में अधिक खर्च किया जाता है तो जो व्यक्ति इस खर्च की अनुमति देता है उससे क्षतिपूर्ति करायी जाय। 2-कुलपति को किसी वर्ष में अधिक से अधिक 15 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति दीजाय। 3- सरकार का अनुदान ब्लाक ग्रांण्ट के रुप में हो जो 5वर्ष तक दिया जाय। 4-विश्वविधालय का वित्तीय लेखा-जोखा लोकल फंड की जगह किसी ख्याति प्राप्त आडीटर से परीक्षण कराया जाय।

1955-60 - आगरा विश्वविधालय का भार कम करने तथा पूर्वी क्षेत्र में उच्चशिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सन् 1957 में गोरखपुर विश्वविधालय की स्थापना की गयी और इसके एकवर्ष बाद वाराणसी में संस्कृत विश्वविधालय खोला गया जो पूरे देश के संस्कृतविधालयों को सम्बद्ध कर सकता था उच्च संस्कृत शिक्षा की अच्छी व्यवस्था के लिए ऐसे विश्वविधालय की बढ़ी आवश्यकता थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर को 9 लाख और संस्कृत विश्वविधालय 11.54 लाख रुपया दिया गया।

1960 में उत्तर प्रदेश विश्वविधालय आयोग नियुक्त किया गया। जो वित्तीय व्यवस्था और मूथम समिति की सिफारिशों को लागू करने सेसम्बन्धित था। इसने सिफारिश की प्रत्येक विश्वविधालय में एक फाइनेंस कमेटी बनाई जाय और बगैर इसकी अनुमति के बजट के अतिरिक्त कोई खर्च न किया जाय। इसने बताया कि इलाहाबाद में धनाभाव के कारण किसी अच्छे आडीटर से लेखा परीक्षण नहीं करया जा सकता है अतएव आडीटर की नियुक्ति और फीस सरकार स्वयं दें।

लखनऊ विश्वविधालय ने सबसे पहले सामान्य-शिक्षा (जनरल एजूकेशन) का पाठ्यक्रम लागू किया। जिसकी कोई परीक्षा नहीं रखी।आगरा विश्वविधालय ने तेलगू और कन्नड़ में पाठ्यक्रम चलाया। और इलाहाबाद ने तामिल, गुंजराती, मराठी, बंगाली तथा उर्दू में पत्रोपाधि परीक्षा लेना आरम्भ किया। आगरा विश्वविधालय ने दो छात्रावास 4 व्याख्यान कक्ष बनवाए और अलीगढ़ विश्वविधालय ने ग्रन्थालय भवन निर्माण किया तथा सर सैयूयद का घर मोल ले लियागया सभी विश्वविधालयों में कनिष्ठ और वरिष्ठ व्याख्याताओं के पद मिलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर की संज्ञा दी गयी और उनके सहित प्रोफेसर का वेतन मान बढ़ा दिया गया।

1955-56 में प्राचीन भारतीय इतिहास के भवन तथा संग्राहलय बनाने के लिए इलहहहबाद विश्वविधालय को 3.5 लाख रुपया दिया। छात्रों के छात्रवृत्तियाँ, बजीफा तथा अन्य वित्तीय रियायतों के लिए 179.19 लाख रुपये और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ाने के लिए 7.59 लाख रुपये विश्वविधालयों को वितरित किये गए।

1960-65 सन् 1960-61 में आगरा विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं तथा हिन्दी ध्वनि-शास्त्र में प्रमाण पत्र की परीक्षा आरम्भ की गयी। इलाहाबाद में पुरातत्व तथा अरबी और फारसी में पत्रोपाधि परीक्षा आरम्भ हुई। बनारस विश्व-विद्यालय में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया और गोरखपुर में उर्दू विभाग खोला गया। 1962-63 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और ईरानी के पत्रोपाधि पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए। विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया और उसके लिए 27.63 लाख रुपये आवंटित किए गए।

1963-64 में आगरा विश्वविद्यालय ने सांख्यकी में स्नातकोत्तर उपाधि देना शुरु कर दी। और अलीगढ़ में अलग से संस्कृत का विभाग खोला गया। इलाहाबाद में मनोविज्ञान पर अलग से विभाग स्थापित हुआ और बनारस में समाजशास्त्र पुस्तकालय विज्ञान, संगीत और ललित कलाओं में सनातकोत्तर शिक्षादी जाने लगी। लखनऊ विश्व-विद्यालय ने पब्लिक प्रशासन और बायो कमेस्ट्री का अध्यापन आरम्भ किया।

गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार को जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानन्द ने सन् 1900 में की थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 1961 में विश्वविद्यालय तुल्य संस्था घोषित कर दिया सन् 1963 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा स्थापित काशी विद्या पीठ को भी विश्वविद्यालय सममान्य संस्था घोषित कर दिया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान की शिक्षा की उन्नति के लिए 90 लाख रुपये स्वीकृत किए गये और भवनों के विस्तार तथा पुस्तकों और उपकरणों के क्रय के लिए 21 लाख रुपए दिये गयें।1960-62 की अवधि में 106.17 लाख रुपया छात्रावृत्ति और वजीफों में बांटे गए। शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान सरकार ने स्वीकृत कर दियें।

विश्वविद्यालयों के कुलपति अभी तक कोर्ट के द्वारा निर्वाचित कियाजाता था किन्तु अब नियमों में परिवर्तन कर दिया गया अब कुलाधिपति मुख्य न्यायाधीश तथा विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित तीन व्यक्तियों की एक समिति द्वारा कुछ नामों की

अनुसंशा की जाने लगी जिनमें से कुलाधिपति एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे।

1965-70 सन् 1966 में दो और नए विश्वविद्यालय कानपुर और मेरठ में खोले गए। मेरठ विश्वविद्यालय मे सेमेस्टर प्रणाली और पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया और एम0 फिल0 की कक्षाएं खोली। कानपुर विश्वविद्यालय सम्बद्धन के कार्य के लिए था। इस अवधि के अंत तक अलीगढ़, बनारस और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ कर दी गयी सन् 1970 में एक अध्यादेश द्वारा छात्र संघों की सदस्यता एच्छिक कर दी गयी।

1970-75 इन पांच वर्षों की अवधि में 8 नए विद्यालय खोले गए। जिनमें से दो फैजाबाद में, कानपुर में कृषि के थे। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रायः सभीक्षेत्रों में कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलने की नीति अपनाई। पर्वतीय क्षेत्र में सन् 1973 में कुमाऊँ और गढ़वाल के विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसके एक वर्ष बाद काशी विद्यापीठ की एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। सन् 1975 में फैजाबाद में अवध विश्व-विद्यालय झाँसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय और बरेली में रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 ने बी0ए0 और बी0काम0 परीक्षाओं में स्वध्यायी छात्रों के बैठने की अनुमति दे दी। उच्च-शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए एक वर्ष बाद इस विधेयक का संशोधन भी किया गया।

पहली जनवरी 1973 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मान स्वीकृत कर दिए गए। इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों को साल भर तक पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देने हेतु सहकारी पुस्तकालय स्थापित किए गए। अनुदान आयोग ने बुक बैंक स्थापित करने के लिए रूपया दिया। विश्वविद्यालयों में निर्देशन केन्द्रखोले गए जिनमें छात्रों को नौकरियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करायी जातीथी। सन् 1972 में एक उच्च शिक्षा का निदेशालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों की संखया 5 से बढ़कर 15 हो गयी। जिसमें कृषि और अभियांत्रिकी के विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है। नये-नये विषयों

को पढ़ाने की व्यवस्था की गयी। भवनों के निर्माण , उपकरणों और पुस्तकों के खरीदने के लिए अनुदान दिया गया। गरीब छात्रों की सहायता छात्रवृत्ति और बुक बैंक की अधिकाधिक व्यवस्था की गयी और विश्वविद्यालयों को विकास एवं पोषण अनुदान बढ़ाया गया।

अब हम सारणियों द्वारा संस्थाओं, छात्रों तथा शिक्षकों में हुई वृद्धि का अध्ययन करेंगे-

संस्थाएं-

निम्नांकित सारणी में विश्वविद्यालय और उनके सम्बद्ध कालेजों की संख्या विभिन्न वर्षों में दर्शायी गयी है-

सारणी-6.2

विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभाग और संघटक तथा सम्बद्ध कालेजों का विकास-1950-75

विश्वविद्यालय	1950-51			1959-60			1967-68			1975-76		
	शिक्षण विभाग	सम्बद्ध कालेज	संघटक कालेज	शिक्षण विभाग	सम्बद्ध कालेज	संघटक कालेज	शिक्षण विभाग	सम्बद्ध कालेज	संघटक कालेज	शिक्षण विभाग	सम्बद्ध कालेज	संघटक कालेज
1-इलाहाबाद	18	-	2	22	4	-	25	6	-	33	11	-
2-बनारस	-	4	14	-	7	14	76	5	13	99	4	1
3-अलीगढ़	25	-	1	27	-	1	42	-	4	52	-	4
4-लखनऊ	32	-	6	43	13	3	49	17	1	61	21	1
5-आगरा	-	51	-	-	86	2	5	59	2	-	38	3
6-गोरखपुर	-	-	-	19	17	1	24	49	-	24	93	-
7-संपूर्णानन्द	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	119	-
8-कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	71	-
9-मेरठ	-	-	-	-	-	-	-	54	-	8	53	1
10-गढ़वाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3
11-कुमाऊँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2
12-काशी विद्या पीठ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
13-अवध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
14-बुन्देलखण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
15-रुहेलखण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-

स्त्रोत- प्रथम दो वर्षों की एजूकेशन इन दी यूनीवर्सिटीज (दिल्ली शिक्षा मंत्रालय) तथा अंतिम दो वर्षों की यूनीर्वसिटी डेवल्पमेंट इन इंडिया (विश्वविधालय-अनुदान आयोग नई दिल्ली)

सन् 1950-51 में उत्तर प्रदेश में कुल 5 विश्वविधालय थे। रूड़की के इंजीनियरिंग की गणना इनमे नहीं की गई है ये सन् 1975-76 में बढ़कर 15 हो गये। इनमें तीन कृषि और एक इंजीनियरिंग विश्वविधालय की संख्या सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर काल के 25 वर्षों में विश्वविधालयों की संख्या तिगुनी हो गयी। इन विश्वविधालयों के अतिरिक्त एक विश्वविधालय सममान्य संस्था गुरूकल कांगड़ी की था। अब प्रदेश के सभी प्रमुख क्षेत्रों में एक विश्वविधालय स्थापित हो गया। सन् 1950 में इलाहाबाद , बनारस, अलीगढ़, लखनऊ के विश्वविधालय मेंप्रधानता अध्यापन कार्य होता था। अतएव इनके सम्बद्ध कालेज नहीं थे। बनारस में ही स्थित 4 कालेज हिन्दू विश्वविधालय से सम्बद्ध कर दिये गये थे। बनारस विश्वविधालय की व्यवस्था कला-विज्ञान औधोगिकी, इंजीनियरिंग, प्राच्य-विधा आदि विषयों को अलग 14 संघटक कालेजों में की गयी थी। जिनके अपने शिक्षण विभाग थे। किन्तुबाद में इन कालेजों के होते हुए भी शिक्षण विभागों को महत्व दिया जाने लगा। जिसके 1975-76 में इस विश्वविधालय के 99 विभाग सारणी में दर्शाये गए हैं। सन् 1950-51 सबसे अधिक शिक्षण विभाग लखनऊ में थे। और सबसे कम इलाहाबाद में किन्तु 1975-76 में बनारस की भी वैसी ही स्थिति बनी रही लेकिन विभागों की संख्या अवश्य सभी विश्वविधालयों में लगभग दुगनी हो गयी थी। इससे ज्ञान होता है कि विश्वविधालयों में पढ़ाने के अनेक नये-नये विषय खोले गए जिससे उनके विभाग 25वर्षों में दुगणित हो गए।

आगरा केवल सम्बद्धक विश्वविधालय था। जिसके कालेजों की संख्या 25 वर्षों में घटकर 51 से 38 रह गई। इसका कारण राजस्थान क्षेत्र का विश्वविधालय के क्षेत्राधिकार से अलग होना और गोरखपुर , मेरठ, कानपुर विश्वविधालयों का खुलजाना है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दो संघटक कालेजों को सम्बद्ध कालेजों में बदलकर उसके 16 कि0मी0 के आस पास के 9 और कालेजों को सम्बन्धन दिया गया जिससे 1975 में इसके 11 सम्बद्धक कालेज हो गए। इसी प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय को भी कालेजों के सम्बद्ध करने के लिए सक्षम किया गया जिससे की 1975-76 में उसके 21 सम्बद्ध कालेज हो गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो 1957 में स्थापित हुआ था। 9 विभाग और 17 सम्बद्ध कालेज थे। बाद में इसके अधिकार क्षेत्र में बनारस, जौनपुर आदि भी जोड़ दिये गए जिसमें 1975-76 में उसके सम्बद्ध कालेजों की संख्या 93 हो गयी। अन्य विश्वविद्यालय बाद में खुले जिससे उनकी 1975-76 की ही संख्या उपलब्ध है।

सन् 1975-76 में सबसे अधिक सम्बद्ध कालेज सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय के 119 थे। क्योंकि इस क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत वर्ष में है। प्रदेश के अधिकार क्षेत्र वाले विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक सम्बद्ध कालेज गोरखपुर के है। जिनकी संख्या 93 हैं। फिर कानपुर के 71 और मेरठ के 53 है। सबसे कम सम्बद्ध कालेज बनारस के 4 और कुमायूँ के 9 है उसके ऊपर गढ़वाल और बुन्देलखण्ड के 13 सम्बद्ध कालेज है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सबसे अधिक 4 संघटक कालेज फिर आगरा और कुमाऊँ के 3-3 है। आगरा में 3 अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय में खोले गए है। सबसे कमसंघटक कालेज 1-1 बनारस और लखनऊ और मेरठ विश्वविद्यालयों के हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में कोई संघटक कालेज नहीं है। आगरा, कानपुर, गढ़वाल, कुमाऊँ, अवध, बुन्देलखण्ड, रुहेलखण्ड के विश्वविद्यालय प्रमुखत: सम्बद्धन विश्वविद्यालय है और अलीगढ़ तथा काशी विद्यापीठ प्रधानत: अध्यापन करते है।

सारणी से स्पष्ट है कि अध्यापन विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों की संख्या काफी बढ़ी है और नये-नये कालेज खुलने के कारण-सम्बद्धन संख्या में वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि स्वतंत्रोत्तर काल में विश्वविद्यालयी शिक्षा का बढ़ा विस्तार हुआ है। शिक्षण माध्यम-उच्च-शिक्षा में मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा देने का प्रयास बहुत दिनों

से चल रहा है किन्तु अभी तक कुछ विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाओं में मातृ-भाषा माध्यम नहीं हो सकी है। गढ़वाल, अवध, बुन्देलखण्ड और काशी विद्या पीठ में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी में पढ़ाई होती है। और अलीगढ़ विश्व विद्यालय में दोनों ही स्तर पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। इलाहाबाद तथा बनारस विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की कला संकाय में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में पढ़ने का विकल्प है परन्तु प्राय: अध्यापन हिन्दी में किया जाता है। इनकी विज्ञान और वाणिज्य संकायों में अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। शेष विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर सभी विषयों में हिन्दी द्वारा अध्यापन होता है किन्तु कला संकाय को छोड़कर अन्य संकायों में अंग्रेजी में अध्यापन करने तथा परीक्षा देने का विकल्प है।

नामांकन-

निम्नांकित सारणी में विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभाग में छात्रों की संख्या दर्शायी गयी है। ये संख्या कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के छात्रों की हैं।

सारणी-6.3

विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों में कुल नामांकन और उसमें छात्राओं की संख्या -1950-75

विश्वविद्यालय	1950-51 नामांकन		1959-60 नामांकन		1967-68 नामांकन		1975-76 नामांकन	
	कुलसंख्या	बालिकायें	कुलसंख्या	बालिकायें	कुलसंख्या	बालिकायें	कुल संख्या	बालिकायें
इलाहाबाद	5923	584	8,563	1,026	12,862	2,156	16541	3,917
बनारस	7,453	419	9,936	1,089	11,689	2,396	10,784	3,365
अलीगढ़	2,578	145	4,506	5,29	6,700	952	5931	1,494
लखनऊ	6,519	756	13,229	2,623	19,754	4,823	19,800	8,008
आगरा	1,9 ,329	943	40,712	4,625	33,356	7,050	32,586	8,868
गोरखपुर			8,196	387	22,484	1,607	47,058	4,364
सम्पूर्णानन्द							2,441	53
कानपुर					23,237	4,712	37,844	9,534
मेरठ					30,837	6,450	42,990	10,676
गढ़वाल							7,926	2,747
कुमायूँ							5,393	1,604
काशी विद्यापीठ					1,815	96	2,002	76
अवध							15,438	1,563
बुन्देलखण्ड							7,865	1,518
रुहेलखण्ड							18,986	5,788
गुरुकुलकांगड़ी					1,30	-	312	7
योग	41,802	2,847	85,142	10,279	16,2864	30,242	27,3897	63,582

स्त्रोत- एजूकेशन इन दी यूनीवर्सिटीज इन इंडिया (नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय तथा बेसिक फैक्ट एण्ड फिगर (नई दिल्ली- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

चार्ट-4
विश्वविद्यालय और उनके कालिजों में नामांकन
1975-76
संकेत-
योग-
छात्रा-
60000
57000
54000
51000
48000
45000
42000
39000
36000
33000
30000
27000
24000
21000
18000
15000
12,000
9000
6000
3000
16,541
10,784
5,931
19,800
32,586
47,058
2.441
37,844
42,990
7,926
5,393
2,002
15,438
7,865
18,986
312
इलाहाबाद
बनारस
अलीगढ़
लखनऊ
आगरा
गोरखपुर
सम्पूर्णानन्द संस्कृत
कानपुर
मेरठ
गढ़वाल
कुमायूँ
काशी विद्यापीठ
अवध
बुन्देलखण्ड
रुहेलखण्ड
गुरुकुल कांगड़ी

ऊपर की सारणी में नामांकन की संख्या कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों का है जो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आते है। यह नामांकन सन् 1950-51 में आधे लाख से भी कम था। जो सन् 1975-76 में लगभग छः गुना बढ़कर 2 लाख के ऊपर हो गया। पहले वर्ष में कुल नामांकन न में बालिकाओं की संख्या 6.8 प्रतिशत थी जो सन् 1975-76 में 25.5प्रतिशत हो गयी। कुल नामांकन के बढ़ने की औसतवार्षिक दर 10.78 प्रतिशत थी जबकि बालिकाओं के बढ़ने के औसत वृद्धि दर 11.31 प्रतिशत थी। स्पष्ट है कि बालिकाओं की वृद्धि दर आर्थिक थी और इस अवधि में सामान्य उच्च शिक्षा में नामांकन पर्याप्त बढ़ा था। नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि गोरखपुर में 15 वर्षों में 5.7 गुनी हुई थी। अन्य विश्वविधालय में 25 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि 3 गुना लखनऊ में हुई। और उसके बाद इलाबाद में 2.8 गुना हुई। अलीगढ़ में सबसे कम 1.3 गुना हुई थी। और उसके ऊपर बनारस 1.5 गुना हुई थी। आगरा में यह वृद्धि 1.7 गुना थी। आगरा और गोरखपुर विश्वविधालयों के अधिकार क्षेत्र घटने और बढ़ने के कारण उनके नामांकन में अंतर आ गया था।

सन् 1975-76 में सर्वाधिक नामांकन 47,000 के ऊपर गोरखपुर विश्वविधालय का था। तद्न्तर लगभग 43,000 मेरठ का और 32,500 आगरा का सबसे कम नामांकन 312 गुरुकुल कांगड़ी का था। उसके ऊपर 2,000 का भी विधापीठ और 2,500 सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविधालय का था। अन्य विश्वविधालय में से केवल कुमाऊँ,अलीगढ़,गढ़वाल बुन्देलखण्ड का नामांकन 10,000 से भी कमथा। सबसे अधिक बालिकाएं 10,500 के ऊपर मेरठ विश्वविधालय में पढ़ती थी। तदनंतर लगभग 9,000 आगरा में और 8,000 लखनऊ में। सबसे कम लड़कियाँ गुरुकुल, सम्पूर्णानंद तथा काशी विधापीठ, में थी।अन्य विश्वविधालयों में 1,000 से 4,000 तक लड़कियाँ शिक्षा पा रही थी। जहाँ सन् 1950 में लड़कियाँ सैकड़ों में प्रवेश लेती थी। वहाँ 25 वर्ष बाद हजारों में प्रवेश लेने लगीथी। स्त्रियों में उच्च -शिक्षाका काफी प्रसार हुआ था।

अब हम विश्वविधालयों के शिक्षर्ण विभागों की प्रवेश-संख्या का अध्ययन निम्नांकित सारिणी से करेंगे-

सारणी क्रमांक-6.4

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में नामांकन - 1975-76

विश्वविद्यालय	कला	विज्ञान	वाणिज्य	योग
इलाहाबाद	7,123	1,432	1,209	9,764
बनारस	4,622	2,583	1,005	8,210
अलीगढ़	2,590	2,461	8,80	5,931
लखनऊ	5,102	1,910	1,204	8,216
आगरा	1,67	259	-	4,26
गोरखपुर	2,823	1,096	6,20	4,539
सम्पूर्णानंद	517	-	-	517
कानपुर	-	-	-	-
मेरठ	40	66	-	106
गढ़वाल	4,83	3,46	16	8,45
कुमायूँ	1,919	8,55	2,18	2,992
काशीविद्यापीठ	2,002	-	-	2,002
अवध	-	-	-	-
बुन्देलखण्ड	-	-	-	-
रुहेलखण्ड	-	-	-	-
गुरुकुलकांगड़ी	1,76	1,36	-	3,12
योग	2,7564	1,1144	5,152	43,860

इसी सारणी में विश्वविद्यालयों के शिक्षण- विभागों की नामांकन संख्या देखने पर ज्ञात होता है कि 62.8 प्रतिशत छात्र कला संकाय में 25.4 प्रतिशत विज्ञान संकाय में 11.8 प्रतिशत वाणिज्य संकाय में शिक्षा पा रहे थे। अधिकांश छात्र कला संकाय में प्रवेश लेते थे। विज्ञान संकाय में स्थान समिति होने के कारण भी अधिकांश नामांकन नहीं होता किन्तु वाणिज्य संकाय में प्रवेश सबसे कम है।

शिक्षण विभागों में सबसे अधिक छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है और उसके बाद बनारसतथा लखनऊ मेंलगभग बराबर है। सबसे कम छात्र मेरठ विश्वविद्यालय में है। फिर गुरुकुल कांगड़ी और आगरा में । कम छमत्रो वाले अध्यापन विभाग में व्यय व्यर्थ में ही ज्यादा होता होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कला और विज्ञान संकाय में लगभग बराबर छात्र है। विज्ञान में इलाहाबाद में कला का पंचांश है तथा बनारस में कला के आधे से आधिक और लखनऊ और गोरखपुर में कला के लगभग एक तिहाई। वाणिज्य में सभी विश्वविद्यालयों में छात्र कम है।

नीचे की सारिणी में हम विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का अध्ययन करेंगे-

सारिणी-क्रमांक-6.5

विश्वविद्यालय में सामान्य शिक्षा के शिक्षकों की संख्या - 1950-51 से 1975-76

विश्वविद्यालय	1950-51 शिक्षकों की कुल संख्या	1959-60 शिक्षकों की कुल संख्या	1967-68 शिक्षकों की कुल संख्या	1975-76 शिक्षकों की कुल संख्या
इलाहाबाद	220	337	681	620
बनारस	284	457	1,019	573
अलीगढ़	148	233	608	465
लखनऊ	250	470	1139	888
आगरा	1,329	1,940	2036	1,661
गोरखपुर	-	432	1,366	1,986
सम्पूर्णानंद	-	-	-	532
कानपुर			1,329	1,602
मेरठ			1,738	1,739
गढ़वाल				4,81
कुमायूँ				3,09
काशी विद्यापीठ			72	87
अवध				4,86
बन्देलखण्ड				1,73
रुहेलखण्ड				8,23
गुरुकुलकांगड़ी			23	42
योग	2,231	3,869	1,00,11	12,467

स्रोत- "एजूकेशन इन यूनीवर्सिटीज इन इंडिया तथा बेसिक फैक्ट एण्ड फिगर्स (यू0जी0सी0)

ऊपर की सारणी से ज्ञात होता है कि 25 वर्षों में उच्च शिक्षा के कुल शिक्षकों की संख्या 5.5 गुना बढ़ गयी और स्त्री-शिक्षकों की 16.5 गुना । सन् 1950-551 में शिक्षक छात्र अनुपात 18 था जो सन् 1975-76 में 19 हो गया। जान पड़ता है कि शिक्षकों की अनुपातिक नियुक्त बराबर होती रही है जिससे इस अनुपात में बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ पाया है। 1950-51 में कुल शिक्षकों में स्त्रियों का प्रतिशत 7.2 था जो 25 वर्षों बाद बढ़कर 21.3 हो गया। बालिकाओं के लिए अलग से कालेज खुलने लगे और सह-शिक्षा बढ़ने के कारण अधिकाधिक स्त्री-शिक्षकों की नियुक्ति होती रही।

सन् 1975-76 में शिक्षकों का सर्वाधिक संख्या गोरखपुर विश्वविधालय में था, फिर मेरठ आगरा और कानपुर में । ये प्राय: सम्बद्धन विश्वविधालय थे तजिनके सम्बद्ध कालेजों की संख्या के अनुसार शिक्षक भी थे। सबसे कम शिक्षक गुरुकुल कांगड़ी और काशी पांधापीठ में थे जिनमें विभागों की संख्या कम थी और सम्बद्ध कालेज कोई नहीं था। पुराने विश्वविधालयों में सबसे अधिक शिक्षक लखनऊ में थे फिर इलाहाबाद में ।

नीचे की सारिणी में विश्वविधालयों के शिक्षण विभागों के शिक्षक संख्या दर्शायी गई है।

सारणी -क्रमांक -6.6

विश्वविधालय के शिक्षण-विभागों में शिक्षकों का संख्या-1975-76

विश्वविधालय	कला	विज्ञान	वाणिज्य	योग
इलाहाबाद	1,87	1,57	25	3,69
बनारस	2,78	2,60	26	5,64
अलीगढ़	2,60	1,73	26	4,65
लखनऊ	1,76	1,58	34	3,68
आगरा	39	-	-	39
गोरखपुर	1,29	1,02	14	2, 45
सम्पूर्णानंद	66	2	-	68
कानपुर	-	-	-	-
मेरठ	5	23	-	18
गढ़वाल	39	38	2	79
कुमायूँ	63	85	7	1,55
काशी विधापीठ	87	-	-	87
अवध	-	-	-	-
बुन्देलखण्ड	-	-	-	-
रुहेलखण्ड	-	-	-	-
गुरुकुल कांगड़ी	30	12	-	42
स्रोत-	1,365	1,000	1,34	2,499

स्रोत- यूनीवर्सिटी डेवपेलमेंट इंन इंडिया (यू0जी0सी0)

सन् 1975-76 में लगभग 2,500 शिक्षक विश्वविधालयों के शिक्षण विभाग में पढ़ा रहे थे जिनमें 54.6प्रतिशत कला संकाय में थे 40प्रतिशत विज्ञान में और 5.4प्रतिशत वाणिज्य में थे। सर्वाधिक शिक्षक बनारस में थे फिर अलीगढ़ और इलाहाबाद तथा लखनऊ

में थे। सबसे कम शिक्षक मेरठ, आगरा और गुरुकुल में थे। कला संकाय में सबसे अधिक शिक्षक बनारस, अलीगढ़, इलाहाबाद में थे और सबसे कम शिक्षक गुरुकुल कांगड़ी तथा आगरा में थे। विज्ञान संकाय में भी ऐसी ही परिस्थिति थी किन्तु छः विश्वविद्यालयों में विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। वाणिज्य में सबसे अधिक उपशिक्षक लखनऊ में थे और बनारस अलीगढ़ और इलाहाबाद में थे। गढ़वाल में 2 ही शिक्षक थे। जिस विश्वविद्यालय की संकाय में अधिक विषय पढ़ाये जाते हैं, उनमें शिक्षकों की संख्या अधिकथी।

प्रमुख विश्वविद्यालयों में विभिन्न संकायों में शिक्षक-छात्र अनुपात निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी-क्रमांक-6.7

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या-1975-76

विश्वविद्यालय	कला	विज्ञान	वाणिज्य
इलाहाबाद	38	9	48
बनारस	17	10	39
अलीगढ़	10	14	34
लखनऊ	29	12	35
मेरठ	8	5	-
गढ़वाल	12	9	8
काशी विद्यापीठ	23	-	-

सारणी से ज्ञात होता है कि शिक्षक छात्र अनुपात की बड़ी विभिन्नता है। कला संकाय में जहाँ इलाहाबाद में 38 छात्रों पर 1 शिक्षक है वहाँ मेरठ में 8 और अलीगढ़ में 10 छात्रों पर 1 शिक्षक नियुक्त है। विज्ञान संकाय में भीयह अनुपात कला की

अपेक्षा कम है। अलीगढ़ में जहाँ 14 छात्रों एवं लखनऊ में 12छात्रों पर 1शिक्षक है वहाँ मेरठ में 5 और इलाहाबाद और गढ़वाल दोनों में 9 पर 1 शिक्षक है। शिक्षक छात्र अनुपात वाणिज्य में सबसे अधिक इलाहाबाद में 48 और बनारस में 39 छात्रों पर 1 शिक्षक है। जहाँ गढ़वाल में 8 छात्रों में 1 शिक्षक नियुक्त हैं। शिक्षक छात्र अनुपात की इस भारी विषमता को कम करना आवश्यक है जिससे अध्यापन उन्नत बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पहल करनी चाहिए और विभिन्न संकायों में इस अनुपात को निर्धारित कर उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य करदेना चाहिए।

विश्वविद्यालयों पर होने वाले व्यय का विश्लेषण अध्याय 8 में किया गया है।

मूल्यांकन-

स्वातंत्र्योत्तर काल में विश्वविद्यालयों का बड़ा विस्तार हुआ। वे भारतवर्ष में सर्वाधिक उत्तर-प्रदेश में थे। इससे प्रदेश के हरप्रमुख क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो गया था और उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं संचालन में बड़ी सुविधा हो गयी थी किन्तु इस संख्यात्मक वृद्धि के साथ शिक्षा की गुणात्मकता में कमी भी आ गई थी। कुछ विश्वविद्यालय केवल संबंधन और परीक्षण के केन्द्र बनकर रह गए थे। उनमें धनाभाव भी था और वे शिक्षा के मापदण्डों को उन्नत बनाने में असमर्थथे। परीक्षा में अनुचित साधनों काप्रयोग बढ़ गया था। विश्वविद्यालयों में शुद्ध शैक्षिक निर्णयों की जगह राजनीतिक तथा दलबंदी के आधार पर निर्णय होना आरम्भ हो गया था। उधर आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर निर्भर हो जाने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता भी सीमित होती जाती थी।

प्राध्यापक गुण प्राय: वेतन वृद्धि पदोन्नति तथा दलगतराजनीति में पड़कर अध्यापन की ओर अधिक ध्यान नहींदेते थे। इसके फलस्वरूप शिक्षा के मापदण्डों में गिरावट आई। उधर छात्र अशांति परिसर के वातावरण को अध्ययन-अध्यापन के योग्य नहीं रहने देती थी। सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन न कर पाने के कारण छात्रों की परीक्षा में सफलता संदिग्ध हो गई थी जिससे वे ऐन -केन प्रकारेण सुनिश्चित करना

चाहते थे। प्रकाशकों ने भी कुंजिया, संक्षिपिका, सम्भावित प्रश्नोत्तरों निकालकर छात्रों को पाठ्य पुस्तके पढ़ने से विमुख कर दिया था। अतएव उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता था। उसके अभाव में वे नौकरियों में नहीं आ पाते थे जिससे शिक्षा के प्रति उनका असंतोष बढ़ रहा था। नौकरियाँ भी कम थी और बेकार स्नातक कुण्ठा का अनुभव कर रहे थे।

कला संकाय में सर्वाधिक नामांकन था और कक्षाओं की भीड़-भड़क्का में व्यक्तिगत अवधान देना कठिन हो गया था जिससे शैक्षिक प्रगति भेद हो गई। यद्यपि शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत साधन देकर भवन, उपकरण, प्रयोग शालाओं, पुस्तकालयों आदि को सम्पन्न बनाने में बड़ी सहायताकी थी, किन्तु उनका समुचित लाभ नहीं उठाया जा रहा था। आयोग की बिना स्वीकृतके प्रदेश में कई विश्वविद्यालय खोल दिए गए थे जिन्हें वह कोई अनुदान नहीं देता था। ऐसे विश्व-विद्यालय राज्य सरकार की आर्थिक सहायता पर निर्भर थे और राज्य सरकार की शिक्षा पर व्ययकरने की सीमा थी। इस कारण वे अधिक आपेक्षित उन्नति नहीं कर सके। अतएव विश्वविद्यालयीय सुविधायें अवश्य बढ़ी थी किन्तु उनके अध्ययन-अध्यापन में वांछित उन्नति नहीं हो पाई थी।

===

अध्याय-7

महाविधालयों का विकास

विश्वविधालय और विश्वविधालय सम मान्य संस्थाओं के अतिरिक्त उच्च-शिक्षा की सुविधाएं अनुसंधान संस्थान और कालेज अथवा महाविधालयों द्वारा दी जाती है। अनुसंधान संस्थान विज्ञान, मानविकी विषयों में उच्च-स्तर की शोध करते है। वे यदा-कदा डाक्टर की डिग्री प्राप्त करने के आकांक्षी छात्रों को भी प्रवेश देते है। उत्तर-प्रदेश में इस प्रकार की संस्थाएं तीन है। एकलखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियों बाटनी दूसरी इलाहाबाद में शीलाधर इंस्टीट्यूट आफ स्वायल और तीसरी आगरा में के०एम० मुंशी इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च ।

कालेज या महाविधालय उच्च-शिक्षा की संस्थाएं होती है जो छात्रों को विज्ञान या मानविकी विषयों में बैंचलर और मास्टर्स की डिग्रियों के लिए तैयार करती है।इनमें कला महाविधालय, विज्ञान महाविधालय और दोन के मिले कला तथा विज्ञान महाविधालय आते है। ये महाविधालय डिग्री स्तर के हो सकते है।अथवा स्नातकोत्तर स्तर के।

इन महाविधालयों का प्रबन्ध शासन द्वारा किया जा सकता है जबकि ये शासकीय महाविधालय कहलाते है। अथवा इनका प्रबन्ध किसी स्वैच्छिक अभिकरण द्वारा किया जाता है जबकि ये निजी महाविधालय या गैर-शासकीय या सहायता प्राप्त महाविधालय कहे जाते है। यधपि स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व प्राथमिक शिक्षा का ही है किन्तु यदा-कदा वे शासन के अनुमोदन पर एक दो महाविधालय खोल लेते है। उनका प्रबन्ध स्थानीय निकाय करते हैं। निजी और स्थानीय निकाय के महाविधालयों को शासन से सहायक अनुदान मिलता है। इसीलिए इन्हें सहायता प्राप्त महाविधालयों की भी संज्ञा दी जाती है। सरकार सभी निजी विधालयों को धीरे-धीरे सहायता सूची पर लेती है। अतएव कुछ ऐसे भी महाविधालय होते है जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रदेश में अनेक महाविद्यालय खुले उनमें अधिकांश निजी और कुछ सरकारी और एक दो स्थानीयनिकायों के भी है। पूर्व काल के महाविद्यालय प्राय: शहरी क्षेत्रों में थे। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी स्थापना छोटे कस्बों में भी होने लगी। यद्यपि नितांत ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत कम खुले। कई स्नातक महाविद्यालय स्नातकोत्तर बन गए और उनमें नये-नये विषय पढ़ाए जाने लगे। इन नए विषयों का विवरण विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पूर्व अध्याय में दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय से सम्बधन का विवरण भी उसी अध्याय में दिया गया है।

निम्नांकित सारिणी में स्वतंत्रता के बाद कालेजों की वृद्धि दर्शायी गई है।

सारणी-7.1

उत्तर- प्रदेश में महाविधालयों की संख्या -1950-75

वर्ष	कालेजों की संख्या			
	बालक	बालिका	योग	वृद्धि प्रतिशत
1950-51	34	6	40	
1955-56	57	8	65	72.5
1960-61	108	20	128	92.7
1965-66	147	36	183	37.6
1970-71	194	53	247	35.0
1975-76	276	70	346	39.6

स्त्रोत- एजूकेशन इन इण्डिया, सम्बद्ध वर्षों की ।

चार्ट - 5

छात्र और छात्राओं के कालेजों की संख्या

स्वतंत्रता के बाद 25 वर्षों में कालेजों की संख्या 8.6 गुनी हो गयी। ये वृद्धि सबसे अधिक 1956-61 अवधि में 92.7 प्रतिशत थी और सबसे कम वृद्धि 1966-71 के पाँच वर्षों में 35.0 प्रतिशत हुई। महाविद्यालयों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत रही है। यह वृद्धिदर अखिल भारतीय स्तर पर 8.2 प्रतिशत थी। अतएव उत्तर प्रदेश में कालेजों की वृद्धि भारतीय मानक से अधिक थी। बालकों के महाविद्यालय 8.3 प्रतिशत बढ़े और बालिकाओं के 11.7 बढ़े। 1974-75 में बालकों के महाविद्यालय लड़कियों के महाविद्यालयों से 4 गुने थे।

इन महाविद्यालयों का प्रबन्ध करने वाले तीन अभिकरण थे-शासकीय, निजी और स्थानीय निकाय। निम्नांकित सारणी में हम देखेंगे कि कितने महाविद्यालय किस प्रबन्ध के अंतर गत थे।

सारणी-7.2

प्रबन्ध के अनुसार महाविद्यालयों की संख्या-1970-75

वर्ष	शासकीय	प्रतिशत	स्थानीयनिकाय	प्रतिशत	निजी अभिकरण	प्रतिशत
70-71	8	3.2	3	1.2	236	95.6
75-76	24	6.9	3	.9	319	92.2

स्त्रोत- शिक्षा की प्रगति -उत्तर प्रदेश प्रशासन संबद्ध वर्षों की।

ऊपर की सारणी से स्पष्ट कि 90 प्रतिशत से अधिक महाविद्यालय निजी उद्यम से चलाये जाते रहे है। कुछ ही वर्ष पूर्व सरकार में अपनी महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई है। स्थानीय निकायों के महाविद्यालयों के बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना उनके अधिकार में नहीं आता है।

अब हम इन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या की प्रगति का अध्ययन करेंगे निम्नांकित सारणी में प्रत्येक पाँच वर्ष में समान्य उच्च-शिक्षा के कुल छात्रों की संख्या दर्शायी गयी है।

सारणी-7.3

महाविद्यालयों में छात्र संख्या - 1950-75

वर्ष	बालक	बालिकाएं	योग	वृद्धि प्रतिशत
1950-51	27,294	2,504	29,798	
1955-56	45,725	4,874	50,599	69.8
1960-61	58,959	8,743	67,702	33.8
1965-66	74,295	20,263	94,558	39.6
1970-71	1,46,242	39,133	1, 85,375	96,0
1975-76	2,11,535	52,737	2, 64,272	42.5

स्रोत - शिक्षा की प्रगति 1974-75 शिक्षा विभाग उ0प्र0 -पृ0-30

स्वतंत्रता के बाद 25 वर्षों में कुल छात्र संख्या बढ़कर 8.9 गुना हो गयी। इस अवधि मेंसबसे अधिक वृद्धि 1970-71 के पंचवार्षिकी में हुई और सबसे कम वृद्धि 1960-61 के पंचवार्षिकी में हुई। कुल छात्रों की औसत वार्षिक वृद्धिदर 10.89 प्रतिशत रही है। यह वृद्धिदर अखिल भारतीय स्तर पर 10.95 प्रतिशत थी जो उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर से कुछ अधिक रही है। इन वर्षों में बालकों की संख्या बढ़कर 7.8 गुनी हो गयी और बालिकाओं की संख्या बढ़कर 21 गुनी हो गयी। बालिकाओं का नामांकन बालकों की अपेक्षा लगभग ढ़ाई गुना अधिक बढ़ा। बालकों की औसात वार्षिक वृद्धिदर 10.8 प्रतिशत थी जबकि बालिकाओं की 11.3प्रतिशत। बालिकाओं की वृद्धिदर सबसे अधिक थी इस प्रकार महाविद्यालयी नामांकन में स्वतंत्रता के बाद पर्याप्त बृद्धि हुई है।

चार्ट - 6

उच्च शिक्षा में छात्र और छात्राओं का नामांकन

अब हम महाविद्यालय के शिक्षकों की वृद्धि का अवलोकन करेंगे। निम्नांकित सारणी में 1950-76 तकके प्रत्येक पाँचवें वर्ष में उनकी वृद्धि दर्शायी गयी है।

सारणी-7.4

महाविद्यालयों के शिक्षकों में वृद्धि - 1950-75

वर्ष	पुरुष शिक्षक	महिला शिक्षक	योग	वृद्धिप्रतिशत	शिक्षक-छात्र अनुपात
1950-51	1,175	74	1,249		24
1955-56	2,155	172	2,327	86.3	22
1960-61	3,113	331	3,444	48.0	20
1965-66	4,640	793	5,433	57.7	18
1970-71	7,715	1,678	9,393	72.8	20
1975-76	9,206	2,050	11,256	14.9	24

स्रोत- शिक्षा की प्रगति 1974-75 शिक्षा-विभाग उत्तर प्रदेश-पृ0-37

स्वतंत्रता के बाद महाविद्यालय के अध्यापकों की संख्या बढ़कर 7.8 गुना हो गयी इनमें पुरुषों की संख्या 6.9 गुना और महिलाओं की संख्या 23.4 गुना बढ़ी थी। महिलाओं की संख्या पहले बहुत कम होने के कारण उनकी वृद्धि अधिक हुई। कुल अध्यापकों की औसत वृद्धि दर इस अवधि में 10.9 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय स्तर पर यह दर 10.5 प्रतिशत थी जिससे उत्तर प्रदेश का प्रतिशत अधिक था।

संस्थाओं की संख्या, नामांकन और अध्यापकों की संख्या में वृद्धि दर उत्तर-प्रदेश में अखिल भारतीय मानकों से अधिक रही है। इससे जान पड़ता है कि महाविद्यालयीय शिक्षा में प्रदेश में अच्छी प्रगति हुई है।

शिक्षक छात्र-अनुपात 20 और 27 के बीच रहा। 70-71 के बाद के पंच वर्ष में छात्रों का नामांकन इतना अधिक बढ़ा और शिक्षकों की नियुक्ति उनके अनुपात में नहीं की गई जिससे शिक्षक छात्र अनुपात सर्वाधिक 27 हो गया। इस प्रकार से अनुपात के बढ़ने का शिक्षण-कार्य की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अब हम कालेजों पर होने वाले प्रत्यक्ष व्यय का अध्ययन करेंगे । निम्नांकित सारणी में प्रत्येक पांच वर्ष में कालेजों पर किए गए व्यय को दर्शाया गया हैं।

सारणी-7.5

कालेजों पर प्रत्यक्ष व्यय - 1950-75

वर्ष	व्यय-रुपयों में	वृद्धि प्रतिशत	प्रति छात्र -व्यय
1950-51	63,69,797		213.77
1955-56	1,16,83,735	83.4	230.91
1960-61	1,93,76,088	65.85	286.20
1965-66	3,65,24,766	88.50	386.27
1970-71	7,90,26,765	116.37	426.31
1975-76	14,16,17,794	79.20	535.9

स्रोत- एजूकेशन इन इंडिया-सम्बद्ध वर्षों की।

स्वातंत्र्योत्तर काल में कालेजों पर प्रत्यक्ष व्यय 22 गुना बढ़ा। सबसे अधिक वृद्धि सन् 70-71 के पूर्व के पंचवर्षों में हुई थी और सबसे कम सन् 1960-61 के पूर्व के पंचवर्षों में। व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 11.32 प्रतिशत थी कालेजों पर अखिल भारतीय औसत वृद्धिदर 10.32 थी। अतएव उत्तर प्रदेश में कालेजों पर व्यय सम्पूर्ण भारत के व्यय से अधिक तीव्रता से बढ़ा है। इस काल में प्रति छात्र व्यय2.3 गुना बढ़ गया है। सन् 1975-76 में उत्तर प्रदेश में प्रतिछात्र औसत व्यय 535.9 रुपये में जबकि सम्पूर्ण भारत का औसत व्यय 572.5 रुपये का जो उत्तर प्रदेश के व्यय से अधिक था।

महाविधालयीय-शिक्षा की प्रगति का विवरण -

अब हम महाविद्यालयीय शिक्षा की प्रगति का विस्तृत विवरण देगें। इसके लिए हम 1950-75 तक के प्रत्येक पांच वर्ष के अंतर्गत जो नवीन योजनाएं चलायी गयी और महाविधालय खोले गए उनका उल्लेख करेंगे।

1950-51 से 1955-56 तक

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ लोग अच्छी नौकरियों की मिलने की आशा से तो कुछ लोग सामाजिक अनुकरण और अन्य कारणों से भारी संख्या में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रयास करने लगे। सन् 1950-51 उत्तर प्रदेश में कुल 40 कालेज थे जिनमें से 6 बालिकाओं के थे । इन कालेजों में कुल 29.798 छात्र पढ़ते थे जिनमें 2504 बालिकाएं थी। इनमें 1,249 अध्यापकथे जिनमें 74 महिलाएं थी। इन कालेजों पर कुल प्रत्यक्ष व्यय 63,69,797 रूपये था। उन्हें प्राप्त सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तथा उच्च शिक्षा उपलब्ध करने के लिए कई नगरों में नये कालेज खोले गये। इस अवधि में जो पांच कालेज खुले उनमें निम्नांकित विषयों को पढ़ाने की सुविधा दी गयी।

1- डी0वी0 कालेज उरई- कला

2-सरस्वती कालेज हापुर- कला

3-साकेत महाविधालय फैजाबाद-कला

4-राजकीय डिग्री कालेज नैनीताल-कला तथा विज्ञान

5-बी0एन0कालेज ज्ञानपुर (बनारस) कला तथा वाणिज्य

शासन ने महाविधालयों के अध्यापकों के निम्नांकित वेतन मान स्वीकृत किए-

प्रधानाचार्य- रू0 700-40-900-50-1000

व्याख्याता-

(क) जेष्ठ वेतन श्रेणी- 300-20-500
द0रो0-20-600

(ख) लघु वेतन श्रेणी - 200-15-350-द0रो0-20-450

महाविधालयों में जेष्ठ वेतन श्रेणी के ऐसे अध्यापकों को जिन्हें अनुसंधान सम्बन्धी विशेष योग्यता प्राप्त थी उन्हें 100 रूपये प्रतिमाह का अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उपाधि कक्षाओं में 20 रूपये प्रतिमास और स्नातकोत्तर 30 रूपये प्रतिमास की छात्र वृत्ति देना आरम्भ किया। अनुसंधान करने वाले छात्रो

को 150 रुपया से 200 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाने लगी। परिगणित जाति के छात्रों के लिए 16 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाने लगी। इन छात्रवृत्तियों पर प्रतिवर्ष शासन 80 हजार रुपया व्यय करता था

सन् 1951-52 में इलाहाबाद के ईविंग क्रिश्चियन कालेज में बी0एस0सी0 विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ की गयी। इस वर्ष कालेजों में कला के 11,800 छात्र और विज्ञान 4,591 छात्र पढ़ते थे। छात्रों के लिए 60 रुपये प्रतिमास की 10 महीने के लिए बर्सरी आरम्भ की गयी। जिनमें से 40 बर्सरी आगरा के कालेजों के छात्रों को दी गयीं।

सन् 1952-53 में बी0ए0 कक्षाएं मुरादाबाद के गोकुलदास हिन्दू कालेज में और मेरठ के नानक चंद कालेज में आरम्भ की गयी। इस वर्ष अनुसंधान में व्यस्त रहने वाले अध्यापकों को भी 100 का अतिरिक्त वेतन देने की व्यवस्था की गयी।

सन् 1953-54 में कला और विज्ञान के कालेजों की संख्या 56 हो गयी। इनमें से 3 कालेज शासकीय थे और 5 को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, शेष कालेज सहायता प्राप्त थे। इस वर्ष बी0ए0 परीक्षा में 14,497 छात्र बैठे थे जिनमें 51,2 प्रतिशत ही उत्तीर्ण हो सके थे। बी0एस-सी0 में 4,472 बैठे जिनमें 49.2 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए और एम0ए0 और एम0एस-सी0 में क्रमश: 3,009 तथा 939 छात्र बैठे थे जिनमें से 89.3 तथा 88.5 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए।

सन् 1954-55 में कालेजों की संख्या 3 बढ़ गयी और छात्रों की संख्या 217[illegible] बढ़ गयी और शिक्षकों की संख्या 300 बढ़ गयी।

सन् 1955-56 में 5 और नये कालेज खुले। एक गोरखपुर के निकट कुसीनगर में बुद्ध डिग्री कालेज, दूसरा मेरठ के मच्छहारा में के0वी0 डिग्री कालेज, तीसरा सहारनपुर में जुबली गर्ल्स कालेज, पांचवा देवरिया में एम0वी0 डिग्री कालेज। इस प्रकार कुल कालेजों की संख्या 65 हो गयी जिसमें सहायता प्राप्त कालेज 53 थे और असहायता प्राप्त 9 थे। सरकारी कालेजों की संख्या 3 ही बनी रही। सन् 1955-56 में कालेजों की सांख्या निम्न प्रकार थी।

शीर्ष	पुरुष	महिला	योग
कालेजों की संख्या	57	8	65
छात्रों की संख्या	45,725	4,874	50,599
शिक्षक	2,155	172	2,327
व्यय	1,10,86,401	5,97,334	1,16,83,735

सन् 1951-56 तक पाँच वर्ष की अवधि मे कालेजों की संख्या में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई और छात्रों की संख्या में 95 प्रतिशत , शिक्षक 86 प्रतिशत बढ़े और व्यय में 123 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। इस प्रकार इस अवधि में उच्च शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

1955-56 से 1960-61 तक

उच्च शिक्षा में बढ़ते हुए प्रवेश को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी महाविधालय खोले गए । सन् 1956-57 में पांच नये कालेज खुले। मैनपुरी जिले के शिकोहाबाद में नारायण कालेज, बुलन्दशहर में डी०ए०वी० कालेज, मेरठ जिले के सिमभौली में आर०एस० के० कालेज, इलाहाबाद में अग्रवाल विधालय डिग्री कालेज और वाराणसी में बसंत कन्या महाविधालय खुले। इस वर्ष डिग्री कोर्स में 37,284 छात्र स्नात्कोत्तर कोर्स में 9,046 छात्र और अनुसंधान 1,003 छात्र थे।

सन् 1957-58 में 9 महाविधालय और खुले जो अग्रांकित है-गाजीपुर में डिग्री कालेज, गाजीपुर के जमनिया कस्बे में हिन्दू कालेज, आजमगढ़ में डी०ए०वी० कालेज, मिर्जापुर में के०वी० महाविधालय, मथुरा में के०आर०गर्ल्स डिग्री कालेज, अलीगढ़ में टीकाराम कन्या महाविधालय , शामली में वैश्य डिग्री कालेज, सहारनपुर में महराजसिंह डिग्री कालेज और मेरठमें मुलतानीमल मोदी डिग्री कालेज खोले गये।

सन् 1958-59 में और कई महाविधालय स्थापित हुए जिनमें से अग्रांकित 8 कालेज थे- बिजनौर जिले के धामपुर में आर०एस०एम० डिग्री कालेज, एटा जिले के गंजडुडवारा कालेज, हाथरस में पी०सी० बागला कालेज, रूड़की में बी०एस० महावीर कालेज, देहरादून में एम०के०पी० कालेज, लखनऊ में लोरेंटोकान्वेन्ट कालेज, वाराणसी में आर्य

महिला महाविधालय और मुजफ्फर नगर सामली में आर0के0 कालेज खोले गए।

सन् 1960-61 में कालेजों की संख्या बढ़कर 128 हो गयी जिनमें से 20 कालेज बालिकाओं के थे जिनमें 67.702 छात्र पढ़ते थे जिसमें 8743 बालिकाए भी सम्मिलित थी। कालेजों में कुल शिक्षकों की संख्या 3,444 थी जिसमें 331 महिला शिक्षक थी। कालेजों पर कुल व्यय रू0 1,93,76,088 था जिनमें 6.9 प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय होता था।

सन् 1956 और सन् 1961 के बीच कालेजों की संख्या 97 प्रतिशत बढ़ी थी, छात्रों की संख्या 32 प्रतिशत, शिक्षकों की संख्या 40 प्रतिशत और कालेजों पर व्यय 66 प्रतिशत बढ़ गया। प्रथम पंच वर्ष की अपेक्षा इस पाच वर्ष में प्रगति कुछ धीमी रही यधपि क ालेजों की संख्या लगभग दूनी हो गयी थी किन्तु नामांकन वृद्धि पहले से एक तिहाई ही हो पायी।

1960-61 से 1965-66 तक

सन् 1960-61 में शासकीय महाविधालयों की संख्या 28 हो गयी थी। और 76 निजी महाविधालयों को अभी तक सहायता अनुदान सूची पर नहीं लिया गया था। सह शिक्षा अब अधिक मान्य हो चली थी। इस वर्ष महाविधालयों में पढ़ने वाली 8,743 बालिकाओं में से 4001 बालकों के कालेजों में पढ़ती थी जो उन बालिकाओं का 46 प्रतिशत था। सहायता प्राप्त कालेजों के अध्यापकों के वेतन मान । जुलाई 1959 से पुनरीक्षित कर दिए गए थे जो निम्न प्रकार से थे-

स्नातकोत्तर- कालेज-

प्राचार्य- रू0 800-50-1000-द0रो0-50-1200

विभागाध्यक्ष - 25-650-द0रो0-30-800

प्राध्यापक एवं

सहायक प्राध्यापक - रू0 325-20-525 द0रो0-25-625

व्याख्याता- 250-15-400-द0रो0-20-500

स्नातक कालेज -

प्राचार्य- 650-40-850- द0रो0- 50-900

सहायक अध्यापक - रू0 275-15-410-द0रो0-20-550

व्याख्याता -रू0 225-15-360-द0रो0-15-450

शासकीय स्नातक कालेजों में निम्नांकित वेतन मान थे-

प्राध्यापक - रू0 800-50-1000 द0रो0-50-1200

प्राचार्य को इन वेतन मान में 100 रू0 अधिक दिये जाते थे।

सहायक अध्यापक- रू0 250-25-400 द0रो0-30-700 द0रो0-50-850

अनेक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय रियायतें दी गयी थी जिन पर 47.38.947 रुपये खर्च किए गए थे। 11 अगस्त 1960 को न्याय मूर्ति हरिश्चन्द्र की अध्यक्षता में उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया जिसे उच्च-शिक्षा की शैक्षिक वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति पर प्रतिवेदन देना था।

सन् 1962-63 में श्री नगर गढ़वाल में एक और राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की गयी जिससे राजकीय कालेजों की संख्या 4 हो गयी। 2 बालिकाओं के सहित 8 और निजी कालेजों को अनुदान सूची में लिया गया जिससे सहायता प्राप्त क कालेजों की संख्या 72 हो गयी। अशासकीय कालेजों को 1.86 लाख रुपये नवीन विषयों और पदों के लिए अनुदान में दिया गया और 1.50 लाख रुपये भवन, उपकरण तथा पुस्तकों के लिए अनावर्ती अनुदान भी स्वीकृत किया गया। अध्यापकों के अवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों को 1.48 लाख रुपये की सहायता दी गयी। शासकीय कालेजों के भवनों के निर्माण के 1.89 लाख रुपये निर्धारित किए गए।

सन् 1963-64 में डिग्री कालेजों में 77 हजार छात्र भर्ती थे और 4300 शिक्षक कार्य कर रहेथे। इन कालेजों के सामान्य विकास के लिए 9 लाख रुपये और शिक्षकों के आवास के लिए 2 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया। विज्ञान के प्रसार के लिए 1964-65 में 2.9 लाख रुपये खर्च किए गए। सन् 61-62 से लेकर 1964-65 तक क्रमशः 8, 30, 30 और 10 महाविद्यालय अनुदान सूची पर लाए गए। इन सब पर 30.46 लाख रुपये का व्यय होता था। नैनीताल के राजकीय कालेज में वायरलेस की कक्षाएं आरम्भ की गयी। रजा कालेज में विज्ञान के लिए 1.20 लाख रुपये का भवन बनवाया गया और श्री नगर कालेज को 21 एकड़ भूमि प्रदान की गयी।

गरीब विधार्थियों को उच्च-शिक्षा के अधिकाधिक अवसर दिलाने के लिए निम्नांकित छात्रवृत्तियाँ वितरित की गयी।

कक्षा	छात्रवृत्ति संख्या	छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमास
1-शोध	27 [15 ऋण छात्रवृत्ति]	50 रुपये
2-स्नातकोत्तर	1047	25 से 110 रुपये तक
3- स्नातक	2248	12 से 85 रुपये तक

तृतीय पंचवर्षीय योजना में विज्ञान-शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया था और उसके लिए 102 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। अशासकीय विधालयों के अनुदान के लिए 1965-66 में 52.80 लाख रुपयों काअनुदान दिया गया। 350 रुपये तक वेतन पाने वाले कालेजों के अध्यापकों को 20 रुपये मासिक और 350 से 850 रुपये तक पाने वालों को 40 रुपये मासिक की तदर्थ वृद्धि की गयी। राजकीय कालेजों में नए-नए विषय खोले गए और विज्ञान में एकपोस्ट ग्रेजुएट कन्डेस्ड डिप्लोमा कोर्स का भी प्राविधान किा गया।ज्ञानपुरकालेज में 51 शोध छात्र कार्य कर रहे थे।पिथौरागढ़ के कालेज में बीएस-सी0 की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी।छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त अनेक बर्सरीज भी दी जाने लगी।

इस पंचवर्षों में 55 नये कालेज खुले जिनमें 26,856 अतिरिक्त नामांकन हुए और 1,989 नये शिक्षक नियुक्त किये गये।

सन् 1965-66 से 1970-71 तक

विज्ञान शिक्षा के लिए विश्वविधालय अनुदान आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं उत्तर-प्रदेश को 160.58 लाख रुपये की सहायता दी। इसमें से 4 लाख रुपये सन् 1966-67 में व्यय किया गया। इस वर्ष 12 और डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लिया गया। 1 अप्रैल 1966 से विश्वविधालय आयोग द्वारा स्वीकृत नये वेतन क्रम लागूकर दिए गए। 15 जून 1966 से शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए डाक्ट्रेट की उपाधि पाने वाले शिक्षकों के प्रोत्साहन हेतु 30 हजार रुपये की सहायता का प्राविधान किया गया। साथ ही साथ डाक्ट्रेट उपाधि को प्रोत्साहित करने के लिए

2 अग्रिम वेतन वृद्धि का भी प्राविधान किया गया। गोपेश्वर (चमोली) में इस वर्ष राजकीय कालेज की स्थापना की गयी। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर स्नातकोत्तर स्तर पर 1.567 कर दी गयी और स्नातक स्तर पर 1,502 कर दी गयी। इनके अतिरिक्त बर्सरीज और वित्तीय सहायता भी दी जाती थी। बिचपुरी (आगरा) रूरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान सूची पर ले लिया गया तथा उन्हें 56 हजार का आवर्ती और 3 लाख का अनावर्ती अनुदान दिया गया।

सन् 1967-68 में कालेजों के सामान्य विकास के लिए 10 लाख रुपये का और विज्ञान शिक्षा के लिए 2.36 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इस वर्ष 10 और कालेजों को अनुदान सूची पर लिया गया और 157 कालेजों को भवन तथा उपकरण आदि के लिए 14.06 लाख का अनुदान दिया गया कालेजों को दक्षता अनुदान देने की भी योजना बनाई गयी।

सन् 1968-69 में 7 नये कालेजों को अनुदान सूची पर लाया गया। 1969-70 10 नये महाविद्यालयों तथा नये संकायों, विषयों, एवं पदों की अनुदान देने के लिए 12 लाख रुपये रखे गये। पी-एच0डी0 डिग्री पाने वाले शिक्षकों की सहायता हेतु 25 हजार रुपये दिए गए। हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें निर्माण करने के लिए एक हिन्दी ग्रंथ अकादमी की भी स्थापना की गयी जिसके लिए 7 लाख का अनुदान दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद उच्च-शिक्षा के संख्यात्मक वृद्धि का युग आरम्भ हुआ था और नये-नये विषय पढ़ाए जाने लगे थे। इसमें पर्याप्त तीव्रता आई। 1970-71 में 7 महाविद्यालय अनुदान सूची में लिए गए। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के महगाई भत्ते में वृद्धि की गयी और छात्रों के सेवायोजन हेतु गाइडेन्स ब्यूरो स्थापित किए गए।

इन पंच वर्षों में 64 कालेज बढ़े। नामांकन में 90.817 छात्रों की वृद्धि हुई और 3,960 नये अध्यापकों की नियुक्ति की गयी।

सन् 1970-71 से 1975-76 तक-

सन् 1971-72 में पर्वतीय क्षेत्र में पौढ़ी तथा कोटद्वार के दो राजकीय डिग्री कालेज खोले गए। अल्मोड़ा के कालेज को प्रान्तीयकरण किया गया और 11 अशासकीय

डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लिया गया। कई शासकीय कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं तथा नए विषय खोले गए।

सन् 1972-73 में दो नए राजकीय डिग्री कालेज जखनी (वाराणसी) तथा जेहरी खाल (गढ़वाल) में खोले गए। कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल तथा श्री नगर के कालेजों में बी0एस-सी0 और एम0एस-सी0 और बी0एड0 की कक्षाएं खोली गयी। 5 कालेजों को अनुदान सूची पर लिया गया। कुछ कालेजों को दक्षता अनुदान और विकास अनुदान भी दिया गया।

1 जनवरी 1973 से प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने कालेजों के शिक्षकों का निम्नांकित वेतन मान निर्धारित कर दिया ।

प्राचार्य (क) (स्नातक कालेज) रु0 1200-50-1300-60-1900

(ख) (स्नातकोत्तर कालेज) रु0-1500-60-1800-100-2000-125/2-2500

व्याख्याता-रु0 700-40-1100-50-1300 द0रो0-50-1600

डिमांस्ट्रेटर/टयूटर- रु0 500-20-700-25-900

स्नातक कक्षाओं में हिन्दी माध्यम चलाने के लिए भाषा में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करवाई गयी। छात्र यूनियन की सदस्यता वैकल्पिक कर दिए जाने से छात्रों में बड़ा क्षोभ था। अतएव 1972-73 में इस सम्बन्ध का अध्यादेश निरस्त कर दिया गया। सन् 1973-74 में रामपुर के रजा कालेज में 5 अतिरिक्त विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोली गयी। पौढ़ी और गोपेश्वर के कालेजों मेंविज्ञान-संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। चंदौसी में इस वर्ष राजकीय महाविधालय खोला गया। काशीपुर नैनीताल के कालेज का प्रान्तीय करण कर दिया गया। श्री नगर कालेज में एम0एड0, एम0एस-सी0 (जूलोजी) की कक्षाएं खोली गयी। इस वर्ष 15 अशासकीय कालेजों को अनुदान सूची पर लिया गया और 10 कालेजों को शारीरिक शिक्षा अधीक्षक की नियुक्ति के लिए अनुदान दिया गया। छात्रों को छात्रवृत्तियों की वित्तीय सहायता दी गयी।

सन् 1974-75 में पर्वतीय क्षेत्रों में 4 राजकीय डिग्री कालेज रुद्रपुर (नैनीताल) बागेश्वर (अल्मोड़ा) लम्बगांव (टेहरी (गढ़वाल) और अगस्तमुनि (चमोली) में खोले गए। कोट द्वार और पौढ़ी के कालेजों में स्नातकोत्तर विषय पढ़ाने की व्यवस्था की गयी।

उत्तर-काशी और काशीपुर में वाणिज्य संकाय की शिक्षा आरम्भ की गयी।

इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक शासकीय कालेज खोलकर तथा अशासकीय कालेजों को अनुदान देकर उच्च-शिक्षा की पर्याप्त प्रगति की गयी। इस अंतिम पंच वर्षों में 106 नये डिग्री कालेज खोले गए। छात्रों के नये नामांकन 78,897 हुए। और 403 नये शिक्षकों की नियुक्ति की गयी।

उच्च-शिक्षा की संस्थाओं का व्यक्ति-अध्ययन-

शिक्षा की प्रगति छात्रों और शिक्षकों की गतिविधियों पर निर्भर करती है। विधालयों और महाविधालयों में छात्र और शिक्षक सामूहिक रूप से उपलब्ध होते है। अतएव कुछ महाविधालयों का व्यक्ति अध्ययन (केस स्टेडी) करने से सम्पूर्ण उच्च-शिक्षा की प्रगति का कुछ अनुमान लग सकता है। इस अध्ययन में संस्था के जीवन की प्रत्येक ऐसी बात पर ध्यान दिया जा सकता है जो महत्त्वपूर्ण समझी जाय। अतएव इस अध्याय में उच्चशिक्षा की दो संस्थाओं के विकास का अध्ययन किया जायेगा। पहली संस्था एक कालेज ली जायेगी और दूसरी एक विश्वविधालय ताकि उच्च-शिक्षा की दोनों प्रकार की संस्थाओं का व्यक्ति-अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। इस हेतु कालेजों में डी0वी0 कालेज उरई को चुना गया है और विश्वविधालयों में बुन्देलखण्ड विश्वविधालय झाँसी को। इनमें से एक संस्था पुरानी है और दूसरी नई।

दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,उरई -

दयानंद वैदिक कालेज की स्थापना उरई में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति डा० सी० महाजन द्वारा सन् 1951 में हुई थी। उरई जालौन जिले का मुख्यालय है और कानपुर झाँसी लाइन पर दोनों नगरों के लगभग बीच में बसा है। इस कस्बे का क्षेत्रफल 15.67 वर्ग किलोमीटर और सन् 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 42,513 है। यह कृषि उत्पादन की मंडी है और घना बसा है। नगर के दक्षिण की ओर कालेज का भवन है।

इसकी स्थापना के लिए कलकत्ते में बसे एक धनी मानी सेठ मूलचन्द्र अग्रवाल ने 50 हजार रूपये दान में दिये थे। इसके प्रथम प्राचार्य श्री किशोरी लाल खरे ने 35 हजार रूपये कृषिकों और धनाढ्यों से इकट्ठा करने में अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की थी। नगर के प्रख्यात संत श्री भवानी शंकर जी ने इसे 35 बीघा जमीन दान देकर अपना आर्शीवाद दिया था।

सन् 1951 में पाँच विषयों में बी०ए० की कक्षाएं खोली गयी थी। ये विषय थे हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास। इनके अध्यापन के लिए पाँच शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। कुल छात्र 93 थे। दूसरे वर्ष छात्रों की संख्या बढ़कर 143 हो गयी। तीसरे वर्ष एक और नया शिक्षक नियुक्त कर दिया गया था किन्तु उसके बाद में तीन वर्षों तक छात्र संख्या बराबर घटती रही और 1955-56 में 108 ही रह गयी। 1957 में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई आरम्भ की गयी और इस वर्ष छात्र संख्या 156 तक पहुँची और फिर बाद के वर्षों में निरंतर बढ़ती ही रही। एक दशक के बाद वह 1 हजार के ऊपर पहुँच गयी। 1975-76 में छात्र संख्या 1593 थी और शिक्षक 72 थे। इस बीच सन् 1958 में हिन्दी, राजनीति और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी खोल दी गयी। सन् 1959 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र और स्नातकोत्तर पर अंग्रेजी विषय पढ़ाए जाने लगें। इसके आठ वर्ष बाद एम०ए० में इतिहास की पढ़ाई आरम्भ की गई। सन् 1972 में भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा संगीत का अध्यापन स्नातक स्तर पर होने लगा। सन् 1976 में मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाने लगा ।

कालेज में बी0एड0 विभाग सन् 1959 में प्रारम्भहुआ और विज्ञान विषयों में स्नातक विभागसन् 1963 में आरम्भ किया था। इस वर्ष भौतिकी, रसायन, गणित और जीवविज्ञान की कक्षाएं आरम्भ हुई। वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई सन् 1971 में आरम्भ हो सकी। इस वर्ष रसायन में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी खोली गयी। इस प्रकार सन् 1960 और 70 के दशक में कालेज जो अनेक नये विषयों की शिक्षा व्यवस्था करके पर्याप्त प्रगति की।

जनता के दान और शासकीय अनुदान से कालेज भवनों बराबर निर्माण होता रहा। आर्य-समाज ने सन् 1979 में तीन दुकाने और कुछ भूमि दान दी जिस पर चौदह और दुकाने बनवा दी गयी है। ग्राम समाज की ओर से 10 एकड़ कृषि भूमि छुरट और 25 एकड़ कोंच में दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने 3.65 लाख रुपया पुस्तकालय भवन बनाने के लिए दिये। विश्वविधालय अनुदान आयोग ने पुस्तकालय भवन के लिए 1.46 लाख रुपये अध्यापक अवास के लिए, 1.38 लाख रुपये तथा आवासी छात्र केन्द्र के लिए 17 हजार रुपये दिये तथा विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिए 1.8 लाख रुपये तथा उपकरणों के लिए 1.78 लाख रुपये दिए। इनकी सहायता से आर्गैनिक और इनार्गैनिक की दो प्रयोग शालाएं तथा बी0एस-सी0 के लिए रसायन, भौतिकी, जीवविज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान की प्रयोग शालाओं का निर्माण किया गया। कला विषयों में भूगोल संगीत, मनोविज्ञान तथा सैन्य विज्ञान की भी प्रयोग शालाएं बनवाई गयी। इस प्रकार कालेज अब एक वृहत् क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, स्टेडियम तथा खेलकूद के मैदान बने हुए है। कालेज परिसर में पोस्ट-आफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, वाचनालय छापाखाना तथा एन0सी0सी0 कार्यालय भी हैं।

कालेज के आगे के स्रोत छात्र शुल्क, और शासकीय अनुदान के अतिरिक्त 31,620 रुपये वार्षिक दूकानों के किरायें, 10,000 रुपये आवासी गृहों से और 4000 रुपये वार्षिक कृषि भूमि से मिलता है। विधालय में छात्रों के लिए यूनियन भवन बनवाया गया है और अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती है जिनमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता संग्राम छात्रवृत्ति और प्रतिभाशाली किन्तु गरीब छात्रों को वृत्तियाँ दी जाती है।

कालेज के सन् 1954-55 से विधिवत् पुस्तकालय बनाने की व्यवस्था की गयी। इसके अगले वर्ष उसमें 2150 पुस्तकें थी जो पांच वर्ष बाद 6261 हो गयी। सन् 1966-67 में उनकी संख्या 11,253 तक पहुँच गयी जो अगले 5 वर्षों में 22216 हो गयी। सन् 1975-76 में

इसमें 28,336 पुस्तकें थीं जिनका मूल्य लगभग 3.13 लाख रुपये था।

निम्नांकित सारणी में सन् 1951-75 तक छात्रों और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि दर्शायी गयी है।

सारणी क्रमांक-7.6

दयानन्द कालेज उरई में छात्र तथा शिक्षक संख्या में वृद्धि-1951-75

वर्ष	छात्रों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
1951-52	93	5
1952-53	143	5
1953-54	137	6
1954-55	199	6
1955-56	108	6
1956-57	156	7
1957-58	211	9
1958-59	247	12
1959-60	389	24
1960-61	432	22
1961-62	459	25
1962-63	384	25
1963-64	434	26
1964-65	486	27
1965-66	666	31
1966-67	590	31
1967-68	735	35
1968-69	1012	47
1969-70	1207	47
1970-71	1326	48
1971-72	1316	56
1972-73	1602	58
1973-74	1484	58
1974-75	1642	64
1975-76	1593	72

स्रोत- दयानन्द वैदिक कालेज उरई, अभिनव ज्योति रजत जयन्ती विशेषांक-1977-78

ऊपर की सारणी से ज्ञात होता है कि इस कालेज में 25 वर्षों में नामांकन 17 गुना बढ़ा है और शिक्षक 14.4 गुना बढ़े है। छात्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.26 थी जो प्रदेश में छात्रों की औसत वृद्धि दर से अधिक थी। सन् 1968-69 के बाद छात्रों के नामांकन की वृद्धि बड़ी तीव्र रही। राधाकृष्णन तथा कोठारी आयोग ने कालेजों में छात्रों का अधिकतम नामांकन 1 हजार बताया है। इस कालेज में नामांकन की सीमा पहुँच चुकी है। नामांकन और बढ़ाने से अनुशासन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

निम्नांकित सारणी में विद्यालय के आय-व्यय का ब्योरा दिया गया है।

सारणी क्रमांक-7.7

दयानन्द कालेज उरई का आय-व्यय 1951-75

वर्ष	आय ‖ रूपयों में ‖	व्यय ‖रूपयों में ‖
1951-52	16,370-81	14025-12
1952-53	29,293-50	28,409-12
1953-54	28,746-75	31,963.94
1954-55	34,244-44	33,714-62
1955-56	31,829.25	31,865.00
1956-57	38,217.00	38,464.06
1957-58	53,574.00	531,370.00
1958-59	65,761.45	65,048.62
1959-60	77,373.22	77,924.21
1960-61	83,559.77	87,581.86
1961-62	99,428.17	1,00,768.73
1962-63	1,15,854.80	1,10,512.55
1963-64	1,21,792.66	1,21,788.06
1964-65	1,17,925.91	1,15,179.65
1965-66	1,49,466,10	1,52,218,60
1966-67	1,76,568.09	1,80,652.24
1967-68	2,06,504.40	1,98,655.72
1968-69	3,31,71 .86	3,22,834.92
1969-70	3,64,545.07	3,86,437.31
1970-71	4,13,346.48	4,27,492.31
1971-72	4,41,115.89	4,97,990,61
1972-73	6,30,079.81	5,91,580.44
1973-74	6,49,465.46	6,55,574.95
1974-75	6,56,417.14	7,45,074.62

स्रोत-दयानन्द वैदिक उरई, "अभिनव ज्योति" पत्रिका रजतजयन्ती विशेषांक-1977-78

सन् 1951 की आय 1975 में 70 गुना हो गयी थी और इन वर्षों में व्यय 61 गुना बढ़ गया था। आय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 10.48 थी और व्यय की 10.97 थी। व्यय आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा। 13 वर्षों में व्यय आय से अधिक हुआ। आय-व्यय को संतुलित करने काप्रयत्न करना चाहिए था।

बुन्देलखण्ड विश्वविधालय, झाँसी-

उत्तर-प्रदेश के सभी मंडलों में उच्च-शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने 1974 के अधिनियम क्रमांक 29 द्वारा झाँसी में बुन्देलखण्ड विश्वविधालय की स्थापना 25 अगस्त 1975 में की और झाँसी मंडल के पाँच जिलों-झाँसी, जालौन, बाँदा हमीरपुर तथा ललितपुर को इसके अधिकार क्षेत्र में रखा। उस समय इन जिलों में निम्नांकित तेरह कालेज थे जो कानपुर विश्वविधालय से सम्बद्ध थे। सरकार के आदेश से उन्हें बुन्देलखण्ड विश्वविधालय के अंतर्गत कर दिया गया।

सारणी क्रमांक-7.8

बुन्देलखण्ड विश्वविधालय से सम्बद्ध कालेजों का विवरण

क्रमांक	कालेजों के नाम	स्थापनावर्ष	नामांकन	शिक्षक सं0	कक्षाएं
1-	बुन्देलखण्ड कालेज झाँसी	1949	2,671	74	बी0ए0, बी0एस-सी0, एल-एल0 बी0, बी0एड0एम0ए0 (अर्थ0, शा0, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र) एम0एस-सी0 (गणित)
2-	डी0वी0 कालेज उरई,	1951	1,495	61	बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0एड0 एम0ए0 (अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, राजनीति, एम0एस-सी0 (रसायन)
3-	बिपिन बिहारीमहा विधालय, झाँसी	1959	627	37	बी0एस-सी0
4-	अतर्रा कालेज अतर्रा (बाँदा)	1960	1,124	44	बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0एड0 एम0ए0 (अर्थशास्त्र, हिन्दी, राजनीति, संस्कृत) बी0एस-सी0 (कृषि)

क्रमांक कालेजों के नाम	स्थापना वर्ष	नामांकन	शिक्षक सं०	कक्षाएं
5-ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ (हमीरपुर)	1960			बी०एस-सी० (कृषि)
6-आर्य कन्यामहाविद्यालय झाँसी	1963	144	10	बी०ए०
7-पं०जवाहरलाल नेहरु महाविद्यालय बाँदा	1964	1,413	56	बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०एड० (अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति, संस्कृत) एम०एस-सी० (गणित)
8-नेहरुमहाविद्यालय ललितपुर	1968	181	8	बी०ए०
9-गांधी महाविद्यालय उरई	1969	781	24	बी०ए०, बी०एड०
10-कालपी कालेज, कालपी (जालौन)	1971	115	6	बी०ए०
11-अग्रसेन महाविद्यालय मऊरानीपुर (झाँसी)	1972	205	7	बी०ए०
12-मथुराप्रसाद पटेल महाविद्यालय, कोंच (जालौन)		-	-	बी०ए०
13-राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर				बी०ए०

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय-वार्षिक रिपोर्ट-झाँसी

इन सम्बद्ध कालेजों के अतिरिक्त एक संघटक कालेज भी सम्मिलित किया गया जो महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज झाँसी था जिसकी स्थापना सन् 1971 में हुई थी। इसका नामांकन 309 और शिक्षक संख्या 41 थी। इसमें 225 छात्रों के निवास की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त सन् 1962 में स्थापित आयुर्वेद कालेज अतंरा तथा सन् 1972 में स्थापित बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज झाँसी जो बी०ए०, एम०एस की उपाधि देते थे, भी इससे सम्बद्ध किए गए। इसकी नामांकन 353 और शिक्षक संख्या 15 थी। विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में कुल नामांकन 11,336 था।

अगस्त में विश्वविद्यालय खुलते ही बी0एड0 के प्राप्त आवेदन पत्रों पर तुरंत कार्यवाही करनी पड़ी ताकि उनकी कक्षाएं विद्यालयों में शुरु करी जा सके। विश्वविद्यालय ने कालेजों में बी0एड0 छात्रों की अधिकतम् संख्या 160 निर्धारित कर दी और शीघ्र ही प्रवेश दिलाकर कक्षाएं आरम्भ करा दी। सन् 1976 में विश्वविद्यालय ने 15 अप्रैल से परीक्षाएं कराईं और समय पर परीक्षाफल घोषित करा दिया। विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों और निकायों का गठन किया गया। आरम्भ में जो कानपुर विश्वविद्यालयके नियम आदि ले लिए गए थे, उनमें आवश्यक संशोधन और परिवर्द्धन करके नसे नियमतथा अध्यादेश बनाए गए।

विश्वविद्यालय बुन्देलखण्ड कालेज के कुछ कमरों में आरम्भ किया गया था, किन्तु शीघ्र ही उसने नन्दनपुरा में एक छोटा सा भवन किराए पर लेकर विधिवत् कार्य करना आरम्भ कर दिया। विश्वविद्यालय के पास न कोई भूमिथी और न कोई परिसम्पत्ति। उसका विकास राज्य सरकार के अनुदान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता पर निर्भर करता था। किन्तु अनुदान आयोग के सन् 1956 के अधिनियम की धारा 12-ए के अंतर्गत उन्हीं विश्वविद्यालयों को आयोग मान्यता प्रदान कर सकता था। जिनके पास अपनी भूमि के अतिरिक्त भवन आदि के रूप में 2 करोड़ रूपये की परिसम्पत्ति हो और उसमें एक से अधिक संकायों के अंतर्गत अध्ययन होता हो तथा शोध की समुचित व्यवस्था हो। नियम में यह 2 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की कर दी गयी थी। अतएव विश्वविद्यालय को आयोग से कोई सहायता की आशा न थी। राज्य सरकार की सहायता पर ही उसकी प्रगति निर्भर करती थी।

इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रो0 वहीद यू0 मलिक हुए जिनका कार्य काल 1975 से 28 फरवरी तक रहा। इन्होंने बड़ी साहस से सब प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना किया और नियमानुकूल कार्यकारिणी, विद्धत परिषद्, अध्ययन मंडल तथा अन्य समिमियों का गठित करके विश्वविद्यालय के कार्य को विधवत् चलाने की व्यवस्था की। उन्होंने शोध-उपाधि-समिति गठित करके अनुसंधान को भी आरम्भ करा दिया। उन्होंने बुन्देली भाषा तथा साहित्य के उत्थान तथा विकास के लिए उसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रखा जिससे वह भी अवधी भाषा के समान साहित्य में उचित स्थान प्राप्त

करसके। उन्होंने छात्रों को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु कई सेमीनार बुलाए और समितियाँ गठित की। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर वृक्षा रोपण, परिवार नियोजन, स्वच्छता अभियान और प्रौढ़ शिक्षा आदि में सराहनीय कार्य किया। उन्होंने महाविद्यालय में बुक बैंक की स्थापना कराई जिससे कि प्रतिभावान किन्तु निर्धन छात्रों को अध्ययन करने में सहायता मिली।

28 फरवरी सन् 1978 में प्रो0 मलिक ने कुलपति के पद से अवकाश ग्रहण कर लिया। उनके स्थान पर प्रो0 ओम प्रकाश की 1 मार्च 1978 से 4 मार्च 1978 तक तथा फिर डा0 बी0बी0 लाल 5 मार्च 1978 से 11 दिसम्बर 1978 तक तदर्थ नियुक्ति की गयी। 12 दिसम्बर 1978 से 3 मार्च 1980 तक श्री आर0के0 त्रिवेदी रिटायर्ड आई0ए0एस0 स्थाई कुलपति रहे। किन्तु 4 मार्च 1980 से 9 जून 1980 तक वे मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार बनकर चले गए। इस अवधि में वरिष्ठ प्राचार्य डा0 बी0बी0 लाल ने उनका कार्य भार सम्हाला। 10 जून से 21 जुलाई सन् 1980 तक त्रिवेदी जी पुनः अपने पद पर रहे। तदनन्तर उनके केन्द्रीय शासन में चले जाने के कारण 22 अप्रैल 81 तक डा0 बी0एन0 द्विवेदी स्थानापन्न कुलपति बने। स्थाई कुलपतिप्रो0 हरवंश लाल शर्मा की नियुक्ति 13 अप्रैल 1981 से हुई जो इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।

कुलपतियों के बदलते रहने के कारण विश्वविद्यालय की प्रगति में कुछ अवरोध अवश्य आया, किन्तु वह धीरे-धीरे विकास करता रहा। कुलपति त्रिवेदी के कार्यकाल में कर गुँवा तथा पिछोरा गाँव के निकट कानपुर-झाँसी मार्ग पर एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज के सामने 186.11 एकड़ भूमि कैमायन टोरिया के दोनों ओर विश्वविद्यालय भवन के निर्माण के लिए शासन से प्राप्त हुई। बाद में इसमें 14 एकड़ भूमि और जोड़ दी गयी। शासन ने 8 लाख रुपये से भवन का निर्माण करवाना आरम्भ कराया। वर्ष 1980-81 में 1.20 करोड़ रुपये और वर्ष 1981-82 में 20 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इससे प्रशासनिक भवन तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास भवन निर्माण किए गए। चहार-दिवारी, नलकूप बनाने तथा वृक्ष लगाने का कार्य चल रहा है जिससे कि परिसर सुन्दर और आकर्षक बन जाए।

शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से शासन ने एम०काम०और एल०एल०बी० की कक्षाएं खोलने की स्वीकृति दे दी है। ग्रामीण अर्थशास्त्र, सांखियकी तथा पत्रकारिता के पाठ्यक्रम भी चलाने का विचार है। भू गर्भ विज्ञान और रसायनमें ऐसी शाखाओं में शिक्षणदेने की व्यवस्था वांछित है जो क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

विश्वविधालय नेसन् 1976 से अपनी परीक्षायें लेना आरम्भ कर दिया था। निम्नांकित सारणी में सन् 1976 और सन् 1980 की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को की संख्या दी गयी है जिससे उसकी प्रगति का अंदाज लगाया जा सकता है।

सारणी क्रमांक-7.9

विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वालेछात्रों की संख्या

परीक्षा-स्तर	छात्र-संख्या 1976	छात्र संख्या 1980
एम०ए० द्वितीय	1,067	1878
एम०एस-सी०	65	80
बी०ए०	7,648	8611
बी०एड०	800	881
बी०एस-सी०	685	610
बी०काम०	241	572
बी०एस-सी०।कृषि।	90	190
एल-एल०बी०।प्रथम।	314	-
एल-एल०बी०।द्वितीय।	280	560
एल-एल०बी०।तृतीय।	-	372

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय-वार्षिक रिपोर्ट- झाँसी

उपरोक्त सारणी का देखने से पता चलता है कि सभी कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ी है केवल बी०एस-सी० में 75 छात्र कम हुए है।सबसे अधिक वृद्धि बी०ए० में हुई है फिर एम०ए० में और फिर बी०काम० और एल-एल9बी० में।

निम्नांकित सारणी में विभिन्न वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले कुल सम्मिलित और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या तथा प्रतिशत दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक-7.10

विश्वविद्यालय की सब परीक्षाओं में सम्मिलित और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या तथा प्रतिशत

वर्ष	सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत
1976	11,190	7,290	65,1
1977	11,637	7,773	66,7
1978	13,771	10,310	74,8
1979	13,791	9,155	66,3
1980	13,754	10,901	79,2

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय -वार्षिक रिपोर्ट- झाँसी

सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि छात्रों की संख्या बढ़कर 123प्रतिशत हो गयी है और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 14 अधिक हो गया है। विश्वविद्यालय में संख्यात्मक वृद्धि होने के साथ-साथ परीक्षाफल में भी उन्नत हुईहै जिससे गुणवत्ता भी बढ़ी होगी।अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग बढ़ने से उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ा होगा।

विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के नाम से 10 स्वर्ण, रजत तथा कास्य पदक विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ आने वाले छात्रों को दिये जाते है।जनता ने भी विभिन्न व्यक्तियों की यादगार में अक्षय निधि॥इन डाउमेंट॥ जमा करके 10 स्वर्ण पदकदेने की व्यवस्था की है। छात्रों को बर्सरी देने के लिए सन् 1979-80 में 30,715 रुपया उपलब्ध थे।छात्रों को बुक एड भी दी जाती है।

विश्वविद्यालय का आय-व्ययक

विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1975 -76 में हुई थी। उसके बाद के चार-पाँच वर्ष तक के आय व्ययकों का विश्लेषण किया गया है।यद्यपि शोध की अवधि 1950-75तक की ही है फिर भी हम विश्वविद्यालय का आय-व्ययक का सन् 1981-82 तक अध्ययन करेंगे।

निम्नांकित सारणी में विश्वविद्यालयों को विभिन्न वर्षों में विश्वविद्यालय की होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा दिया गया है।

सारणी क्रमांक-7.11

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के आय-व्ययक, 1975-82

वर्ष	आय (रुपयों में)	व्यय (रुपयों में)	आय की वृद्धि प्रतिशत	व्यय की वृद्धि प्रतिशत
1975-76	13,47,447	3,14,448		
1976-77	17,48,038	10,97,051	29.7	248.8
1977-78	14,26,081	11,17,927	18.4	1.8
1978-79	7,31,501	9,66,884	48.7	13.5
1979-80	अप्राप्त	अप्राप्त	-	-
1980-81	26,87,840	22,03,551		
1981-82	87,64,880	24,48,316	226.0	11.1

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के आय-व्ययक

विश्वविद्यालय की आय निरंतर बढ़ती रही किन्तु सन् 1977-78 और 1978-79 में 18.4 और 48.7 प्रतिशत पूर्व वर्ष के मुकाबले में कम हो गयी थी। सबसे अधिक आय की वृद्धि 226 प्रतिशत सन् 1981-82 में हुई। व्यय पहले वर्ष में सबसे कम हो पाया क्योंकि उसी वर्ष अगस्त में स्थापना हुई थी किन्तु उसकी आय व्यय की चौगुनी थी क्योंकि राज्य-सरकार ने 3 लाख काभवन अनुदान और 1 लाख का पोषण अनुदान दियाथा तथा सभी महाविद्यालयों को सम्बद्धता एवं मान्यता शुल्क देना पड़ा था। उसके बाद के व्यय बढ़ता रहा है जो सर्वाधिक सन् 1975-76 में बढ़ गया था और उसके बाद फिर सन् 1981-82 में बढ़ा। प्राय: सभी वर्षों में आय-व्यय से ज्यादा थी। केवल एक वर्ष में सन् 1978-79 में व्यय आय से .32 प्रतिशत ज्यादा था।

निम्नांकित सारणी में सन् 1980-81 में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्रोतों और उनके योगदान के अनुपात का विवरण दिया गया है।

सारणी क्रमांक-7.12

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय आय के स्रोत और उनके योगदान का प्रतिशत, 1980-81

क्रमांक शीर्ष	रुपये	कुल का प्रतिशत
1- संस्थागत छात्र -		
(क) शैक्षिक शुल्क	82,973	3.0
(ख) परीक्षाशुल्क	5,25,591	19.6
(ग) अन्य शुल्क	8,969	0.3
2-व्यक्तिगत छात्र-		
(क) शैक्षिक शुल्क	5,07,652	18.0
(ख) परीक्षा-शुल्क	14,35,668	53.6
(ग) अन्यशुल्क	8,762	.3
(घ) अग्रसारण-शुल्क	56,550	2.1
3-बिक्री से प्राप्त-		
(क) आवेदन पत्र	61,054	2.2
(ख) पाठ्यक्रम	621	0.0
कुल योग	26,87,840	100.0
नष्ट पदार्थ रद्दी आदि सम्बद्धता	88,278	19.2
शुल्क विनियोजित धनराशि प्रतिभूति	2,000	0.4
तथा शासन अनुदान पर ब्याज।	3,70,445	80.4
योग-	4,60,723	100.0

स्रोत- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के आय-व्ययक ।

विश्वविद्यालय की कुल आवर्ती आय 26,87,840 थी इसके अतिरिक्त कुछ अनावर्ती आय 4,60,723 थी। सम्बद्धता शुल्क को इस वर्ष के आय-व्ययक का आवर्ती आय में क्यों नहीं दर्शाया गया, इसका कारण स्पष्ट नहीं है। ऐसे आय-व्ययकों में कई जगह भूलचूक होने और किसी धनराशि के गलती से सम्मिलित न करने का संकेत दिया गया है।

आवर्ती आय में सबसे अधिक योगदानपरीक्षा शुल्क का रहा है जो कुल 73.1 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि विश्वविद्यालय की तीन चौथाई आय परीक्षा शुल्क से होती थी। इसके बाद व्यक्तिगत छात्रों से शैक्षिक शुल्क आय का 18.8 प्रतिशत मिलता था। अन्य शीर्षकों से 2 या 3 प्रतिशत आय होती थी। इससे ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय आमदनी का प्रमुख स्रोत परीक्षा शुल्क था।

निम्नांकित सारणी में विश्वविद्यालय की प्रमुख व्यय की मदें दर्शायी गयी है और सन् 1980-81 में उन पर हुए व्ययऔर उनके प्रतिशत भी दिखाये गये है।

सारणी क्रमांक-7.13

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों पर व्यय -1980-81

क्रमांक मद	रुपये	प्रतिशत
1- अधिकारी वर्ग का वेतन भत्ता आदि ।	2,07,247	9.4
2- तृतीय वर्ग कर्मचारियों का वेतन भत्ता आदि।	2,99,161	13.6
3- चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का वेतन भत्ता आदि।	1,30,387	5.9
4- कार्यालय व्यय	2.20,678	10,0
5- परीक्षा व्यय	10,43,999	47.4
6- सभा गोष्ठियाँ	7,672	.4
7- पुस्तकालय	6,503	.3
8- फर्नीचर लेखकूद, संस्थाओं को अनुदान आदि	1,17,656	5.3
9- कण्टेन्जेन्सी	29,589	1.3
10-विविध	1,40,659	6.4
योग-	22,03,551	100.0

स्रोत-बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के आय-व्ययक-1980-81

ऊपर की सारणी से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय में सबसे अधिक व्यय 47.4 प्रतिशत परीक्षाओं के संचालन में होता है। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय सम्बद्ध विश्वविद्यालय है अतए अतएव इसका प्रमुख शैक्षणिक कार्य परीक्षा लेना है। इस व्यय को लगभग आधे से अधिक होना चाहिए था जैसा कि अन्य विश्वविद्यालयों में प्राय: होता है। इसके बाद 13.6 प्रतिशत व्यय तृतीय वर्ग के कर्मचारियों पर होता है और फिर 10.2 प्रतिशत कार्यालय पर है फिर 9.4 प्रतिशत अधिकारी व्यय होता है। सबसे कम व्यय .3 प्रतिशत पुस्तकालय पर होता है। यह व्यय शैक्षणिक व्यय है तथा इसे और अधिक होना चाहिए था। एक सम्पन्न पुस्तकालय महाविधालयों के प्रयोग के लिए आवश्यक है। बहुत सी मूल्यवान तथा अप्राप्त पुस्तकें महाविधालय नहीं खरीद पाते और उनके अभाव में अनुसंधान तथाउच्च शिक्षा का कार्य समुन्नत नहीं हो पाता। ऐसी तथा अन्य संदर्भ ग्रन्थों तथा शोध पत्रिकाओं को विश्वविधालय में रखना चाहिए। नए विश्वविधालय को विशेषकर अच्छे पुस्तकालय का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए। तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों पर लगभग 20 प्रतिशत खर्च हो रहाहै। जान सार्जेण्ट ने अपनी रिपोर्ट में प्रशासन पर कुल व्यय का 5 प्रतिशत खर्च करने को कहा है। उस दृष्टि से यह बहुत अधिक है, किन्तु अन्य विश्वविधालयों में प्राय: 10 से 15प्रतिशत व्यय प्रशासन पर किया जाता है जिससे इस विश्वविधालय में कहीं अधिक हो रहा है। इसको कम करने की आवश्यकता है । विविध मद पर व्यय बढ़ने की बढ़ी प्रवृत्ति रहती है। अतएव इस मद पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

बुन्देलखण्ड विश्वविधालय वार्षिक आय-व्यय से अधिक है। अतएव विश्वविधालय में कोई आर्थिक संकट नहीं है। नए भवन बनवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ है जिससे की विश्वविधालय का कार्यालय अपने नए भवन में स्थानांतरित हो गया है और कर्मचारियों के लिए उसी के निकट आवास की व्यवस्था हो गयी है। अब विश्वविधालय को अनुसंधान को बढ़ाने तथा परीक्षा में सुधार करने तथापुस्तकालय सम्पन्न करने की आवश्यकता है जिनको व्यय में वरीयता देना चाहिए।

===

अध्याय-8

उच्च शिक्षा पर व्यय

व्यय से तात्पर्य महाविद्यालयों द्वारा किए गए या उनके लिए वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले वित्तीय प्रभारों से होता है। इसमें गतवर्ष की सेवाओं हेतु किए गए भुगतानतथा भविष्य में की जाने वाली सेवाओं के लिए अग्रिम अदायगी सम्मिलित नहीं होती। शिक्षा व्यय के ब्यौरा रखने में एक विशेषता यह रहती है कि व्यय की पूर्ण धन-राशिप्राप्तियों की या आय की पूर्ण धनराशि के बराबर होती है और उसका कोई अधिकोष या घाटा नहीं दिखाया जाता।[1]

शिक्षा का व्यय-

शिक्षा पर व्यय प्राय: दो प्रकार का होता है-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ।

प्रत्यक्ष व्यय संस्था कोचालू रखने हेतु प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें अग्रांकित खर्च आते है- वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि, यात्रा , भत्ते, बैन, पुरस्कार, परीक्षा, खेलकूद, स्काउटिंग, एन0सी0सी0 , पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, तथा भवनों की मरम्मत और शिक्षण में उपयोगी सामग्री आदि।

अप्रत्यक्ष व्यय ऐसी मदों पर खर्च के रूप में उठाया जाता है जिसका विशिष्ट कार्यों से सरलतापूर्वक तदात्म स्थापित नहीं किया जा सकता इनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि इन्हें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आविभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसी मदें अग्रांकित होती है- निदेशन, निरीक्षण, भवन-निर्माण, उपकरण तथा साज-सज्जा का व्यय, छात्रवृत्तियां आदि अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आती है। रिपोर्टों में

1- डा0 आत्मानंद मिश्र- भारतीय शिक्षा की अर्थ व्यवस्था- भोपाल, हिन्दी-ग्रंथ-अकादमी-1973-पृ0-16-18

इनकी धनराशि समग्र रूप से दी जाती है जिससे यह पता नहीं चल पाता कि विद्यालय अथवा महाविद्यालय पर उन मदों पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ है। अतएव उच्च-शिक्षा के अप्रत्यक्ष व्यय का विवरण देना कठिन है।

उच्च शिक्षा के व्यय के अंग्राकित कार्य-विषय होते है। 1-विश्वविद्यालय 2-विश्वविद्यालय सममान्य संस्थाएं। 3- शोध संस्थान , 4- महाविद्यालय । इन्हीं चार संस्थाओं पर उच्च-शिक्षा के व्यय का विश्लेषण किया जायेगा।

व्यय जिन बातों एवं कार्यों के लिए किया जाता हैं उन्हें मद कहते है। इन मदों का प्रत्यक्ष व्यय की चर्चा करते हुए उल्लेख किया गया है। शिक्षा की रिपोर्टों में इन सब मदों का अलग-अलग व्यय नहीं दिया जाता है। समवेत रूप से इसे चार मदों में दर्शाया जाता है। यथा- 1-शिक्षकों का वेतन और भत्ता, 2-अन्य कर्मचारियों का वेतन और भत्ता 3-उपकरण और उपस्कर 4-अन्य विविध व्यय। व्यय का विश्लेषण करते समय इन्हीं चार मदों का ध्यान रखा जायेगा।

शिक्षा की आय-

शिक्षा के इस व्यय के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है। शिक्षा के लिए आय दो प्रकार की होती है जो दो वर्गों में विभाजित की जाती है, एक सार्वजनिक स्रोत (पब्लिक) और दूसरी निजी धनराशि (प्राइवेट फंड)। इन धन राशियों के निम्नांकित स्रोत है।

(क) सार्वजनिक धनराशि के स्रोत -

1- शासकीय -स्रोत	केन्द्र सरकार
	राज्य सरकार
2-स्थानीय निकाय	जिला परिषद्
	नगर -पालिका

§ख§ निजी स्रोत

1- शुल्क

2- धर्मस्य

3- अन्य स्रोत

केन्द्र सरकार की सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्राप्त होती है और राज्य-सरकार सीधे उच्च-शिक्षा की संस्थाओं को अनुदान के रूप में सहायता देती है। स्थानीय निकायों का इस स्तर की उच्च-शिक्षा के लिए कोई उत्तर-दायित्व नहीं है। फिर भी यदा-कदा वे कुछ सहायता कर देती है और नगर-पालिका दो-चार महाविधालय भी चलाती है।

शुल्क छात्रों से शिक्षा सेवा के उपलक्ष्य में लिया जाता है। यह अनेक प्रकार का होता है। धर्मस्य§इंडाउमेंट§ अक्षय निधि होती हैं जो किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा शिक्षा कार्य के लिए दान के द्वारा जमा करा ली जाती है। विश्वविधालय के नियमों के अंतर्गत प्रत्येक नई खुलने वाली संस्था को कुछ अक्षय निधि जमा करनी पड़ती है जिसे वह संकट काल में नियमों के अनुसार व्यय कर सकती है। उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त जो आय होती है वह अन्य स्रोत कीआ य कहलाती है। इसमें चंदा, उपहार, जुर्माना, जमाराशि का व्याज आदि आते है।

इस स्पष्टीकरण के बाद अब हम उच्च-शिक्षा के व्यय का विश्लेषण करेगें। निम्नांकित सारणी में उच्च-शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं पर विभिन्न पंच वर्षों में हुए व्यय को दर्शाया गया है-

सारणी-8.1

उच्च शिक्षा का प्रत्यक्ष व्यय, 1950-75 (हजार रुपयों में)

विषय	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71	1975-76
विश्वविद्यालय	1,93,48	29,980	40,375	71,667	10,9,703	16,7,483
	(75.23)	(65.55)	(57.18)	(63.51)	(56.47)	(53.05)
समामान्य संस्थाएं	-	-	-	12296	16,79	6,29
				(1.15)	(0.86)	(0.20)
शोध संस्था	-	-	-	3,354	3,868	5,969
				(2.97)	(1.99)	(1.89)
सामान्यशिक्षा के महाविद्यालय	6,370	15,757	30,238	36,525	79,027	14,1,618
	(24.77)	(34.45)	(42.82)	(32.37)	(40.68)	(44.86)
योग	25,718	45,737	70,013	1,12,842	1,94,277	3,15,699
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

स्रोत : शिक्षा की प्रगति शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ- विभिन्न वर्षों की

शीर्ध- संस्थानों का व्ययसम्मलित है।

(कोष्ठकों में दर्शायी संख्या कुल व्यय का प्रतिशत् बताती है)

ऊपर की सारणी से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 25 वर्षों में उच्च शिक्षा का व्यय 12 गुना बढ़ गया है। सबसे अधिक वृद्धि महाविद्यालयों के व्यय में हुई है जो 22 गुनी से ऊपर है और सबसे कम वृद्धि शोध-संस्थानों पर हुई है जो लगभग

चार्ट - 7

उच्च शिक्षा पर कुल व्यय

1950-75

दुगुनी है। विश्वविधालयों पर व्यय 8.7 गुना बढ़ा हैं। किन्तु विश्वविधालय सममान्य संस्थाओं पर यह घटकर आधा हो गया है। इसकाकारण काशी विधापीठ का बाद में ऐसी संस्था न रहना है। भारतवर्ष में इस अवधि में कुल शिक्षा पर व्यय 15.6 गुना बढ़ा है। इससे जान पड़ता है कि प्रदेश में उच्च-शिक्षा पर व्यय भारत के कुल शिक्षा व्यय की वृद्धि की अपेक्षा कम रहा है।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में सबसे अधिक व्यय विश्वविधालयों पर होता है और फिर उसके बाद महाविधालयों पर। 1950-51 में उच्च शिक्षा पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत विश्वविधालयों पर होताथा, किन्तु धीरे-धीरे यह कम होकर सन् 1975-76 में 53 प्रतिशत ही रह गया। इसके विपरीत महाविधालयों में 1950-51 में कुल व्यय का 24.8 प्रतिशत व्यय होता था जो धीरे-धीरे बढ़कर 1975-76 में 44.9 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि अंतिम वर्ष में कालेजों का अनुपातिक व्यय बढ़ गया गया था फिर भी वह विश्वविधालयों के अनुपात से कम था। विश्वविधालय समामान्य संस्थायें और शोध संस्थाएं इस अवधि में घटता हुआ व्यय करती रही जो विश्वविधालय सम-मान्य संस्थाओं में ज्यादा घट गया हैं। स्पष्ट है कि महाविधालयों की संख्याबढ़ने के कारण उनके व्यय में अन्य उच्च-शिक्षा की संस्थाओं के मुकाबले में अधिक व्यय होता रहा है।

इस अवधि में व्यय बढ़ने की औसत वार्षिक वृद्धि दर विश्वविधालयों के लिए 9 प्रतिशत रही हैं। महाविधालयों की वृद्धि दर 13.2 प्रतिशत और शोध संस्थानों पर 5.9 प्रतिशत। विश्वविधालय सममान्य संस्थाओं में व्यय घटने की औसत वार्षिक दर 7.5 प्रतिशत रही है। अतएव वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक महाविधालयों की थी और सबसे कम शोध संस्थानों की इस अवधि में उच्च शिक्षा की कुल व्यय की वृद्धि दर 10.6 प्रतिशत रही है और समस्त शिक्षा पर प्रत्यक्ष शैक्षिक व्यय 11.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। स्पष्ट है कि कालेजों की वृद्धिदर इन दोनों वृद्धि दरों से ज्यादा रही है। और विश्वविधालयों की कम। शताब्दी के चतुर्थोक में महाविधालयों पर व्यय का विकास सबसे अच्छा रहा हैं।

उच्च शिक्षा के लिए ये व्यय कहाँ से आता है? इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। नीचे की सारणी में तीन वर्षों में उच्च-शिक्षा पर कुल व्यय और उसके स्रोतों के आनुपातिक योगदान को दर्शायागया है। इस अवधि के प्रारम्भिक वर्षों के स्रोतवार अनुपात का उल्लेख-शिक्षा-रिपोर्टों में सरलता से नहीं मिलता है। इसलिए अंतिम तीन वर्ष के ही आकड़े सारणी में दर्शाये गयें-

सारणी क्रमांक-8.2

उच्च-शिक्षा की स्रोतवार आय-1966-76

		आय का प्रतिशत					
वर्ष	उच्चशिक्षा की आय (रूपयों में)	शासकीय धन राशि	स्थानीय निकाय	विश्वविधालय फंड	शुल्क	अन्य स्रोतऔर धर्मस्त	योग
1966-67	11,98,92,634	58.1	0.1	2.9	24.8	14,1	100.0
1970-71	19,42,77,193	60.2	0.2	4.5	28.1	7.0	100.0
1975-76	31,56,98,962	58.7	0.1	6.2	30.0	5.0	100.0

स्रोत- एजूकेशन इन इंडिया (नई दिल्ली मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन)सम्बद्ध वर्षों का।

ऊपर की सारणी से जान पड़ता है कि उच्च-शिक्षा की आय का 3/5 भाग सरकार से प्राप्त होता है। एक चौथाई से एक तिहाई तक फीस से प्राप्त होता है। धर्मस्य और अन्य स्रोतों से 1966-67 में 14 प्रतिशत प्राप्त हुआ था किन्तु 4 वर्ष बाद उसका आधा ही रह गया और अंतिम वर्ष में उससे भी घट गया। बढ़ती कीमतों के कारण तथा आय कर में दान को कोई छूट न दिये जाने के कारण जान पड़ता है कि लोगों ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। स्थानीय निकाय से एक प्रतिशत से भी कम मिलता है।और विश्वविधालय फंड पहले वर्ष में 3 प्रतिशत देता था जो अंतिम वर्ष में उसका दुगुना हो

चार्ट - 8

उच्च शिक्षा के व्यय में स्त्रोतों का योगदान प्रतिशत में

1975-76

गया। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के आय के प्रमुख स्रोत शासन और शुल्क है।

अब हम व्यय का विभिन्न मदों पर अध्ययन करेंगे। निम्नांकित सारणी में उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में चार मदों में शिक्षकों का वेतन, अन्य कर्मचारियों का वेतन, उपकरण अन्य मद व्यय का वितरण सन् 1970-71 के वर्ष में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक-8.3

उच्च शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय का मदवार वितरण-1970-71 (रुपये हजारों में)

संस्थायें	शिक्षकों का वेतन	अन्यकर्मचारियों का वेतन	उपकरण आदि	अन्य मद	योग
विश्वविद्यालय	3,66,15	25,633	5,672	41,782	10,97,02
	(33.4)	(23.3)	(5.2)	(38.1)	(100.00)
सममान्य-विश्वविद्यालय	7,60	4,60	4	4,55	1,679
	(45.3)	(27.4)	(0.2)	(27.1)	(100.00)
शोधसंस्थान	10.95	1,763	5,37	4,74	3,869
	(28.3)	(45.6)	(13.9)	(12.2)	(100.00)
महाविद्यालय	422745	9,031	10,06	20,245	79,027
	(54.1)	(11.4)	(8.9)	(25.6)	(100.00)
योग	81,215	36,887	13,219	62,956	1,94277
	(41.8)	(19.0)	(6.8)	(32.4)	(100.00)
भारत	(47.9)	(17.7)	(6.3)	(28.1)	(100.00)

स्रोत- एजूकेशन इन इंडिया, 1970-71 (मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एण्ड सोसलवेलफेयर-1976) टेबेल -

चार्ट - 9

उच्चशिक्षा की संस्थाओं पर व्यय का वितरण

1975-76

ऊपर की सारणी से ज्ञात होता है कि कुल प्रत्यक्ष व्यय का सबसे अधिक प्रतिशत 41.8 शिक्षकों के वेतन पर व्यय होता था और उसके बाद अन्य मदों पर 32.4 प्रतिशत खर्च किया जाता था। उपकरणों पर आवर्ती व्यय सबसे कम 6.8 प्रतिशत था जिससे अधिक अन्य कर्मचारियों के वेतन पर 19 प्रतिशत व्यय किया जा रहा था। यदि हम इसकी तुलना अखिल भारतीय मानकों से करे तो देश में शिक्षकों के वेतन पर 48 प्रतिशत और अन्य मदों पर 28 प्रतिशत व्यय होता था। अन्य मदों में अनेक विविध खर्च सम्मिलित हो जाते है जिनको कम करके उत्तर-प्रदेश में भी शिक्षकों के वेतन पर अधिक प्रतिशत व्यय किया जा सकता था। प्रदेश में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी व्ययकुछ अधिक है। इसको भी घटना उचित होगा जिससे उपकरणों पर और अधिक व्यय किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के वेतन पर सबसे अधिक 54 प्रतिशत कालेजों में व्यय किया जाता है और सबसे कम 28 प्रतिशत शोध संस्थानों में। विश्वविधालय समामान्य संस्थाओं में इस मद पर जहाँ लगभग आधा व्यय होता है, वहाँ विश्वविधालयों में केवल एक तिहाई। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन सर्वाधिक 46 प्रतिशत खर्च शोध संस्थानों में होता है जो शिक्षकों के वेतन में डयोढ़े से ज्यादा है। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर व्यय का अनुपात कालेजों में ज्यादा ठीक जान पड़ता है। उपकरणों पर आवर्ती व्यय शोध संस्थानों में सर्वाधिक 17 प्रतिशत फिर कालेजों में 9 प्रतिशत किन्तु विश्वविधालयों और सर्वमान्य संस्थाओं में यह बहुत कम है। अन्य मदों पर सर्वाधिक 38 प्रतिशत व्यय विश्वविधालयों में होता है। और सबसे कम 12 प्रतिशत शोध संस्थानों में। इस व्यय की बढ़ने की ओर प्रवृत्ति रहती है इसलिएइस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इससे पता चलता है कि शिक्षकों के वेतन और उपकरण पर व्यय बढ़ाने से अध्यापन कार्य को उन्नत किया जा सकता है और अन्य दो मदों पर व्यय कम रखना श्रेयस्कर होगा।

इकाई लागत-

अब हम उच्च शिक्षा की इकाई लागत का अध्ययन करेंगे। प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर उच्च -शिक्षा पर सन् 1865-66 में 1.4 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय हो रहे थे। जो पाँच वर्षों बाद 2.2 रुपये प्रति व्यक्ति हो गए और सन् 1975-76 में 3.3 रुपये हो गए। एक दशक में यह व्यय बढ़कर दुगने से ज्यादा हो गया। अन्य इकाई लागत प्रति छात्र, प्रतिशिक्षक और प्रति संस्था पर होने वाला व्यय कहलाता है। यह लागत प्रति संस्था प्रति छात्र और प्रति शिक्षक पर होने वाला वार्षिक व्यय होगा। इसके लिए हमें संस्थान, छात्रों और शिक्षकों की संख्या का ज्ञान होना चाहिए जिससे उनके व्यय के विभाजित कर इकाई लागत निकाली जासके। निम्नांकित सारणी में सन् 1965-75 के बीच संस्थाओं छात्रों और शिक्षकों की संख्या दी जाती है।

सारणी-क्रमांक-8.4

संस्था, छात्र और शिक्षकों की संख्या-1965-75

संस्था	1965-66	1970-71	1975-76
विश्वविद्यालय संस्था	7	11	19
छात्र शिक्षक	45,836	63,705	98,055
शिक्षक	3,031	4,098	4,987
विश्वविद्यालय सममान्य			
संस्था	2	2	1
छात्र	2,010	1,918	431
शिक्षक	94	अप्राप्त	43
शोध संस्थान्			
संस्था	2	2	2
छात्र	541	1,024	924
शिक्षक	55	122	184
महाविद्यालय			
संस्था	183	247	346
छात्र	2,10,120	1,85,375	2,64,272
शिक्षक	5,433	8,266	11,256

स्रोत - एजूकेशन इन इंडिया (मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन (नई दिल्ली)

संस्थाओं में सर्वाधिक संख्या कालेजों की है और उन्हीं में सबसे अधिक छात्र और शिक्षक है। तत्पश्चात् क्रम में विश्वविद्यालय आते है। सबसे कम संख्या शोध संस्थानों की हैं जिनमें सबसे कम छात्र और शिक्षक है किन्तु सन् 1975-76 में अंतिम स्थान विश्व-विद्यालय सममान्य संस्था ने ले लिया था जो प्रदेश में एक ही रह गयी थी। इस सारणी और सारणी क्रमांक 9.1 की सहायता से इकाई लागत की गणना कीगई है।

निम्नांकित सारणी में प्रति संस्था इकाई लागत दर्शायी गयी है-

सारणी क्रमांक-8.5

प्रति संस्था की औसत लागत - 1965-75

संस्था	1965-66	1970-71	1975-76
विश्वविद्यालय	1,02,38,097	99,72,968	88,14,892
विश्वविद्यालय सममान्य संस्थाएं	6,47,982	8,39,511	6,29,210
शोध संस्थान	16,77,263	19,34,378	29,84,507
महाविद्यालय	1,99,589	3,19,946	4,09,300

स्रोत - पहले की सारणी के आधार पर गणित ।

प्रति संस्था औसत लागत शोध संस्थानों और कालेजों में बढ़ी है और विश्व-विद्यालयों और सममान्य संस्थाओं में घटी है। यह कालेजों में सबसे अधिक बढ़कर दुगनी हो गयी। विश्वविद्यालयों में यह घटकर पहले का 4/5 भाग रह गयी और सममान्य संस्थाओं में 9/10 । प्रति संस्था लागत विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक थी और कालेजों की सबसे कम।

प्रति-छात्र -लागत-निम्नांकित सारणी में प्रति छात्र लागत दर्शायी गयी हैं-

सारणी क्रमांक- 8.6

प्रति छात्र की औसत लागत - 1965-75

संस्था	1965-66	1970-71	1975-76
विश्वविद्यालय	1,564	1,722	1,708
विश्वविद्यालय सम मान्य संस्थाएं	6,45	875	1,460
शोध संस्थान	6,201	31,200	6,460
महाविद्यालय	1,74	426	536

स्रोत - पूर्व सारणी के आधार पर।

प्रतिछात्र लागत सबसे अधिक शोध संस्थान में थी तत्पश्चात् विश्वविद्यालयों में । यह कालेजों में सबसे कम थी। जो विश्वविद्यालयों का पिछला दो वर्षों में क्रमशः एक चौथाई और एक तिहाई थीं। इस दशक में विश्वविद्यालय में प्रति छात्र लागत 9 प्रतिशत बढ़ी थी। सममान्य संस्थाओं में 126 प्रतिशत शोध संस्थानों में 4 प्रतिशत और कालेजों में 208 प्रतिशत । कालेजों में वृद्धि सर्वाधिक थी।

प्रति शिक्षक लागत- निम्नांकित सारणी में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में प्रति शिक्षक औसत वार्षिक वेतन दर्शाया गया है-

सारणी क्रमांक-8.7

प्रति-शिक्षक औसतवेतन - 1965 - 75

संस्था	1965-66	1970-71	1975-76
विश्वविद्यालय	9,315	8,935	13,283
विश्वविद्यालय सम मान्य संस्था	5, 446	-	6,852
महाविद्यालय	3, 732	5,171	7,535

स्रोत - पूर्व सारणी के आधार पर ।

सारणी से ज्ञात होता है कि औसत प्रति शिक्षक वेतन विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक है और कालेजों में सबसे कमहै। दशक में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन 43 प्रतिशत से अधिक बढ़ा और कालेजों के शिक्षकों का 102 प्रतिशत बढ़ा। सममान्य संस्थाओं में केवल 26 प्रतिशत ही बढ़ पाया। महाविद्यालयों में शिक्षकों का वेतन 311 प्रति माह था इसी अर्हता के अन्य व्यक्ति दूसरे विभागों में शिक्षकों से कहीं अधिक वेतन पा रहे थे इसलिये लोगों का शिक्षा विभाग की ओर कोई आकर्षण नहीं रह गया था।

शिक्षकों के वेतन-मान -सन् 1950-51 में शिक्षकों के वेतन-मान बहुत कम थे यद्यपि राधाकृष्णन आयोग ने उन्हें ऊँचे वेतन मान देने का प्रस्ताव किया था किन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना ने वेतन मान बढ़ाने की पहल की, तब सन् 1 अप्रैल 1957 से वेतन मान पुनरीक्षित किये गये । उसके बाद तृतीय पंच वर्षीय योजनामें विश्वविद्यालयों के वेतन मान पुनरीक्षित करने के लिए

अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत 5 वर्षों तक देने के लिए कहा तो सन् । जनवरी 1962 से प्रदेश में फिर वेतन मान पुनंरीक्षित किये गये।

वेतन-मान-

बढ़ती हुई कीमतों के कारण अनुदान आयोग ने दुबारा वेतन-मान पुनंरीक्षित करके । जनवरी सन् 1973 से उनके लिए सहायता देना स्वीकार किया।उत्तर प्रदेश में बहुगुणा मंत्रि मंडल ने इस आधार पर प्रदेश के शिक्षकों के वेतन मान भी पुनंरीक्षित कर दिये ।सन् 1950 और 1975 के वेतन मान निम्नांकित सारणी में दर्शाये गए हैं-

सारणी क्रमांक-8.8

शिक्षकों के वेतन मान -1950 और 1975 के

पद	वेतनमान-1950-51	वेतन मान 1975-76
विश्वविधालय प्रोफेसर	800-50-1250	1500-60-1800-100-2000 -125/2- 2500
रीडर	500-25-800	1200-50-1300-60-1900
लेक्चरर	300-20-480-ई0बी0 20-500	700-40-1100-50-1600
महाविधालय प्राचार्य	600-30-750	1200-50-1300-60-1900 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500
सीनियर लेक्चरर	250-15-400 ई0बी0 20-500	700-40-1100-50-1300 मूल्यांकन-50-1600
जूनियर लेक्चरर	200-10-300 - ई0बी0 20-400	
ट्रिमांस्ट्रेर	500-20-700-25-900	

यधपि वेतन मान पहले से बहुत सुधार दिए गए हैं किन्तु मंहगाई बराबर बढ़ने के कारण शिक्षण गण फिर आंदोलन कर रहे हैं। वेतन मानों का पुनंरीक्षण आवश्यक जान पड़ता है।

सन् 1950-51 में हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में प्रोफेसर का एक विशेष पद था जिसका वेतन 1000 रू0 से आरम्भ होता था और मुस्लिम विश्वविद्यालय में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 40 के स्थान पर 50 रू0 थी किन्तु 1975-76 में सभी विश्वविद्यालयों के वेतन मान एक से हो गए।

सहायक अनुदान-

सहायक अनुदान का तात्पर्य उस योगदान से है जो किसी बड़ी शासकीय इकाई द्वारा छोटी इकाई या अधिकरण को शिक्षा सरीखें किसी विशिष्ट कार्य की सहायता के लिए दिया जाता है और जिसका प्रयोजन मात्रा और अवधि जिसमें उसे व्यय करना अनिवार्य होता है, निश्चित कर दी जाती है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान को केन्द्रीय अनुदान कहते है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान को राजकीय अनुदान और किसी धनाढ्य प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया अनुदान प्रतिष्ठान अनुदान कहलाता है। इसका प्रयोजन लोगों को प्रोत्साहित कर शिक्षा के प्रसार में सहायता करना है।[2]

सहायक अनुदान दो प्रमुख प्रकार का होता है एक आवर्ती दूसरा अनावर्ती। ऐसा अनुदान जो बार-बार किसी निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है आवर्ती अनुदान कहलाता है। यह प्राय: वेतन भत्ता, भविष्यनिधि, आकस्मिक व्यय तथा अन्य शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया जाता है। इसमें शिक्षा संस्था को दिन प्रति दिन सुचारु रूप से चलाने का सभी व्यय सम्मिलित होता है। अनावर्ती व्यय ऐसा अनुदान होता है जो कभी-कभी दिया जाता है और प्राय: दोहराया नहीं जाता है। यह भवननिर्माण या परिवर्धन, भूमि या क्रीडांगन क्रय, उपकरण तथा साज-सज्जा के खरीदने के लिए दिया जाता है। यह प्राय: कुल व्यय के एक अंश की ही पूर्ति करता और शेष संस्था को अपने पास से लगाना पड़ता है।

2-डा0 आत्मानंद मिश्र-शिक्षा का वित्त प्रबन्धन [कानपुर : ग्रंथम-1976] पृ0-226-228-29

उच्च-शिक्षा की संस्थाओं को प्राय: राजकीय और केन्द्रीय अनुदान मिलते हैं जिनके नियम बना दिए गए। केन्द्रीय अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्राप्त होता है। अब हम उत्तर-प्रदेश में अनुदान देने के नियमों का संक्षेप में विवेचन करेंगें।

राज्य के विश्वविद्यालयों को राज्य शासन पोषण अनुदान देता है। और विकास अनुदान प्रदेश के दो बनारस और अलीगढ़ के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पोषण और विकास अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलता है। विश्वविद्यालय सममान्य संस्थाओं को भी केन्द्र सरकार अनुदान देता है। महाविद्यालयों को राज्य सरकार से पोषण अनुदान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास अनुदान मिलता है जिसमें राज्य सरकार भी कभी कुछ सहायता कर देती है।

राजकीय-अनुदान

उत्तर प्रदेश के शासन ने एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति नियुक्ति कर दी थी जो शासन को विश्वविद्यालयों, तथा महाविद्यालयों को अनुदान देने के सम्बन्ध में सलाह देती है। आरम्भ में विश्वविद्यालयों को राज्य शासन से तीन चार वर्ष के लिए ब्लाक ग्रांट दी जाती थी। इसकी अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गयी। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय, तिब्बिया कालेज और हाई स्कूल को ही अनुदान देती थी। वह बनारस विश्वविद्यालय के स्कूल और अस्पताल के लिए अनुदान देती थी। इन दोनों को पोषण अनुदान केन्द्र से मिलता था।

महाविद्यालयों के लिए राजकीय पोषण अनुदान या तो स्वीकृत शैक्षणिक व्यय का आधा होता था या स्वीकृत आवर्ती व्यय और स्वीकृत आय के अंतर के बराबर होता था। इनमें से जो कम राशि होती थी वह अनुदान में दी जाती थी स्वीकृत व्यय की सूची उत्तर -प्रदेश की शिक्षा संहिता (एजूकेशनल कोड) के प्रपत्र प्रमाण 19 के साथ दी गई है जिसमें निम्नांकित मद आते हैं-

1- शैक्षिक और शैक्षिणेत्तर कर्म चारियों का वेतन।

2- कार्यालय व्यय।

3- कर §टैक्सेज§

4- ग्रीष्म और शीत ऋतु का खर्च ।

5- छोटी मरम्मत

6- शिक्षकों के लिए पुस्तकें और लेखन सामग्री।

7- फर्नीचर की मरम्मत और आपूर्ति ।

8- यात्रा व्यय और महसूल ।

9- पुस्तकालय के लिए पुस्तकें।

10-विज्ञान प्रयोगशाला का रख-रखाव ।

11-पुरस्कार और इनाम।

12-शारीरिक प्रशिक्षण

13-विविध व्यय जिसे निर्धारित किया जायेगा।

14-पिछले वर्ष का अधिकोष ।

इन नियमों में यदा-कदा संशोधन करके उन्हें बहुत दिनों तक चलाया गया किन्तु 1 अप्रैल सन् 1975 से नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। इन नये नियमों के आधार पर महाविधालय के प्रबन्धक को निम्नांकित शुल्कों की प्राप्ति के सामने दर्शाये गये प्रतिशत् धन को किसी राष्ट्रीय बैंक, कोपरेटिवबैंक या पोस्ट आफिस में "वेतन भुगतान खाता" में जमा करना होता है।

1-शैक्षिक शुल्क	विज्ञान छात्रों की शुल्क
2-प्रवेश शुल्क	आय का 75 प्रतिशत और अन्य छात्रों की शुल्क आय
3-स्कालर जिस्ट्रर शुल्क	का80 प्रतिशत बैंक में जमा किया जाय।
4-स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क	
5- जुर्माना	
6- महगाई शुलक	

इस खाते से रुपया केवल शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान और भविष्य निधि का अंशदान देने के लिए ही निकाला जा सकता है। इसके निकालने में प्रबन्ध-समिति के प्रति निधि और शिक्षा के उपसंचालक के हस्ताक्षर होते है। प्राय: प्रबन्धक या मैनेजर और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों के आधार पर धनराशि निकाली जा सकती है। प्रत्येक महीने के अंत में वेतन बिल बनाकर और उसकी राशि के चेक पर प्रबन्धक हस्ताक्षर करके जिला-शिक्षा अधिकारी के पास भेज देते है जो उनकी समुचित जाँच पड़ताल करके चेक बैंक को भेज देता है। बैंक में महाविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी का खाता होता है। बैंक प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी के खोते में उसके वेतन की राशि जमा कर देती है। यदि कालेज के खोते में पर्याप्त धन न हुआ तो जिला अधिकारी सरकारी अनुदान देकर उसकी पूर्ति कर देता है।[3]

केन्द्रीय अनुदान-

उच्च शिक्षा को केन्द्रीय अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार आयोग को एक धनराशि आवंटित कर देती है और उसकी सीमाओं के अंदर आयोग केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों सममान्य संस्थाओं और महाविद्यालयों को अनुदान देता है। यह अनुदान शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने, आवश्यक सुविधाओं के विकास करने तर्था शिक्षकों और छात्रों के कल्याणार्थ किया जाता है। इस इस अनुदान का प्रयोग, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि बढ़ाने, अध्यापन को उन्नत या नये विषयों को खोलने, अनुसंधान कराने, भवन या छात्रावास को बनवाने, शिक्षकों के वेतन बढ़ाने या शोध प्रबन्धों को प्रकाशित करने आदि में किया जाता है।

आयोग भागीदारी सिद्धांत (शेयरिंगप्रिंसिपिल्स) के आधार पर अनुदान देता है जिसमें प्राप्त कर्ता कोअनुदान का एक अंश अपनी ओर से खर्च करना पड़ता है। यह

3- उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उ0प्र0 शासन-1974

अंश वह स्वयं लगाए या अपने राज्य शासन से प्राप्त करें। आयोग के अनुदान विभिन्न मदों 33 से 100 प्रतिशत तक हो सकता है। जैसे नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए तथा स्नातकोत्तर शिक्षण के विकास के लिए 50 प्रतिशत आवर्ती और 66.7प्रतिशत अनावर्ती अनुदान देता है। पुस्तकालयों के पूँजीगत व्यय के लिये यह दो तिहाई और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए शत प्रतिशत अनुदान देता है। उच्च अध्ययन केन्द्र और सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए शत प्रतिशत अनुदान है। मुद्रणालय खोलने के लिए या अतिथि गृह बनाने के लिए दो तिहाई अनावर्ती अनुदान दिया जाता है। विस्तार व्याख्यानमाला के लिए 5,000 और शोध प्रबन्ध के प्रकाशन के लिए 10,000 से 15000 तक अनुदान मिलता है। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पुरुषों के छात्रावास निर्माण के लिए 50 प्रतिशत स्त्रियों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान मिलता है। उपकरणों और साज-सज्जा के लिए व्यय का दो तिहाई अनुदान में मिल जाता है। छात्रों के स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 50,000 रुपये और छात्र कल्याण निधि के लिए 2000 रुपये तक अनुदान मिलता है। यह सब अनुदान 5 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते है।[4] सन् 1965-66 में विभिन्न विषयों में दिए गए अनुदान निम्नांकित सारणी में दर्शाये गए है।

सारणी क्रमांक-8.9

यू0जी0सी0 द्वारा दिया गया उत्तर-प्रदेश की उच्चशिक्षा संस्थाओं को अनुदान- 1965-66

विषय	केन्द्रीयविश्वविद्यालय	राज्यविश्वविद्यालय	सममान्य विश्वविद्यालय
विकासात्मक योजना के लिए			
1-मानविकी	14.78	16.50	0.95
	(2)	(5)	(2)
2-विज्ञान	12.35	15.61	0.47
	(2)	(4)	(1)
3-विविध	47.28	6.52	2.45
	(2)	(5)	(1)

स्रोत-यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट -1965-66

(कोष्ठकों की संख्या सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या बताती है)

4-डा0 आत्मानंद मिश्र-ग्रांटस इन -एड आफ एजूकेशन इन इंडिया (नई दिल्ली : मैकमिलन- 1973-पृ0-108 से 12

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि इससे सहायता केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अधिक और विश्वविद्यालयों को कम मिलता रहा है। मानविकी और विज्ञान में यदि प्रति विद्यालय का हिसाब लगाया जाय तो राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अपेक्षा आधा ही अनुदान मिलता है।

आलोचना-

राज्य सरकार के नये अनुदान के नये फार्मूले से शिक्षकों को निर्धारित वेतन ठीक समय पर मिल जाता है। किन्तु संस्था की प्रमुख आय जो फीस से होती है उसका 75-80 प्रतिशत तक ले लिया जाता है जिससे संस्था दक्षता पूर्वक नहीं चल पाती है प्रबन्धकों के पास इतना पैसा नहीं बच पाता कि वे पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में पर्याप्त पुस्तकों और उपकरणों की व्यवस्था कर सके। दान आदि के अन्य स्रोत प्राय: बंद से हो गए हैं। अतएव यह आवश्यक है कि संस्थाओं के लिए कुछ और धन छोड़ा जाय जिससे वे सुचारु रुप से शैक्षणिक कार्य कर सकें। पूँजीगत व्यय पर अनुदान यदा-कदा ही मिल पाता है जिससे भवनों का विस्तार और साज-सज्जा को उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। अनावर्ती अनुदान की व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जाय।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को पोषण अनुदान नहीं देता जिससे नई योजनाओं को वे बहुत दिनों तक अच्छी तरह नहीं चला पाते है।आयोग जो विकास अनुदान देता है उसका एक अंश वहसंस्था या राज्य सरकार से प्राप्त करने को कहता है।संस्थाओं की वित्तीय दशा प्राय: शोचनीय होती है और राज्य सरकार को अनेक जनहित कार्यों में व्यय करना पड़ता है।अतएव विश्व-विद्यालयों को अधिक धन नहीं दे पाती है। परिणाम यह होता है कि आयोग की अनेक अच्छी योजनाओं का लाभ राज्य विश्वविद्यालय नहीं उठा पाते हैं। अतएव आयोग को शत प्रतिशत अनुदान देना चाहिए।

आयोग विश्वविद्यालयों को अधिक अनुदान देता है और महाविद्यालयों को कम। महाविद्यालयों में उच्च-शिक्षा के 90 से अधिक प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं। अतएव उनकी सहायता करने से अधिकांश छात्रों की शिक्षा व्यवस्था उन्नत बनाई जा सकती है। इस ओर आयोग का ध्यान तुरंत जाना चाहिए जिससे वह महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर को ऊँचा कर सके।

आयोग का अनुदान अनेक छोटी-छोटी परियोजनाओं पर बांट दिया जाता है जिससे महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं को पूरा धन नहीं मिल पाता। हाबी गृह, फिल्म केन्द्र, अतिथि गृह आदि की छोटी योजनाएं संस्था या राज्य पर छोड़ दी जा सकती है। यह सब होते हुए भी आयोग ने उच्च-शिक्षा को बढ़ाने और उसके उज्ज्वल भविष्य में आस्था उत्पन्न करने का बड़ा श्रेयस्कर कार्य किया है।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की वित्तीयस्थिति सुदृढ़ नहीं है, कई संस्थाओं की तो शोचनीय स्थिति है। बिना उसको सुधारे उच्च-शिक्षा की अच्छी उन्नति हो पाना कठिन है। उधर उनके कर्मचारी बढ़ती हुई मंहगाई के कारण वेतन बढ़ाने की मांग करते है। इससे उनमें असंतोष की भावना बढ़ती है और शैक्षणिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। इसका प्रभाव शिक्षा के मापदण्डों पर पड़ता है जो गिरते हुए बताये जाते है। उच्च शिक्षा की संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था सुधारने के कुछ उपाय, जो कारगर हों, करना आवश्यक हैं।

===

अध्याय-9

पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा

लगभग दो शताब्दियों तक विदेशियों के शोषण और दोहन का शिकार रहने के बाद सन् 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसकी आर्थिक एवं सामाजिक हालत बड़ी शोचनीय थी तथा जन साधारण में बड़ी विपन्नता थी। देश के सभी क्षेत्रों में उन्नत की बड़ी आवश्यकता थी। प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरु ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए सन् 1950-51 में पंचवर्षीय योजनाओं का श्री गणेश किया। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था और लोगों को अधिक समृद्धशाली तथा विविधतापूर्ण जीवन-यापन के अवसर प्रदान कराना था। आयोजन का लक्ष्य जहाँ एक ओर समाज में प्राप्त मानवीय और भौतिक साधनों को अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग करके उनके द्वारा अधिकाधिक सेवायें और सामग्री प्राप्त करना था, वहाँ दूसरी ओर आमदनी, सम्पत्ति और अवसरों की असमानताओं को कम करना भी था। अतएव पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक और सामाजिक विकास पर पर्याप्त बल दिया गया था।

अर्थशास्त्रियों ने यह ढूँढ़ निकाला है कि उद्योग या धंधे में लगाई गई पूँजी और श्रम से जो लाभ अपेक्षित होना चाहिए उससे कहीं अधिक लाभ होता है। इस अवशेष लाभ का प्रमुख कारण वे शिक्षा को बताते है जो श्रमिकों को दी जाती है। जिससे उनकी उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। अतएव अब यह माना जाता है कि राष्ट्रीय विकास की विभिन्न क्रियाओं के करने के लिए शिक्षा विभिन्न कौशलों और शिल्पों में प्रशिक्षित जनशक्ति उत्पन्न करती है। संस्थानों में प्रभावशाली उत्पादक कार्य करने के लिए शिक्षा उन्हें उचित ज्ञान और निपुणता देती है। उधर समाजशास्त्रियों का कहना है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उसकी अतिजीवता

शिक्षा पर ही निर्भर करती है, अतएव आर्थिक विकास के लिए अधिकाधिक तकाजा मानव साधन का होता है और प्रजातांत्रिक ढाँचा ऐसे मूल्यों तथा अभिवृत्तियों की अपेक्षा करता है जिनके निर्माण में गुणात्मक शिक्षा ही सहायक होती है। इसलिए भारत में शिक्षा के आयोजन को आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन से समन्वित कर दिया गया है, क्योंकि नागरिकों में पारस्परिक सम्बन्ध ढालने के लिए, लोगों की शक्तियों को जुटाने के लिए और देश में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को विकसित करने के लिए शिक्षा का कार्यक्रम ही आधार-शिला माना गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने तो यहाँ तक स्वीकार कर लिया था कि "राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में नियोजित विकास करने के लिए शिक्षा को केन्द्रीय स्थान देना परमावश्यक है।"[1]

शिक्षा के विकास में ऐसी महत्ता देखते हुए उसके विकास का विधिवत् आयोजन किया जाने लगा। योजनाओं में शिक्षा समाज सेवा के अंतर्गत आती है। इसके साथ अन्य सेवाएं, स्वास्थ्य, आवास जलप्रदाय तथा समाज-कल्याण आदि हैं। मानव का जीवित और स्वस्थ रहना आवश्यक है जिससे उसको दी गयी शिक्षा का पूर्ण लाभ उठाया जा सके उसके आवास और जलप्रदाय की व्यवस्था करना आवश्यक होता है ताकि वह शिक्षा द्वारा अपनी सामर्थ्य का भरपूर प्रयोग कर सके। अतएव समाज सेवाओं में ही शिक्षा को वरीयता देना सरल कार्य नहीं है। इन सेवाओं के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, यातायात, उर्जा आदि का उत्पादन मनुष्य को जीवित रखने तथा उन्नत करने के अवसर देने के लिए आवश्यक है। अतएव योजनाओं में समाज सेवाओं से ज्यादा आवश्यक अन्य कार्यक्रम हैं जिनको प्राथमिकता दी जाती है, किन्तु प्राय: सेवाओं में शिक्षा को वरीयता मिलती रही है।

हमारे देश में 1950-51 से लेकर सन् 1974-75 तक 4 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 वार्षिक योजनाएं चलायी गयी। तीसरी योजना में प्राकृतिक प्रकोपों तथा पड़ोसियों

1-तृतीय पंचवर्षीय योजना (नई दिल्ली : योजना आयोग, 1960) पृ0-

के युद्धों नेभारत की अर्थ व्यवस्था को इतना झकझोर दिया कि वहचौथी योजना चलाने के लिए धन न जुटा सका। अतएव तीसरी योजना के बाद तीन वार्षिक योजनाएं चली और इन तीन वर्षों के अंतराल के बाद चौथी योजना चालू हो सकी। इन योजनाओं में शिक्षा को आवंटन किया गया, उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए और कार्यान्वयन के आधार पर उपलब्धियाँ भी हुईं। इस अध्याय में हम इनका प्रत्येक योजना में वर्णन करेंगे किन्तु उसके पहले आयोजन के संयंत्र पर एक दृष्टि डाल लेना चाहेंगें-

आयोजन का संयंत्र -

केन्द्र में आयोजन करने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गयी है जो सब राज्यों की योजनाओं का ताल मेल बिठाकर पूरे देश की योजना प्रस्तुत करता है। इसके आठ सदस्य होते हैं प्रधान मंत्री ‡अध्यक्ष‡, योजना मंत्री‡उपाध्यक्ष‡ वित्त मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री, और तीन पूर्व कालिक सदस्य- एक लोक जीवन का अनुभवी, दूसरा प्रशासन अनुर्भवी और तीसरा शिक्षा शास्त्री। अब मंत्रि मंडल का सांख्यकी भी इसका सदस्य होता है। यह राज्यों के अधिकारियों से परामर्श करके देश में समग्र योजना का प्रारूप प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। इस परिषद् के अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते है और सदस्य कई केन्द्रीय मंत्री तथा सब राज्यों के मुख्य मंत्री होते है। परिषद् योजना के आकार, लक्ष्य, प्राथमिकता और धनराशि आदि के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेकर संशोधन सहित उसे आयोग को वापस कर देती है। आयोग निर्देशानुसार परिवर्तन करके योजना को अंतिम रूप दे देता है।

उत्तर प्रदेश में आयोजन संयंत्र-

आरम्भ में उत्तर प्रदेश में एक विकास सचिव द्वारा अन्य विभागों के सचिवों के परामर्श से योजना तैयार की जाती थी, जिसमें अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि मंडल देता था, किन्तु योजना के महत्व पूर्ण कार्य और उसके विशाल

आकार को देखते हुए धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में भी एक राज्य योजना आयोग स्थापित कर दिया गया है जिसकी सहायता के लिए एक आयोजन संस्थान भी है। इसका संक्षिप में वर्णननीचे दिया जा रहा है-2

1- आर्थिक और सांख्यिकी -उपविभाग-यह समय-समय पर क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके उनसे प्राप्त आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करता है तत्पश्चात् उसकी विस्तृत व्याख्या कर प्रस्तुत करता है।

2- परिप्रेक्षीय आयोजन उपविभाग-यह विभाग प्रदेश की वर्तमान आर्थिक दशा को दृष्टि में रखकर एक लम्बे समय तक की योजनाओं का निर्माण करता है फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में वह छोटी-छोटी कई योजनाओं को आयोजित करती है।

3- जन-शक्ति आयोजन उप विभाग- इसमें विकासशील क्षेत्रों में जो अपने ही प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थिति है, जनता की आवश्यकता, उनकी शक्ति के आधार पर उसकेपरिमापों का प्रारूप तैयार करता है। इस विभाग का कर्तव्य है कि वह इस बात की ओर दृष्टि रखे कि जन शक्ति का अधिकतम उपयोग हो और बेरोजगारी बढ़ने की संभावना न हो पाये।

4- क्षेत्रीय नियोजन विभाग- इस उप-विभाग का यह कार्य होता है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अंतर्गत फसलों का अध्ययन करें और विषमता ज्ञात हो तो उसमे समानता लाने के लिए विभिन्नछोटी योजनाएं तैयार करें।

5- शोध-आयोजन एवं क्रियान्वयन उप-विभाग इसको सन् 1954 में स्थापित किया गया था। यह विभाग नयी परियोजनाओं पर प्रयोग करके ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने एवं उसके विकास के तरीके बताता है।

6- सामग्री-प्रबन्ध और समायोजन उपविभाग- इसमें प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग-विभाग की समस्याएं निपटाने और उनके प्रयोग में आने वाली सामग्री का प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना होता है।

2- डार्फ्ट फाइव इयर प्लान, 1978-83 एण्ड एनुअल प्लान - 1979-81, लखनऊ : नियोजन विभाग, 1979 , पृ0- 492-516

7- परियोजना निर्माण एवं मूल्यांकन उप-विभाग- ये उप-विभाग प्रदेश के लिए छोटी-छोटी योजनाओं का निर्माण करता है। उन योजनाओं को लागू। करने से जो उपलब्धियाँ प्राप्त होती है उनका मूल्यांकन करना भी इसी विभाग का कार्य होता है।

8- सूचनाओं के अनुश्रवण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध-उपविभाग- इस विभाग का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि जिस अवधि तक के लिए योजना बनाई गयी हैं वह अपनी निर्धारित अवधि में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही है या नहीं। उस योजना में जो धनराशि लगाई गयी है उसका अपव्यय न हो यह भी देखते रहना है जिससे व्यय का पूरा लाभ उठाया जा सके। अंत में उसकी उपलब्धि को आंकना पड़ता है। यह कार्य यह विभाग पूर्ण सावधानी से करता है।

9- मूल्यांकन और प्रशिक्षण उप-विभाग- यह विभाग सन् 1965 में आरम्भ हुआ था। इसमें योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। और उसके आधार पर ही प्रशिक्षण कार्य का भी प्रबन्ध किया जाता है। इसकी व्यवस्था भी विभाग करता है।

अब हम उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में हुए उच्च शिक्षा के विकास का अध्ययन करेंगे। हम प्रत्येक योजना की अवधि और आवंटन का उल्लेख करके उसमें उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को दी गयी प्राथमिकता तथा उनके लक्ष्य और उपलब्धियों का विवेचन करेंगे। इस अध्ययन की अवधि में चार पंचवर्षीय योजनाएं और तीन वार्षिक योजनाएं चलायी गयी। चतुर्थ योजना 1974 में समाप्त हो गयी। 1975 में पांचवीं योजना के आरम्भ में इस अध्ययन का अंतिम वर्ष होता है। अतएव हम चौथी योजना तक ही उच्च शिक्षा के विकास का अध्ययन करेंगे।

प्रथम पंच वर्षीय योजना, 1951-56

उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन् 1951 से आरम्भ हुई थी और 31 मार्च 1956 में समाप्त हो गयी। इस योजना का पूरा परिव्यय 153,37 करोड़ रुपये था जिसमें 18.07 करोड़ रुपये शिक्षा को आवंटित किए गए थे, जो योजना

परिव्यय का 11.8 प्रतिशत था। शिक्षा के आवंटन से 43 लाख रुपया उच्च शिक्षा के लिए दिया गया था जो उसका केवल 3 प्रतिशत था। इस योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा को दी गयी थी, क्योंकि उसके बारे में संविधान का निर्देश था। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा को और सबके अंत में उच्च शिक्षा को। उच्च-शिक्षा में प्रमुख कार्यक्रम उसको सुसंगठित और दृढ़ बनाने का था। आवश्यकतानुसार कुछनई संस्थाओं कोभी खोलने का प्रावधान था।

इस योजना में प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया था और कालेजों के अनुदान बढ़ाने का लक्ष्य था। शिक्षा में लोक-तांत्रीकरण कीभावना लाने के लिए गरीब और पिछड़ी जाति के लड़कों की सहायतार्थ छात्र वृत्तियाँ और वित्तीय रियायतें देने का भी प्रावधान था। योजना के अंत में मार्च सन् 1956 तक गोरखपुर में विश्वविद्यालय खोलने की तैयारियाँ ही होती रही और वह एकयोजना-अवधि में खुल न सका, किन्तु प्रदेश में 24 नये कालेज और चार अनुसंधान संस्थाएं खोली गईं। अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्ग के लड़कों की छात्रवृत्तियों में काफी वृद्धि कर दी गयी और विश्वविद्यालयों में शोध करने के लिए फेलोशिप बढ़ा दी गयी। इस योजना में उच्च शिक्षा में 55,340 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश दिया गया जिनमें से 5,818 बालिकाएं थीं। इसमें 242 नये शिक्षकों की नियुक्ति की गयी और पढ़ाने के कई नये विषय प्रारम्भ किए गए जैसे सांख्यिकी, शिक्षा शास्त्र आदि। इस योजना में जो नये कार्यक्रम आरम्भकिए गए वे निम्नांकित थे।

1- वैज्ञानिकअनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा अन्य शोध संस्थाओं को 4.71लाख रुपया दिया गया।

2- इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित और संसंगठित करने के लिए 13.43 लाख रुपये का विशेष अनुदान दियागया।

3- कला के महाविद्यालयों को 14.06 लाख अनुदान दिया गया।

4- गोरखपुर विश्वविद्यालय की नींव डालकर प्रारम्भिक व्यवस्था के लिए 4.50 लाख रुपया दिया गया।

5- इलाहाबाद ,लखनऊ और आगरा के सम्बद्ध कालेजों को 6.75 लाख रुपयों की छात्रवृत्तियाँ वितरित की गयी जो वर्ष में 10 महीने तक देय थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-1956-61

यह योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। इसका कुल परिव्यय 233.31 करोड़ रुपया था। इसमें से शिक्षा पर 14.31 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। जो कुल परिव्यय का 6.1 था। उच्च शिक्षा के लिए 1.75 करोड़ रुपया दिया गया था। जो शिक्षा की धन राशि का 12.2 प्रतिशत था। पहली योजना की अपेक्षा इस योजना में धनराशि और उसका अनुपात अधिक था। समाज सेवाओं में सबसे अधिक धन शिक्षा को आवंटित किया गया था। इस योजना में भी प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा को ही थी और फिर उसके बाद माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को थी।

इस योजना में गोरखपुर और वाराणसी में दो नये विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गयी थी। महाविद्यालयों के पुस्तकालय, प्रयोगशाला और छात्रावासों के लिए अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया था। नैनीताल, ज्ञानपुर और रामपुर के कालेजों के पाठ्यक्रम कोगअधिक सम्पन्न बनाने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ निम्नांकित थी-

1- 1957-58 के सत्र में गोरखपुर और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालयों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। इन विश्वविद्यालयों के व्यय के लिए क्रमश: 48.88 लाख और 39.96 लाख रुपये दिये गए।

2- इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों को उन्नत करने के लिए 46.09 लाख रुपये का अनुदान मिला।

3- आगरा विश्वविद्यालय को 8.57 लाख और उसके सम्बद्ध कालेजों को 11.35 लाख रुपये का अनुदान दियागया।

4- नैनीताल कालेज में .54 लाख रुपये व्यय करके फिजिकल कमेस्ट्री की एम0एस0सी0 कक्षाएं खोली गयी। रामपुर कालेज मेंवनस्पति विज्ञान और प्राणिशास्त्र और ज्ञानपुर कालेज में रसायन, वनस्पति विज्ञान और प्राणिशास्त्र की कक्षायें खोली गयी, जिनपर 2.45 लाख रुपये का व्यय किया।

5- प्रदेश के महाविद्यालयों के पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं आदि की उन्नति के लिए 5.50 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

6- प्रदेश में 128 कालेज हो गए जो पहले से दुगुने थे। छात्रों के नामांकन में 23,655 की वृद्धि हुई जिनमें 5,102 बालिकाएं थी। यह वृद्धि पहली योजना से आधी से कम थी किन्तु बालिकायें उतनी ही और बढ़ गयी। इस योजना में 3,277 नये शिक्षकों की नियुक्ति की गयी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना-1961-66

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक थी। इस योजना में कुल परिव्यय 560.63 करोड़ रुपये का था जिसमें से 44.71 करोड़ रुपये सामान्य शिक्षा पर व्यय किया गया था, जो कुल परिव्यय का 8 प्रतिशत था।उच्च शिक्षा को 4.94 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए जो कुल शिक्षा व्यय का 11 प्रतिशत था। इस योजना में भी शिक्षा की प्राथमिकताएं पूर्ववत् रही और उच्च-शिक्षा को अंतिम स्थान दिया गया।

इस योजना मेंउच्च शिक्षा के लक्ष्य में मेरठ, कानपुर और नैनीताल में तीन नये विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया तथा गोरखपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रावधान किया गया। दूसरा लक्ष्य उच्च शिक्षा में विज्ञान-शिक्षा को उन्नत बनाने का था। पिथौरागढ़ में एक नया डिग्री

कालेज खोलने तथा कुछ संस्कृत महाविधालय भी स्थापित करने का विचार था। लखनऊ इलाहाबाद और वाराणसी विश्वविधालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा करने तथा गोरखपुर और डिग्री कालेजों का विस्तार करने का भी उद्देश्य रखा गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नांकित उप ब्धियाँ हुई।

1- काशी विधापीठ और गुरुकुल कांगड़ी केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविधालय सम मान्य संस्थायें घोषित कर दी गयी।

2- पिथौरागढ़ में एक कालेज खोला गया तथा कुछ संस्कृत कालेजों की स्थापना हुई।

3- प्रदेश के प्राय: सभी विश्वविधालयों के अध्ययन स्तर को उठाने और विस्तार करने के लिए अनुदान दिए गए।

4- छात्रों की बरसरी का रुपया बढ़ा दिया गया।

5- सन् 1966 में कानपुर और मेरठ में विश्वविधालय खोले गए।

6- इस योजना में छात्रों का नामांकन 34,248 और अधिक हुआ जिनमें 11,307 लड़कियाँ थी। प्रथम दो योजनाओं की तुलना में इस योजना में नामांकन सर्वाधिक रहा।

7- इस योजना में 55 अधिक कालेज खोले गए।

8- इसमें 3,909 नये शिक्षक नियुक्त किए गए।

वार्षिक योजनाएँ-1966-69

तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में जैसा ऊपर बताया गया है कि तीन वर्षों का अंतराल हो गया है। इन वर्षों सन् 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में तीन वार्षिक योजनाएं चलाई गयी। इन तीनों की अवधि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक की थी। इन योजनाओं का कुलपरिव्यय 440.09 करोड़ रुपया था जिसमें से 12.31 करोड़ रुपये सामान्य शिक्षा पर व्यय हुआ था। कुल योजना परिव्यय का

2.6 प्रतिशत शिक्षा को मिला था। इसमें से 2.30 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा पर व्यय किये गए थे, जो कुल शिक्षा व्यय का 18 प्रतिशत था। इन योजनाओं में वरीयता प्राथमिक शिक्षा को ही दी गयी थी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के तुरंत बाद उच्च-शिक्षा की थी। उच्च-शिक्षा में संख्यात्मिक वृद्धि पर उतना जोर नहीं दिया गया था जितना उसकी गुणात्मक वृद्धि पर था। विश्वविद्यालयों और कालेजों में नये-नये विषय खोले गए थे। उनके अध्यापन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया गया था। इन वार्षिक योजनाओं की उपलब्धियाँ निम्नांकित हैं-

1- सन् 1966 और सन् 1969 के बीच 23 डिग्रीकालेजों को अनुदान सूचीपर लाया गया । और 321 नये विषयों को पढ़ाने के पदों की स्वीकृति दी गयी।

2- छात्रवृत्तियों सहित विश्वविद्यालयों को 60.51 लाख रुपया विकास और उत्थान के लिए दिया गया।

3- सन् 1966-67 से पिथौरागढ़ कालेज में बी०एस०सी० की कक्षाएं आरम्भ की गयी और नैनीताल के कालेज में न्यूक्लियर फिजिक्स में एम०एस०सी० खोला गया। ज्ञानपुर कालेज में रसायन में एम०एस०सी० पढ़ाना आरम्भ हुआ। रामपुर कालेज में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित, रसायन और भौतिकी में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ की गयी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बायोकेमेस्ट्री की कक्षाएं आरम्भ कर दी गयी।

4- इस अवधि में 34 अतिरिक्त कालेज खोले गए और नामांकन में 73,560 की बढ़ोत्तरी हुई जिसमें 19,328 लड़कियाँ थी।

5- इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर विश्वविद्यालयों में सहकारी पुस्तकालय खोले गए जिनसे गरीब छात्रों को पुस्तकें पूरे वर्ष के लिए उधार दी जाती थी।

6- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित नये वेतन मान उच्च-शिक्षा के शिक्षकों को दिए गए।

7- शिक्षकों के व्यावसायिक में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने हेतु उनके पी-एच0डी0 करने पर दो अग्रिम वृद्धियाँ 1966-67 के सत्र में देना आरम्भ किया गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना-1969-74

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक की थी। इस योजना का कुल परिव्यय 1162.59 रुपया था जिसमें से 57.01 करोड़ रुपये सामान्य-शिक्षा को दिए गये थे, जो कि कुल व्यय का 5 प्रतिशत था। उच्च-शिक्षा को 6.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जो कुल शिक्षा व्यय का 11 प्रतिशत था। शिक्षा में प्राथमिकताएं पहले जैसी ही था जिसमें उच्च-शिक्षा सबसे अंत में आती थी।

चौथी योजना में यह लक्ष्य रखा कि नई संस्थाओं को खोलने के बजाय प्रचलित संस्थाओं को दोबारा सुधारा जाय, एवं प्रभावकारी और सशक्त बनाया जाय। नैनीताल में एक नया विश्वविधालय खोलने का प्रस्ताव था। विज्ञान-शिक्षण को विशेष करके स्नातकोत्तर स्तर पर और उन्नत करने का विशेष लक्ष्य रखा गया। विश्वविधालय और कालेजों को सरकार ने अनुरूप (मैचिंग) अनुदान देने की राज्य ने व्यवस्था की थी, जिससे वह अनुदान-आयोग से अध्यापन स्तर बढ़ाने के लिए प्राप्त होने वाले अनुदान का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

इस योजना की निम्नांकित उपलब्धियाँ थी-

1- सन् 1973-75 के सत्र में पहाड़ी क्षेत्र कुमायूँ और गढ़वाल स्थान पर दो विश्व-विद्यालय खोले गए जिनके मुख्यालय क्रमशः नैनीताल और श्रीनगर में रखे गये।

2- काशी विद्यापीठ वाराणसी को 15 जनवरी 1974 से एक सम्पूर्ण विश्व-विद्यालय का दर्जा दे दिया गया।

3- इस अवधि में 87 नये कालेज खोले गये जिनमें से 12 सरकारी थे। 52 कालेजों को अनुदान सूची पर लाया गया और अल्मोड़ा और काशीपुर के कालेज शासकीय प्रबन्ध में ले लिए गए।

4- उच्च शिक्षा में 1,22,864 छात्र संख्या में बढ़े जिनमें 22,271 बालिकाएं थीं। शिक्षकों की संख्या भी 3,810 बढ़ गई।

5- विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को लिखने और अनुवाद करने के लिए 1969-70 में हिन्दी ग्रंथ अकादमी स्थापित की गयी।

6- उच्च शिक्षा के लिए 1973 में इलाहाबाद में एक निदेशालय स्थापित किया गया।

7- विश्वविद्यालय में बालकों के कल्याण हेतु छात्र-कल्याण अधिष्ठाता (डीन आफ स्टूडेण्ट वेलफेयर) की नियुक्ति की गयी।

पंच वर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा का विवेचन-

अब हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा के आवंटन और उसकी उपलब्धियों का एक साथ अध्ययन करेगें जिससे यह पताचल सकें कि उच्च-शिक्षा के आयोजन में क्या प्राथमिकता दी गयी थी। यह कार्य हम दो सारणियों की सहायता से करेंगे। पहली सारणी 9.1 में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं में जो धन राशि शिक्षा के विभिन्न स्तरों को आवंटित की गयी थी, वह दर्शायी जायेगी। प्रत्येक आवंटन के नीचे कोष्ठकों में जो संख्या दी गयी है, वह इन आवंटनों का उस योजना के कुल शिक्षा व्यय का प्रतिशत् दर्शाती है-

सारणी क्रमांक-9.1

उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर परिव्यय

(रुपयों करोड़ों में)

शिक्षा का स्तर	पहलीयोजना	दूसरी योजना	तीसरीयोजना	वार्षिक योजना	चौथी योजना	पाँचवीयोजना
प्राथमिक शिक्षा	12.71	8.41	29.49	7.32	37.91	51.28
	(70)	(59)	(66)	(60)	(67)	(54)
माध्यमिक शिक्षा	1.25	2.97	7.41	2.40	9.90	25.76
	(7)	(21)	(17)	(20)	(17)	(27)
विश्वविद्यालयशिक्षा	0.43	1.75	4.94	2.30	6.38	12.72
	(3)	(12)	(11)	(18)	(11)	(13)
अन्य कार्यक्रम	3.68	1.18	2.87	0.29	2.82	5.58
	(2)	(8)	(6)	(2)	(5)	(6)
योग	18.07	14.31	44.71	12.31	57.01	95.34
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

स्रोत- ड्राफ्ट सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान 1980-85 (रिव्यू) वालूम प्रथम (लखनऊ यू0पी0- (प्लानिंग डिपार्टमेंण्ट नवम्बर 1980) पृ0-465

इस सारणी से पता चलता है कि सभी योजनाओं में पहलीप्राथमिक पशिक्षा को दी गयी है जिसको प्राय: कुल शिक्षा के 60 प्रतिशत के ऊपर ही आवंटित किया गया था। यह इसलिए किया गया कि इसके लिए संवैधानिक निर्देश थे जिसे 1960 तक पूरा करना था जो न हो सका किन्तु पाँचवी योजना में इस स्तर पर काफी नामांकन हो गया था जिससे उसका अनुपात 60 से कमकर दिया गया। जैसे-जैसे प्रारम्भिक शिक्षा का

चार्ट- 10
पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा पर व्यय

आधार बढ़ता गया उससे उत्तीर्ण होकर अधिकाधिक छात्र माध्यमिक विधालयों में प्रवेश लेने लगे। इससे माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना आवश्यक हो गया।अतएव दूसरी प्राथमिकता माध्यमिक शिक्षा को दी गयी है। किन्तु माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद साधन विहीन छात्र आगे पढ़ना समाप्त कर देते है और कुछ व्यावसायिक शिक्षा में चले जाते है।अतएव उच्च-शिक्षा में इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी माध्यमिक स्तर में होती है। फिर भीनौकरियों का उच्च उपाधि से जुड़ा होना छात्रों को उच्च-शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रेरितकरता रहा है।कुछ को जब कोई व्यवसाय व नौकरी न मिली तो उन्होनें अपने समय का सदुपयोग डिग्रियाँ प्राप्त करने में किया। इस कारर्ण उच्च शिक्षा में भी अभूतपूर्व वृद्धि होती रही और उसको आवंटन करने में तीसरा स्थान मिलता रहा।

पहली योजना में उच्च शिक्षा को कुल शिक्षा व्यय का 3 प्रतिशत आवंटित किया गया जो अनुपात दूसरी योजना में बढ़कर चौगुना अर्थात 12 प्रतिशत हो गया और वार्षिक योजनाओं में उसका 6 गुना अर्थात 18 प्रतिशत हो गया। तीसरी योजना में यह प्रतिशत घटकर 11 प्रतिशत रह गया और चौथी योजना में भी यही अनुपात स्थिर रहा। पांचवी योजना में अवश्य यह अनुपात 2 प्रतिशत से बढ़ गया। ऐसा जान पड़ता है कि योजनाओं में स्कूली शिक्षा के सामने विश्वविधालयीं शिक्षा वरीयता न पा सकी।

अब हम नीचे की सारणी क्रमांक 9.2 में इन योजनाओं में हुई उच्च शिक्षा की उपलब्धियों का विवेचन करेगें-

सारणी क्रमांक- 9.2

पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च-शिक्षा की उपलब्धियाँ

विषय	प्रथमयोजना	द्वितीययोजना	तृतीय योजना	वार्षिक योजना	चतुर्थ योजना	योग
	﴾1951-56﴿	﴾1956-61﴿	﴾1961-66﴿	﴾1966-69﴿	﴾1969-74﴿	
1-विश्वविद्यालयों की संख्या	-	3	2	2	3	10
2-कालेजों की संख्या	25	63	55	34	87	264
कुलनामांकन	27,443	23,503	38,874	66,730	1,22,864	2,79,414
4-बालकों की संख्या	23,942	18,403	23,179	51,884	1,00,593	2,18,001
5-बालिकाओं की संख्या	3,501	5,100	15,695	14,846	22,271	61,413
6-शिक्षकों की संख्या	1,251	1,920	2,772	2,285	3,830	12,058

स्रोत- फाइव-ईयर-प्लानसआफ यू०पी० एण्ड﴾शिक्षा की प्रगति﴿-1976-77
﴾इलाहाबाद डाइरेक्ट्रेट आफ एजूकेशन, यू०पी०﴿

सारणी से ज्ञात होता है कि पहली योजना को छोड़कर प्रत्येक योजना और वार्षिक योजनाओं में 2 या 3 नये विश्वविद्यालय खोले गये है जिसकेपरिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक विश्वविद्यालयों है। योजनाओं में कुल 264 अतिरिक्त कालेज खोले गए जो चौथी योजना में सबसे अधिक 87 थे उच्च-शिक्षा के नामांकन में 2.79 लाख की वृद्धि हुई। इनमें बालक 2.18 लाख थे और बालिकाएं 61.4 हजार थीं।

नामांकन संख्या बढ़ने के साथ शिक्षकों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक थी। सभी योजनाओं में 12,058 शिक्षक बढ़े जिससे सबसे अधिक चौथी योजना में बढ़े। इस प्रकार उच्च शिक्षा की संस्थाओं में नामांकन और शिक्षकों की संख्या में योजनाओं की अवधि में काफी वृद्धि हुई थी। शिक्षकों की सर्वाधिक अनुपातिक वृद्धि दूसरी औरतीसरी योजनाओं में हुई। जब कृमशः 12 और 14 छात्रों पर 1 शिक्षक बढ़ाया गया। यह अनुपातिक वृद्धि चौथी योजना में सबसे कम थी। जब 32 छात्रों पर 1 शिक्षक की वृद्धि की गयी थी।

मूल्यांकन-

पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा के इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि योजना परिव्यय से उच्च शिक्षा के शिक्षा-आवंटन करने में कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी और उसमें उपलब्धियाँ भी कोई बहुत आकर्षक नहीं हुई। अंतिम वर्ष में उत्तर प्रदेश में 50 लाख की जन संख्या के लिए 1 विश्वविधालय था और 2.74 लाख की जनसंख्या के लिए एक महाविधालय उपलब्ध था। यदि हम इनकी तुलना अखिल भारतीय मानकों से करें तो हमें पता चलेगा कि भारत में 59 लाख जनसंख्या के लिए 1 विश्वविधालय और 163 लाख की जनसंख्या के लिए 1 महाविधालय था। इससे जान पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिए विश्वविधालय अधिक थे, किन्तु महाविधालय बहुत कम थे। योजनाओं में इसके भारतीय मानक तक पहुँचने के लिए उत्तर प्रदेश में और अधिक कालेज खोले जाने चाहिए थे। अधिक विश्वविधालय खोलने से व्यय अधिक बढ़ गया है, किन्तु उतने ही धन से कालेजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती थी। प्रदेश में हर क्षेत्र में एक विश्वविधालय है और पहाड़ी क्षेत्र में दो खोल दिए गए हैं। जहाँ एक से ही कामचल सकता था। सामान्य शिक्षा के विश्वविधालय के अतिरिक्त 3-3 कृषि के विश्वविधालय खोले गए जबकि महाराष्ट्र को छोड़कर सभी प्रदेशों में प्राय: एक कृषि विश्वविधालय है। विश्वविधालयों की भरमार करने से कालेजों की संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

जैसी अध्याय में हमने गणना की है उसके 17-23 आयुवर्ग के 3.48 प्रतिशत व्यक्तियों को अब उच्च शिक्षा सुविधायें उपलब्ध थी जो योजनाओं के आरम्भ होने के पूर्व वर्ष की दस गुनी थी। योजनाओं में उच्च - शिक्षा के नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई थी।

===

खण्ड ३ : तुलनात्मक अध्ययन और सामान्यीकरण

अध्याय-10

तुलनात्मक-अध्ययन

इस अध्याय में हम उत्तर प्रदेश सामान्य उच्च शिक्षा की स्वतंत्रता बाद हुई प्रगति की अन्य प्रदेशों की प्रगति से तुना करेगें। तुलना के लिए हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रदेशों में से पंजाब, मध्यप्रदेश और बिहार के लेगें। इनके अतिरिक्त देश के हम तीन बड़े प्रदेश महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल को भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए सम्मिलित करेगें।

यह तुना हम चार प्रकार से करेगें। पहले हम राज्यों की जनसंखया और उसकी शैक्षिक व्यवस्था पर प्रभाव देखेगें। दूसरे में उच्च-शिक्षा की उपलब्ध सुविधाओं का विवेचन करेंगे तीसरे राज्यों की आय और शिक्षा पर व्यय का विश्लेषण करेंगे और चौथे में प्रतिछात्र और प्रति शिक्षक व्यय का आकलन करेंगे। अंत में प्रत्येक राज्य की बैलेन्स सीट बनाकर तथा राज्यों का क्रमांक कर उत्तर प्रदेश की उच्च-शिक्षा के प्रयासों का मूल्यांकन करेंगे। ये सब तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 1970 -71 में किया जायेगा। तब तक स्वतंत्रता के बाद के 20 वर्ष से अधिक हो चुके होंगे और इन दशकों में उच्च-शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का उचित मूल्यांकन हो सकेगा।

विभिन्न प्रदेशों की जनसंखया-

नीचे की सारणी में राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंखया का विवरण दिया गया हैं।

सारणी क्रमांक-10.1

विभिन्न राज्यों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

राज्य	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	घनत्व	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत्	अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत्
उत्तरप्रदेश	2,94,413	8,83,41,144	300	20,91	-
तमिलनाडु	1,30,069	4,11,99,168	317	18,03	0.75
पंजाब	50,362	1,53,51,060	269	20,38	0.07
पश्चिमबंगाल	87,853	4,43,12,011	504	19.90	5.91
बिहार	1,73,876	5,63,53,369	324	14.07	9.05
मध्यप्रदेश	4,42,841	5,16,54,119	94	13.14	20.63
महाराष्ट्र	3,07,762	5,04,12,235	164	5.63	6.06
भारत	32,87,782	54,81,59,672	177	14,59	6.94

स्रोत- भारत की जन गणना- रिपोर्ट-1971

ऊपर की सारणी से ज्ञात होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आता है, जो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 9 वाँ भाग है। बहुत अधिक विस्तार होने के कारण इसमें सभी प्रकार के मैदानी, पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र आ गए है। अंतिम दो प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। वह अन्य प्रदेशों की जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। जन संख्या अधिक होने से शिक्षा की व्यवस्था अधिक लोगों के लिए और दूर-दूर स्थानों पर करना पड़ती है। इस जनसंख्या का घनत्व पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य प्रदेशों से अधिक है। इसके कारण शिक्षा की व्यवस्था में कुछ सुविधा अवश्य मिलती है क्योंकि घने बसे हुए क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में एक ही शिक्षालय का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत् है किन्तु अनुसूचित जन जातियाँ बिल्कुल नहीं है। समाज के दुर्बल वर्ग बड़े गरीब होते है। और इनमें शिक्षा कम होने के अतिरिक्त उच्च-शिक्षा प्राप्त करने की वित्तीय सामर्थ भी नहीं होती है। शिक्षा का प्रजातांत्रीकरण करने हेतु उनके लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय रियायतों का बड़ी मात्रा में प्रबन्ध करना पड़ता है जो शिक्षा के व्यय को बहुत बढ़ा देता है। सौभाग्य से उत्तर-प्रदेश में जन जातियों की संख्या नगण्य है किन्तु अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। इनकी उच्च-शिक्षा की व्यवस्था करने में कठिनाई आती है।

उच्च-शिक्षा की सुविधाएं-

दूसरी सारणी में प्रदेशों में उपलब्ध उच्च-शिक्षा की सुविधाएं दशायी गयी हैं। इसमें संस्थाओं की संख्या नामांकन और अध्यापकों की संख्या प्रदर्शित की गयी है।

सारणी-10.2

राज्यों में संस्थायें, छात्र और शिक्षक, 1970-71

राज्य	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	शोध-संस्थान	कुल नामांकन	कुल शिक्षा
उत्तरप्रदेश	11	247	2	2,51,122	12.476
तमिलनाडु	3	131	3	1,85,931	8.479
पंजाब	3	120	-	1,00,504	4.083
पश्चिमीबंगाल	7	192	5	2,47,831	10.254
बिहार	6	197	5	1,87,119	7.584
मध्य-प्रदेश	10	194	-	1,15,732	5.208
महाराष्ट्र	8	213	18	2,30,433	9.068
भारत	82	2,285	49	22,45,966	1,01,493

स्रोत- एजूकेशन इन इंडिया दिल्ली शिक्षा मंत्रालय- 1970-71

उत्तर प्रदेश में 11 विश्वविद्यालय है जो सभी प्रदेशों से अधिक है। महाविद्यालयों की संख्या भी सर्वाधिक है। शोध संस्थान सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। छात्रों कानामांकन ढाइ लाख से ऊपर है जो सभी प्रदेशों से अधिक है। यह भारत वर्ष में उच्च-शिक्षा प्राप्त करने वाले कुल छात्रों का 9 वाँ भाग है शिक्षकों की संख्या भी लगभग साढ़े बारह हजार है जो सभी प्रदेशों से सर्वाधिक है। देश के 1/8 शिक्षक उत्तर प्रदेश में पढ़ाते हैं।

इस प्रकार उच्च-शिक्षा की सुविधाओं कीदृष्टि से उत्तर-प्रदेश संस्थाओं छात्रों और शिक्षकों की संख्याओं में सबसे आगें है। यह स्वाभाविक भीहै क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सब प्रदेशों से अधिक है। केवल शोध संस्थान की दृष्टि से यह प्रदेश पीछे है किन्तु जब सामान्य शिक्षा उपलब्ध कराने में अधिकांश धनराशि लग जाय तो शोध कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। किन्तु अनुसंधान-शिक्षा के उन्नयन का एक

आवश्यक अंग है। अतएव उसकी अधिक व्यवस्था होनी आवश्यक है।

विभिन्न प्रदेशों में उच्च-शिक्षा पर व्यय-

निम्नांकित सारणी में राज्यों की आय और उच्च-शिक्षा पर व्यय दर्शाया गया है।

सारणी-10.3

राज्यों की आय और शिक्षा पर व्यय-1970-71- हजार रुपयों में

राज्य	कुल आय	प्रतिव्यक्ति आय रुपए	शिक्षा पर कुल व्यय	उच्च-शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय	उच्च-शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय का कुलप्रत्यक्ष व्यय से प्रतिशत	प्रति व्यक्ति उच्चशिक्षा पर व्यय
उत्तरप्रदेश	33.940	38.41	11,532.76	1942.77	20.2	2.20
तमिलनाडु	28,905	70,15	10009.91	972.95	11.5	2.37
पंजाब	11,848	87.43	3979.16	731.28	21.1	5.40
पश्चिम बंगाल	29,468	66.50	5122.37	1408.25	17.8	3.18
बिहार	32.369	41.47	5270.74	787.68	18.2	1.40
मध्य-प्रदेश	19.770	47.47	6517.91	636.87	11.1	1.52
महाराष्ट्र	43.315	85.92	16157.16	1718.42	12.5	3.40
भारत	338984	61.84	111828.61	15571.89	16.2	2.84

स्रोत- एजूकेशन इन इंडिया दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1970-71

चार्ट -11
विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा पर व्यय
1970-71
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20·2
11·5
21·1
17·8
18·2
11·1
12·5
उत्तरप्रदेश
तमिलनाडु
पंजाब
पश्चिमबंगाल
बिहार
मध्यप्रदेश
महाराष्ट्र

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक आय उत्तर-प्रदेश की है किन्तु जनसंख्या के अधिक्य के कारर्ण प्रति व्यक्ति आय सबसे कम हो गयी है। यह भारत की औसत प्रतिव्यक्ति आय के आधे से कुछ ही अधिक है।

शिक्षा पर कुल व्यय महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का ही है किन्तु उच्च-शिक्षा पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक खर्च करता है। इसका उच्च-शिक्षा पर खर्च सभी प्रदेशों में सबसे अधिक है। उच्च-शिक्षा पर व्यय का कुल शैक्षिक व्यय का प्रतिशत पंजाब में सबसे ऊँचा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश कहा है। महाराष्ट्र के व्यय से यह 8 प्रतिशत अधिक है। किन्तु उच्च-शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय उत्तर प्रदेश में केवल बिहार और मध्य प्रदेश से ही अधिक है तथा अन्य प्रदेशों से कम है यह अखिल भारतीय औसत से भी कम है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा पर व्ययकरने की यधपि उत्तर-प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है फिर भी वह कुल शिक्षा पर महाराष्ट्र को छोड़कर सभी प्रदेशों से अधिक व्यय कर रहा है। तथा उच्च-शिक्षा पर उसका व्यय सर्वाधिक है। जनसंख्या के बाहुल्य के कारर्ण प्रति व्यक्ति व्यय अवश्य दो को छोड़कर अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

प्रति छात्र और प्रति शिक्षक व्यय की तुलना-

नीचे की सारणी में विश्वविधालय और महाविधालय में होने वाले प्रति छात्र और प्रति शिक्षक व्यय प्रदर्शित किया गया है।

सारणी-10.4

प्रति छात्र और प्रतिशिक्षक व्यय की तुलना-1970-71

	प्रति-छात्र व्यय (रूपयों में)		प्रति-शिक्षक वेतन (रूपयों में)	
	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
उत्तरप्रदेश	1,722	426	8,935	5,121
तमिलनाडु	726	468	8,735	6,026
पंजाब	4,511	416	12,033	6,041
पश्चिमबंगाल	10,826	306	9,075	6,359
बिहार	2,646	296	9,364	5,405
मध्यप्रदेश	1,878	425	9,843	5,757
महाराष्ट्र	15,495	463	9,264	7,129
भारत	2,940	450	11,066	6,564

स्रोत- गणना द्वारा निर्मित ।

सारणी से स्पष्ट है कि तमिलनाडु को छोड़कर उत्तर प्रदेश के विश्वविधालयों प्रति छात्र व्यय सबसे कम है। यह अखिल भारतीय मानक से भी कम है। किन्तु महा-विधालयों में प्रतिछात्र व्यय तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से कम है। यह अखिल भारतीय औसत से भी कम है। यह व्यय राज्यों के व्ययों के मध्यांक सा है।

प्रति शिक्षक वेतन उत्तर प्रदेश के विश्वविधालयों में केवल तमिलनाडु से ही अधिक है अन्य राज्यों के शिक्षक अधिक वार्षिक वेतन पा रहे है। पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में भारतीय औसत से यह कम है। महाविधालयों में प्रति शिक्षक वेतन-

चार्ट- 12
विभिन्न राज्यों की उच्च शिक्षा में प्रति छात्र व्यय
1970-71

उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। यह भारतीय मानक से भी नीचे चला गया है।

राज्यों की बैलेंस सीट-

डा0 आत्मानंद मिश्र ने अपनी पुस्तक शिक्षा का वित्त-प्रबन्धन"[1] में राज्यों के शिक्षा विकास का मूल्यांकन एवं तुलना करने के लिए और उनके निष्पादन के अनुसार उनका क्रमांकन करने के लिए कुछ निकषों (क्राइटेरिया) के आधार पर बैलेंस सीट बनाने की विधि बताई है उन्होने निम्नांकित चार निकष दिये हैं-

1- सामर्थ्य (एबिलिटी)- जिसका तात्पर्य-शिक्षा की सहायता या पोषण करने की सामर्थ्य से है। जनसंख्या के प्रति व्यक्ति राज्य की राजस्व आय सामर्थ्य कहलाती है।

2- प्रयत्न(एफर्ट) - इस का तात्पर्य शैक्षिक प्रयास से है,और यह राजस्व की आय का वह अंश होता है जो शिक्षा पर व्यय किया जाता है। इसे शिक्षा परहोने वाले व्यय को राज्य की कुल आय से विभाजित करते है उसको 100 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है।

3- निष्पत्ति (एकम्पलिशमेण्ट)- इसका प्रयोजन शैक्षिक उपलब्धि से है। इसको नापने के लिए नामांकन की संख्या को वय वर्ग के बालकों की संख्या से विभाजित करके 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है।उच्च-शिक्षा में 17-23 वय वर्ग के बालक आते हैं।

4- साक्षरता (लिट्रेसी)- यहपौढ़ जनसंख्या में शैक्षिक स्तर को बताती है। यह प्राय: सेंसेस रिपोर्टों से प्राप्त कर ली जाती है।

1-डॉ0 आत्मानन्द मिश्र, शिक्षा का वित्त-प्रबंधन(कानपुर ग्रंन्थम-197) पृ0-

इन चारों निकषों के आधार पर हम उपर्युक्त सातों राज्यों का तुलना-पत्र ﴾बैलेंस सीट﴿ नीचे की सारणी में प्रस्तुत करते है-

सारणी-10.5

राज्यों का शैक्षिक-संतुलन-पत्र- ﴾बैलेंस सीट﴿

राज्य	पोषण की सामर्थ	क्रमांक	शैक्षिक प्रयत्न	क्रमांक	शैक्षिक निष्पत्ति	क्रमांक	साक्षरता प्रतिशत	क्रमांक
उत्तरप्रदेश	38.41	7	5.7	2	6.0	2	21.64	6
तमिलनाडु	70.15	3	3.4	5 क	3.4	5	39.39	1
पंजाब	87.43	1	6.2	1	6.3	1	33.39	3
पं०बंगाल	66.50	4	4.8	3	4.7	3	33.05	4
बिहार	41.47	6	3.4	5ख	2.8	6	19.97	7
मध्यप्रदेश	47.47	5	3.3	7	2.0	7	23.03	5
महाराष्ट्र	85.92	2	4.0	4	3.5	4	39.06	2
भारत	61.85	-	444	-	3.9	-	29.35	-

स्रोत - गणना द्वारा निर्मित ।

सारणी से ज्ञात होता है कि शिक्षा के पोषण की सामर्थ उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। सबसे अच्छी सामर्थ पंजाब की है फिर महाराष्ट्र की है।उत्तर प्रदेश की बिहार से भी कम और अंतिम क्रमांक परहै किन्तु उच्च-शिक्षा के लिए उत्तर-प्रदेश का प्रयत्न पंजाब केबाद क्रमांक-2 पर है।यह सराहनीय है।सामर्थ बहुत कम होते हुए भी उत्तर-प्रदेश में उच्च-शिक्षा के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया है।अच्छी सामर्थ वाले महाराष्ट्र और तामिलनाडु जैसे प्रदेश भी उससे पिछड़ गए है।

चार्ट-13

उच्च शिक्षा के लिए राज्यों की सामर्थ्य और प्रयत्न

संकेत-
सामर्थ्य-
प्रयत्न-

उच्च-शिक्षा की निष्पत्ति में सात प्रांतों में उत्तर प्रदेश का दूसरा क्रमांक है। पहला स्थान पंजाब ने प्राप्त किया है। महाराष्ट्र तमिलनाडु, पं0 बंगाल, बिहार जैसे विकसित राज्य उत्तर प्रदेश की तुलना में पिछड़ गए है। साक्षरता में उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। साक्षरता प्राय: प्रारम्भिक शिक्षा तथा पौढ़ शिक्षा पर निर्भर करती है। उच्च-शिक्षा से इसका केवल इतना ही सम्बन्ध है कि 21 से 23 वर्ष तक के वयस्क इसके अंतर्गत आते है। साक्षरता में उत्तर प्रदेश बहुत पहले से ही पिछड़ गया था और उसकी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना कठिन था।

ऊपर की सारणी के प्रथम तीन निकषों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि उच्च-शिक्षा में सबसे अच्छा निष्पादन पंजाब का रहा है और उसके बाद उत्तर-प्रदेश का किन्तु पंजाब की सामर्थ सर्वाधिक थी, अतएव उसका निष्पादन सर्वोपरि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो उत्तर-प्रदेश के निष्पादन का है जिसकी सामर्थ्य सबसे कम ही हुए भी प्रयत्न और निष्पत्ति दोनों ही बहुत अच्छी रही है। अतएव हम कह सकते है कि उत्तर-प्रदेश में उच्च-शिक्षा कीप्रगति अपने पड़ोसी राज्यों तथा पंजाब को छोड़कर देश के अन्य तीन उन्नतशील राज्यों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी रही हैं।

===

अध्याय-11

निष्कर्ष और सुझाव

इस शोध का समस्या "स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास" है। स्वातंत्र्योत्तर काल की अवधि सन् 1950 से 1975 तक ली गयी है। उच्च शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की सामान्य शिक्षा के विकास का अनुशीलन किया गया है। इसके अध्ययन का उद्देश्य इस अवधि के पंच वार्षिकी में उच्च शिक्षा की प्रगति तथा पंच वर्षीय योजनाओं के विकासात्मक कार्यों को आंकना, उच्च शिक्षा के व्यय का विश्लेषण करना, उसके विकास की प्रवृत्तियों को बताना तथा भारत और उसके कुछ राज्यों से उत्तर प्रदेश की शिक्षा के विकास की तुलना करना है। इसमें ऐतिहासिक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। केन्द्र तथा राज्य द्वारा प्रकाशित शिक्षा रिपोर्टों के प्राथमिक स्त्रोतों से प्रायः सामग्री ली गयी है। इस सामग्री का विवेचन ग्यारह अध्यायों में किया गया है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर कई विश्वविद्यालयों में अनुसंधान हुई है किन्तु उसकी सामान्य उच्च शिक्षा के विकास पर कहीं कोई शोध प्रबन्ध नहीं प्रस्तुत किया गया है, अतएव शोध कर्त्ता ने इसे अपनी अनुसंधान का विषय चुना है।

विभिन्न अध्यायों के किए गये विश्लेषण और विवेचन से जो निष्कर्ष निकलते है। उनका संक्षेप में नीचे वर्णन किया जायेगा।

निष्कर्ष-

1- आधुनिक उच्च शिक्षा का आरम्भ ब्रिटिश काल में सन् 1857 में तीन विश्व-विद्यालयों की स्थापना के बाद हुआ यद्यपि ब्रिटिश शासन ने प्रारम्भिक शिक्षा की अपेक्षा माध्यमिक और उच्च-शिक्षा पर अधिक बल दिया था, फिर भी सन् 1946-47

तकउत्तर प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय और 16 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय स्थापित हो सके। इनमें कुल नामांकन 11,937 था जो 17-23 आयु वर्ग की जन संख्या का 0.17 प्रतिशत ही था।

2- शिक्षा की नीति निर्धारित करते हुए संविधान में उच्च-शिक्षा और अनुसंधान में एक रूपता लाने तथा मानकों को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व केन्द्र ने अपने हाथ में रखा। अलीगढ़ और बनारस के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर और सब शिक्षा राज्यों के अधिकार में कर दी गयी। उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए केन्द्र ने 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया जिसने त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश ने इसे अमान्य किया और पूर्ववत् द्विवर्षीय पाठ्यक्रम ही चलाता रहा। शिक्षा का माध्यम धीरे-धीरे हिन्दी कर दिया गया। कोठारी आयोग (1965-66) की अनुशंसायें देश में लागू न हो सकी और उस पर संसद द्वारा पारित शिक्षा-नीति का प्रस्ताव (1968) भी प्राय: क्रियान्वित न हो सका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयत्नों से उच्च-शिक्षा की उन्नति सम्बन्धी अनुसंशाओं को अवश्य लागू किया गया।

3- स्वतंत्रता के बाद के 25 वर्षों में विश्वविद्यालयों की संख्या 4 गुनी बढ़कर 19 हो गयी और महाविद्यालयों की संख्या 22 गुनी बढ़कर 346 हो गयी। एक विश्वविद्यालय सममान्य संस्था स्थापित हुई और दो अनुसंधान संस्थान खोले गये। उच्च-शिक्षा में नामांकन 6.3 गुना बढ़कर 3.63 लाख और शिक्षकों की संख्या 5.4 गुनी बढ़कर 16 हजार के ऊपर हो गयी। 17-23 आयु वर्ग के 3.5 प्रतिशत बालकों को उच्च-शिक्षा की सुविधायें प्राप्त थीं।

उच्च शिक्षा का प्रशासन -

यद्यपि स्वतंत्र्योत्तर काल में उच्च शिक्षा की काफी प्रगति हुई किन्तु उसके प्रशासन को उसके अनुरूप बढ़ाने और उसके आधुनिकीकरण करने का संतोषप्रद प्रयास

नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए सन् 1972 में एक निदेशालय इलाहाबाद में खोला गया किन्तु इस निदेशालय का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। निदेशालय पर निजी कालेजों के वेतन वितरण, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति देने छात्र वृत्ति बाटने आदि का इतना अधिक कागजी काम रहता है कि वह शिक्षालयों का निरीक्षण करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में असमर्थ है। उसका विश्वविधालयों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके शिक्षकों और प्रशासकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था प्रदेश में नहीं है। अतएव निदेशालय उच्च शिक्षा पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख सकता है।

5- निदेशालय पर राजनीतिक दबाव होने के कारण वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता है। निजी कालेजों को मान्यता दिलाने और सरकारी कालेजों में शिक्षकों के स्थानान्तरण करने में वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह पाता है। शिक्षा संस्थाओं के आर्थिक गड़बड़ियों और छात्रों की अनुशासन हीनता पर भी उसका कोई प्रभावशाली अंकुश नहीं है।

6- उत्तर प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 21 प्रतिशत अनुसूचित और आदिवासियों की है। इनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करने मेंप्रशासन कृति कार्य नहीं हो सका है। उच्च-शिक्षा के मापदण्डों को गिरने से रोकने के लिए भीउनसे सफलप्रयास नहीं किया है।

7- उच्च शिक्षा के अध्यापन और अनुसंधान के मापदण्डों के स्थिर करने के तथा उसके समायोजन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है जिसे वह उच्च शिक्षा को सहायक अनुदान देकर पूर्ण करता है। उच्च शिक्षा के शेष अधिकार राज्य सरकार पर निर्भर है। बनारस हिन्दू-विश्वविधालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविधालय केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं और शेष 14 सामान्य शिक्षा के विश्वविधालय राज्य सरकार के है। प्रत्येक 67.75 लाख व्यक्तियों के लिए एक विश्वविधालय हर क्षेत्र में खोल दिया गया। भारत वर्ष में सर्वाधिक विश्वविधालय उत्तर प्रदेश में है।

8- कानपुर, आगरा, अवध, बुन्देलखण्ड तथा रुहेलखण्ड, मेरठ के विश्वविधालय केवल संबंद्धक है। इनके खोलने में विश्वविधालय शिक्षा अनुदान आयोग की सहमति प्राप्त न हो सकी जिससे वे उसकी आर्थिक सहायता से वंचित है। उनका आर्थिक भार राज्य सरकार पर पड़ता है जिसकी व्यय करने की सीमाएं है। अतएव इन विश्वविधालयों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। शेष विश्वविधालय एकिक, अध्यापन और संम्बद्धक है। उनको आयोग से पर्याप्त सहायता मिलने के कारण उनका अच्छा विकास हुआ है। दो केन्द्रीय विश्वविधालयों को केन्द्र सरकार से सभी सहायता मिलने के कारण पर्याप्त विकास हुआ है और उसमें सर्वाधिक संकाय खुले है।

9- संम्बद्ध कालेज सबसे अधिक सम्पूर्णानन्द विश्वविधालय में है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे देश में है फिर क्रमश: गोरखपुर , कानपुर और मेरठ विश्वविधालय के सम्बद्ध कालेज है।

10- सबसे अधिक संकाय बनारस और अलीगढ़ विश्वविधालयों में है। कला, विज्ञान और वाणिज्य के संकाय प्राय: सभी विश्वविधालयों में पाई जाती हैं। इलाहाबाद , अलीगढ़ लखनऊ, काशी विधापीठ एकिक विश्वविधालय है। सबसे अधिक विभाग 99 बनारस में, फिर लखनऊ और अलीगढ़ में है। सबसे कम विभाग 8 मेरठ में है।

11- सन् 1975-76 में सर्वाधिक शिक्षक 1,986 गोरखपुर विश्वविधालय में थे। तदनन्तर मेरठ, लखनऊ और कानपुर थे। गुरुकुल कांगड़ी में सबसे कम 42 और काशी विधापीठ में 87 शिक्षक थे। इस वर्ष विश्वविधालय के शिक्षण विभागों में सर्वाधिक 564 शिक्षक बनारस में थे। फिर क्रमश: अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ में थे। मेरठ में कुल 18 ही शिक्षक थे।

12- वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा दलगत राजनीति के झगड़ों में पड़कर शायद प्राध्यापक अध्यापन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते जिससे उच्च शिक्षा के मापदण्ड में गिरावट आना पाया जाता है। छात्रों ने कुछ विश्वविधालयों के परिसर को अशांत कर रखा है और अध्ययन और अध्यापन ठीक न होने के कारण छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। प्रकाशकों ने कुंजियां संक्षिपिका और गेस पेपर निकाल कर छात्रों को पाठ्य पुस्तकों से पढ़ने से विरत कर देने के अतिरिक्त परीक्षा में

नकल करने के साधन भी उपलब्ध कराये हैं।

महाविद्यालय-

13- सन् 1975-76 में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 346 हो गयी थी जिनमें से 70 बालिकाओं के महाविद्यालय थे। स्वतंत्र्योत्तर काल में महाविद्यालय 88 प्रतिशत से ऊपर बढ़ गये। इनमें से 24 शासकीय कालेज थे, 319 निजी और 3 स्थानीयनिकायों के । इस प्रकार 92 प्रतिशत कालेज स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे थे। इन कालेजों का शैक्षिक नियंत्रण विश्वविद्यालयों के अधिकार में था और प्रशासनिक नियंत्रण सरकार के हाथ में ।

14- सन् 1975-76 में 2.64 लाख छात्र इन कालेजों में पढ़ते थे जिनमें 52,737 लड़कियाँ थीं। स्वतंत्र्योत्तर काल में नामांकन में 8.9 गुना वृद्धि हुई थी। सबसे अधिक वृद्धि चौथी योजना काल में हुई। छात्रों की औसत वृद्धिदर 10.89 प्रतिशत थी जो अखिल भारतीय औसत दर के 10.95 के बहुत निकट थी। बालिकाओं की संख्या इस अवधि में 21 गुना बढ़ी थी।

15- सन् 1975-76 में कालेजों के शिक्षकों की संख्याथी जिनमें महिला अध्यापक थी। स्वतंत्र्योत्तर काल में शिक्षकों संख्या 7.8प्रतिशत बढ़ गयी। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि दर 10.9 थी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 10.5 प्रतिशत ही बढ़ी था। शिक्षक छात्र अनुपात 20 से 27 तक बढ़ता रहा। चौथी योजना में नामांकन द्रुतिगति से बढ़ा, किन्तु शिक्षक उसके अनुरूप नहीं बढ़ पाए जिससे अनुपात बढ़ गया।

16- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ज्यादा तर सहायता विश्वविद्यालयों को ही देता था और कालेजों को कम, किन्तु धीरे-धीरे उसने कालेजों को अपनी सहायता बढ़ाई फिर भी इसके वितरण पर आक्षेप किया जाता है। उच्च-शिक्षा के लगभग 92 प्रतिशत छात्र कालेजों में पढ़ते हैं किन्तु उन्हें उतनी सहायतानहीं प्राप्त होती है जितनी

विश्वविधालयों को, जहाँ छात्र संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। शिक्षा अनुदान आयोग की सहायता से ही शिक्षकों की वेतन वृद्धि सम्भव हुई है।

17- उत्तर प्रदेश के दो कालेजों के व्यक्ति अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनका विकास प्रदेश की उच्च शिक्षा के विकास के समानान्तर ही रहा है।

उच्च शिक्षा पर व्यय -

18- सन् 1975-76 में उच्च शिक्षा पर 31.7 करोड़ रुपये व्यय किया गया था। सन् 1950-51 के व्यय का यह 12 गुना था। उच्च शिक्षा का व्यय काफी बढ़ गया था किन्तु इस अवधि में समस्त भारत में उच्च शिक्षा का व्यय 15.6 गुना बढ़ा था जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की बढ़ोत्तरी कम थी। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में सबसे अधिक व्यय विश्वविधालयों पर होता है, फिर महाविधालयों पर और सबसे कम विश्वविधालय सममान्य संस्थाओं पर । 1950-51 में विश्वविधालयों और महाविधालयों पर व्यय क्रमश: कुल का 75 और 24.8 प्रतिशत होता था जो 25 वर्ष बाद क्रमश: 53 और 45.9 हो गया। महाविधालयों पर व्यय काफी बढ़ा है, लेकिन फिर भी विश्वविधालय से कम है।

19- स्वातंत्र्योत्तर 25 वर्ष में विश्वविधालय, महाविधालय और अनुसंधान संस्थानों पर व्यय बढ़ने की औसत वार्षिक दर क्रमश: 9, 13.2 और 5.9 प्रतिशत रही है। विश्वविधालय सममान्य संस्थाओं पर यह व्यय घटा है जिसकी दर 7.5 प्रतिशत थी। पूरी उच्च-शिक्षा का व्यय बढ़ने की दर 10.6 प्रतिशत थी और प्रदेश का समस्त शैक्षिक प्रत्यक्ष व्यय 11.6 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा है। महाविधालय की वृद्धिदर इन सबसे अधिक रही है।

20- सन् 1975 में इस व्यय में शासकीय योगदान 18.7 प्रतिशत स्थानीय निकायों का 0.1 प्रतिशत विश्वविद्यालय फण्ड का 6.2 प्रतिशत शुल्क का 30 प्रतिशत और अन्य स्त्रोतों का 5 प्रतिशत योगदान था। आखिरी स्त्रोत को छोड़कर सभी का योगदान बढ़ा है। कीमतों के बढ़ने और विधा दानपर कोई आयकर से छूट न होने के कारण लोगों ने शिक्षा में अपना योगदान कम कर दिया है।

21- सन् 1970-71 में उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय का 42 प्रतिशत शिक्षकों के वेतन पर, 19 प्रतिशत अन्य कर्मचारियों के वेतन पर, 7 प्रतिशत उपकरणों पर और 32 प्रतिशत अन्य मदों पर व्यय किया गया। वेतन पर सबसे अधिक और फिर अन्य मदों पर व्यय किया गया। अन्य मदों में अनेक अनावश्यक व्यय सम्मिलित हो जाते है जिन्हें कम करने से उपकरणों पर आवर्ती व्यय बढ़ाया जा सकता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है। अखिल भारतीय मानकों की तुलना में अन्य कर्मचारियों के वेतन पर अधिक व्यय किया जा रहा है जिसे भी कम करना उचित होगा।

22- सन् 1975-76 में जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति पर 3.30 रुपये उच्च-शिक्षा पर व्यय हो रहा था। इस वर्ष प्रति विश्वविधालय पर औसत व्यय लगभग 88 लाख, प्रति महाविधालय पर 4 लाख, प्रति शोध संस्थान पर 30 लाख और विश्वविधालय समामान्य संस्था पर 6 लाख था। प्रति महाविधालय व्यय सबसे कम था।

23- सन् 1975-76 में प्रति छात्र लागत विश्वविधालय, महाविधालय, विश्वविधालय-सममान्य संस्थाऔर शोर्ध संस्थान में क्रमशः 1708 रुपये 536 रुपये, 1460 रुपये, 6460 रुपये था। महाविधालय काफी कम व्यय पर शिक्षा दे रहे है। इस वर्ष शिक्षकों का वार्षिक औसत वेतन विश्वविधालयों 13 हजार महाविधालयों में 7.5 हजार और विश्वविधालय समामान्य संस्थाओं में 6.1 हजार था। उत्तरप्रदेश में शिक्षकों का वेतन मान सन् 1973 में पुनरीक्षित करके विश्वविधालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुकूल कर दिया गया।

24- उच्च शिक्षा की संस्थाओं को सहायता अनुदान केन्द्र के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार से मिलता है। आयोग यह अपेक्षा करता है कि संस्था या उसकी प्रादेशिक सरकार अनुदान का एक अंश अपनी तरफ से पूरा करें। राज्य सरकार महाविद्यालयों में प्राप्त होने वाले विज्ञान छात्रों के शुल्क का 75 प्रतिशत और अन्य छात्रों के शुल्क का 80 प्रतिशत जमा कराकर शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन वितरण की व्यवस्था करता है।

पंचवर्षीय योजनाओं मेंउच्च शिक्षा-

25- पहली पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा को 43 लाख रुपये आवंटित किया गया था जो कुल-शिक्षा पर व्यय का 3 प्रतिशत था। दूसरी में 1.75 करोड़ रुपये रखा गया जो 12 प्रतिशत था। तीसरी और चौथा, योजना में क्रमशः 4.94 करोड़, 6.38 करोड़ रुपये दिया गया जो उन दो योजनाओं का 11 प्रतिशत था। पाँचवी योजना में यह आवंटन बढ़ाकर 12.7 करोड़ कर दिया गया जो कुल शिक्षा व्यय का 13 प्रतिशत था। इस प्रकार उच्च-शिक्षा के विकास के लिए योजनाओं में उत्तरोत्तर अधिक राशि आवंटित की जाती रही है।

26- पहली योजना को छोड़कर अन्य प्रत्येक योजना में दो या तीन नये विश्वविद्यालय खोले गये जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक विश्वविद्यालय है। योजनाओं में कुल 264 कालेज खोले गये जो चौथी योजना में सबसे अधिक 87 थे।

27- भारतीय मानक के अनुसार देश में 59 लाख जनसंख्या के लिए एक विश्वविद्यालय और 1.63 लाख की जनसंख्या के लिए एक महाविद्यालय है, किन्तु उत्तरप्रदेश में 50 लाख की जनसंख्या के लिए 1 विश्वविद्यालय और 2.74 लाख की जन संख्या के लिए एक महाविद्यालय है। स्पष्ट है कि उत्तरप्रदेश में जन संख्या के अनुसार विश्वविद्यालय अधिक

और महाविद्यालय कम है। भारतीय मानक तक पहुँचने के लिए योजनाओं में महाविद्यालय अधिक खोलना चाहिए था मगर विश्वविद्यालय कम। अधिक विश्वविद्यालय खोलने से व्यय अधिक बढ़ गया है किन्तु उसी धन से कालेजों की संख्या अधिक बढ़ाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय से भी काम चल सकता था।

28- योजनाओं में उच्च-शिक्षा के नामांकन में 2.79 लाख की वृद्धि हुई जिसमें बालक 2.18 लाख थे और बालिकाएं 61.4 हजार थी।जैसा किऊपर कहा गया है कि जनसंख्या में आयु वर्ग 17-23 के 3.48 प्रतिशत व्यक्तियों को उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध थी। योजनाओं में 12058 शिक्षक बढ़े जिसमें सबसे अधिक चतुर्थ योजना में 3830 थे।

तुलनात्मक अध्ययन-

29- उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा में प्रगति की तुलना उसके पड़ोसी प्रदेशों-पंजाब बिहार और मध्य प्रदेश तथा तीन उन्नत राज्यों तामिलनाडु ,पं0 बंगाल तथा महाराष्ट्र से की जा सकती है और अखिल भारतीय प्रगति के आधार पर भी समीक्षा की जा सकती है।

30- क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य-प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर-प्रदेश आता है, किन्तु जन संख्या की दृष्टि से उत्तर-प्रदेश सब राज्यों से आगे है। इन दृष्टियों से उत्तर प्रदेश को शिक्षा की व्यवस्था अधिक लोगों और दूर-दूर स्थानों पर करनी पड़ती है। जनसंख्या का घनत्व बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर उत्तर-प्रदेश में अधिक है। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुविधा अवश्य मिलती है। उत्तर-प्रदेश अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है किन्तु यहाँ आदिम जातियाँ नहीं है। इन जातियों की शिक्षा व्यवस्था करने में कठिनाई आती है।

31- उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय महाविद्यालय, नामांकन और शिक्षक संख्या है। इसमें जान पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की सुविधाएं अन्य राज्यों से अधिक है। केवल शोध संस्थान यहाँ बहुत कम है।

32- महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक राजस्व आय उत्तर प्रदेश का है किन्तु जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कमहो गयी है। यह भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय के आधे से कुछ ही अधिक है। अतएव उत्तर प्रदेश की शैक्षिक सामर्थ्य बहुत कम है फिर भी उसने उच्च-शिक्षा में अच्छी सराहनीय निष्पत्ति दिखाई है।

33- शिक्षा पर कुल व्यय उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से कम होता है फिर भी उत्तर प्रदेश में उससे उच्च-शिक्षा पर अधिक खर्च होता है। कुल व्यय में से उच्च-शिक्षा पर होने वाले व्यय का प्रतिशत पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊँचा है किन्तु उच्च शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय केवल बिहार और मध्य प्रदेश से ही अधिक और भारतीय औसत से कम ।

34- उत्तर प्रदेश के विश्वविधालयों में प्रतिछात्र व्यय सबसे कम है किन्तु महाविधालय में प्रति छात्र व्यय केवल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से कम है। यह राज्यों के व्यय का मध्यांक है और भारतीय औसत से भी कम है।

35- अन्य राज्यों में विश्वविधालय और महाविधालय के शिक्षकों का औसत वार्षिक वेतन उत्तर प्रदेश से अधिक है। यहभारतीय मानक से भी कम है।

36- राज्यों की बैलेंस-सीट तैयार करने पर ज्ञात होता है कि शिक्षा के पोषण की सामर्थ्य उत्तर-प्रदेश में सबसे कम है। वह अंतिम क्रमांक पर है, किन्तु उच्च-शिक्षा के लिए उत्तर-प्रदेश का प्रयत्नपंजाब के बाद क्रमांक 2 पर आता है। सामर्थ्य कम होते हुए भी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए बढ़ा भारी प्रयत्न किया गया है। अच्छी सामर्थ्य वाले महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे प्रदेश भी उससे पिछड़ गये है।

37- उच्च-शिक्षा की निष्पत्ति में इन प्रांतों में उत्तर प्रदेश का दूसरा क्रमांक है। पंजाब को छोड़कर अन्य विकसित राज्य भी उसकी तुलना में पिछड़ गये हैं।

38- साक्षरता में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी बहुत पहले से ही साक्षरता कम थी और इसकी जनसंख्या को देखते हुए उसे बढ़ाना कठिन है।

39- उच्च शिक्षा में सबसे अच्छा निष्पादन पंजाब का था और उसके बाद उत्तर प्रदेश का किन्तु पंजाब की सामर्थ्य अधिक थी अतएव उसका निष्पादन सर्वोपरि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो उत्तर प्रदेश के निष्पादन का है जिसकी सामर्थ्य सबसे कम होते हुए भी प्रयत्नऔर निष्पत्ति दोनों ही बहुत अच्छी रही। अतएव पंजाब को छोड़कर सीमाओं के होते हुए भी उत्तर प्रदेश का उच्च-शिक्षा में निष्पादन सराहनीय है।

सुझाव

1- उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण और अध्यापन और अनुसंधान का समायोजन करना केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है। फिर भी उच्च-शिक्षा के मापदण्ड गिरे अतएव उनको बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को सुदृढ़ कदम उठाना चाहिए।

2- संसद सदस्यों की एक समिति ने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की थी। उसकी अनुशंसा को मानना उच्च शिक्षा के लिए लाभ दायक हो सकता है।

3- इस सम्बन्ध में उच्च-शिक्षा को केन्द्रीय अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से मिलताहै। इस अनुदान की कई सीमाएं है इसका निराकरण करना आवश्यक है।

4- आयोग भागीदारी (शेयरिंग) सिद्धान्त पर अनुदान देता है जिसका एक अंश संस्था या उसकी राज्य सरकार को पू रा करना पड़ता है। प्राय: ऐसा करने के लिए संस्था के पास पैसा नहीं होता और राज्य सरकार के अन्य मदों में खर्च बढ़ने के कारण

वह सहायता नहीं कर पाती। इससे आयोग के अनेक अनुदानों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। आयोग को सभी अनदान शत प्रतिशत रूप में देना चाहिए।

5- आयोग कई अनुदान छोटी-छोटी बातों के लिए देता है जैसे कैन्टीन, फिल्म सेंटर तथा हाबी-हाउस वैगरह बनाना। इन कार्यों को संस्था या राज्य सरकार पर छोड़ा जा सकता है और आयोग अपना अनुदान अध्ययन -अध्यापन-अनुसंधान को बढ़ाने के लिए ही दे सकता है।

6- आयोग विश्वविधालयों को प्राय: विकास अनुदान ही देता है किन्तु प्रतिबद्ध व्यय के लिए कोई अनुदान नहीं देता। इससे कई शैक्षिक योजनाएं पांच साल तक चलकर ठप्प हो जाती है। प्रत्येक योजना के बाद बढ़ते हुए प्रतिबद्ध व्यय का भार उठाने की सामर्थ्य संस्था या राज्य सरकार में नहीं होती है। अतएव आयोग को राज्य विश्वविधालयों को भी प्रतिबद्ध व्यय पर अनुदान देना चाहिए।

7- उच्च शिक्षा के 92 प्रतिशत छात्र कालेजों मेंपढ़ते है किन्तु कालेजों को विश्वविधालयों की तुलना में आयोग बहुत कम अनुदान देता है। यह उचित नहीं है और इस असंतुलन को शीघ्र दूर करना चाहिए।

8- अनेक वर्षों के बाद अब आयोग ने अनुभव किया है कि ईट-गारे में पैसा लगाने से मापदण्ड ऊँचे नहीं होते, अतएव उसमें निर्माण कार्य पर खर्च करना कम कर दिया। पर-आवश्यक निर्माणकार्य के अतिरिक्त अब उसे अध्यापन अनुसंधान की कार्यक्रम, उपकरणों के खरीदने तथा प्रध्यापकों के व्यवसायिक उन्नयन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

9- राज्य सरकार फीस (शुल्क) का 75 से 80 प्रतिशत जमा कराके शिक्षकों का वेतन देती है जिससे महाविधालयों के नैमित्तिक खर्चऔर विकासात्मक कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इससे संस्थाओं का विकास रूक गया है और अध्यापन सम्बन्धी आवर्ती उपकरण एवं सामग्री नहीं खरीदी जा सकती है। इस व्यय के लिए संस्थाओं को अतिरिक्त धन की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए।

10- विश्वविधालय-

उच्च-शिक्षा का एक निदेशालय है जिसके क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है और वह स्वयं कागजी कार्यवाहियों में व्यस्त रहता है और मापदण्डों के गिरने की आवाज सुनाई देती है। इस निदेशालय का विस्तार करना चाहिये और इसे महाविधालयों का निरीक्षण करने के लिए बाध्य करना चाहिये जिससे अध्ययन और अध्यापन के मापदण्ड ऊँचे उठें।

11- विश्वविधालयों के आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर होने के कारण राजनीतिक दबाव बढ़ा है। इससे विश्वविधालयों की स्वायत्ता और शैक्षिक स्वतंत्रता सीमित हुई है। इसके दुष्परिणाम से उन्हें बचाने के लिए विश्वविधालयों की स्वायत्ता का पुनरींक्षण करना चाहिए।

12- विश्वविधालयों के शिक्षकों में राजनीति और दलबन्दी पनपी है जिसका कुप्रभाव अध्यापन परपड़ा है। इसके यथासम्भव निराकरण का प्रयत्न किया जाय।

13- विश्वविधालयों के छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ी है। अधिकांश छात्र पढ़ना चाहते है किन्तु कुछ नेतागर्ण उछूंखलता पैदा करते है। इन नेताओं का सम्बन्ध-प्रदेश के राजनैतिक दल से होता है। राजनीति को शिक्षा से दूर रखा जाय और छात्रों के आक्रोश के कारणों को जानकर उनका यथा सम्भव निराकरण किया जाय।

14- उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में अध्ययन-अध्यापन-अनुसंधान का वातावरण सजीव करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाय और उसके अवरोधकों का कठोरता पूर्वक दमन किया जाय।

महाविधालय-

15- कुछ महाविधालय व्यापारिक या राजनैतिक दृष्टि से खोले जाते है। इन पर नियंत्रण रखना परमावश्यक है। महाविधालयों की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़

बनाने के लिए अक्षय निधि जमा करने की शर्तको कठोरता से पालन किया जाय।

16- शैक्षिक संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों को नियमानुसार गठित करने पर बल दिया जाय और उनमें एक-एक सरकार और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि अवश्य हो। अनियमिति कार्य करने वाली प्रबन्ध-समितियों का प्रबन्ध निरस्त कर अन्य समुचित व्यवस्था करने का प्रावधान रखा जाय। महाविद्यालय के दैनिक कार्य में उनको हस्तक्षेप करने से रोका जाय।

17- सरकार किसी महाविद्यालय के खुलने के एकवर्ष या अधिक बाद अनुदान सूची पर ले।ताकि उसे प्रारम्भिक वित्तीयकठिनाई से बचाया जाय।

18- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शैक्षिक निरीक्षण की नियमित व्यवस्था करे और उसकी एक रिपोर्ट शासन को दे जिस परकार्यवाही की जाय।

उच्च शिक्षा पर व्यय-

19- उच्च शिक्षा पर व्यय बराबर बढ़ रहा है। जिसका अधिकाधिक भार राज्य सरकार पर आता जाता है किन्तु सरकार की भी शिक्षा पर व्यय करने की सीमाएं हैं।अतएव आय के अन्य स्रोतों कीखोज करना चाहिए।

20- छात्रों तथा अभिभावकों के आंदोलन के कारण शुल्क बढ़ाना कठिन है।स्थानीय संस्थाओं का उच्च शिक्षा पर कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं है। समुदाय की सहायता को बढ़ाया जा सकता है किन्तु उसके लिए जनता को प्रोत्साहित करना तथा विद्यादान को आयकर मुक्त करनाआवश्यक हैं।

21- उच्च शिक्षा के व्यय में बड़ा अपव्यय और बड़ी अप्रभावाकारिता आ गयी है। इनको तुरंत दूर करना चाहिए जिससे शिक्षा व्यय का प्रत्येकपैसा सार्थक रूप में प्रयुक्त हो सकें।

22- व्यय के वितरण से जानपड़ता है कि सर्वाधिक खर्च शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन और फिर अन्य मदों पर होता हैं। उपकरण पर जिनकी सहायता से अध्यापन उन्नत बनता है बहुत कम खर्च हो रहा है। अन्य कर्मचारियों की संख्या कम करकेतथा अन्य व्यय के अपेक्षाकृत कम आवश्यक मदों को समाप्त करके आवर्ती उपकरण और सामग्री पर व्यय बढ़ाया जाय।

23- कीमतों के बढ़ने के कारण शिक्षक बराबर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे है किन्तु उस वृद्धि की भी एक सीमा आ सकती है। यूनस्को की आंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट "लर्निंग टू बी" की अंग्राकित चेतावनी ध्यान देने योग्य है।

24- पंचवर्षीय योजना-

पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा का अच्छा संख्यात्मक विकास हुआ है। अब उसके गुणात्मक विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। भविष्य में और कोई नया विश्वविधालय न खोला जाय वरन् पहाड़ी प्रदेश के विश्वविधालयों को मिलाकर एक कर दिया जाय।

25- महाविधालय और खोलने की आवश्यकता है ताकि भारतीय मानक तक पहुँचा जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधायें बढ़ाई जा सकें।

26- 86 प्रतिशत् जनता ग्राम वासिनी है किन्तु ग्रामों में उच्च शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं हुआ है। ग्रामीण संस्थान और ग्रामीण महाविधालय बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे उन्हें उपयुक्त शिक्षा दी जा सके और लोगों का शहर की ओर स्थानान्तरण रोका जा सकें।

तुलनात्मक अध्ययन-

27- तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तरप्रदेश में उच्च शिक्षा का अच्दा विकास हुआ किन्तु ग्रामीण और शहरीक्षेत्रों केअसन्तुलन को समाप्त करना परमावश्यक है। अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा की और अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे उनकीछात्रवृत्ति पर होने वाला धन अधिक सार्थक बने और उनमें उच्च शिक्षा का अधिक प्रसार हो।

अग्रिम शोध के सुझाव

1- उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की वित्त व्यवस्था।

2- परीक्षाओं की दशा और दिशा।

3- विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण और उसका निवारण।

4- विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता।

5- उच्च शिक्षा के छात्र नेताओं के लक्षणों का अध्ययन।

6- किसी एक विश्वविद्यालय वृत-आध्ययन।

7- महाविद्यालयों की समस्याएं और उनका निराकरण।

8- उच्च शिक्षा में माप दण्डों का गिरना और उनकी रोकथाम।

9- उच्च शिक्षा की केन्द्रीय और राज्य अनुदान प्रणाली तथा उसके गुण दोष।

10- दो वर्षीय और त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन।

11- सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के शिक्षा-शास्त्र अध्यापन की प्रभावकारिता।

===

खण्ड ४ : परिशिष्ट

परिशिष्ट १ : संदर्भ ग्रन्थ सूची

परिशिष्ट २ : राज्य अनुदान प्रणाली

परिशिष्ट-1

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, जे०सी० : प्रोग्रेस आफ एजूकेशन इन फ्री इंडिया, न्यू दिल्ली, आर्य बुक डिपो।

अग्रवाल, जे०सी० : रीसेन्ट डेवलपमेन्ट इन इंडियन एजूकेशन न्यू दिल्ली, आर्य बुक डिपो, 1967

अग्रवाल, जे०सी० एण्ड भट्ट बी०डी० : एजूकेशनल डाकूमेन्ट्स इन इंडिया (1813-1968) नयू दिल्ली, आर्य बुक डिपो, 1969

आर्यन, जे०डब्लू० : कालेज एजूकेशन इन इंडिया, बम्बई मानकटलास-1967

उदयशंकर तथा एस०पी०आलूवालिया : डेवपलमेन्टस आफ एजूकेशन इन इंडिया, 1947-1966, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 1967

क्रिमपाल, पी० : ए डीकेड आफ एजूकेशन इन इंडिया, दिल्ली, इंडियन बुक का०-1968

केई, एफ०ई० : हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इंडिया एण्ड पाकिस्तान, कलकत्ता, ओ०यू०पी०-1965

गाडिनो, राबर्ट : दि इंडियन यूनीवर्सिटी, बम्बई पापुलर प्रकाशन-1965

डेवन, विलियम क्लाइड : हायर एजूकेशन इन ट्वनटीयथसेन्चुयरी, दिल्ली, आत्माराम एण्ड सन्स-1967

डोंगर करी, एस०आर० : यूनीवर्सिटी आटोनामी इन इंडिया, बम्बई, लालवानी पब्लिशिंग हाउस।

डोगरकरी, एस०आर० : थाटस आन यूनीवर्सिटी एजूकेशन, बम्बई, पापुलर, प्रकाशन, 1955

देशमुख, सी०डी० : इनदि पोर्टल्स आफ इंडियन यूनीवर्सिटीज, दिल्ली, आत्माराम एण्ड सन्स।

पाठक, पी०डी०और जी०एस०डी० त्यागी, : भारतीय शिक्षा के आयोग, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर, 1973

बसू, ए0एन0 : एजूकेशन इन मार्डन इंडिया, कलकत्ता, ओरियंट बुक का0 1947

बेस्ट, जे0डब्लू0 : रिसर्च इन एजूकेशन, इंजिल उडविलस एन0जे0प्रेन्टिस हाल, 1959

भगवान, दयाल : डेवलपमेंट आफ मार्डन इंडियन, एजूकेशन बम्बई, ओरियंट लान्गमैन्स।

मिश्र, आत्मानन्द : शैक्षणिका, नई दिल्ली, ओरियन्ट लौंगमन्स लिमिटेड, 1969

मिश्र, आत्मानन्द : भारतीय शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था, भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1973

मिश्र, आत्मानन्द : शिक्षा-कोश, कानपुर, ग्रन्थम, रामबाग, 1977

मिश्र, आत्मानन्द : शिक्षा की समस्याएं, भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1978

मुकर्जी, एस0एन0 : एडमिनिस्ट्रेशन आफ एजूकेशन इन इंडिया, बड़ौदा आचार्य बुक डिपो, 1962

मुकर्जी, एस0एन0 : हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इंडिया, बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो, 1966

मुकर्जी, एस0एन0 : हायर एजूकेशन एण्ड रूरल इंडिया, 1956 बड़ौदा, आचार्य बुकडिपो।

रावत, प्यारे लाल : भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, राय प्रसाद एण्ड संस-1972

शाह, ए0बी0 : हायर एजूकेशन इन इंडिया, बम्बई लालवानी, पब्लिशिंग हाउस।

श्री माली, के0एल0 : एजूकेशन इन चेंजिंग इंडिया, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस

श्रीवास्तव, के0एन0 : एजूकेशन इन फ्री इंडिया, नई दिल्ली ओरियंट लोंगमन्स।

सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन : बड़ौदा सेन्टर आफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन-1974

सिंह, टी0तथा उमेश चन्द्र राय7 : फोर डिकेड्स आफ एजूकेशनल रिसर्च, वाराणसी, इंडिया मल्टी इंटर प्राइजेज प्रकाशन, 1981

सिंहल, महेश चन्द्र : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं, जयपुर राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1971

सिक्येरिया, टी०एन० : दि एजूकेशन आफ इंडिया, बम्बई, आक्सफोर्ड प्रेस

सुखिया, एस०पी०, पी०बी०

मेहरोत्रा पी०बी०औरआर०एन०

मेहरोत्रा : शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर-1973

सेकेन्ड सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन : 1972-78 बड़ौदा सोसाइटी फार एजूकेशनल रिसर्च एवं डेवपलमेन्ट-1979

सैयदन, के०जी० : यूनीवर्सिटीज एण्ड दि लाइफ आफ दि माइंड, बम्बई एशिया पब्लिशिंग हाउस।

एनुअल रिपोर्ट आफ प्रोग्रेस आफ एजूकेशन : 1950-51 से 1960-61 तक, इलाहाबाद, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, उ०प्र०

एजूकेशन इन इंडिया : 1950-51 से 1975-76 तक नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय

ए रिव्यू आफ एजूकेशन इन इंडिया : 1947 से 1961 तक, नई दिल्ली, एन०सी०ई०आर०टी०-1961

पंचवर्षीय योजना : प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, योजना विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

भारत : 1960 से 1975 तक, नई दिल्ली प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

यूनिवर्सिटी डेवलपमेन्टइन इंडिया : 1961 से 1976 तक, यू०जी०सी० नई दिल्ली।

यू०जी०सी० बुलेटिन वालूम-1 : 15 अगस्त 1972, नई दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन -1972

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशनरिपोर्ट : 1969-70 नई दिल्ली

यूनिवर्सिटी ग्रांटकमीशन रिपोर्ट : 1965-66 नई दिल्ली ।

वाइस-चान्सलर्सकांफ्रेंस 1962 : ए रिपोर्ट, नई दिल्ली 1963

हैन्ड बुक आफ यूनिवर्सिटीइन इंडिया 1963 नई दिल्ली -1964

आयोग तथा समितियों की रिपोर्ट

कोठारी, डी०एस० : शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार-1968

गर्वनमेंट आफ इंडिया : रिजोल्यूसन आन एजूकेशनल पालिसी-1904 कलकत्ता गर्वनमेन्ट प्रिंटिंग-1904

गर्वनमेन्ट आफ इंडिया : इंडियन यूनीवर्सिटीज एक्ट-1904 कलकत्ता: गर्वनमेंट प्रिंटिंग-1904

गर्वनमेंट आफ इंडिया रिजोल्यूसन आन एजूकेशन पालिसी-1913 कलकत्ता: गर्वनमेंट प्रिंटिंग-1913

देशमुख, सी०डी० : रिपोर्ट आफ दि थ्रीईयर डिग्री कोर्स एस्टीमेट्स कमेटी, नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय-1958

महाजनी, जी०एस० : रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन कालेजेज, नई दिल्ली यू०जी०सी०-1967

हर्टाग, फिलिप : रिपोर्ट आफ द आगजियलरी कमेटी आफ साइमन कमीशन आन एजूकेशन 1929 दिल्ली, मैनेजर आफ पब्लिकेशन-1929

हन्टर, डब्ल्यू०, डब्ल्यू० : रिपोर्ट आफ द इंडियन एजूकेशन कमीशन 1882 कलकत्ता गवर्नमेन्ट प्रिंटिंग-1883

राधाकृष्णन, सर्वपल्ली : यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट, नई दिल्ली मैनेजर आफ पब्लिकेशन-1951

वुड, चार्ल्स : एजूकेशनलडिस्पैच 1854, सलेक्सनस फ्राम एजूकेशनल रिकार्ड्स वाल्यूम II हेनरी शार्प ।

सप्रू, पी०एन० रिपोर्ट आफ दि कमेटीआफ दि मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट आन हायर एजूकेशन, नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय -1964

सार्जेण्ट, जान : प्लैन फार पोस्टवार एजूकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया-1944 नई दिल्ली ब्यूरो आफ एजूकेशन-1944

सिद्धान्त, एन०के० : रिपोर्ट आफ कमेटी आन स्टैण्डर्स आफ यूनिवर्सिटी एजूकेशन, नई दिल्ली, यू०जी०सी०-1968

सैडलर, एम०ए० : रिपोर्ट आफ द कलक्तता यूनिवर्सिटी कमीशन-1917, दिल्ली मैनेजर आफ पब्लिकेशन्स-1919

परिशिष्ट-11

महाविधालयों के लिए वेतन वितरण सम्बन्धी नियम
उत्तर प्रदेश शिक्षा विविध संशोधनअधिनियम, 1975

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश विश्वविधालय{पुन:अधिनियमन तथा संशोधन {अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित तथा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविधालय अधिनियम 1973 का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा यथासंशोधित तथापुन:अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10, 1973 की धारा कासंशोधन।

2-उत्तर प्रदेश विश्वविधालय {पुन: अधिनियमन तथा संशोधन{अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित तथापनु: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविधालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा{3} में शब्द"राज्य सरकार"के पश्चात् समय-2 पर बढ़ा दिये ज य।

नये अध्याय: 11-का का बढ़ाया जाना।

9-मूल अधिनियम के अध्याय 11 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाय, अर्था:-

"अध्याय-11-क"

उपाधि महाविधालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

परिभाषाएं

60-क-इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) "महाविद्यालय" से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है) ।

(2) "उप निदेशक" से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस अध्याय के अधीन उपनिदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है।

(3) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में "कर्मचारी" से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है-

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो। या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया है।

(4) "पोषण अनुदान" से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिए समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिए निदेश है।

(5) "वेतन" का वही अर्थ होगा जो धारा 56 के खण्ड (ख) में उसके लिए दिया गया है।

(6) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, "अध्यापक" से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो--

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से। अप्रैल, 1975 के पूर्व सृजित किसी पद परया

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित किसी पद पर,

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से नियोजित हो।

60-ख- समयके भीतर और अप्राधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का भुगतान

(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुये भी, 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी कालावधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसके लिया या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा सरकार सामान्य आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करे, उसे किया जायगा।

(2) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जायेगा।

निरीक्षण करने की शक्ति

60-ग-(1) उप निदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संबंध में उसके प्रबन्धतंत्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अंतर्गत रजिस्टर, लेखा-बहियाँ तथा वाउचर भी हैं) माँग सकेगा। अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिये उसके प्रबंधतंत्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिबन्ध के लिए कोई निदेश भी है) दे सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन छटनी के लिए प्रत्येक निदेश शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जायेगा और उसमें ऐसा भावी दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायगा। जबसे ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी।

(3) जहाँ उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार छटनी के लिए कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनाँक से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायगा।

कतिपय महाविधालय की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया।

60-घ-॥1॥ प्रत्येक महाविधालय का प्रबन्ध तंत्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवितरण के प्रयोजनों के लिये, किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में, एक पृथक लेखा ॥जिसे आगे इस अध्याय में वेतन संदायलेखा"कहा गया है॥ खोलेगा, जिसे प्रबंधतंत्र के एक प्रतिनिधि और उपनिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उपनिदेशक द्वारा उस मितित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप में चलाया जायगा।

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात्, यदि उप निदेशक का धारा 60-ज के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, यह समाधान हो जायकि लोक-हित में ऐसा करना समाचीन है, तो वह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबंध तंत्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखडित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि उप-धारा॥3॥ में निर्दिष्ट दशा में, अथवा जहाँ किसी अन्य दशा में प्रबन्ध तंत्र को हेतु दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो उप निदेशक बैंक को यह अनुरोध दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा केवल उप निदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे बहुत अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त करें, चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखडित कर सकेगा।

॥2॥राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविधालय के प्रबंध तंत्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविधालय को या उसके लाभार्थ पूर्णत: या अंशत:धर्मा-स्थिति किसी जंगम, या स्थावार सम्पत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वे संदाय लेखा में जमा करें, और तदुपरान्त प्रबंध तंत्र ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

(3) जहाँ, उप निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्ध तंत्र ने उपधारा (2) अथवा तद्धीन जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहाँ उप निदेशक, आदेशद्वारा प्रबन्धतंत्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा। और तदुपरान्त, उपनिदेशक छात्रों से प्रत्यक्षतः (या तो महाविद्यालय/के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूली की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमाकरेगा।

(4) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी उपधारा (2) तथा (3) के अधीन जमा की गयी धनराशि को रखते हुये, उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिए आवश्यक हो।

(5) वेतन संदाय लेखा में जमाधनराशि का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात:-

(क) 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के लिए महाविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिए।

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों में प्रबंध तंत्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए।

(6) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, वेतन संदाय लेखा के उसी बैंक उसके लेखें में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके अथवा यदि उस बैंक में उसका लेखा न हो तब चैक द्वारा संदत्त किया जायेगा।

वेतन के संबंध में दायित्व

60-ड (1) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के संबंध में देय होने वाले वेतन का संदाय करने के लिये देनदार होगी।

(2) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके संबंध में उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी मानो वह धन-राशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय-भू-राजस्व का बकाया हो।

§3§इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में जो अध्यापक अथवाकर्मचारी को देय हो, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है।

60-च"- §1§यदि धारा 60-ग- के अधीन किसी निदेश की या धारा 60-ख- या धारा 60-घ के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यक्तित्व किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यतिक्रम किये जाने के समय महाविधालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था जब तक कि वह न साबित कर दे कि व्यक्ति क्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यक्तिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता वर्ती थी, धारा 60-घ के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में जुर्माना से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास जो छः मास तक हो। सकेगा अथवा जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

§2§ कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप निदेशक की पूर्व मंजरी के बिना नहीं करेगा।

§3§इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उपअधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारण्ट के बिना गिरफ्तार करेगा।

§4§कोई भी न्यायालय जो प्रथमवर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे की पंक्ति को हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

आदेश का अंतिम होना 60-छ- इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी का प्रयोग करके राज्य सरकार शिक्षा निदेशक§उच्चतर शिक्षा§उपनिदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपित्त नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति 60 ज- (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा , राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा है, कुल तीस दिन की कालावधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा भी क्यून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्यन तदधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा ३।।। अनुभाग

सं० शि०३।।३-3252/15-75-3३2३/74लखनऊ दि०मई9, 1975

आदेश
====

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय ३पुन: अधिनियमन तथा संशोधन३अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60घ की उपधारा ३2३ के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 60 क की उपधारा३।३ में यथा परिभाषित सभी महाविधालयों के प्रबंध तंत्र छात्रों से निम्नलिखित मदों में फीस के रूप में दिनाँक । अप्रैल, 1975 से किसी अवधि के लिए प्राप्त धनराशि का निम्नलिखित भाग वेतन संदाय लेखा में प्रत्येक मास नियमित रूप से फीस प्राप्त करने के दिनाँक से एक सप्ताह के भीतर और यदि इस आदेश में निर्दिष्ट किसीअवधि की फीस इस आदेश के जारी किए जाने के पहले प्राप्त कर ली गई तो इस आदेश के दिनाँक से एक सप्ताह के भीतर ,जमा करेंगे-

1- शिक्षण शुल्क 2- प्रवेश शुल्क 3-छात्रो पंजिका शुल्क 4-स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क	विज्ञान व कृषि के छात्रों से प्राप्त इन शुल्कों की आय का 85 प्रतिशत तथा शेष छात्रों से प्राप्त इन शुल्कों की आय का 80 प्रतिशत।
5- दंड शुल्क 6- मंहगाई शुल्क	100 प्रतिशत्

आज्ञा से,
शशि भूषण शरण
आयुक्त एवं शिक्षा सचिव

संख्या-शि०३।।३3252३।३/15-3३2३/75